वार्षिक रिपोर्ट

2004-05

सत्यमेव जयते

रक्षा मंत्रालय
भारत सरकार

वार्षिक रिपोर्ट
2004-05

रक्षा मंत्रालय
भारत सरकार

मुख पृष्ठ :
एक नौसेना युद्ध-पोत से छोड़ी जा रही 'ब्रह्मोस' सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल

पृष्ठ आवरण :
भारतीय वायुसेना का एयरोबैटिक दल- सूर्यकिरण अपने विस्मयकारी एयरोबैटिक कौशल का प्रदर्शन करते हुए

विषय सूची

1.	सुरक्षा परिवेश	5
2.	रक्षा मंत्रालय का गठन तथा कार्य	17
3.	भारतीय सेना	25
4.	भारतीय नौसेना	45
5.	भारतीय वायुसेना	55
6.	तटरक्षक	61
7.	रक्षा उत्पादन	69
8.	रक्षा अनुसंधान तथा विकास	97
9.	अन्तर-सेवा संगठन	115
10.	भर्ती और प्रशिक्षण	131
11.	भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास एवं कल्याण	159
12.	सशस्त्र सेनाओं तथा सिविल प्राधिकारियों के बीच सहयोग	177
13.	राष्ट्रीय कैडेट कोर	185
14.	विदेशों के साथ रक्षा संबंध	197
15.	समारोह, अकादमिक और साहसिक क्रियाकलाप	203
16.	सतर्कता यूनिटों के कार्यकलाप	215
17.	महिलाओं का सशक्तीकरण एवं कल्याण	219

परिशिष्ट

I.	रक्षा मंत्रालय के विभागों के कार्यों की सूची	227
II.	1 अप्रैल, 2004 से रक्षा मंत्रालय में मंत्री, सेनाध्यक्ष और सचिव	232
III.	रक्षा मंत्रालय के कार्यकरण पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की नवीनतम रिपोर्ट का सारांश	233

1

सुरक्षा परिवेश

सुरक्षा परिवेश

भौतिक परिवेश

1.1 हमारी भू-सीमा पश्चिम, मध्य, महाद्वीपीय और दक्षिण-पूर्व एशिया और समुद्री सीमा हिन्द महासागर के तटीय राज्य पूर्व अफ्रीका से इंडोनेशियाई द्वीप समूहों तक जुड़ी होने के कारण भारत सामरिक रूप से एशिया महाद्वीप और हिन्द महासागर क्षेत्र दोनों के आमने-सामने अवस्थित है। इसका भू-भाग 33 लाख वर्ग कि.मी. का है और इस पर भिन्न-भिन्न जातियों, भाषाओं, धर्मों और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के करोड़ों लोग रह रहे हैं।

1.2 भारत की स्थलाकृति 28,000 फुट से अधिक ऊंची हिमालय की बर्फीली चोटियों से रेगिस्तानों, घने जंगलों और विशाल मैदानों वाली विविध छटाओं से युक्त है। इसके उत्तर में स्थित सियाचीन ग्लेशियर 21,000 फुट से ऊपर अवस्थित चौकियों वाला विश्व का उच्चतम युद्ध क्षेत्र है। भारत की पश्चिमी सीमा रेगिस्तानों, उपजाऊ मैदानों और घने जंगलों वाले पहाड़ों से होकर गुजरती है। इसकी उत्तर-पूर्वी सीमाओं में भी खड़ी, ऊंची पर्वतमालाएं और घने उष्णकटिबंधीय जंगल हैं। दक्षिण दिशा में समुद्र के निकट पर्वत श्रृंखलाएं हैं, नदी घाटियों वाले अंत:विकीर्ण पठारी क्षेत्र, समुद्रवर्ती मैदानी-क्षेत्र और पश्चिम में लक्षद्वीप तथा पूर्व में अंडमान और निकोबार जैसे दूर-दूर तक विस्तीर्ण द्वीपीय प्रदेश हैं। गुजरात से पश्चिम बंगाल तक इसकी सीमाएं तीनों ओर से अरब सागर, हिन्द महासागर और बंगाल की खाड़ी से घिरी हुई हैं। इस प्रकार भारत एक समुद्री तथा महाद्वीपीय हस्ती है। यह भौगोलिक और स्थलाकृतिक विविधता, विशेष रूप से इसकी सीमाओं पर हमारी सशस्त्र सेनाओं के समक्ष अद्‌भुत चुनौतियां प्रस्तुत करती है।

1.3 भारत की जमीनी सरहदें 15,500 कि. मी. से अधिक क्षेत्र में फैली हुई हैं और ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बंगलादेश, म्यांमार, चीन, भूटान और नेपाल सहित सात पड़ोसी देशों से लगती हैं। इनमें से अधिकांश देशों की सीमाएं आपस में नहीं मिलती हैं जिससे वे अपने समान बड़े पड़ोसी के साथ अपने संबंधों पर अधिक ध्यान केन्द्रित करते हैं।

1.4 भारत का प्रायद्वीपीय आकार होने के कारण इसका समुद्र तट लगभग 7,600 कि. मी. लंबा है तथा इसका अनन्य आर्थिक क्षेत्र 2 मिलियन वर्ग कि.मी. से भी अधिक है। पूर्व में अंडमान और निकोबार का द्वीपीय भू-भाग मुख्य भूमि से 1,300 कि.मी. दूर है जो प्रत्यक्षत: दक्षिण-पूर्व एशिया के सन्निकट है। प्रायद्वीपीय भारत स्वेज नहर तथा फारस की खाड़ी से मलक्का जलडमरूमध्य तक फैले विश्व के एक सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग से लगा हुआ है जिसके माध्यम से प्रतिवर्ष 55,000 पोत तथा तेल का अधिकांश भाग खाड़ी क्षेत्र में आता-जाता है। भारत समुद्रों से घिरा हुआ है जो विगत में

महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा का क्षेत्र रहा है और आज भी यह सामयिक सुरक्षा चिंताओं के कारण निरंतर बाहरी नौसेनाओं की बढ़ी हुई गतिविधियों का क्षेत्र बना हुआ है।

1.5 ऐतिहासिक रूप से भारत का परत दर परत, सुगठित इतिहास लगभग 5,000 वर्ष पुराना है जो सभ्यता के प्रमुख स्रोतों में से एक है जिसे पश्चिम और मध्य एशिया, चीन, मंगोलिया और पूर्वी एशिया, दक्षिण-पूर्व एशिया, खाड़ी और पूर्वी अफ्रीका ने स्वीकार किया है, इसका प्रचार व प्रसार किया है तथा इससे वे प्रभावित भी हुए हैं। आज दक्षिण एशिया में राजतंत्र तथा सैनिक तानाशाही से लेकर उदीयमान एवं स्थापित लोकतंत्रों के क्षेत्र में विविध प्रकार के अनुभाव व प्रयोग किए जा रहे हैं। इस क्षेत्र में उन्मादी आतंकवाद और शस्त्रास्त्रों तथा मादक द्रव्यों की अवैध तस्करी एवं बड़ी मात्रा में उनके प्रसार का भी सामना किया जा रहा है। इन सबके बीच भारत रूढ़िवाद तथा उग्रवाद के विरुद्ध एक कठोर चट्टान, इस क्षेत्र में आर्थिक घनत्व के केन्द्र, लोकतंत्र का दीप स्तंभ (मानवीय विविधता और आर्थिक विषमता की चुनौतियों के बावजूद), स्थिरता की वाहक-शक्ति और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व तथा अहिंसा के प्रतीक चिह्न के रूप में खड़ा हुआ है। इस प्रकार, भारत की सुरक्षा चिंताओं और उसकी सुरक्षा को समझा जाना क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता एवं सुरक्षा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

1.6 भारत का आकार, सामरिक अवस्थिति, व्यापार संपर्क और अनन्य आर्थिक क्षेत्र तथा सुरक्षा परिवेश भारत की सुरक्षा चिंताओं को सीधे ही इसके विस्तारित पड़ोस, विशेष रूप से निकटवर्ती देशों और मध्य एशिया, दक्षिण-पूर्व एशिया के क्षेत्रों, खाड़ी और हिन्द

नियंत्रण रेखा के साथ-साथ लगाई गई बाड़ घुसपैठ रोकने में मदद करती है

महासागर से जोड़ता है। एशिया महाद्वीप के नीचे तथा हिन्द महासागर के ऊपर भारत की अवस्थिति मध्य एशिया तथा हिन्द महासागर दोनों के संबंध में इसे लाभ की स्थिति में पहुंचाती है।

सुरक्षा परिवेश

1.7 व्यापक तौर पर, बेहतरी अथवा बदतरी के लिए कुछ परिवर्तनों के साथ भारत का सामरिक परिवेश विगत वर्ष रक्षा मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में बताई गई स्थिति से ज्यादा भिन्न नहीं रहा। शीत युद्ध के बाद 9/11 के बाद आंतकवाद तथा भारी तबाही के हथियारों के प्रसार द्वारा खड़ी की गई चुनौतियों की चिंताएं अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंडा के केन्द्र तथा भारत की प्राथमिक एवं सर्वाधिक सामान्य सुरक्षा संबंधी चिंताओं के मूल में बनी रहीं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तथा सैन्य कार्यकलापों संबंधी कई प्रवृतियां जिन्हें विगत वर्ष की रिपोर्ट में चिह्नित किया गया है, वैध बनी रहीं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने महत्वपूर्ण विश्व शक्ति के रूप में अपना प्रभुत्व कायम रखा जबकि तेजी से विकसित और आधुनिक बन रहे चीन द्वारा खड़ी की गई नई चुनौती इतनी सशक्त थी कि उसकी अनदेखी नहीं की जा सकती थी। यूरोपीय संघ ने विस्तार और सुदृढ़ीकरण की अपनी प्रक्रिया जारी रखी। प्रमुख शक्तियों के बीच संबंध स्थिर बने रहे जबकि पूर्व एशिया में जापान और चीन के बीच ऐतिहासिक तनाव फिर से उभरने शुरू हो गए थे। रूस ने अपनी सुरक्षा और आर्थिक पुनरूत्थान के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप, चीन तथा मध्य एशिया के साथ अपने संबंधों को प्रगाढ़ करने के प्रयास जारी रखे। चीन के तेजी से आधुनिकीकरण से कुल हलकों में विस्मय और आशंका पैदा हुई है। तेल की कीमतों में तेजी से वृद्धि ने खाड़ी के ऊर्जा संसाधनों पर वैश्विक निर्भरता को रंखांकित किया जिससे उस क्षेत्र पर अधिकार और नियंत्रण करने तथा मुख्य रूप से मध्य एशिया में ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के लिए प्रयासों में तेजी आयी। सैन्य कार्यकलापों में आई क्रांति से दुनिया की प्रमुख शक्तियों के बीच सैन्य सुधार, पुनर्गठन और आधुनिकीकरण के प्रयास जारी रहे। जबकि इराक और फिलीस्तीन के हुए चुनावों तथा इजरायलियों के गाजापट्टी से निकलने से खाड़ी तथा पश्चिम एशिया में शांति की वापसी की संभावना बनी फिर भी एक सकारात्मक परिणाम की भविष्यवाणी करना अत्यधिक जल्दबाजी होगी। ईरान के परमाणु इरादों से उपजे तनावों तथा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की इस पर प्रतिक्रियाओं का इस क्षेत्र में अस्थिरता पैदा करने वाला प्रभाव पड़ सकता था। वर्ष के अंत तक ऐसे भी संकेत थे कि नये सामरिक गठबंधनों तथा भारत के आर्थिक विकास तथा क्षमता, सैन्य अनुभव तथा प्रजातंत्र के रूप में सफलता की बढ़ती सराहना ने प्रमुख शक्तियों को भारत के साथ अपने संबंधों को पुन:परिभाषित करने तथा इस प्रकार भारत के लिए नयी संभावनाओं के द्वार खोलने के लिए प्रेरित किया।

1.8 भारत की तात्कालिक सुरक्षा संबंधी चिंताएं मूल रूप से वही रहीं किंतु इसके दोनों बड़े पड़ोसियों के साथ सकारात्मक परिवर्तनों से इनमें कुछ सहजता आई। इस क्षेत्र के बहुत से देशों में आंतरिक अस्थिरता, सत्तावादी और/अथवा सैनिक शासन,

अतिवादी राजनीतिक अथवा धार्मिक आन्दोलन, कमजोर राज्य ढ़ांचे और प्रतिविद्रोही कार्रवाइयां तथा आंतरिक और जातीय संघर्ष चलते रहे। पाक-अफगान सीमा पर अलकायदा तथा तालिबान तत्वों के खिलाफ आपरेशनों के बाबजूद, मदरसों में पोषित तथा इस क्षेत्र में स्थित कैंपों में प्रशिक्षित कट्टरबाद तथा आतंकबाद के तालमेल से इस क्षेत्र में शांति तथा स्थायित्व के प्रति बड़े खतरे की संभावना बनी हुई है तथा जन-संहार के हथियारों के प्रचुरोद्भव और इनके कट्टरपंथियों तथा आतंकवादियों के हाथ में आने का खतरा भी बना हुआ है।

1.9 अंतर्राष्ट्रीय सीमा, नियंत्रण रेखा तथा भारत और पाकिस्तान के बीच जम्मू-कश्मीर में वास्तविक भू-स्थिति रेखा पर नवंबर, 2003 में युद्ध विराम लागू होने, तथा राष्ट्रपति मुशर्रफ द्वारा 6 जनवरी, 2004 को पाकिस्तान के नियंत्रण वाले किसी भू-भाग का आतंकवाद की सहायतार्थ किसी भी सूरत में इस्तेमाल की अनुमति न दिए जाने संबंधी बिना शर्त वचनबद्धता के फलस्वरूप इस वर्ष के दौरान भारत तथा पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने तथा संबंधों को सामान्य बनाने तथा उनमें सुधार करने के लिए अनेक पहल की गईं थीं। सरकार के स्तर पर, जून, 2004 में विदेश सचिव स्तर पर पुनः वार्ता शुरू करके एक संयुक्त वार्ता शुरू की गई थी। प्रथम दौर सितंबर, 2004 में सम्पन्न हुआ जिसमें सर क्रीक मुद्दे पर दोनों देशों के बीच दिल्ली में सशस्त्र सेनाओं की बातचीत शामिल है जिसके बाद इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के क्षैतिज भूखंड में फरवरी, 2005 में सीमा पर स्थित स्तम्भों का एक संयुक्त सर्वेक्षण किया गया; तथा सियाचिन मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के रक्षा सचिवों के बीच वार्ताएं हुई। वार्ता का दूसरा दौर दिसबंर, 2004 में शुरू हुआ। उच्च स्तरीय सम्पर्कों से इसे गति मिली। प्रधान मंत्री संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान सितंबर, 2004 में राष्ट्रपति मुशर्रफ से अलग मिले जहां पर प्रधान मंत्री ने आंतकवाद के संबंध में राष्ट्रपति मुशर्रफ के आश्वासन को पूरा करने के महत्व पर जोर दिया। पाकिस्तान के प्रधान मंत्री ने सार्क के अध्यक्ष के रूप में नवंबर, 2004 में भारत का दौरा किया।

1.10 सशस्त्र सेनाओं के स्तर पर अनेक विश्वासोत्पादक उपायों का आदान-प्रदान किया गया। आणविक तथा परम्परागत विश्वासोत्पादक उपायों के संबंध में बैठकों का आयोजन किया गया जिसमें दोनों देशों के सैन्य संक्रिया महानिदेशालयों के बीच सम्पर्कों में वृद्धि करने के लिए आपसी समझ संबंधी सहमति हुई। भारत ने, अन्य बातों के साथ-साथ, नियंत्रण रेखा पर अमन और चैन के लिए करार, डिवीजन/कोर कमाण्डर स्तर पर नए संपर्क सूत्रों, सह-सेना अध्यक्ष स्तर पर वार्षिक बैठकें तथा सशस्त्र सेनाओं से संबद्ध अकादमिक संस्थाओं, राष्ट्रीय रक्षा कालेजों आदि के बीच आदान-प्रदान करने के लिए प्रस्ताव किया। दिसंबर, 2004 में विदेश सचिव, नामजद स्थानों पर स्थानीय स्तर पर नियमित सम्पर्कों को प्रोत्साहित करने तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा नियंत्रण रेखा के संबंध में और अधिक विश्वासोत्पादक उपायों की तलाश करने के लिए सहमत हुए। विदेश

मंत्री की 15-17 फरवरी, 2005 को पाकिस्तान की यात्रा के दौरान यह निर्णय लिया गया था कि आगामी महीनों में मिसाइल परीक्षणों की पूर्व सूचना देने तथा भारतीय तटरक्षक बल तथा पाकिस्तानी समुद्री सुरक्षा ऐजेंसी के बीच सूचना सम्पर्क स्थापित करने के लिए करार किए जायेंगे। यह भी निर्णय लिया गया था कि समुद्र में घटनाओं के निवारण तथा नाभिकीय दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करने अथवा नाभिकीय हथियारों के अनधिकृत इस्तेमाल को रोकने के लिए सहमति पर चर्चाएं की जायेंगी।

1.11 जन-जन तक सम्पर्क करने के लिए वर्ष के दौरान बड़े कदम उठाए गए। विदेश मंत्री की फरवरी, 2005 में पाकिस्तान यात्रा के दौरान श्रीनगर तथा मुजफ्फराबाद (7 अप्रैल, 2005 से शुरू होने वाली) तथा अमृतसर तथा लाहौर के बीच ननकाना साहिब जैसे धार्मिक स्थलों सहित, बस सेवाएं शुरू करने के लिए करार हुआ था। पाकिस्तान खोकरापार-मुनाबाओ रेल सम्पर्क को शीघ्र बहाल करने हेतु कार्य करने के लिए भी सहमत हुआ। पाकिस्तानी नागरिकों को लिए द्विपक्षीय वीजा नियमों को उदार बनाया गया।

1.12 भारत-पाकिस्तान संबंधों पर सुखद नोट के साथ वर्ष सम्पन्न हुआ फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि जम्मू-कश्मीर में सीमा पर आतंकवाद का अंत हो गया। यद्यपि, घुसपैठ के स्तर में कुछ कमी आई थी तथापि यह पाकिस्तानी प्राधिकारियों के दिल अथवा कार्य में प्रत्यक्ष परिवर्तन की अपेक्षा भारतीय स्शास्त्र सेनाओं की ओर से किए गए उपायों के कारण हुआ था। अफगानिस्तान के साथ अपनी पश्चिमी सीमाओं पर आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में पाकिस्तान के आपरेशनों की तुलना में इसकी पूर्वी सीमा पर संचार, लांचिंग पैड, तथा प्रशिक्षण कैंपों जैसे आतंकवादी बुनियादी ढांचे को गिराने के लिए महत्वपूर्ण पाकिस्तानी प्रयास के प्रमाण नहीं थे। एफ-16, पी 3 सी ओरियन समुद्री निगरानी विमान आदि, जिनका आतंकवाद के खिलाफ युद्ध से कोई सरोकार नहीं है, जैसे अत्याधुनिक हथियार तथा प्लेटफार्मों के अर्जन से आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में शामिल होने के पाकिस्तान के वास्तविक इरादे पर विश्वास नहीं किया जा सकता तथा इससे इस क्षेत्र में शांति की स्थापना की दिशा में जटिलताएं खड़ी हो सकती हैं। भारत को इस क्षेत्र में सैन्य शक्ति के संतुलन पर इसके प्रभावों के प्रति अपनी सुरक्षा करनी होगी।

1.13 अफगानिस्तान की गतिविधियों का इस क्षेत्र की शांति तथा सुरक्षा पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। संवैधानिक लोया जिरगाह, नए संविधान को स्वीकारना, तथा अक्तूबर, 2004 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रबल समर्थन के साथ अफगानिस्तान में राष्ट्रपति चुनावों का सफल संचालन इत्यादि बॉन प्रक्रिया में मील के पत्थर थे, फिर भी संसदीय चुनावों के आयोजन में विलंब हुआ। यद्यपि, पुनर्निमार्ण कार्य तथा संस्थाओं के पुनर्निर्माण में प्रगति हुई है तथा अफगानिस्तान में स्थिति में स्थायित्व आ रहा है। शेष तालिबानों की वजह से आंतरिक सुरक्षा को खतरा तथा अन्य

मिलते-जुलते विचारों वाले कट्टरपंथी दल की वजह से अफगानिस्तान की सरकार के समक्ष सतत चुनौती बनी हुई है तथा भारत सहित अन्य क्षेत्रों में भी चिंता का कारण बना हुआ है। भारत ने अफगानिस्तान के प्रत्येक प्रांत में वास्तविक आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए वर्ष 2002-2008 की अवधि के दौरान 500 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक का योगदान करने का वचन दिया है। भारत ने अफगान राष्ट्रीय सेना के इस्तेमाल हेतु 300 सैन्य इस्तेमाल के वाहनों सहित लगभग प्रत्येक क्षेत्र में अफगानिस्तान में शांति, स्थायित्व तथा पुनर्निर्माण के प्रयास के रूप में योगदान दिया है।

1.14 उपमहाद्वीप के अंदर, अपने नजदीकी पड़ोसियों के साथ अच्छे तथा निकट संबंधों के बावजूद कमतर सुरक्षा समस्याओं की वजह से संबंधों में जटिलता बनी हुई है। बंगलादेश, राजनैतिक पार्टियों तथा कट्टरपंथी संगठनों तथा बंगलादेश के समाज तथा सरकार में कट्टरपंथी इस्लामी अभिमुखीकरण के बढ़ते प्रभाव के प्रति उदासीन रहा है। भारत के पूर्वोत्तर में विद्रोही दलों तथा बंगलादेश की सरजमीं पर पाकिस्तानी अंतरसेवा इंटेलिजेंस की मौजूदगी तथा उनकी गतिविधियों और बड़े पैमाने पर अवैध प्रवेश तथा सीमा के अपराधीकरण के संबंध में भारत की चिन्ता से बंगलादेश असंवेदनशील तथा निष्क्रिय रहा है। राजनैतिक हिंसा तथा आंतरिक राजनैतिक विरोधियों की हत्याओं में चिन्ताजनक वृद्धि हुई है तथा इन्हें करने वाले दण्ड से बच गए। अप्रैल, 2004 में चिट्टगांव में पकड़े गए भारत के पूर्वोत्तर को भेजे जा रहे हथियारों और गोलाबारूद के बड़े जखीरे के संबंध में अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

1.15 राजा द्वारा 1 फरवरी, 2005 को बहुदलीय सरकार बरखास्त करने, आपात स्थिति लगाने, राजनीतिक नेताओं और अन्यों को गिरफ्तार करने तथा मीडिया को प्रतिबंधित करने के परिणामस्वरूप नेपाल में राजनीतिक और सुरक्षा की स्थिति और बिगड़ गई। इससे राजनीतिक दल दूर हो गए, राजा अलग-थलग पड़ गया और राजमहल तथा रायल नेपाली सेना माओवादियों के अलावा राजनीतिक दलों के विरुद्ध खड़े हो गए। भारत और अन्य देशों ने इन घटनाओं पर दु:ख जताया है जिन्होंने नेपाल में स्थिरता के लिए दो स्तंभों अर्थात् बहुदलीय लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले दलों और अत्यधिक जटिल सांविधिक राजशाही के बीच समाधान के प्रयास किए। हमारा हमेशा यह सुविचारित दृष्टिकोण रहा है कि नेपाल द्वारा झेली जा रही समस्याएं विशेष रूप से माओवादी विद्रोहिता का सांविधिक ताकतों के बीच राष्ट्रीय सहमति से ही कारगर हल ढूंढ़ा जा सकता है। भारत का यह दृष्टिकोण है कि माओवादी विद्रोहिता का पूर्ण रूप से कोई सैनिक समाधान नहीं निकल सकता। भारत ने वर्षों से नेपाल की सुरक्षा आवश्यकताओं के समाधान में उसका सहयोग किया है। देहाती इलाके विशेष रूप से भारत के सीमाई तराई क्षेत्र में माओवादियों की पकड़, भारत के हिस्सों में वामपंथी उग्रवादी ठिकानों के साथ उनके सम्पर्क और उनके प्रभाव का

समुद्री कमांडो एक सी-किंग हेलिकॉप्टर से भा नौ पो विराट पर उतरते हुए

संभावित विस्तार भारत के लिए गंभीर चिंता का विषय बने रहे हैं।

1.16 भूटान उन विद्रोही गुटों, जिन्होंने उसके भूभाग में अपने सैनिक ठिकाने और अड्डे बनाए थे, की वापसी को रोकने में अच्छे पड़ोसी होने का असाधारण प्रदर्शन करता आ रहा है। म्यांमार ने भी पूर्वोत्तर में भारतीय विद्रोही गुटों के विरुद्ध समन्वित अभियान चलाने में सहयोग किया जो म्यांमार शरण में थे या वहां से गतिविधियां चला रहे थे।

1.17 श्रीलंका में सरकार और मुक्तिचीतों (लिट्टे) के बीच बातचीत स्थगित रहने के बावजूद युद्ध विराम जारी रहा। 26 दिसंबर, 2004 को सूनामी के बाद सरकार और मुक्तिचीतों के बीच कुछ सीमित सहयोग था। ऐसे संकेत हैं कि मुक्तिचीते अपने आपको सैनिक साजोसामान से मजबूत कर रहे हैं हालांकि सूनामी के कारण श्रीलंका की रक्षा सेनाओं के साथ-साथ उन्हें भी नुकसान हुआ है। भारत, श्रीलंका के सभी समुदायों के लिए स्वीकार्य व्यापक, बातचीत के जरिए तय समाधान और संयुक्त श्रीलंका की रूपरेखा के भीतर श्रीलंकाई समाज के बहुलवादी स्वरूप को प्रदर्शित करते हुए और लोकतंत्र के प्रति आस्था और मानवाधिकारों का सम्मान करते हुए श्रीलंका की एकता, अखंडता और संप्रभुता के प्रति वचनबद्ध है। भारत ने श्रीलंकाई सशस्त्र सेनाओं के प्रशिक्षण की कुछ आवश्यकताएं पूरा करने में उसकी सहायता की, समुद्री सुरक्षा बढ़ाने में सहयोग दिया और 26 दिसंबर, 2004 को सूनामी के बाद बचाव,

राहत और पुनर्वास के लिए श्रीलंका की तात्कालिक जरूरतों को पूरा किया।

1.18 चीन सैन्य आधुनिकीकरण सहित तीव्र सैन्य अधुनिकीकरण पर जोर दे रहा है जबकि वह अपने आपको राजनीतिक और आर्थिक रूप से आंतरिक तौर पर सुदृढ़ करने और अपनी 'समग्र राष्ट्रीय शक्ति' निर्मित करने के लिए अपने पड़ोसियों के साथ शांतिपूर्ण संबंधों की तलाश में है। भारत और चीन के बीच अपनी-अपनी सशस्त्र सेनाओं सहित अपने-अपने सीमा क्षेत्रों में शांति और अमन चैन तथा पारस्परिक विश्वास जारी है और विशेष प्रतिनिधियों, जिन्हें समग्र द्विपक्षीय संबंधों के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से सीमा समाधान की रूपरेखा का पता लगाने का कार्य दिया गया है, के बीच विचार-विमर्श के जरिए सीमा मामले में मतभेदों को सुलझाने के प्रयास कर रहे हैं। विशेष प्रतिनिधियों के बीच अब तक बातचीत के पांच दौर पूरे हो चुके हैं। (पिछला दौर अप्रैल 2005 में नई दिल्ली में हुआ था। 11 अप्रैल को दोनों देशों के विशेष प्रतिनिधियों ने भारत चीन सीमा प्रश्न के समाधान के लिए राजनीतिक मानदंडों संबंधी करार और दिशा-निर्देशक सिद्धांतों पर हस्ताक्षर किए हैं।)

1.19 भारत-चीन संबंध उच्च स्तरीय आदान-प्रदान और बातचीत के लिए वृहत्त चौमुखी विकास के चरण में पहुंच गए हैं। (प्रमुख, वेन जियाबाओ की अप्रैल 2005 में यात्रा के दौरान दोनों देश इस बात पर सहमत हो गए हैं कि संबंधों ने अब सामारिक विशिष्टता अर्जित कर ली है और शांति तथा समृद्धि के लिए भारत चीन सामरिक और सहकारी भागीदारी स्थापित हुई है।) वर्ष के दौरान रक्षा आदान-प्रदान में भी तीव्रता आई है जो दिसंबर 2004 में भारत के सेनाध्यक्ष की चीन यात्रा और सितंबर 2004 में हेनान प्रांत में आयोजित पी एल ए सैनिक अभ्यास में पहली बार भारत के प्रतिनिधि मंडल के शामिल होने से प्रदर्शित होती है। चीन की ओर से पाकिस्तान के साथ निकट रक्षा संबंध और सैनिक सहायता जारी है। हम भारत चीन सीमा क्षेत्रों में चीन द्वारा सैनिक अवसंरचना के विकास, समुद्री क्षेत्र सहित इसके सैनिक आधुनिकीकरण पर भी लगातार नजर रखेंगे।

1.20 खाड़ी क्षेत्र ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है और यह 3.5 मिलियन से अधिक भारतीयों का घर तथा हमारे सामरिक पड़ोस का हिस्सा है। यह प्रमुख व्यापारिक भागीदार है। इसकी स्थिरता, सुरक्षा और समृद्धि भारत के लिए महत्वपूर्ण है। इराक सहित इस क्षेत्र के हिस्से इस्लामिक अतिवाद और आतंकवाद से प्रभावित हैं। इस क्षेत्र की सरकारें इससे निपटने के प्रयास कर रही हैं। जनवरी 2005 में इराक में हुए चुनावों से शांति और विकास की आशा जगी है और वहां ऐसी प्रक्रिया शुरू हुई है जिससे इराकी लोगों को अपने भाग्य का निर्णय करने का पूरा अधिकार होगा। मध्य एशिया में धार्मिक कट्टरपंथियों द्वारा

अस्थिरता पैदा करने के प्रयास की किए जा रहे हैं। इसके अलावा, मध्य एशिया की अवस्थिति और ऊर्जा परिसंपत्तियों के कारण भी उसकी तरफ अतिरिक्त क्षेत्रीय ध्यान और प्रतिस्पर्द्धा आकृष्ट होती है। एशिया प्रशांत के साथ भारत के तीव्र आर्थिक एकीकरण से पश्चिम हिन्द महासागर से एशिया प्रशांत तक जहाजरानी और ऊर्जा प्रवाह की सुरक्षा में दक्षिण पूर्व और पूर्व एशिया के साथ समान हित मजबूत हुए हैं। भारत और दक्षिण पूर्व एशिया का भी हठधर्मिता, बाहरी व्यक्तियों, धार्मिक कट्टरपंथियों और उग्रवादी धार्मिक विचारधाराओं की घुसपैठ के विरुद्ध अपनी विविध धार्मिक समुदायों के बीच शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की परंपराओं को संरक्षित करने में बड़ा हित है।

1.21 क्षेत्रीय स्तर पर भारत जानबूझकर एशियन क्षेत्रीय मंच और अक्तूबर, 2004 में अलमाटी, कजाकिस्तान में एशिया में अंतर-कार्रवाई और विश्वास निर्माण उपायों संबंधी सम्मेलन (सी आई सी ए) जैसी सहकारी सुरक्षा संरचनाओं के माध्यम से उद्देश्यपूर्ण बातचीत करने और विश्वास निर्माण पर जोर देता रहा है।

सुरक्षा के लिए आंतरिक खतरा

1.22 इन बाहरी खतरों और चुनौतियों के अतिरिक्त भारत के निम्नलिखित आंतरिक खतरों का भी सामना करना पड़ता है (i) जातीय और जनजातीय लोगों द्वारा उत्प्रेरित विद्रोह और केन्द्र से किसी प्रकार की स्वायतता प्राप्त करने की इच्छा; (ii) मौजूदा सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था से असंतुष्ट होकर वामदलों का अतिवाद और उग्रवाद जो सशस्त्र क्रांति और गुरिल्ला गतिविधियों के जरिए तख्ता पलटने की इच्छा रखते हैं; (iii) धार्मिक रूढ़िवादियों द्वारा प्रोत्साहित सांप्रदायिक दंगे; (iv) अनुसूचित जाति और जनजातियों पर हमलों सहित जातीय दंगे। ये खतरे एक राष्ट्र राज्य के रूप में भारत की एकता और विकास के लिए एक गंभीर चुनौती उत्पन्न करते हैं और हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को धक्का पहुंचाते हैं।

जनसंहार के हथियारों की स्थिति

1.23 भारत, भेदभाव न करने, अंतर्राष्ट्रीय स्वीकार्यता और प्रभावी अनुपालन के सिद्धांतों पर आधारित वैश्विक नाभिकीय निरस्त्रीकरण का एक पक्का और सुसंगत घटक रहा है। अयुक्तियुक्त नाभिकीय परिवेश का सामना करने के लिए भारत को 1998 में नाभिकीय विकल्प का पुन: सहारा लेना पड़ा था। आणविक राष्ट्र के संदर्भ में भारत नाभिकीय सुरक्षा, आणविक अप्रसार और नाभिकीय निरस्त्रीकरण के बारे में और भी अधिक सचेत है। नाभिकीय निरस्त्रीकरण और जनसंहार के हथियारों को नष्ट करने संबंधी वैश्विक बहस में भारत एक सक्रिय भागीदार है। भारत की नाभिकीय नीति न्यूनतम विश्वसनीय निवारक उपाय तथा चेतावनी देकर लांच करने के रुख अथवा नीतियों के विरुद्ध पहले इस्तेमाल नहीं के सिद्धांत पर आधारित है। यह रासायनिक हथियार संधि में एक मूल राज्य पक्षकार है तथा जैविकीय

और जहरीले हथियार संधि (बी टी डब्ल्यु सी) में समाहित जीव-विष के विरुद्ध नियमों को सुदृढ़ करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में रचनात्मक भागीदारी के लिए प्रतिबद्ध है। कतिपय रासायनिक हथियारों के समझौते में भी यह एक पक्षकार है तथा इसने संशोधित प्रोटोकॉल जो कार्मिकरोधी सुरंगों के प्रयोग को प्रतिबंधित करता है, सहित अपने सभी प्रोटोकॉलों को अभिपुष्ट किया है। भारत ने नैरोबी, केन्या में नवंबर-दिसंबर, 2004 में आयोजित (ओटावा समझौता) में कार्मिकरोधी सुरंगों के प्रयोग, भण्डारण, उत्पादन और हस्तांतरण तथा उनसे उत्पन्न तबाही पर रोक लगाने से संबंधित समझौते में राज्य पक्षकारों के प्रथम पुनरीक्षा सम्मेलन में पर्यवेक्षक की हैसियत से भागीदारी की है।

निष्कर्ष

1.24 इन बहुविध खतरों और चुनौतियों के प्रत्युत्तर में भारत ने हमेशा नियंत्रित, नपी-तुली और संयत कार्रवाई की है जो इसके शांतिपूर्ण दृष्टिकोण तथा शांति प्रिय देश के रूप में प्रतिष्ठित होने के सुसंगत है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए कूटनीति भारत का चयनित माध्यम रहा है परंतु प्रभावी कूटनीति के लिए विश्वसनीय सैन्य शक्ति का सहारा आवश्यक है। भारत के सामरिक और सुरक्षा हितों के लिए भू-आधारित, सामुद्रिक और हवाई क्षमताओं का योग तथा इसके विरुद्ध नाभिकीय हथियारों के प्रयोग के खतरे को विफल करने के लिए न्यूनतम विश्वसनीय निवारक उपाय अपेक्षित हैं। इसकी बल स्थिति का अभिविन्यास

ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज प्रक्षेपास्त्र का प्रदर्शन

रक्षात्मक रहा है जबकि पहले प्रयोग नहीं, नाभिकीय परीक्षण पर स्थगन, न्यूनतम विश्वसनीय नाभिकीय निवारक उपाय की वचनबद्धता तथा हथियारों की होड़ अथवा अवधारणाओं तथा शीत युद्ध के युग की स्थितियों का निष्कासन भारत की नाभिकीय नीति की विशेषताएं रही हैं। अपने पड़ोसी देशों के साथ शांति बनाए रखने तथा रक्षा तैयारियों, एकपक्षीय प्रतिबंध, विश्वास निर्माण तथा वार्ता में संयोजन और द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने के प्रति भारत पूरी तरह वचनबद्ध रहा है।

2

रक्षा मंत्रालय का गठन तथा कार्य

स्वतंत्रता दिवस समारोह

रक्षा मंत्रालय का गठन तथा कार्य

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

2.1 1776 में, ईस्ट इंडिया कंपनी की गवर्नमेंट के तहत कलकत्ता में एक मिलिट्री डिपार्टमेंट का सृजन किया गया था। इसका मुख्य कार्य ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा जारी किए गए सेना से संबंधित आदेशों की जांच करके उनको रिकार्ड करना था। प्रारंभ में, मिलिट्री डिपार्टमेंट, पब्लिक डिपार्टमेंट की एक शाखा के रूप में कार्य करता था और सेना कार्मिकों की एक सूची तैयार करके रखता था।

2.2 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार के सचिवालय का सैन्य विभाग सहित चार विभागों में पुनर्गठन किया गया और प्रत्येक विभाग का प्रमुख, सरकार के एक सचिव को बनाया गया। अप्रैल, 1895 में एकीकृत भारतीय सेना के रूप में गठन किए जाने तक बंगाल, मुंबई और मद्रास प्रेसीडेंसियों की सेना संबंधित प्रेसीडेंसी आर्मी के ही रूप में कार्य करती रही। प्रशासनिक सुविधा के लिए इसे चार कमानों अर्थात पंजाब (पश्चिमोत्तर) सीमावर्ती क्षेत्र सहित, बंगाल, मद्रास (बर्मा सहित) और मुंबई (सिंध, क्वेटा और अदन सहित) में विभाजित किया गया था।

2.3 भारतीय सेना का सर्वोच्च प्राधिकारी इंग्लैंड के राजा के नियंत्रण के अधीन गवर्नर जनरल-इन-काउंसिल होता था, जिसका इस्तेमाल भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा किया जाता था। काउंसिल में सैन्य कार्यों के लिए दो सदस्य उत्तरदायी होते थे। जिनमें से एक सैन्य सदस्य होता था जो सभी प्रशासनिक और वित्तीय मामलों का पर्यवेक्षण करता था। दूसरा सदस्य कमांडर-इन-चीफ होता था जो सभी संक्रियात्मक मामलों के लिए उत्तरदायी होता था। मिलिट्री डिपार्टमेंट को मार्च, 1906 में समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर दो विभाग, आर्मी डिपार्टमेंट और मिलिट्री सप्लाई डिपार्टमेंट बना दिए गए। अप्रैल, 1909 में मिलिट्री सप्लाई डिपार्टमेंट को समाप्त कर दिया गया था और उसके कार्यों को आर्मी डिपार्टमेंट द्वारा ले लिया गया था। आर्मी डिपार्टमेंट का जनवरी, 1938 में डिफेंस डिपार्टमेंट के रूप में पुनः नामकरण किया गया। 1947 में डिफेंस डिपार्टमेंट एक कैबिनेट मंत्री के अधीन रक्षा मंत्रालय बन गया।

स्वातंत्रयोत्तर संगठनात्मक गठन और कार्य

2.4 15 अगस्त, 1947 को, प्रत्येक सेना को उसके अपने कमांडर-इन-चीफ के अधीन रखा गया। संविधान के अंतर्गत,

सशस्त्र सेनाओं की सर्वोच्च कमान राष्ट्रपति में निहित की गई। 1955 में कमांडर-इन-चीफ की उपाधि समाप्त कर दी गई थी और तीनों सेनाध्यक्षों के पदनाम क्रमशः सेनाध्यक्ष, नौसेनाध्यक्ष तथा वायुसेनाध्यक्ष रखे गए थे। नवंबर, 1962 में रक्षा उपस्करों के अनुसंधान विकास तथा उत्पादन संबंधी कार्य के लिए रक्षा उत्पादन विभाग का गठन किया गया था। नवंबर, 1965 में रक्षा प्रयोजनों के लिए आयात आवश्यकताओं के प्रतिस्थापन के लिए योजनाएं बनाने तथा उनके कार्यान्वयन के लिए पूर्ति विभाग बनाया गया था। बाद में इन दोनों विभागों को मिलाकर रक्षा उत्पादन तथा पूर्ति विभाग बना दिया गया। रक्षा सेनाओं द्वारा प्रयुक्त सैन्य उपस्करों, अनुसंधान तथा उपस्करों के डिजाइन से संबंधित वैज्ञानिक पहलुओं के संबंध में रक्षा मंत्री को सलाह देने के लिए एक वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। 1980 में रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग बनाया गया और वर्ष, 2004 में भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग बनाया गया।

2.5 सशस्त्र सेनाओं का मुख्य दायित्व राष्ट्र की प्रादेशिक आखण्डता को सुनिश्चित करना है। रक्षा मंत्रालय देश की रक्षा के संदर्भ में नीतिगत ढांचा तैयार करता है और सशस्त्र सेनाओं के लिए साधन जुटाता है ताकि वे अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन कर सकें।

विभाग

2.6 इस मंत्रालय का मुख्य काम रक्षा और सुरक्षा संबंधी सभी मामलों में सरकार से नीति-निर्देशन प्राप्त करना और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए तीनों सेना मुख्यालयों अंतर-सेवा संगठनों, उत्पादन स्थापनाओं और अनुसंधान तथा विकास संगठनों को भेजना है। मंत्रालय को यह भी सुनिश्चित करना होता है कि सरकार के नीति-निर्देशों को प्रभावी रूप से कार्यान्वित किया जाए और अनुमोदित कार्यक्रमों का निष्पादन आबंटित संसाधनों के अंतर्गत किया जाए।

2.7 रक्षा मंत्रालय में अब चार विभाग अर्थात रक्षा विभाग, रक्षा उत्पादन एवं पूर्ति विभाग, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग और भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग हैं। रक्षा सचिव, रक्षा विभाग के प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं और इसके अलावा, मंत्रालय के चारों विभागों के कार्यों में समन्वय बनाए रखते हैं। इन विभागों के प्रमुख कार्य इस प्रकार है :

(i) रक्षा विभाग तीनों सेनाओं और विभिन्न अंतर सेवा संगठनों से संबंधित कार्य करता है। यह विभाग रक्षा बजट, स्थापना मामलों, रक्षा नीति, संसदीय मामलों, अन्य देशों के साथ रक्षा सहयोग और इन सभी कार्यकलापों के समन्वय संबंधी कार्य के लिए उत्तरदायी है।

(ii) रक्षा उत्पादन तथा पूर्ति विभाग के प्रमुख एक सचिव हैं और यह विभाग रक्षा उत्पादन कार्यों, आयात किए जाने वाले सामान, उपस्करों और कलपुर्जों के देशीकरण, आयुध निर्माणी बोर्ड और रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों की विभागीय उत्पादन इकाइयों के बारे में योजना तैयार करने तथा उस पर नियंत्रण रखने से संबंधित कार्य करता है।

(iii) रक्षा अनुसंधान तथा विभाग के प्रमुख एक सचिव हैं जो रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार भी हैं। इनका कार्य सैन्य उपस्करों और संभारतंत्र से संबंधित वैज्ञानिक पहलुओं पर सरकार को सलाह देना और तीनों सेनाओं द्वारा अपेक्षित साज-सामान के अनुसंधान, डिजाइन और विकास कार्यों के लिए योजनाएं तैयार करना है।

(iv) भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के प्रमुख अपर सचिव हैं और यह विभाग भूतपूर्व सैनिकों के सभी पुनर्वास, कल्याण तथा पेंशन संबंधी मामलों को देखता है।

2.8 रक्षा मंत्रालय के वित्त विभाग के प्रमुख सचिव, रक्षा (वित्त) हैं। सचिव, रक्षा (वित्त) रक्षा बजट में किए जाने वाले खर्च से संबंधित प्रस्तावों पर वित्तीय नियंत्रण रखते हैं और आंतरिक लेखा परीक्षा और रक्षा व्यय का हिसाब-किताब रखने में अपना दायित्व निभाते हैं। बाद वाले काम के लिए रक्षा लेखा महानियंत्रक उनकी सहायता करते हैं। रक्षा मंत्रालय के विभागों द्वारा निपटाई जाने वाली मदों की सूची इस रिपोर्ट के परिशिष्ट-1 में दी गई है।

2.9 तीनों सेना मुख्यालयों अर्थात् सेना मुख्यालय, नौसेना मुख्यालय और वायुसेना मुख्यालय क्रमशः सेनाध्यक्ष, नौसेनाध्यक्ष और वायुसेनाध्यक्ष के अधीन कार्य करते हैं। संबंधित सेना मुख्यालयों में प्रधान स्टाफ अफसर उनकी सहायता करते हैं। रक्षा विभाग के अधीनस्थ अंतर सेवा संगठन, तीनों सेनाओं की सामान्य जरूरतों जैसे चिकित्सा सुविधा, जनसंपर्क, सेना मुख्यालयों में रक्षा सिविलियनों का कार्मिक प्रबंध, आदि को पूरा करने के लिए उत्तरदायी हैं।

2.10 रक्षा संबंधी क्रियाकलापों से जुड़ी कई समितियां रक्षा मंत्री की सहायता करती हैं। रक्षा मंत्री साप्ताहिक बैठकें बुलाते हैं जिसमें रक्षा सचिव, सचिव, रक्षा उत्पादन तथा पूर्ति, रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार, सचिव, रक्षा (वित्त), प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिव, विदेश सचिव और तीनों सेनाओं के अध्यक्ष भाग लेते हैं। इन बैठकों में राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण गतिविधियों की समीक्षा की जाती है और इन पर विचार-विमर्श किया जाता है।

2.11 पहली अप्रैल, 2004 से रक्षा मंत्रालय के मंत्रियों, सेनाध्यक्षों और मंत्रालयों के तीनों विभागों के सचिवों और सचिव, रक्षा (वित्त) के पदों पर कार्यरत अधिकारियों से संबंधित सूचना परिशिष्ट-II में दी गई है।

रक्षा प्रबंधन में सुधार

2.12 तेजी से बदल रहे भू-सामरिक सुरक्षा परिवेश में राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति अनेक प्रकार की चुनौतियों को दृष्टिगत रखते हुए सरकार ने 17 अप्रैल, 2000 को गठित एक मंत्री-समूह द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली की व्यापक समीक्षा करवाई थी। मंत्री-समूह की रिपोर्ट में, जहां तक 'रक्षा प्रबंधन' का संबंध है, की सिफारिशों में अन्य उपायों के साथ-साथ एक रक्षा स्टाफ प्रमुख का सृजन करना, एक रक्षा अधिप्राप्ति बोर्ड का सृजन करना, एक रक्षा उत्पादन बोर्ड, एक रक्षा अनुसंधान एवं विकास बोर्ड का सृजन करना, 15-20 वर्षों के लिए एक संपूर्ण एवं एकीकृत रक्षा परिप्रेक्ष्य योजना तैयार करना, एक राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना करना, प्रभावी मीडिया प्रबंधन करना, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह कमान एवं सामरिक बल कमान की स्थापना करना, सेना मुख्यालयों का रक्षा मंत्रालय के साथ एकीकरण करना और सेनाओं को और अधिक प्रशासनिक व वित्तीय शक्तियां प्रत्यायोजित करना शामिल थे।

2.13 सरकार ने रिपोर्ट में रक्षा प्रबंधन से संबंधित सिफारिशें इस संशोधन के साथ अनुमोदित कीं कि रक्षा स्टाफ प्रमुख की संस्थापना संबंधी सिफारिशों पर विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ विचार-विमर्श करने के पश्चात कोई राय बनाई जाएगी। तदनुसार, एकीकृत रक्षा स्टाफ, रक्षा आसूचना एजेंसी, रक्षा अर्जन परिषद, रक्षा प्रौद्योगिकी परिषद, अंडमान तथा निकोबार कमान, सामरिक बल कमान आदि स्थापित किए जा चुके हैं। एकीकृत सेना मुख्यालयों को उनके कार्य में और अधिक स्वायतता प्रदान करने के लिए उन्हें विभिन्न प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियां भी प्रत्यायोजित की गई हैं। इन सुधारों से सिविल और सैन्य घटकों के एकीकरण के लिए संगठनों, संरचनाओं और प्रक्रियाओं में बेहतरी हुई है और राष्ट्रीय सुरक्षा की किसी चुनौती का सामना करने के लिए रक्षा स्थापनाओं को ज्यादा सक्षम बनाया है।

रक्षा व्यय

2.14 इस अध्याय के दो चार्टों में वर्ष 2002-2003, 2003-2004 और 2004-2005 के लिए संशोधित आकलन और 2005-2006 के लिए बजट आकलन तथा रक्षा व्यय के सेना/ विभागवार ब्यौरे कुल रक्षा व्यय के प्रतिशत के रूप में सेना/विभागवार दिए गए हैं:

रक्षा व्यय का सेना/विभाग-वार ब्यौरा

(करोड़ रुपए में)

सेना/विभाग		2002-2003	2003-2004	संशोधित आकलन 2004-2005	बजट आकलन 2005-2006
सेना		32127.78	33199.98	35888.52	40288.32
नौसेना		8155.32	10109.35	13327.50	15253.00
वायुसेना		12385.26	13187.02	23783.82	21808.76
रक्षा	आ.नि.म.	(-)388.89	(-)210.58	(-)158.78	(-)127.94
उत्पादन	गु.आ.म.	374.25	336.85	411.82	421.52
विभाग	**योग**	(-)14.64	126.27	253.04	293.58
र.अनु. एवं वि.सं.		3008.11	3443.18	3747.12	5356.34
योग		55661.83	60065.80	77000.00	83000.00

कुल रक्षा व्यय 2005-06 (बजट आकलन) की प्रतिशतता के रूप में रक्षा व्यय का सेना/विभाग-वार ब्यौरा

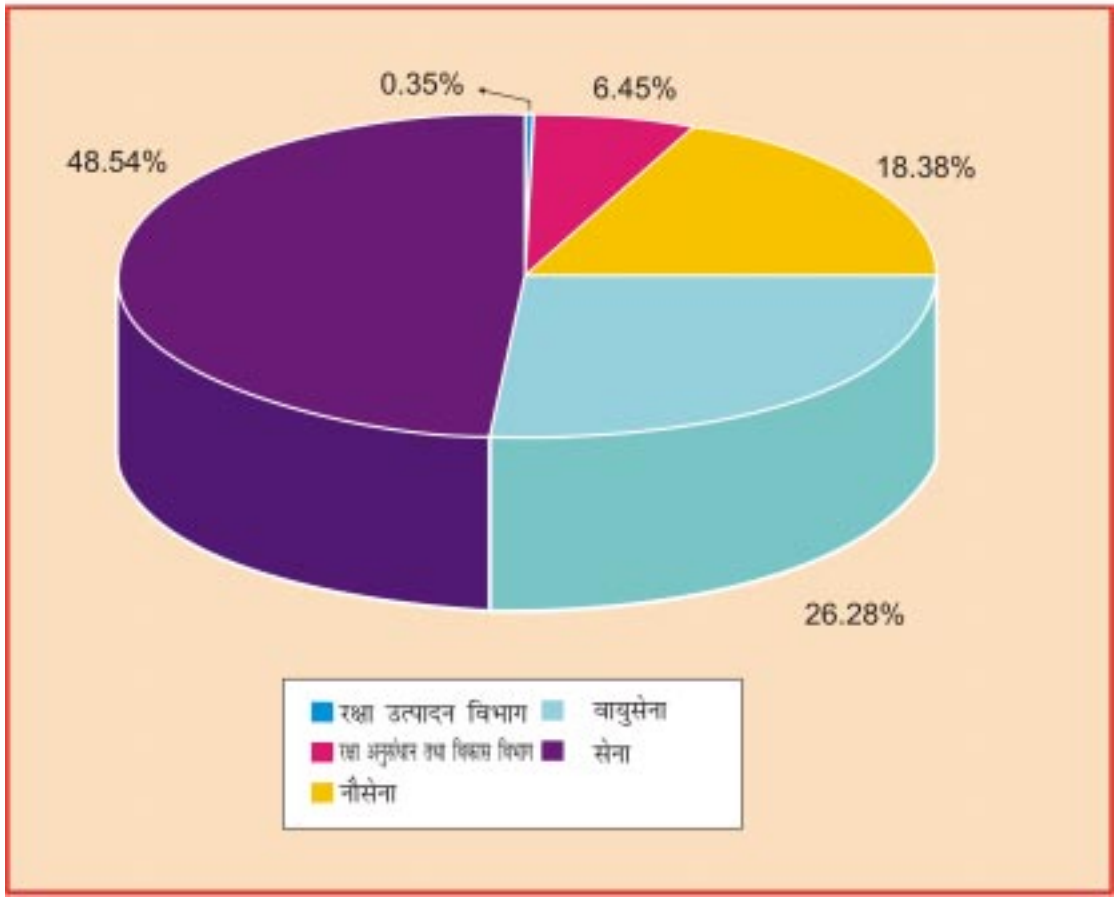

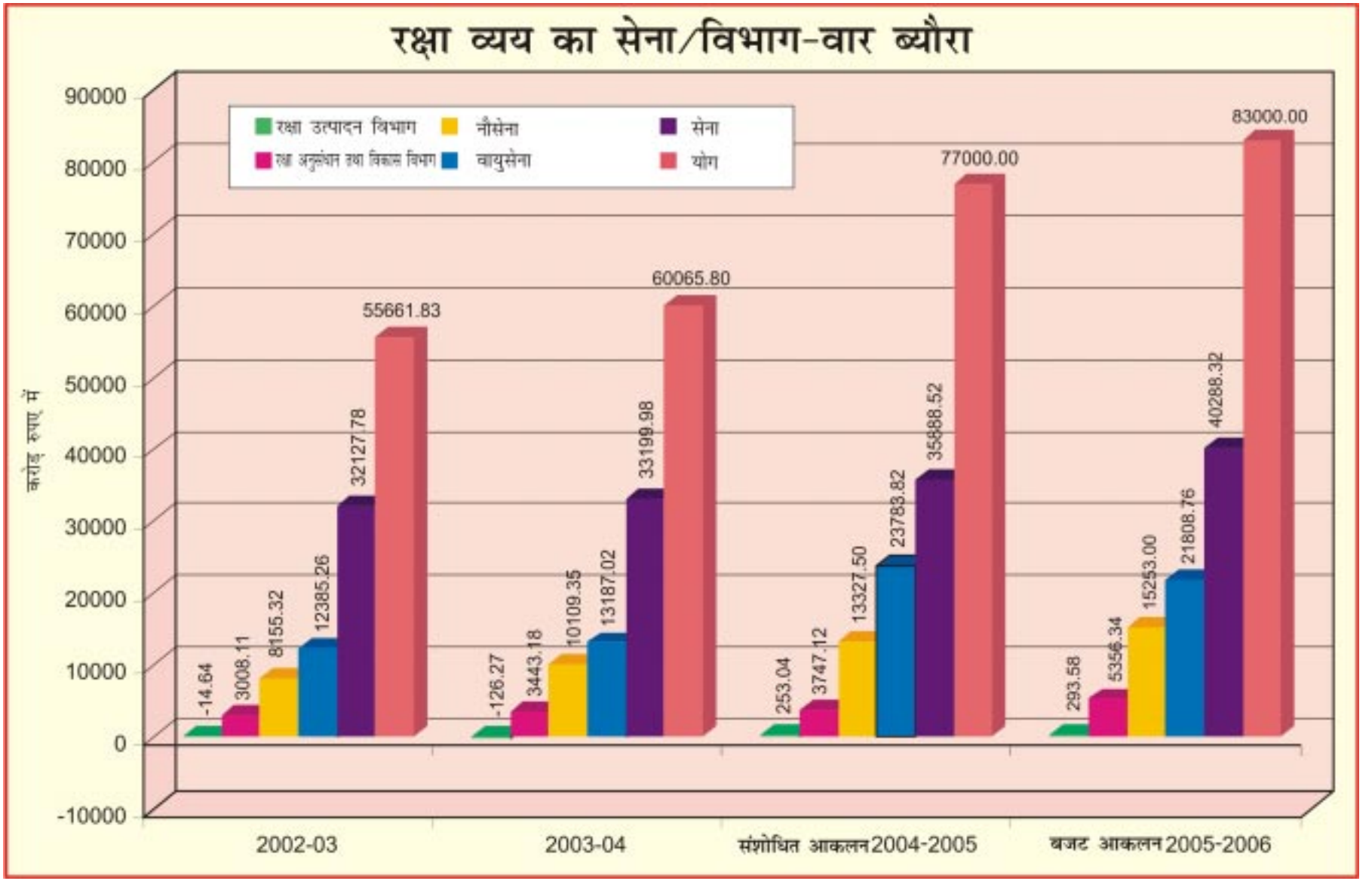

रक्षा व्यय का सेना/विभाग-वार ब्यौरा
रक्षा उत्पादन विभाग
नौसेना
सेना
रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग
वायुसेना
योग
करोड़ रुपए में
90000
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
-10000
-14.64
3008.11
8155.32
12385.26
32127.78
55661.83
-126.27
3443.18
10109.35
13187.02
33199.98
60065.80
253.04
3747.12
13327.50
23783.82
35688.52
77000.00
293.58
5356.34
15253.00
21808.76
40288.32
83000.00
2002-03
2003-04
संशोधित आकलन 2004-2005
बजट आकलन 2005-2006

2.15 **रक्षा मंत्रालय के कार्यकरण पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां:–** रक्षा मंत्रालय के कार्यकरण पर नियंत्रक–महालेखा परीक्षक की नवीनतम रिपोर्ट का सारांश इस रिपोर्ट के परिशिष्ट–III में दिया गया है।

3

भारतीय सेना

टी-90 का प्रदर्शन

भारतीय सेना

3.1 **सेना की मुख्य जिम्मेदारी है:** बाहरी हमलों से देश की रक्षा करना और इसकी प्रादेशिक अखंडता बनाए रखना। मौजूदा भू-राजनैतिक सामाजिक और युद्धनीतिक माहोल से ही इस काम की महत्ता का पता लगाया जा सकता है। भारतीय सेना अपने गठन के समय से ही हर समय अत्यधिक चौकस रही है, ताकि वह न केवल विभिन्न भौगोलिक स्थितियों और जलवायु वाली देश की लंबी सीमा पर पैदा होने वाली चुनौतियों का अपितु प्राकृतिक आपदाओं और आंतरिक विक्षोभों का भी डट कर सामना कर सके। इन विशाल चुनौतियों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सेना को इस प्रकार गठित, लैस, आधुनिक और प्रशिक्षित किया जा रहा है कि उससे उपयुक्त परिणाम हासिल किए जा सकें।

हथियारों और उपस्करों का आधुनिकीकरण

3.2 वर्ष के दौरान, सेना के हथियारों और हथियार प्रणालियों को आधुनिक और उन्नत बनाने के सतत प्रयास किए जाते रहे, ताकि इसे आधुनिक युद्धपद्धति की जरूरतें पूरी

माउंटेड जैड यू 23 एम एम ट्विन गन का प्रदर्शन

करने के लिए तैयार किया जा सके और इसकी लड़ाकू क्षमता भी बढ़ाई जा सके। ऐसे कुछ उल्लेखनीय प्रयासों की आगे के पैराग्राफों में चर्चा की गई है:-

(i) **मेकैनाइज्ड सेनाएं:-** हमारी मेकैनाइज्ड सेनाओं को रात में काम करने में होने वाली कठिनाइयों को पहली प्राथमिकता दी गई और इससे पार पाने के थर्मल इमेजिंग और इमेज इंटेन्सिफिकेशन पर आधारित दशाओं (साइटों) का इंतजाम किया गया। टी-90 टैंक शामिल करके कवचित सेना की हमलावर क्षमता को अधिक कारगर बनाया गया। टैंकों और इंफेंन्ट्री समाघाती वाहनों की मार्ग निर्देशन क्षमता बढ़ाने के लिए एडवांस लैंड नेवीगेशन सिस्टम हासिल करने की व्यवस्था की गई। कवचित फार्मेशनों की संचार क्षमता बेहतर बनाने के लिए समाघाती नेट रेडियो सेटों की व्यवस्था करने की कार्रवाई की गई।

(ii) **तोपखाना:-** सेना की निगरानी क्षमता को और अधिक पुख्ता बनाने के लिए रेडार और नाइट विजन यंत्रों जैसी विभिन्न निगरानी प्रणालियों की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही तोपखाने की गोला-बारी क्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न स्वचालित और कर्षित गनें, रॉकेट और रॉकेट लॉन्चर हासिल करने की कार्रवाई भी शुरू की जा चुकी है। मानव-रहित हवाई वाहन हासिल करने की भी योजना है, इससे उच्च तुंगता वाले क्षेत्रों में और दूर-दराज वाले ठिकानों पर पूर्व चेतावनी और निगरानी क्षमता को बेहतर बनाया जा सकेगा।

(iii) **इंफेन्ट्री:-** इंफेन्ट्री की निगरानी, गोला-बारुद, बचावकारी, नाइट विजन क्षमता और संचार तथा संचलन जरूरतों को बड़े पैमाने पर उन्नत करके इसकी समाघाती क्षमता, निगरानी और बगावत-रोधी क्षमताओं में व्यापक परिवर्तन किए जा रहे हैं। इंफेन्ट्री के लिए अधिक घातक क्षमता, रेंज और अचूकता वाली आधुनिकतम हथियार प्रणालियां, थर्मल इमेजिंग यंत्र, बुलेट और सुरंग-रोधी वाहन और रेडियो सेटों की व्यवस्था करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(iv) **सिगनल:-** कारगिल युद्ध के पश्चात्, भारतीय सेना की संचार-समस्याएं विकराल रूप में सामने आईं। बड़ी संख्या में चालू नेटवर्कों से जुड़े संचार उपस्कर और प्रणालियां हासिल करने के अथक प्रयास किए गए, जिसने हमें लड़ाकू नेटवर्क सेंट्रिक वारफेयर से जोड़ दिया। संचार क्षमताओं को बढ़ाने के लिए ए वी ए एन स्थापित किया जा रहा है। विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक युद्धपद्धति प्रणालियां हासिल करके इलेक्ट्रॉनिक युद्धपद्धति क्षमताओं को भी उन्नत बनाने की योजना है।

(v) **इंजीनियर:-** सुरंगों की निष्क्रिय करने वाले उपस्कर प्राप्त करने के बाद इंजीनियर कोर की सुरंगों को निष्क्रिय

करने की क्षमता बेहतर हो गई है। परमाणु, जैविक और रासायनिक युद्धों से बचावकारी विभिन्न उपस्कर हासिल करने से परमाणु, जैविक, रासायनिक युद्ध छिड़ने की स्थिति में आपदा प्रबंध क्षमताओं में भी इजाफा हुआ है। आधुनिकतम रेंज वाले काउंटर इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस इक्यूपमेंट हासिल करके उन्नत विस्फोटक यंत्रों से बचावकारी क्षमता को भी बेहतर बनाया गया है।

(vi) **हवाई रक्षा तोपखाना:-** नए रेडार लगाकर हवाई रक्षा तोपखाने की क्षमता बढ़ाने की कार्रवाई जोरों से चल रही है। उन्नत गनें और मिसाइलें प्राप्त करने के लिए भी आवश्यक कार्रवाई शुरू की जा चुकी है।

(vii) **सेना विमानन:-** लिफ्ट क्षमता को बेहतर बनाने के लिए सेना में उन्नत हल्के हेलिकॉप्टर शामिल किए जा रहे हैं। टोही क्षमता को बढ़ाने के लिए मौजूदा चीता/चेतक हेलिकॉप्टरों की जगह हल्के हेलिकॉप्टर प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

संगठनात्मक पुनर्गठन

3.3 **सेना के कमान और नियंत्रण ढाँचे का पुनर्गठन:-** सरकार ने पश्चिमी सेक्टर में सेना के कमान और नियंत्रण ढाँचे के पुनर्गठन को अनुमोदित कर दिया है, ऐसा करते समय पद नहीं बढ़ाए गए हैं। यह पुनर्गठन युद्ध की स्थितियों में हो रहे परिवर्तनों का सामना करने और उत्तरी मुख्यालय के नियंत्रण की सीमा और विस्तार को जायज ठहराने के लिए किया गया है, ताकि युद्ध के दौरान सेना को आबंटित सेना मुख्यालय (मुख्यालय) की रिजर्व सेना को कारगर ढंग से तैनात किया जा सके। इस पुनर्गठन से मौजूदा संसाधनों में से ही अतिरिक्त कोर मुख्यालय और दक्षिण-पश्चिम कमान मुख्यालय बनाना जरूरी हो गया है। इससे विभिन्न फार्मेशनों की युद्ध संबंधी जिम्मेदारियों का बेहतर नियंत्रण कर उनमें ताल-मेल बिठाया जा सकेगा। मौजूदा ढ़ांचे की अनियमितताओं का सामना करते हुए, भारत सरकार अपनी पश्चिमी सीमा पर शांति और अमन कायम रखने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने जम्मू-कश्मीर से सेना हटा कर विश्वास जमाने का जो काम किया है, उससे भारत और पाकिस्तान के बीच चल रही शांति वार्ता की कार्रवाई को और बल मिला।

3.4 **ए वी सिंह समिति की सिफारिशें लागू करना:-** भारत सरकार ने सेना के अफसर काडर के संगठनात्मक ढांचे में मौजूद कुछ कमियों और असमानताओं की जांच करने के लिए मई 2001 में श्री अजय विक्रम सिंह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट जनवरी 2003 में प्रस्तुत की। समिति ने अपनी रिपोर्ट में एक व्यापक योजना की सिफारिश की, जिसमें अफसर काडर के पुनर्गठन, अचयनित रैंकों पर पदोन्नति के लिए अर्हक सेवा में कमी करने और गतिरोध (स्टेगनेशन) को कम करने के

लिए नए उपायों तथा चयनित रैंकों को आधार बना कर एक विस्तृत योजना को शामिल किया गया। इस रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य है- बटालियन/ब्रिगेड कमांडर की सेवा अवधि कम करके समाघाती क्षमता को अधिक से अधिक कारगर बनाना और अफसरों की कैरियर के प्रति व्यक्तिगत उच्चाकांक्षाओं को पूरा करते हुए संगठन को अधिक प्रभावशील बनाना। रिपोर्ट का पहला भाग अचयनित रैंकों से संबंधित है और इसे अनुमोदित कर सेना पर लागू कर दिया गया है और नौसेना और वायुसेना के समकक्ष रैंकों पर भी यह लागू है।

केंद्रीय आयुध डिपुओं का आधुनिकीकरण

3.5 केंद्रीय आयुध के सात डिपो हैं जो दिल्ली छावनी, देहू रोड, छिवकी, कानपुर, आगरा, मुंबई और जबलपुर में स्थित हैं। ये डिपों आजादी से पहले बनाए गए थे, इनके ढांचे अस्थायी/कच्चे-पक्के थे, ये ढांचे अब टूट-फूट गए हैं और अब इनमें आधुनिक सामान की व्यवस्था और भंडारण नहीं किया जा सकता। अतः इन सातों केंद्रीय आयुध डिपुओं को चरण वार आधुनिक बनाने का निर्णय ले लिया गया है। सबसे पहले 187 करोड़ रुपयों की लागत से कानपुर स्थित केंद्रीय आयुध डिपो के आधुनिकीकरण का काम अप्रैल 2001 में शरू किया गया और वर्ष 2005 के अंत तक इस परियोजना के पूरा होने की संभावना है। कानपुर स्थित केंद्रीय आयुध डिपों के आधुनिकीकरण की योजना में आधुनिकतम गोदाम बनाया गया है जिसकी ऊंचाई काफी अधिक रखी गई है और इसे सामान को लादने/ उतारने तथा निकालने/ इकट्ठा करने के लिए फोर्कलिफ्ट ट्रक, मोबाइल बेल्ट कन्वेयर, हाइड्रॉलिक एलिवेटिंग केबल इत्यादि जैसे सामान को संभालने वाले स्वचालित उपस्करों से लैस किया गया है। इसमें कम्प्यूटरीकृत सामान सूची प्रबंध प्रणाली और आधुनिकतम अग्नि निवारक और अग्नि शमन प्रणालियां भी लगाई गई हैं।

3.6 आगरा और जबलपुर के आयुध डिपुओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्टें भी अपने अंतिम चरण में हैं और आशा है कि केंद्रीय आयुध डिपो, आगरा तथा केंद्रीय आयुध डिपो, जबलपुर के आधुनिकीकरण का काम वर्ष 2005 में शुरू हो जाएगा, इनमें से प्रत्येक पर लगभग 350 करोड़ रुपए का खर्च आयेगा।

गोला-बारुद डिपुओं का आधुनिकीकरण

3.7 पुलगांव में एक केंद्रीय गोला-बारुद डिपो है और देश के विभिन्न भागों में चौदह क्षेत्रीय गोला-बारुद डिपो बनाए गए हैं। इन डिपुओं में बिजली के करंट वाली बाड़, पूर्व चेतावनी प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक अलार्मिंग प्रणाली, क्लोज सर्किट टी वी, सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक निगरानी यंत्र और प्रवेश स्थलों पर कार्मिकों और वाहनों की गहन जांच करने वाले उपस्कर लगा कर इनकी सुरक्षा और बचाव के बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने की योजना है।

बगावत रोधी कार्रवाइयां

जम्मू-कश्मीर

3.8 सीमा-रेखा पर बाड़ लगाने और निरंतर निगरानी, मल्टिटीयर ग्रिड लगाने से घुसपैठ पर काबू पाने में बहुत मदद मिली है। 2004 में घुसपैठियों की संख्या में बहुत कमी आई है। आतंकवादियों के विरुद्ध छेड़ी गई निरंतर और कारगर मुहिम के कारण, अंदरूनी इलाकों में आतंकवादियों की संख्या बहुत कम हुई है और इसके कारण आतंकवादियों का मनोबल लगातार गिर रहा है और उनमें आपसी दुश्मनी बढ़ रही है, इसके चलते स्थानीय और विदेशी मूल के आतंकवादियों के बीच मन-मुटाव स्पष्ट देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री की शांति घोषणा और शांति बहाली के लिए उठाए गए कदमों से कई तरह से लोगों की आशाएं बढ़ गई हैं। यहां लोगों में सामान्य स्थिति, शांति और हिंसा के त्याग की सच्ची उत्कंठा लक्षित हो रही है, जिसका सबूत है- 2004 में जम्मू-कश्मीर में हुआ सफल मतदान। राज्य सरकार की 'दोस्ताना' नीति का भी लोगों ने स्वागत किया है। इस साल रिकार्ड संख्या में यात्रियों ने (3.82 लाख) अमरनाथ की पवित्र गुफा की यात्रा की। इस मौसम में, घाटी में हर बार से अधिक पर्यटकों के आने की भी संभावना है। मौजूदा शांति प्रक्रिया और विश्वास स्थापना उपायों के तौर पर, जम्मू-कश्मीर में सैन्य-टुकड़ियों की तैनाती में कमी की गई है। इस निर्णय से शाति-प्रक्रिया में तेजी आएगी और इससे मौजूदा माहोल बेहतर होगा।

जम्मू-कश्मीर में बर्फ से ढके क्षेत्रों में सेना गश्त दल आई ई डी खोजते हुए

3.9 **'ऑपरेशन सद्भावना' के जरिए लोगों का दिल-ओ-दिमाग जीतना:-** 'ऑपरेशन सद्भावना' के तहत सशस्त्र सेनाओं ने छोटे पैमाने की विकासात्मक और समुदाय परियोजनाओं जैसे नागरिक उपाय किए हैं, ताकि जिन इलाकों में सेना की टुकड़ियां तैनात थीं, वहां के लोगों को फायदा पहुंचाकर उनका दिल जीता जा सके। इस योजना में निम्नलिखित कार्यक्रम शामिल किए गए हैं:-

(क) **बुनियादी विकास:-** पुल, सड़कें और दूर-दराज के इलाकों में बिजली पहुंचाने जैसे बुनियादी विकास कार्य।

(ख) **शिक्षा:-** विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति व कम्प्यूटर प्रशिक्षण देना तथा स्कूलों का निर्माण और उनका मरम्मत कार्य इत्यादि।

(ग) **स्वास्थ्य:-** बगावत के शिकार व्यक्तियों को नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवा देना, दूर-दराज के इलाकों के मेडिकल कैंपों में महिला डॉक्टर भेजना, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण और उन्हें चलाने में मदद करना, दूर-दराज के इलाकों में पोटेबल जलापूर्ति योजना लागू करना, कृत्रिम हाथ-पैर लगवाने की व्यवस्था करना इत्यादि।

(घ) **विविध:-** समुदाय विकास केंद्रों का निर्माण और उन्हें चलाना, विकास के लिए गांवें को अपनाना, महिलाओं को सबल बनाना, वुलर झील/डल झील की सफाई, हाजियों का स्वागत और लघु हाइडल परियोजनाओं का निर्माण। 31 मार्च 2004 तक 'ऑपरेशन सद्भावना' के लिए 46 करोड़ रुपए

सेना बर्फ से ढके क्षेत्रों में फंसे सिविलियनों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराते हुए

आबंटित किए जा चुके हैं। 2004-05 के लिए 41 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान है और 2005-06 के लिए 55.92 करोड़ रुपयों का।

उत्तर-पूर्व

3.10 सुरक्षा बलों ने उग्रवादियों पर लगातार दबाव बनाए रखा तथा पूरे उत्तर-पूर्व में अपना दबदबा साबित कर दिया। विभिन्न गुटों के साथ की गई शांति वार्ता को बड़े अच्छे तरीके से आगे बढ़ाया तथा शांति बनाए रखने के लिए सही भूमिका तैयार की गई।

(क) **असमः-** दिसंबर 2003 के भूटान ऑपरेशन के बाद उग्रवादियों पर पूरा दबाव बनाए रखा, जिससे उन्हें मैदान छोड़कर भागना पड़ा। इन उग्रवादियों ने नाजुक ठिकानों/निर्दोष जनता को अपना निशाना बनाया जिसके कारण आम जनता तथा छात्र संगठन इनके खिलाफ हो गए हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक फ्रंट (एन डी एफ बी), बोडोलैंड का युद्धविराम करने का प्रस्ताव असम के लिए शुभ संकेत रहा। इसके साथ ही बोडोलैंड लिबरेशन टाइगर (बी एल टी) काडर के बोडोलैंड टेरिटोरियल काउन्सिल (स्वायत जिला) (बी टी सी ए डी) समझौते तथा पुनर्वास का काम बड़ी तेजी से चल रहा है।

(ख) **नागालैंडः-** अगस्त 1997 के बाद, नागालैंड में काफी हद तक शांति रही है। नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (आईसैक एवं मुवैय्या) (एन एस सी एन (आई एम) के साथ युद्ध विराम की अवधि को और आगे बढ़ाया गया है तथा इस गुट को बातचीत के लिए दिल्ली आमंत्रित किया गया। फिर भी एन एस सी एन (आई एम) ने इस दिशा में और अधिक प्रयास किए और अपने प्रभावी क्षेत्र का विस्तार किया तथा इससे यह उस क्षेत्र में मुख्य गुट बन गया जो कि चिंता का विषय है। इसके बावजूद लोगों में जागरूकता पैदा हुई तथा शांति में विश्वास बनने लगा जिससे न केवल आम जनता की हिम्मत बढ़ी है अपितु वे उग्रवादी गुटों की गैर-कानूनी गतिविधियों पर लगातार नजर रखने लगे।

(ग) **मणिपुरः-** सुरक्षा बलों को हाल ही में स्थापित यूनीफाइड हेडक्वार्टर द्वारा सहयोग देने की पूरी कोशिश की जा रही है। अतिरिक्त सेना तथा असम राइफल्स यूनिटों को भी इसमें शामिल कर लिया गया है तथा सामान्य स्थिति बहाल करने की दिशा में इनके प्रयास काफी हद तक सफल रहे।

(घ) **त्रिपुराः-** हालांकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार कैम्पों में बसे उग्रवादी, सीमा पर घुसपैठ करने के लिए घात लगाए बैठे हैं, फिर भी त्रिपुरा में स्थिति काफी हद तक नियंत्रण में है। सुरक्षा बलों के दबाव से त्रिपुरा के नेशनल लिबरेशन फ्रंट (एन एल एफ टी) (एन बी) ने भारत सरकार के साथ एक त्रिकोणीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस संबंध में 15 अप्रैल 2004 से 'सस्पेंशन

ऑफ ऑपरेशन'' लागू हो गया। दो प्रमुख उग्रवादी गुटों के बीच टर्फ वॉर अब भी जारी है, जिसके परिणाम स्वरूप एक दूसरे के काडरों, आप्रवासियों, सिविलियनों की हत्याएं की जाने लगी हैं।

(च) **अरुणाचल प्रदेश:-** अशांत क्षेत्र घोषित तिरप तथा छैंगलैंग जिलों को छोड़कर यह राज्य शांतिपूर्ण है। सुरक्षा बल कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं जिसका अक्टूबर 2004 में आयोजित शांतिपूर्ण विधानसभा चुनावों से साफ पता चलता है।

(छ) मेघालय:- गैरो तथा खासी जन-जातियों के बीच आपसी लड़ाइयां तथा असम उग्रवादी गुटों (युनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑप असम (उल्फा), नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट, बोडोलैंड (एन डी एफ बी) द्वारा गैरों पहाड़ियों का शोषण लगातार किया जाता रहा है। अचिक नेशनल वॉलन्टीयर काउन्सिल (ए एन वी सी) जो कि एक गैरो गुट है, के साथ 23 जुलाई, 2004 को समझौते पर हस्ताक्षर किए गए जो कि इस राज्य के लिए शुभ संकेत है।

राष्ट्रीय राइफल महानिदेशालय

3.11 (क) इस वर्ष के दौरान फॉर्मेशन तथा यूनिटें, जम्मू कश्मीर (जे एंड के) में हो रही अप्रत्यक्ष लड़ाई (प्रॉक्सी वार) का जी-जान से मुकाबला कर रही है। राष्ट्रीय राइफलों को जो काम सौंपा गया था उसे उन्होंने बखूबी अंजाम दिया। आतंकवादियों से लगातार मिलने वाली धमकियों के बावजूद, राष्ट्रीय राइफल टुकड़ी ने अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित एवं सफल बनाया। अपने पूर्व-सक्रिय आक्रामक रूख के कारण राष्ट्रीय राइफल्स ने आतंकवादी गुटों को तगड़ा झटका दिया है। ये ऑपरेशन इतने अधिक घातक रहे तथा इनका दबाव लगातार प्रभावशाली रहा है कि आतंकवादी संगठन की एकजुटता टूट गई है जिसके कारण विभिन्न गुट आपस में भिड़ गए। सौंपे गए काम को सफलतापूर्वक निभाने के अलावा राष्ट्रीय राइफल ने बहुत से सद्भावना मिशन बनाकर लोगों के दिलो-दिमाग में अपनी जगह बनी ली।

(ख) **नए गठन:-** जम्मू एवं कश्मीर राज्य में सुरक्षा का वातावरण अभी भी बना हुआ है तथा लगातार मिलने वाली धमकियों को ध्यान में रखते हुए इन पर नजर रखी जा रही है। आंतरिक सुरक्षा कार्यों के प्रति सेना की प्रतिबद्धता कम करने के लिए सरकार ने सिद्धांत रूप में वर्ष 2000 में इस बारे में अनुमोदन प्राप्त कर लिया था कि 30 और राष्ट्रीय राइफल बटालियनें गठित की जाएगी, जिससे वर्ष 2005 तक राष्ट्रीय राइफल की कुल नफरी बढ़ कर 5 फोर्स मुख्यालय, 17 सेक्टर मुख्यालय तथा 66 राष्ट्रीय राइफल बटालियन हो जाएंगीं। राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन (1 से 57) गठित की जा

चुकी है तथा उत्तरी क्षेत्र में शामिल कर ली गई हैं राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन (58 से 63) का गठन किया जा रहा है।

(ग) **आधुनिकीकरण:-** आर आर बटालियनों को फायर पॉवर निगरानी क्षमताओं, संचार व्यवस्था गतिशीलता के लिहाज से आधुनिक बनाने के व्यापक मामले पर विचार किया जा रहा है। इसी बीच जम्मू तथा कश्मीर में उग्रवादियों के लगातार हो रहे घातक हमलों पर नजर रखते हुए राष्ट्रीय राइफल्स बटालियनों को आधुनिकीकरण कार्यक्रमों के अंतर्गत सेक्टर स्टोर के रूप में काफी मात्रा में उपस्कर आबंटित किए गए हैं।

(घ) **राष्ट्रीय राइफल्स का कार्य:-** राष्ट्रीय राइफल्स का संक्रियात्मक कार्य अनुकरणीय रहा है। ऐसा इन टुकड़ियों के उच्च मनोबल, बेहतर आसूचना नेटवर्क, जिसे कई वर्षों से विकसित किया जा रहा है, तथा स्थानीय आबादी तथा सिविल प्रशासन के साथ अच्छा ताल-मेल बनाए रखने के कारण ही हो पाया है। फिर भी, इस अप्रत्यक्ष लड़ाई की कीमत तो हमें चुकानी ही पड़ी। इस लड़ाई में अनेक बहादुर अफसर तथा राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों ने हमारे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जान की बाजी लगा दी।

(च) **सद्भावना मिशन:-** राष्ट्रीय राइफल्स ट्रूप्स ने अपने-अपने क्षेत्रों में अनेक प्रकार के सद्भावना मिशन चलाए जिससे कि वे सेना का उदार रूप दर्शा सकें तथा स्थानीय लोगों के दिलो-दिमाग पर अपनी छाप छोड़ सकें। इन मिशनों में विद्यालय चलाना, सेना तथा स्थानीय लोगों के बीच मैत्रीपूर्ण मैच आयोजित करना तथा पुरस्कार वितरण शामिल हैं। इस प्रकार के कार्यक्रमों के लिए लोगों से बेशुमार प्रोत्साहन मिला है जिससे राष्ट्रीय राइफल्स ट्रूप्स के प्रति काफी सद्भावना उत्पन्न हुई है।

(छ) **विकास कार्य:-** राष्ट्रीय राइफल्स ट्रूप्स ने जम्मू तथा कश्मीर में ऑपरेशन सद्भावना के अंतर्गत अनेक विकास कार्य करवाए जिनमें सड़कें बनाना, जल आपूर्ति, शिक्षा, मॉडल विलेज, डिस्पेंसरी, बच्चों के लिए पार्क, समुदाय हॉल, बाजार सुविधा इत्यादि हैं।

(ज) **चिकित्सा कैंप:-** आम जनता के साथ मेल-जोल बढ़ाने वाली परियोजना की ओर कदम बढ़ाते हुए दूर-दराज क्षेत्रों में बसी जनता के लिए हर माह चिकित्सा तथा पशु चिकित्सा कैंप लगाए गए। विशेषज्ञ डॉक्टरों की एक टीम जिसमें फिजीशियन, ऑपथैलमोलॉजिस्ट, गाइनैकोलॉजिस्ट, डेंटिस्ट तथा पशु चिकित्सा डॉक्टरों ने सेना के डॉक्टरों के साथ मिलकर काम किया जिससे कि ये चिकित्सा कैंप बहुत अधिक

सफल हुए। इन कैंपों में सेना तथा सिविलियन मेडिकल अफसरों की सेवाएं टीकाकरण तथा परिवार नियोजन कार्यक्रमों के लिए उपलब्ध करवाई गई।

(झ) राष्ट्रीय राइफल्स की विभिन्न फार्मेशनों तथा यूनिटों ने जम्मू तथा कश्मीर में आतंकवाद से लड़ने, सिविल प्राधिकारियों को सहायता देने तथा अनेक अर्थपूर्ण सिविल कारवाई के कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए नि:स्वार्थ सेवा की। राष्ट्रीय राइफल्स ट्रूप्स ने कानून एवं व्यवस्था बनाए रखी, जन सामान्य तथा स्थानीय जनता को चुनावों में भाग लेने के लिए अनुकूल स्थिति तथा सुरक्षा प्रदान की। सभी अफसरों तथा जवानों की इन सराहनीय उपलब्धियों से जम्मू-कश्मीर के उग्रवाद को समाप्त करने में काफी मदद मिलेगी तथा इससे आने वाले वर्षों में राष्ट्रीय राइफल्स तथा भारतीय सेना का स्वरूप और बेहतर बनेगा।

सूचना प्रणाली महानिदेशालय (डी जी आई एस)

3.12 सूचना प्रणाली महानिदेशालय का गठन 15 मई 2004 को आधुनिक युद्ध क्षेत्र की चुनौतियों का सामना करने के लिए किया गया था। सेना में सूचना प्रणाली के कार्यों को सहयोग देने के लिए परियोजना प्रबंधसंगठन का गठन किया गया।

(क) **प्रबंध संगठन कमान सूचना परियोजना तथा निर्णय आधारित प्रणाली (पी एम ओ सी आर डी एस एस):-** आर्टीफिशल इंटेलिजेंस तथा रोबोटिक्स केंद्र (सी ए आई आर), बंगलौर, संवाहक परियोजना को विकसित करने वाली एजेंसी है तथा पी एम ओ सी आई डी एस एस इस परियोजना का तकनीकी समन्वय प्राधिकरण है, जिसे तीन चरणों में पूरा किया जाना है। पहले चरण में कोर जोन के टेस्ट बैड का विकास शामिल है जिसमें एक कोर मुख्यालय, एक डिवीजन मुख्यालय, तीन ब्रिगेड मुख्यालय तथा डी आर डी ओ के नौ बटालियन मॉड्यूल तथा उसके पश्चात बाकी की कोर की फॉर्मेशनों/ यूनिटों को सेना द्वारा लैस तथा एकीकृत किया जाएगा। पहले चरण के पूरा हो जाने की संभावित तारीख दिसंबर 2005 है। इस प्रणाली का एक बार सफलतापूर्वक परीक्षण हो जाने तथा फील्ड में लग जाने के बाद फील्ड फोर्स में सभी स्तरों में एकत्र करना, मिलान करना, फिल्टर करना, प्रक्रिया बनाना, फार्मेट करना संभव हो जाएगा। इस सिस्टम से कमांडरों को बहु ऑपरेशनल विकल्प मिल सकेंगे तथा निर्णयों, योजनाओं, सौंपे गए कार्यों तथा आदेशों का प्रसार किया जा सकेगा। इससे स्टाफ तथा कमांडरों की क्षमता काफी हद तक बढ़ जाएगी। सी आई डी एस एस, ले आउट प्लान तथा संक्रियात्मक स्थानों से कार्य कर

सकेंगे। सी आई डी एस एस को संक्रिया स्थानों पर विशेष रूप से निर्मित तथा विकसित शैल्टरों में लगाया जाएगा ताकि विभिन्न सामरिक मुख्यालयों की जरूरतों को पूरा किया जा सके।

(ख) **प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑर्गनाइजेशन बैटलफील्ड निगरानी प्रणाली (पी एम ओ बी एस एस):-** यह स्वचालित युद्धक्षेत्र निगरानी प्रणाली, युद्धक्षेत्र में कमांडरों को उपलब्ध प्रमुख फोर्स मल्टीप्लायरों में से एक होगा। इससे कमांडर निश्चित समय सीमा के अंदर निर्णय ले पाएंगे जिससे अंततः जीत तथा हार के बीच की निर्णायक स्थिति पैदा हो जाएगी। स्वचालित युद्धक्षेत्र निगरानी प्रणाली के विकास के लिए पी एम ओ बी एस एस संजय परियोजना तैयार कर रहा है। इसे भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड (बी ई एल) गाजियाबाद द्वारा तैयार किया जा रहा है और इसकी सुरक्षा का जिम्मा कृत्रिम आसूचना तथा रोबॉटिक्स (सी ए आई आर) बंगलौर ने लिया है। इस परियोजना के अंतर्गत डेटा को निगरानी उपकरणों से संचार टर्मिनलों में स्वतः स्थानांतरित करने के विभिन्न तरीकों का आविष्कार किया गया। डेटा वाले ब्रॉडबैंड रेडियो सेट तथा फाईबर ऑप्टिक केबल तैयार कर लिए गए हैं जिससे वीडियो, इमेज, डेटा तथा आवाज का ट्रांसमिशन सहज हो सके। मल्टी सेंसर फ्यूजन तथा स्थिति का आकलन करने के उपकरणों को विकसित किया गया है तथा इन्हें कस्टमाइज्ड ग्लोबल इनफॉर्मेशन सिस्टम (जी आई एस) साफ्टवेयर में शामिल कर लिया गया है। निगरानी केंद्र टर्मिनल, जेनरेटर सेटों तथा संचार नियंत्रण यूनिटों को रखने के लिए शैल्टरों का निर्माण कर लिया गया है।

(ग) **प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑरगैनाइजेशन आर्टिलरी कॉम्बैट कमान तथा नियंत्रण प्रणाली (पी एम ओ ए सी सी एस):-** ए सी सी सी एस को मिलिट्री ग्रेड टैक्टिकल कम्प्यूटर के नेटवर्क के रूप में माना गया है जिसका विस्तार कोर फायर कंट्रोल सेन्ट्रल (एफ सी सी) से लेकर अलग-अलग गन प्लेटफार्म तक किया गया। यह ए सी सी सी एस प्रणाली कोर से बैटरी तक के आर्टिलरी के विभिन्न संक्रियात्मक पहलुओं के बारे में निर्णय लेने तथा इसे स्वचालित करने में मदद करेगा। ए सी सी सी एस टर्मिनल बी एच एफ/ एच एफ दोनों ही कॉम्बेटनेट रेडियो (सी एन आर) का प्रयोग करके लाइन तथा ए आर ई एन/ ए एस सी ओ एन ग्रिड कॉम्यूनिकेशन को आपस में जोड़ेगा। संचार-व्यवस्था का मुख्य आधार डेटा ट्रांसमिशन होगा जो उपयुक्त आकार के पैकेटों में सामने आएगा तथा ए सी सी सी एस प्रणाली भौगोलिक सूचना प्रणाली (जी आई एस) के आधार पर कार्य करता है।

(घ) **प्रोजेक्ट सिचुएशन अवेरनैस एंड टेक्टिकल हैंडहेल्ड इंफार्मेशन (साथी):-** प्रोजेक्ट बीटा ने बगावत रोधी कार्रवाईयों में तैनात इन्फैंट्री सैन्य

दलों के इस्तेमाल के लिए निर्मित हैंडहेल्ड कम्प्यूटिंग प्लेटफार्म तैयार किया है जिसमें विभिन्न प्रकार की तकनीक जैसे कि भौगोलिक सूचना प्रणाली, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम और वायरलेस नेटवर्क शामिल हैं जिसका इस्तेमाल बगावत रोधी कार्रवाईयों में तैनात इन्फैंट्री टुकड़ियां करेगी। इस परियोजना का उद्देश्य इन्फैंट्री की नेवीगेशन, मैप रीडिंग, रेडियो संचार और सूचना प्रबंधन जैसी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कम कीमत का सिंगल हार्ड वेयर प्लेटफार्म विकसित करना है ताकि नजदीकी समाघात स्थितियों में स्थिति की जानकारी और कमान एवं नियंत्रण किया जा सके। इसका नाम साथी है अर्थात् सिचुएशन अवेयरनैस एंड टेक्टिकल हैंडहेल्ड इंफोर्मेशन जो कि भारतीय सेना द्वारा शुरू की गई पहली आर एंड डी परियोजना है। ऐसी परियोजना न तो पहले शुरू की गई और न ही इसके जैसी कोई दूसरी परियोजना है। इस परियोजना की मदद से सूचना प्रौद्योगिकी को आवश्यक स्थानों पर पहुंचाया जा सकेगा। गोला-बारुद की जगह इस तकनीक के इस्तेमाल से हमारे जवान बगावत रोधी कार्रवाईयों की चुनौतियों का सामना कर सकेंगे। आज इन्फैंट्री के सामने किसी संक्रिया के सफलतापूर्वक पूरा करने में जो कठिनाई सामने आती है, वह है मिशन शुरू होने के बाद कमान और कंट्रोल बनाए रखना। यदि सैनिक को यह पता हो कि वह कहां पर है तथा उसके दल के अन्य साथी कहां पर है और उसका मिशन क्या है तो काम बहुत आसान हो जाता है। एक जुट होकर लड़ने के लिए और कम से कम प्राण हानि के लिए ये सभी आवश्यकताएं एक साधारण यंत्र पर उपलब्ध कराई गई हैं।

संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति स्थापना ऑपरेशन

3.13 भारत संयुक्त राष्ट्र के शांति स्थापना के प्रयासों के प्रति दृढ़तापूर्वक प्रतिबद्ध है। सन् 1950 से संयुक्त राष्ट्र के शांति स्थापना ऑपरेशन में हम 70,000 टुकड़ियां भेज चुके है जो कि विश्व के किसी भी देश के योगदान से सर्वाधिक है। भारतीय सैनिकों के पेशेवर रवैये का पता इस बात से चलता है कि संयुक्त राष्ट्र अपने प्रत्येक नए मिशन में सबसे पहले योगदान का प्रस्ताव भारत को देता है। भारत सरकार ने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑप कांगों (एम ओ एन यू सी) में संयुक्त राष्ट्र के मिशन के तहत तथा सुडान में (यू एन एम आई एस यू डी) में संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावित मिशन में भारतीय सैन्य दलों की तैनाती को अनुमति दे दी है। आज की तारीख में 4,000 से अधिक भारतीय सैनिक संयुक्त राष्ट्र मिशनों में तैनात हैं।

(क) **लेबनान में संयुक्त राष्ट्र की अंतरिम सेना (यू एन आई एफ आई एल):-** भारत सन् 1998 से यू एन आई एफ आई एल में एक इन्फैंट्री बटालियन ग्रुप और अनेक स्टाफ अफसर तैनात कर चुका है। इस मिशन की स्थापना दक्षिण लेबनान से इजराइली सेनाओं की वापसी पर नजर

रखने के लिए तथा वहां पर लेबनानी प्रशासन स्थापित करने के उद्देश्य से 1972 में की गई थी। मध्यपूर्व के अविछिन्न अस्थिर क्षेत्र में स्थापित यू एन आई एफ आई एल की सफलता उस पूरे क्षेत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसा करने में भारतीय शांति सैनिकों के पेशेवर रवैये और रणनीतिक सोच ने यह सुनिश्चित किया है कि इस क्षेत्र में शांति भंग न हो और संयुक्त राष्ट्र मिशन का आदेश प्रभावी ढंग से पूरा किया जा सके। ''ब्लू लाइन'' जैसे सर्वाधिक खतरनाक क्षेत्रों में तैनात भारतीय शांति सैनिकों ने कुछ मानवतावादी कार्य करके अपने आप को स्थानीय जनता का प्रिय बना लिया, इसमें वहां के स्थानीय लोगों को अत्यावश्यक कुमुक पहुंचाना शामिल था।

(ख) **इथोपिया-इरिट्रिया में संयुक्त राष्ट्र मिशन (यू एन एम ई ई):-** इथोपिया तथा इरिट्रिया के बीच तीन साल की भयंकर लड़ाई के बाद सन् 2000 में स्थापित यू एन एम ई ई ने दोनों देशों की सेनाओं को अलग करते हुए दोनों देशों के बीच सैनिक रहित जोन बनाने का कार्य किया तथा उस सीमा पर सीमांकन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा आयोग को सुरक्षा प्रदान की, जिसके कारण दोनों के बीच युद्ध छिड़ गया था। भारत ने इस मिशन की शुरूआत से ही इस मिशन में एक इन्फैंट्री बटालियन ग्रुप, एक फोर्स रिजर्व कंपनी, एक कंसट्रक्शन इंजीनियर कंपनी तथा अनेक सैन्य पर्यवेक्षक और स्टाफ अफसर तैनात किए थे। फिलहाल इस मिशन में भारत के 1554 सैनिक तैनात हैं। भारतीय टुकड़ियां इस सैनिक रहित जोन में सौंपे गए कार्यों को प्रभावशाली ढंग से पूरा कर रही है तथा उन्होंने स्थिति को नियंत्रण से बाहर जाने से सफलतापूर्वक रोक रखा है। स्थानीय जनता में से बहुत से लोग युद्ध के कारण विस्थापित हो गए थे, इनकी सहायता के लिए भारतीय टुकड़ियों ने बहुत सी राहत एवं पुनर्वास परियोजनाओं की शुरूआत की है, इनमें स्कूली, इमारतों, अस्पतालों का निर्माण, कुएं खोदना, सड़कों एवं मार्गों की मरम्मत और निर्माण तथा चिकित्सा कैंप लगाना, कम्प्यूटर प्रशिक्षण कक्षाएं चलाना इत्यादि शामिल हैं।

(ग) **डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगों में संयुक्त राष्ट्र संघ के मिशन (एम ओ एन यू सी):-** मिशन फरवरी, 2000 में स्थापित किया गया था और तभी से भारत बड़ी संख्या में सैन्य पर्यवेक्षक इस मिशन में नियुक्त कर चुका है। सेना तथा वायुसेना दोनों के 343 कार्मिकों का भारतीय विमानन सैन्यदल जुलाई, 2003 में इस मिशन के लिए भेजा गया। हाल की घटनाओं के कारण कांगो में विशेषकर पूर्वी कांगो में मिशन की संयुक्त राष्ट्र सेना में अतिरिक्त सैन्यदलों को शामिल

करना आवश्यक हो गया। 1 नवबंर 2004 के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए प्रस्ताव के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र ने इस मिशन में 5900 अतिरिक्त सैन्य कार्मिकों को शामिल करने का आधिकार दिया। संयुक्त राष्ट्र के आह्वान पर भारत ने एक बार फिर तीन इंफैंट्री बटालियनों का एक इंफैंट्री ब्रिगेड ग्रुप, एक टोही और अवलोकन उड़ान, एक लेवल 3 अस्पताल, एक संचार कंपनी तथा वायुसेना का विमानन सैन्यदल पूर्वी कांगो में संयुक्त राष्ट्र मिशन के लिए भेज। मिशन में इस विशाल सैन्य दल को नवंबर, 2004 के अंत में शामिल किया गया।

(घ) **सुडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन (यू. एन. एम. आई. एस. यू. डी.):-** उत्तर में सुडान सरकार तथा दक्षिण में सुडान पीपल लिब्रेशन आर्मी/ मूवमेंट (एस पी एल ए/एम) के बीच 21 साल के गृह युद्ध के बाद दोनों पक्षों के बीच मैत्री प्रक्रिया जारी है जिसमें संयुक्त राष्ट्र ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। युद्ध में रत दोनों पक्षों के बीच किए गए समझौते के प्रावधानों को पूरी तरह से लागू करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय VI के अंतर्गत सुडान में शांति स्थापना मिशन स्थापित करने की योजना बनाई। इसके लिए भारत ने एक इंफैंट्री बटालियन, दो कंस्ट्रक्शन इंजीनियर कंपनियां, एक सैन्य संचार कंपनी, एक सेक्टर ट्रांसपोट कंपनी और लेवल I अस्पताल सहित एक सैन्य दल भेजने का वादा किया।

(च) **संयुक्त राष्ट्र के अन्य मिशनों में भागीदारी:-** उपरोक्त मिशनों के अतिरिक्त, भारत बुरुंडी, आइवरी कोस्ट में संयुक्त राष्ट्र मिशनों के साथ-साथ न्यूयार्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति स्थापना विभाग में स्टाफ अफसर तथा सैन्य पर्यवेक्षक भेज रहा है।

(छ) भारतीय योगदान के सम्मान में भारतीय सेना के एक अफसर, लेफ्टिनेंट जनरल आर. के. मेहता को संयुक्त राष्ट्र संघ के सैन्य सलाहकार (एम आई एल एडी) के प्रतिष्ठित कार्य के लिए चुना गया है।

साहसिक और खेलकूद गतिविधियाँ

3.14 भारतीय सेना की साहसिक कार्यों को बढ़ावा देने की परंपरा रही है। भारत जमीन, आकाश और समुद्र में साहसिक खेलों में अग्रणी की भूमिका अदा कर चुका है। सेना हाल के वर्षों में बहुआयामी साहसिक गतिविधयाँ आयोजित कर चुकी है, जिसका विवरण आगे के पैराग्राफों में दिया गया है:-

जमीन पर किए गए साहसिक कार्य

3.15 (क) भारतीय सेना (डोगरा रेजिमेंट) का कंचन जंगा अभियान (8586 मीटर):- इस अभियान में डोगरा रेजिमेंट के 22 पर्वतारोही शामिल थे

और इस अभियान का नेतृत्व लेफ्टिनेंट कर्नल एस सी शर्मा, एस सी, वी एस एम ने किया था। मेजर एम एस चौहान के नेतृत्व में 6 पर्वतारोही 10 अक्तूबर, 2004 को चोटी पर पहुंच गए कंचनजंगा अभियान की खास उपलब्धियाँ इस प्रकार रहीं:-

(i) जापान के बाद भारत दूसरा ऐसा देश है जिसने कचनजंगा पर पश्चिम दिशा के साथ-साथ पूर्व दिशा से भी चढ़ाई करने में सफलता प्राप्त की। भारतीय सेना के कंचनजंगा पर सर्वप्रथम जून, 1997 में चढ़ाई की।

(ii) नायब सूबेदार सी एन बोध पहले भारतीय हैं जिन्होंने विश्व में 8000 मीटर से ऊंची कुल 14 चोटियों में से चार पर चढ़ाई की है। नायब सूबेदार नीलचंद दूसरे भारतीय व्यक्ति बने जिन्होंने 8000 मीटर से ऊंची तीन चोटियों पर चढ़ाई की।

(ख) **ससेर कांगड़ी (7672 मीटर ऊंचाई) पर भारत-नेपाल सेना का पर्वतारोहण अभियान:-** सेना साहसिक कार्य विंग द्वारा आयोजित एक संयुक्त भारत-नेपाल सेना अभियान ने पश्चिमी रिज मार्ग से ससेर कांगड़ी-1 चोटी (7672 मीटर) की चढ़ाई की। लेफ्टि कर्नल एस पी मलिक के नेतृत्व में एक पर्वतारोहण दल ने भी ब्रिगेडियर (सेवानिवृत) डी के खुल्लर के नेतृत्व में 1987 में आयोजित भारत-यूके ससेर कांगड़ी अभियान द्वारा अपनाए गए मार्ग का अनुसरण किया। कैप्टन एस एस नेगी के नेतृत्व में सात पर्वतारोही (इनमें रॉयल नेपाल आर्मी के कार्मिक भी शामिल थे) 17 जून, 2004 को इस चोटी पर पहुंचे।

(ग) **नुन (7140 मीटर ऊंचाई) पर चढ़ाई के लिए छाताधारी सैनिकों (पैराट्रूपर्स) का अभियान:-** मेजर एस एस शेखावत, शौर्य चक्र के नेतृत्व में छाताधारी सैनिकों के एक अभियान-दल ने लद्दाख के जान्स्कर क्षेत्र में स्थित नुन चोटी पर चढ़ने का गौरव हासिल किया जबकि 6,8,10 और 11 सितम्बर, 2004 को दल के 31 सदस्यों ने इस चोटी पर अपने पैर रखे।

(घ) **त्रिशूल चोटी (7120 मीटर ऊंचाई) पर राजपूताना राइफल्स का अभियान:-** राजपूताना राइफल्स के एक पर्वतारोहण दल ने, जिसमें सिद्धहस्त पर्वतारोही और नए शामिल किए गए पर्वतारोही सम्मिलित थे, त्रिशूल चोटी पर नन्दादेवी अभयारण्य के बाहरी रास्ते से सफलतापूर्वक चढ़ाई की। लेफ्टि कर्नल आर एस टोकस के नेतृत्व में दल के 14 सदस्य 5 और 6 अक्तूबर, 2004 को इस चोटी पर पहुंचे।

(ड.) **अबी गमीन चोटी (7355 मीटर ऊंचाई) पर सेना के महिलादल का अभियान:-** सेना ने इस वर्ष एक ऐसा पर्वतारोहण अभियान दल रवाना किया

जिसमें सेना महिला अफसर, विशेष सीमा बल (एस. एफ. एफ.) की महिला कार्मिक तथा राष्ट्रीय कैडेट कोर की महिला कैडेटों को शामिल किया गया। इन महिला कार्मिकों को मई-जून, 2004 में आयोजित बेसिक और उन्नत (एडवांस) पर्वतारोहण कोर्सों में प्रशिक्षण दिया गया था। इसकी सात महिला सदस्यों ने 7 अक्तूबर, 2004 को माउंट अबी गमीन (7355 मीटर) पर सफलापूर्वक चढ़ाई की, इसे एवरेस्ट पर्वतारोहण अभियान से पहले प्रशिक्षण के रूप में आयोजित किया गया।

(च) **रेड-डी-हिमालय कार रैली:-** पहली बार, भारतीय सेना की नौ टीमों ने रेड-डी-हिमालय कार रैली में हिस्सा लिया। अक्तूबर, 2004 के प्रथम सप्ताह में आयोजित इस कार रैली का आरंभ शिमला से हुआ, जो लद्दाख क्षेत्र में से गुजरते हुए मनाली पहुंचकर समाप्त हुई। चार पहिया गाड़ी श्रेणी में सेना की टीमों ने सबसे अच्छे प्रदर्शन के लिए ट्राफी जीती।

(छ) **भारत-आसियान मोटर कार रैली:-** विदेश मंत्रालय और भारतीय उद्योग संगठन (सी आई आई) ने 22 नवंबर, 2004 से 12 दिसंबर, 2004 तक भारत-असियान कार रैली का आयोजन किया। रैली का मार्ग गुवाहाटी-थाईलैंड-लाओस-वियतनाम-कंबोडिया-मलेशिया-सिंगापुर-इंडोनेशिया तक था। प्रधानमंत्री ने 22 नवंबर, 2004 को गुवाहाटी में रैली का शुभारंभ झंडी दिखाकर किया। इस कार रैली में दो अन्य भारतीय टीमों के अलावा सेना की भी एक टीम ने हिस्सा लिया।

वायु-साहसिक गतिविधियाँ

3.16 (क) **पहली सेना हैंग-ग्लाइडिंग चैम्पियनशिप:-** हैंगग्लाइडिंग के आर्मी एडवेचर ऍरो नोडल सेंटर, देवलाली में पहली सेना हैंग-ग्लाइडिंग चैम्पियनशिप 27 जनवरी, 2004 से 29 जनवरी, 2004 तक आयोजित की गई। ऍरो नोडल सेंटर (ए एन सी), देवलाली के हवलदार परमजीत सिंह ने सेना के पायलटों में प्रथम स्थान अर्जित किया।

(ख) **पहली अंत: कमान पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता:-** पहली अंत: कमान पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता पुणे में 4 अक्तूबर, 2004 से 10 अक्तूबर, 2004 तक आयोजित की गई। दक्षिण कमान पहले स्थान पर रही जबकि पूर्व कमान दूसरे। यंत्रीकृत इंफैंट्री रेजिमेंटल सेंटर (एम आई आर सी) ने उड़ान ट्रॉफी जीती। यह प्रतियोगिता देश में अपनी तरह की पहली प्रतियोगिता थी।

(ग) **बीर-बिलिंग में पैराग्लाइडिंग प्रि-वर्ल्ड कप में सेना की टीम की सहभागिता:-** पहली बार तीन पायलटों की आर्मी एडवंचर पैराग्लाइडिंग टीम ने ऐसी प्रतियोगिता में भाग लिया जिसमें 17 से अधिक देशों के पायलटों ने हिस्सा लिया। यह देश में साहसिक पैराग्लाइडिंग के क्षेत्र में एक नए युग की शुरूआत है। भारतीय सेना के पायलटों के अगले कुछ वर्षों में इस खेल में अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंच जाने की उम्मीद है।

(घ) **मैकेनाइज्ड इंफैंट्री रेजिमेंटल सेंटर (एम. आई. आर. सी.) द्वारा संचालित हॉट एयर बैलूनिंग अभियान:-** एम आई आर सी, अहमदनगर द्वारा 5 से 7 नवंबर, 2004 तक नासिक से अहमदनगर तक एक हॉट एयर बैलूनिंग अभियान शुरू किया गया। इस अभियान दल में चार अफसर और चार अन्य रैंक के कार्मिक (ओ आर) शामिल थे।

(च) 3 **वैद्युत यांत्रिक इंजीनियर सेंटर द्वारा आयोजित हॉट एयर बैलूनिंग अभियान:-** 3 वैद्युत यांत्रिक इंजीनियर सेंटर, भोपाल द्वारा 8 से 12 नवंबर, 2004 तक बड़ोदरा से भोपाल तक एक हॉट एयर बैलूनिंग अभियान चलाया गया।

जलीय साहसिक गतिविधियाँ

3.17 (क) **'आर्मी एडवेंचर चैलेंज कप':-** आर्मी एडवेंचर चैलेंज कप का आयोजन राईवाला में 27 अप्रैल से 6 मई, 2004 तक किया गया। उत्तर कमान को छोड़कर अन्य सभी कमानों की 21 टीमों और अर्धसैन्य बलों तथा भारतीय नौसेना की 3 टीमों न इस प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लिया।

(ख) **वैद्युत यांत्रिक इंजीनियर निदेशालय द्वारा व्हाइट वाटर राफ्टिंग अभियान का आयोजन:-** वैद्युत यांत्रिक इंजीनियर निदेशालय द्वारा 6 से 10 अक्तूबर, 2004 तक कर्णप्रयाग से ऋषिकेश तक एक व्हाइट वाटर राफ्टिंग अभियान चलाया गया।

(ग) 1/11 **ग्रेनेडियर (जी आर) द्वारा व्हाइट वाटर राफ्टिंग अभियान का आयोजन:-** 1/11 ग्रेनेडियर (जी आर) ने 6 अक्तूबर, 04 से 10 अक्तूबर, 04 तक कर्णप्रयाग से ऋषिकेश तक एक व्हाइट वाटर राफ्टिंग अभियान चलाया।

(घ) 90 **आर्मर्ड रेजिमेंट द्वारा व्हाइट वाटर राफ्टिंग अभियान का आयोजन:-** 90 आर्मर्ड रेजिमेंट ने 6 से 10 अक्तूबर, 2004 तक रुद्रप्रयाग से ऋषिकेश तक एक व्हाइट वाटर राफ्टिंग अभियान चलाया।

(ड.) **11 यांत्रिक इन्फैंट्री द्वारा व्हाइट वाटर राफ्टिंग अभियान का आयोजन:-** 11 यांत्रिक इन्फैंट्री ने 10 से 14 नवंबर, 2004 तक रुद्रप्रयाग से ऋषिकेश तक एक व्हाइट वाटर राफ्टिंग अभियान का आयोजन किया।

(च) 20 **जाट रेजिमेंट द्वारा व्हाइट वाटर राफ्टिंग अभियान चलाना:-** 20 जाट रेजिमेंट ने 10 नवंबर से 14 नवंबर, 2004 तक रुद्रप्रयाग से ऋषिकेश तक व्हाइट वॉटर राफ्टिंग अभियान का आयोजन किया।

(छ) 20 **कुमाऊँ रेजिमेंट द्वारा व्हाइट वाटर राफ्टिंग अभियान चलाना:-** 20 कुमाऊं रेजिमेंट ने 10 नवंबर से 14 नवंबर, 2004 तक रुद्रप्रयाग से ऋषिकेश तक व्हाइटर वॉटर राफ्टिंग अभियान का आयोजन किया।

3.18 **विविध गतिविधियाँ:-**सेना साहसिक कार्य विंग द्वारा दिखाई गई साहसिक गतिविधियों एवं मूल संकट उपस्कर के फोटोग्राफ 14 नवंबर 27 नवंबर, 2004 तक आयोजित भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2004 (आई आई टी एफ 2004) के दौरान रक्षा पेविलियन में प्रदर्शित किए गए।

वर्ष के दौरान की अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियाँ

3.19 **पैसिफिक आर्मीज, मैनेजमेंट सेमीनार XXVIII:** अभी हाल में भारतीय सेना ने यू एस सेना, पैसिफिक के साथ मिलकर नई दिल्ली में एक पैसिफिक आर्मीज, मैनेजमेंट सेमीनार XXVIII: का आयोजन किया। इस सेमीनार में 31 देशों के 102 सुरक्षा सेना अफसरों ने भाग लिया। इस पी ए एम एस XXVIII: का विषय था 'बदलते हुए सुरक्षा परिवेश में क्षेत्रीय सहयोग'। अपने उद्घाटन भाषण में सेनाध्यक्ष ने कहा कि आतंकवाद किसी सरहद या सीमा को नहीं देखता और इस खतरे से निपटने के लिए एक दूसरे की समस्याओं को समझना जरूरी है।

कल्याण

3.20 **युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हुए एवं युद्ध में अपंग हुए जवानों के सगे संबंधियों को सेना केंद्रीय कल्याण निधि अनुदान:-** कल्याण उपाय के रूप में, अगस्त 15, 1947 से अप्रैल 30, 1999 के दौरान अशक्त होने के कारण सेना से अलग किए गए प्रत्येक युद्ध हताहत और युद्ध में अपंग हुए जवान के सगे संबंधी को राष्ट्रीय रक्षा निधि और सेना केंद्रीय कल्याण निधि (ए सी डब्ल्यु) से 50,000/- रुपए दिए गए।

3.21 **आपरेशन विजय (कारगिल) को छोड़कर अशक्त सैनिकों (युद्ध कैजुअल्टियों) के लिए ए सी डब्ल्यु एफ अनुदान:-** आपरेशन विजय (कारगिल) को छोड़कर 1 मई, 1999 से अशक्तता के कारण सेवा से निकाले/हटाए गए अशक्त सैनिक (युद्ध कैजुअल्टि), ए सी डब्ल्यु एफ से 1 लाख रुपए का एक बारगी अनुदान प्राप्त करने के पात्र हैं।

3.22 **अशक्त सैनिकों (युद्ध कैजुअल्टी) (सेवा में रखे गए) को ए सी डब्ल्यु एफ अनुदान:-** वे अशक्त सैनिक (युद्ध कैजुअल्टी) जो 1 मई, 1999 से हुई विभिन्न सैन्य संक्रियाओं में घायल हुए और जिन्हें सेवा में बनाए रखा गया उन्हें अपनी निशक्तता प्रतिशतता के आधार पर निम्नानुसार ए सी डब्ल्यू एफ से अनुदान प्राप्त होता है:-

(क) 75 प्रतिशत निशक्तता से अधिक : 30,000/-रुपए

(ख) 50 प्रतिशत से 74 प्रतिशत के बीच में : 20, 000/-रुपए

(ग) 50 प्रतिशत से कम : 10,000/-रुपए

3.23 **युद्ध कैजुअल्टियों को छोड़कर अन्य सभी घातक कैजुअल्टियों वाले सैनिकों के सगे-संबंधियों को ए सी डब्ल्यु एफ अनुदान:-** 30 अप्रैल, 2001 के बाद सेवा के दौरान मारे गए सभी कार्मिकों के

सगे-संबंधियों को ए सी डब्ल्यु एफ से 30,000/- रुपए का एक बारगी अनुदान दिया जाता है।

3.24 **विजयी वीर आवास योजना:-** दिल्ली विकास प्राधिकरण ने युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के पुनर्वास के लिए 'विजयी वीर आवास योजना' नाम की एक आवास योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत पी बी ओ आर के लिए 312 फ्लैट और अफसरों के लिए 102 फ्लैटों का निर्माण किया। यह योजना युद्ध कैजुअल्टियों और 1 मई, 1999 से सभी संक्रियाओं में निशक्तता के कारण सेवा से निकाले गए सैनिकों के सगे-संबंधियों के लिए 30 सितम्बर, 2003 तक खुली थी। अफसरों के लिए फ्लैट की निर्धारित लागत 5.93 लाख रुपए और जे सी ओ/अन्य रैंक के लिए 3.98 लाख रुपए हैं।

3.25 **शिक्षा छात्रवृत्ति (स्कॉलरशिप):-** सेवा के दौरान मारे गए सभी कार्मिकों के बच्चों को विभिन्न रक्षा कल्याण कोरों से शिक्षा छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। केंद्रीय सरकार 6 अगस्त, 2003 से युद्ध में शहीद सैनिकों के बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान कर रही है।

3.26 **सभी युद्ध विधवाओं के लिए द्वितीय श्रेणी/शयन श्रेणी भाड़े में छूट:-** रेल मंत्रालय ने सभी युद्ध विधवाओं, जिनमें उन सैनिकों की विधवाएं भी शामिल हैं जिन्होंने आतंकवादियों के विरुद्ध लड़ाई में अपनी जानें कुर्बान की थी, के लिए द्वितीय श्रेणी/शयन श्रेणी भाड़े में 75 प्रतिशत छूट देने की घोषणा की है।

3.27 **चिकित्सा कल्याण टीम:-** इस वर्ष नेपाल में बसे भारतीय सेना के भूतपूर्व सैनिकों और सेवा कार्मिकों के आश्रितों को देखने और उनका इलाज करने के लिए छह चिकित्सा टीमों को गठित किया गया। एक चिकित्सा टीम 23 सितम्बर, 2004 से 18 अक्टूबर, 2004 तक पहले ही नेपाल का दौरा कर चुकी है।

3.28 **व्यावसायिक प्रशिक्षण:-** अब तक अनेकों ई एस एम/ विधवाओं/ पत्नियों/ ई एस एम के बच्चों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। भारतीय गोरखा सैनिक निवास, पेंशन भुगतान कार्यालय और जिला सैनिक बोर्डों में स्थित बारह व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में विभिन्न कोर्स चलाए जाते हैं जिससे ई एस एम और उनके परिवारों की तकनीकी दक्षता बढ़े और वे उपयुक्त नौकरियां प्राप्त कर सकें।

3.29 **जरूरतमंद भूतपूर्व सैनिकों को वित्तीय सहायता:-** इस अवधि के दौरान, बहुत से जरूरतमंद भूतपूर्व सैनिकों को जनरल अफसरों द्वारा अपने नेपाल दौरों के दौरान वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी।

4

भारतीय नौसेना

भारत-अमेरिका संयुक्त नौसेना अभ्यास के दौरान भा. नौ. पो. मैसूर पर उतरता हुआ अमेरिकी नौसेना का एक हेलिकॉप्टर

भारतीय नौसेना

भारतीय नौसेना

4.1 हिंद महासागर क्षेत्र में (आई ओ आर) बहुराष्ट्रीय समुद्री बलों की लगातार मौजूदगी के फलस्वरूप इस क्षेत्र में गतिविधियां तेज के कारण वर्ष के दौरान भारतीय नौसेना ने अपने कार्मिकों और उपस्कर को समाघात तैयारी की उच्च अवस्था में बनाए रखा।

4.2 भारतीय नौसेना ने विदेशी नौसेनाओं के साथ प्रशिक्षण, अभ्यास और संक्रियाओं के क्षेत्र में विशेष बल देना जारी रखा है जिससे समुद्र तटीय राष्ट्रों के साथ हमारे संबंध और मजबूत हुए हैं। विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन और माजांबिक में अफ्रीका-प्रशांत-कैरिबियन (ए पी सी) के राष्ट्राध्यक्षों के सम्मेलन के लिए तटीय सुरक्षा प्रदान करने तथा मॉरीशस से लगे समुद्र में विशिष्ट आर्थिक जोन (ई ई जेड), रस-अल-हद से लगे समुद्र आदि की निगरानी में विदेशी राष्ट्रों की सहायता करने के लिए भी भारतीय नौसेना को आमंत्रित किया गया।

4.3 अप्रैल 2004 में 1135.6 श्रेणी के फ्रिगेट तबर और एक अतिरिक्त तीव्र आक्रमण क्राफ्ट (एक्स एफ ए सी) तथा जुलाई 2004 में बेतवा के समावेश ने भारतीय नौसेना को वह प्रहार शक्ति प्रदान की है जिसकी बहुत ही जरूरत थी। दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य योजना के अनुसार प्लेटफार्मों को शामिल करने का काम क्रमबद्ध रूप से जारी है। इस उद्देश्य से अप्रैल 2004 में स्वदेश निर्मित जल-थलीय पोत 'शार्दूल' लांच किया गया।

प्रमुख संक्रियाएं और अभ्यास

4.4 **निगरानी:** सामरिक महत्त्व के क्षेत्रों की निगरानी नौसेना के प्रमुख कार्यों में से एक है। नौसेना के हितों से जुड़े सभी प्रमुख क्षेत्रों पर वर्ष के दौरान लगातार निगरानी रखी गई। नौसेना पोतों और वायुयानों ने शस्त्रों की तस्करी और अवांछनीय तत्त्वों के अवैध संचलन को रोकने के लिए पाक खाड़ी और गुजरात और महाराष्ट्र से लगे तटों की लगातार निगरानी जारी रखी। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप द्वीप-समूहों में विस्तृत निगरानी और वन्य जीवों के शिकार की रोकथाम के लिए भी नौसेना पोतों ओर वायुयानों को तैनात किया गया।

4.5 **स्प्रिंगेक्स 04:** भारतीय नौसेना का वार्षिक अभ्यास स्प्रिंगेक्स-2004 1 से 25 फरवरी, 2004 तक पश्चिमी समुद्री क्षेत्र में संचालित किया गया जिसमें भारतीय वायुसेना के दो जगुआर सहित भारतीय नौसेना के 41 पोतों, तटरक्षक के तीन पोतों, पांच पनडुब्बियों और 38 वायुयानों ने भाग लिया।

4.6 **मापुतो से लगे समुद्र में सुरक्षा गश्त-ऑप॰ फरिश्ता 04 :** मापुतो में आयोजित विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन और

भारतीय नौसेना पोत से सतह से हवा में प्रक्षेपास्त्र (एस ए एम) दागते हुए

21 से 24 जून, 2004 तक हुए अफ्रीका-प्रशांत-कैरिबियन (ए पी सी) राष्ट्राध्यक्षों के सम्मेलन के दौरान मोजांबिक सरकार के अनुरोध पर भारतीय नौसेना पोतों सावित्री और सुजाता को 23 मई से 13 जुलाई 2004 तक मोजांबिक में मापुतो से लगे समुद्र में तटीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए तैनात किया गया। इसके अलावा, भारतीय नौसेना पोतों ने मोजांबिक नौसेना के 100 से अधिक कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया। साथ ही, भारतीय नौसेना पोतों के चिकित्सा अफसरों ने दो चिकित्सा कैंप लगाए और 450 से अधिक मरीजों का उपचार किया।

निगरानी-सह-मौजूदगी मिशन

4.7 **बंगाल की उत्तरी खाड़ी :** भारतीय नौसेना पोत खंजर और कृपाण को हमारे हितों से संबद्ध क्षेत्रों की निगरानी के लिए 24 मार्च से 2 अप्रैल 2004 तक पूर्वी समुद्र क्षेत्र (बंगाल की उत्तरी खाड़ी और अंडमान सागर में प्रिपेरिस चैनल) में तैनात किया गया। तैनाती के दौरान पोतों ने आपरेशन टर्न एराउंड (ओ टी आर) करते हुए 29 मार्च से 30 मार्च 2004 तक यानगॉन (म्यांमार) का दौरा किया।

4.8 **दक्षिण चीन समुद्र :** मई 2003 के दौरान पूर्वी बेड़े के पोतों भारतीय नौसेना पोतों राणा, खुकरी, रणवीर, कोरा और उदयगिरि को 'मौजूदगी-सह-निगरानी मिशनों' के लिए मलक्का जलडमरूमध्य, सुंडा जलडमरूध्य और दक्षिण चीन समुद्र में तैनात किया गया। तैनाती के दौरान पोतों ने आपरेशन टर्न एराउंड (ओ टी आर) के लिए जकर्त्ता और सिंगापुर बंदगाहों का निम्नानुसार दौरा किया:-

(क) जकार्त्ता -12 मई से 13 मई 2004; राणा और खुकरी

(ख) सिंगापुर-17 मई से 18 मई 2004; रणवीर, कोरा और उदयगिरि

4.9 **ऑप॰ सिरिअस:** वर्ष के दौरान नौसेना पोतों को श्रीलंका के दक्षिणी और पूर्वी तट से लगे समुद्र में गश्त के लिए नियमित रूप से तैनात किया गया।

विदेश में तैनाती

4.10 **वापसी यात्रा :** भारतीय नौसेना पोत तबर: 30 अप्रैल 2004 को बाल्टिएस्ट में कमीशन होने के बाद भारतीय नौसेना पोत तबर ने भारत के लिए अपनी पहली यात्रा प्रारंभ की और केपटाउन (दक्षिण अफ्रीका) से होते हुए 31 जुलाई, 2004 को मुंबई पहुंचा। पोत ने अनेक मार्गस्थ पत्तनों का दौरा किया।

4.11 **भूमध्य सागर :** पश्चिमी बेड़े के चार पोतों मैसूर, गोदावरी, गंगा और शक्ति को विदेशी तैनाती पर एडन की खाड़ी और भूमध्य सागर में तैनात किया गया। तैनाती के दौरान पोतों ने इजरायल, साइप्रस, मिस्त्र और तुर्की में पत्तनों का दौरा किया।

4.12 **दक्षिण हिन्द महासागर:** पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन से भारतीय नौसेना पोत तीर और शारदा को 12 सितंबर से 14 अक्तूबर 2003 तक विदेशी तैनाती पर दक्षिण हिन्द महासागर में तैनात किया गया। तैनाती के दौरान पोतों ने विक्टोरिया (सिसली), मोम्बासा (कीनिया) और माले (मालदीव) पत्तनों का दौरा किया।

4.13 **फारस की खाड़ी :** भारतीय नौसेना पोत मुंबई, तलवार, दिल्ली, कुलिश, आदित्य, प्रलय और सिंधुराज को 7 सितंबर से 1 अक्तूबर 2003 तक विदेशी तैनाती पर फारस की खाड़ी में तैनात किया गया। भारतीय नौसेना पोत दिल्ली, मुंबई, आदित्य और कुलिश ने इस्लामिक गणराज्य ईरान की नौसेना (इरिन) के बंदर अब्बास और सबलान पोतों के साथ बंदर अब्बास से लगे समुद्र में एक पैसेज एक्सरसाइज़ (पैसेक्स) में भाग लिया। तैनाती के दौरान पोतों ने फारस की खाड़ी में एक 'मौजूदगी-सह-निगरानी मिशन' पूरा किया और मस्कट, बंदर अब्बास, अबू धाबी और बहरीन बंदरगाहों का दौरा किया।

4.14 **थाइलैंड की खाड़ी:** भारतीय नौसेना पोत एल सी यू-33 और तिल्लनचंग को 3 अक्तूबर से 13 अक्तूबर 2003 तक विदेशी तैनाती पर थाइलैंड की खाड़ी में तैनात किया गया। तैनाती के दौरान पोतों ने 6 अक्तूबर से 10 अक्तूबर 2003 तक फुकेत पत्तन का दौरा किया।

4.15 **दक्षिण चीन समुद्र/पश्चिम प्रशांत महासागर:** भारतीय नौसेना पोत रणविजय, रंजीत, गोदावरी, किर्च, सुकन्या और ज्योति को 1 अक्तूबर से 20 नवंबर 2003 तक दक्षिण चीन समुद्र और पश्चिम प्रशांत महासागर में तैनात किया गया। तैनाती के दौरान पोतों ने पुसान (दक्षिण कोरिया), टोकियो (जापान), जकार्त्ता (इंडोनेशिया), मनीला (फिलिपींस) और हो ची मिन सिटी (वियतनाम) का दौरा किया।

4.16 **दूसरा पश्चिमी प्रशांत एम सी एम एक्स और डाइवेक्स:** भारतीय नौसेना पोत कारवार को दूसरे पश्चिमी प्रशांत सुरंगरोधी उपाय अभ्यास (एम सी एम एक्स) और गोताखोरी अभ्यास (डाइवेक्स) में भाग लेने के लिए 21 अप्रैल से 7 मई 2004 तक सिंगापुर में तैनात किया गया। इस अभ्यास में

एशिया प्रशांत क्षेत्र के 18 देशों ने भाग लिया।

4.17 **नौसेनाओं के प्रमुखों के बीच बातचीत:** भारतीय और फ्रांसिसी नौसेना के प्रमुखों के बीच तीसरी वार्ता 17 से 21 जनवरी, 2005 के बीच हुई।

विदेशी नौसेनाओं के साथ अभ्यास और संयुक्त संक्रियाएं:

4.18 भारतीय नौसेना ने यू एस ए, फ्रांस और सिंगापुर के साथ संयुक्त अभ्यासों और इंडोनेशिया के साथ संयुक्त गश्त को नियमित रूप दे दिया है। ऐसे अभ्यासों के ब्योरे आगामी पैराग्राफों में दिए गए हैं।:-

4.19 **सिंगापुर: भारतीय नौसेना-आर एस एन अभ्यास:** भारतीय नौसेना और सिंगापुर गणराज्य की नौसेना (आर एस एन) के बीच छठा द्विपक्षी अभ्यास 7 मार्च से 19 मार्च, 2004 तक कोच्ची से लगे समुद्र में संचालित हुआ। आर एस एन पोतों ने कोच्ची का दौरा करने से पहले 1 मार्च से 3 मार्च, 2004 तक पोर्ट ब्लेयर का दौरा किया। आर एस एन ने अभ्यास के लिए चार पोत तैनात किए और भारतीय नौसेना ने तीन पोतों, एक पनडुब्बी और चार घूर्णी और स्थिर पंखी वायुयानों के साथ इसमें भाग लिया।

4.20 **फ्रांस: वरुण अभ्यास 04/1:** फ्रांसिसी नौसेना के साथ अब तक का सबसे बड़ा द्विपक्षी अभ्यास गोवा से लगे पश्चिमी समुद्र क्षेत्र में 6 अप्रैल से 15 अप्रैल, 2004 तक आयोजित हुआ जिसमें नवीनतम फ्रांसिसी वायुयान वाहक चार्ल्स डि गॉल, एक एस एस एन (न्यूक्लियर पनडुब्बी) और फ्रांसिसी कार्यबल के सात वायुयानों सहित छ: पोतों ने भाग लिया। टास्क फोर्स में एक रॉयल नेवी शिप भी शामिल था। भारतीय नौसेना ने अभ्यास के दौरान छ: पोत, एक पनडुब्बी और पांच वायुयान तैनात किए। अभ्यास की तैयारी 6 अप्रैल से 8 अप्रैल, 2004 तक की गई जबकि वास्तविक अभ्यास 10 से 14 अप्रैल, 2004 तक हुआ।

4.21 **वरुण 2005:** वरुण 2005 प्रमुख रूप से सुरंगरोधी उपाय अभ्यास (एम सी एम एक्स) पर जोर देगा। अपने सहायक पोत के नेतृत्व में दो एफ एन त्रिअंगी सुरंग हंटरों की इसमें भाग लेने की संभावना है।

4.22 **यू एस ए: मालाबार सी वाई-04 अभ्यास:**

(क) भारतीय और यू एस नौसेना के बीच संयुक्त द्विपक्षीय अभ्यास मालाबार सी वाई-04 कैलेंडर वर्ष (04) गोवा से लगे समुद्र में 1 अक्तूबर से 10 अक्तूबर, 2003 तक आयोजित हुआ।

(ख) भारतीय नौसेना की ओर से भारतीय नौसेना पोत मैसूर, ब्रह्मपुत्र, शंकुल (एस एस के पनडुब्बी) और आदित्य ने अभ्यास में भाग लिया। यू एस नौसेना की ओर से यू एस एस काउपेंस (टिकोनडेरोगा श्रेणी का विध्वंसक), यू एस पोत गैरी (ओलिवर हैजार्ड पेरी श्रेणी का फ्रिगेट) और यू एस पोत एलेक्जेंड्रिया (लॉस एंजेल्स श्रेणी की न्यूक्लियर पनडुब्बी) ने अभ्यास में भाग लिया। इसके अलावा पी 3 सी ओरियन, समुद्री गश्त वायुयान (एम पी ए), टी यू 142 एम समुद्री टोह पनडुब्बी रोधी युद्ध पद्धति वायुयान (एम आर ए एस डब्ल्यू), डोर्नियर (एम पी ए), सी

हैरियर फाइटरों और अंगभूत हेलिकाप्टरों ने भी इसमें भाग लिया।

(ग) इस वर्ष अभ्यास का जोर उन्नत पनडुब्बीरोधी युद्ध पद्धति (ए एस डब्ल्यू), समुद्र नियंत्रण मिशनों, बेड़ा हवाई रक्षा, सतह फायरिंग, समुद्री निषेध संक्रिया (एम आई ओ) और दौरा बोर्ड खोज ओर जब्ती (वी बी एस एस) कार्रवाईयों पर रहा।

(घ) ऐसे अभ्यासों से प्रशिक्षण का अधिकतम लाभ उठाने और पारस्परिक संचालन योग्यता को सुप्रवाही बनाने के लिए दोनों नौसेनाओं के बीच मानक प्रचालन क्रिया विधियों (एस ओ पी) को अंतिम रूप दे दिया है जिनको अभ्यास मालाबार सी वाई-03 के दौरान आजमाया भी गया।

4.23 **विशेष बल अभ्यास संगम 04:** नौसेना विशेष बल अभ्यास संगम 04, 8 अक्तूबर से 24 अक्तूबर, 2004 तक दो सप्ताह के लिए गणपतिपुले, भारत में आयोजित हुआ। इस अभ्यास का जोर वी बी एस एस संक्रियाओं पर रहा।

4.24 **मिलन 05:** दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया की नौसेनाओं का वार्षिक बहुराष्ट्रीय अभ्यास और अंत:क्रिया पोर्ट ब्लेयर में आयोजित होने की संभावना है जिसे 'मिलन 05' का विशिष्ट नाम दिया गया है। इंडोनेशिया, श्रीलंका, थाइलैंड, आस्ट्रेलिया, मलेशिया, म्यांमार और सिंगापुर के युद्धपोत/प्रतिनिधिमंडल की इसमें भाग लेने की संभावना है।

4.25 वर्ष के दौरान विदेशी नौसेनाओं के साथा होने वाली अंत: क्रियाओं का ब्यौरा नीचे सारणीबद्ध है:

क्र सं०	तारीखें	कार्य	देश	स्थान
1.	20 मई, 2004	नवीं अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा बैठक	श्रीलंका	पाक की खाड़ी
2.	10-12 जून 2004	भारत- फ्रांस की नौसेनाओं के स्तर पर संक्रियात्मक स्टाफ वार्ता	फ्रांस	रियूनियन आईलैंड
3.	07-11 जून 2004	डब्ल्यु पी एन एस कार्यशाला 2004	डब्ल्यु पी एन एस	सिंगापुर
4.	16-19 अगस्त 2004	भारत-दक्षिण अफ्रीका की नौसेनाओं के स्तर पर स्टाफ वार्ता	दक्षिण अफ्रीका	प्रिटोरिया
5.	01-04 सितंबर 2004	भारतीय नौसेना/श्रीलंका नौसेना की नवीं संक्रियात्मक समीक्षा बैठक (ओ आर एम)	श्रीलंका	कोलम्बो
6.	28-30 सितंबर 2004	भारत-यू के नौसेनाओं के स्तर पर स्टाफ वार्ता	यू के	नई दिल्ली
7.	14-15 नवंबर 2004	भारतीय नौसेना/यू एस के कार्यकारी संचालन समूह (ई एस जी) की आठवीं बैठक	यू एस ए	गूआम
8.	30 नवंबर 2004	दसवीं अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा (आई एम बी एल) बैठक	श्रीलंका	पाक की खाड़ी
9.	17-20 नवंबर 2004	नवीं पश्चिमी प्रशांत नौसेना की विचार गोष्ठी (डब्ल्यु पी एन एस)	डब्ल्यु पी एन एस	सिंगापुर

4.26 **भारतीय नौसेना पोत तारमुगली का सेशल्स को स्थानांतरण:** सेशल्स के साथ अपने मैत्री संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत सरकार ने सद्भावपूर्वक एक तीव्र

आक्रमण यान (एफ ए सी) भारतीय नौसेना पोत तारमुगली को सेशल्स तट रक्षक (एस सी जी) को देने का अनुमोदन प्रदान किया है। यह पोत एस सी जी को शीघ्र सौंपे जाने की संभावना है।

प्रशिक्षण

4.27 विदेशी कार्मिकों को प्रशिक्षण: विदेशी नौसेना कार्मिकों को प्रशिक्षण हमारे रक्षा सहयोग को बढ़ाने, खासकर समुद्रतटीय राष्ट्रों से रक्षा सहयोग को उन्नत करने के उद्देश्य से दिया जाता है। भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग/विशेष सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत बड़े पैमाने पर आबंटन किए जाते हैं। प्रशिक्षण वर्ष 2004-05 के दौरान विदेशी मित्र राष्ट्रों से 210 अफसरों और 199 नौसैनिकों को भारत में प्रशिक्षण देने की मंजूरी दी गई। निम्नलिखित हैं।

क्र.सं०	देश	अफसर	नौसैनिक
(क)	श्रीलंका	158	152
(ख)	नाइजीरिया	04	–
(ग)	बंगलादेश	09	09
(घ)	मलेशिया	03	–
(च)	म्यांमार	03	–
(छ)	मॉरिशस	02	06
(ज)	कीनिया	03	–
(झ)	वियतनाम	04	–
(ट)	तंजानिया	02	–
(ठ)	कम्बोडिया	01	01
(ड)	इंडोनेशिया	03	–
(ढ)	सिंगापुर	01	–
(त)	मालदीव	12	18
(थ)	दक्षिण अफ्रीका	04	07
(द)	घाना	01	01
(ध)	सेशल्स	–	05
	कुल	210	199

4.28 **विदेश में कोर्सों के लिए भारतीय नौसेना कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति:** 23 कार्मिकों को अक्तूबर 2004 के अन्त तक प्रशिक्षण कोर्सों के लिए विदेश में प्रतिनियुक्त

भारत-अमेरिका संयुक्त नौसेना अभ्यास 'मालाबार सी वाई 2004'

किया गया है। जिनमें संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय सैन्य शिक्षण और प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत 12 कार्मिक शामिल हैं।

4.29 **पहला प्रशिक्षण स्क्वाड्रन:** पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन के कुल 141 कैडटों को भारतीय नौसेना पोत तीर और कृष्ण पर प्रशिक्षित किया गया। समुद्री प्रशिक्षण के दौरान कैडेटों ने भारत के सभी प्रमुख बन्दरगाहों का भ्रमण करने के अतिरिक्त विदेशी तैनाती के दौरान स्वेज, पालेर्मो, एलक्जैन्ड्रिया, पोर्ट सईद, बंदर अब्बास, अल फुजाइरा और मस्कट के बंदरगाहों का भी भ्रमण किया।

4.30 **अजय विक्रम सिंह समिति (ए वी एस सी) रिपोर्ट का कार्यान्वयन:** नौसेना अफसरों के गैर-चयन रैंकों के संबंध में ए वी एस सी (फेज-1) की सिफारिश को सेना और वायुसेना में उनके समकक्षों के साथ सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया।

4.31 **सिविलियन कार्मिक:** भारत नौसेना, राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति के अनुरूप सिविलियन कार्मिकों के प्रशिक्षण और विकास पर लगातार ध्यान रख रही है। यह खासतौर पर संगत है क्योंकि सिविलियनों की संख्या नौसेना की नफरी का लगभग 50% है और ये अनुषंगी सेवाओं के विपरीत संक्रियात्मक, अनुरक्षण और संभारिकी सहायता संबंधी कार्य भी करते हैं। काडर प्रशिक्षण योजनाओं में निर्धारित किए अनुसार प्रारंभ और मध्य-कैरियर चरणों में अनेक कोर्स निर्धारित किए गए हैं। इन कोर्सों से वर्दीधारी और उनके सिविलियन समकक्ष एक दूसरे को बेहतर समझते हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी में उन्नति

4.32 नौसेना ने आई टी-नेटवर्किंग और ई-जन्य समाधानों के क्षेत्र में दो अत्यंत महत्वपुर्ण क्षेत्रों की पहचान की है। वर्ष के दौरान बड़ी संख्या में आई टी अनुप्रयोग आरंभ किए गए हैं। ये पहल अनुरक्षण, स्वास्थ्य संबंधी देखभाल प्रबंधन और मानव संसाधन और सामग्री प्रबंधन के क्षेत्रों में दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से की गई जिसका हमारे संसाधन नियोजन और युद्ध में लड़ने की क्षमता पर सीधा प्रभाव पड़ता है।

साहसिक कार्य और खेलकूद

4.33 साहसिक कार्य और खेलकूद गतिविधियां नौसेना कार्मिकों के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये गतिविधियां न सिर्फ उनके तकनीकी, प्रबंधकीय और प्रशासनिक कौशल को विकसित करने के लिए अनिवार्य हैं बल्कि उनमें उच्च स्तर की शारीरिक स्वस्थता, सहनशक्ति, दृढ़निश्चय, फुर्ती टीम के रूप में काम करने और कोर भावना के विकास के लिए भी आवश्यक है। नौकायन, पाल नौकायन, डोंगीचालन, तैराकी और वाटर पोलों जैसे पानी में खेले जाने वाले खेलों में उनकी भागीदारी पर खास ज़ोर दिया गया है।

4.34 **पर्वतारोहण:** नौसेना ने 2004 के दौरान कई प्रमुख पर्वतारोही अभियानों को पूरा कर इस क्षेत्र में अनेक कीर्तिमान स्थापित किए हैं। हिमालय के उत्तरी क्षेत्र (तिब्बत) से होकर मांउट एवरेस्ट के लिए मार्च-जून 2004 में एक अभियान पूरा किया गया। जिसके फलस्वरूप निम्नलिखित रिकार्ड बनाए गए।

(क) दुनिया में पहली बार अभियान दल में सभी सदस्य नौसेना के ही थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की।

(ख) उत्तर की ओर से एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय सशस्त्र सेना टीम।

(ग) उत्तर की ओर से चढ़ने वाली सर्वाधिक सफल भारतीय टीम (11 पर्वतारोही)।

(घ) एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाला पहला भारतीय लीडर एवं डाक्टर।

4.35 माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के कुछ देर बाद ही भारतीय नौसेना का अभियान दल पूर्वी लद्दाख में एक ऐसी अनाम चोटी (21,648 फुट) पर चढ़ा जहां पर अभी तक कोई नहीं पहुंचा था। चोटी तक पहुंचने का रास्ता अत्यंत दुर्गम था, इसी कारण से अब तक इस पर कोई नहीं चढ़ पाया था। नौसेना के छः पर्वतारोहियों ने सभी संकटों और तकनीकी कठिनाइयों का सामना करते हुए इस चोटी पर 9 अक्तूबर 2004 को चढ़ाई करने में सफलता पाई। इस चोटी पर पहली बार चढ़ाई करने के उपलक्ष्य में इस पर्वत को सम्मानपूर्वक ''कोंचुक सू'' नाम दिया गया जिसका अर्थ लद्दाखी भाषा में 'जल देवता' है।

4.36 **व्हाइट वॉटर रैफ्टिंगः** शिवपुरी उत्तरांचल और गोदावरी नदियों में नियमित रूप से व्हाइट वॉटर रैफ्टिंग कैम्पों का आयोजन किया जाता है ताकि इस खेल में बुनियादी कौशल का विकास किया जा सके। इसी क्रम में उत्तर पूर्व के क्षेत्र और हिमालय में और कई चुनौतीपूर्ण अभियानों और कैम्पों को आयोजित करने की योजना है।

4.37 **एरो एडवेंचर स्पोर्ट्स :** नौसेना ने अपनी 'स्काई डाइविंग टीम' तैयार की है जिसने दिसंबर 2004 में नौसेना सप्ताह के दौरान वाइजैग और कोच्ची में जंप प्रदर्शन किया। यह टीम आगामी नेशनल स्काई डाइविंग चैम्पियनशिप और उसके बाद आयोजित किए जा रहे विविध अंतरराष्ट्रीय खेलों में भी भाग लेगी।

4.38 **मेरिन (स्पेन) में संपन्न 38वीं मिलिट्री सेलिंग चैम्पियनशिप :** यह चैम्पियनशिप 27 मई से 5 जून, 2004 तक आयोजित की गई जिसमें कुल 18 देशों ने भाग लिया। ये दौड़ें स्नाइप (एस एन आई पी ई) श्रेणी की नौकाओं में की गईं जो भारत में नहीं चलतीं। नौसेना की टीम में लेफ्टिनेंट कमांडर ए एस पटांकर और लेफ्टिनेंट एस एस कोर्ति शामिल थे जो भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और ये प्रतियोगिता के समापन के समय 8वें स्थान पर रहे।

4.39 **एन्टरप्राइज वर्ल्ड चैंपियनशिप 2004:** इस चैंपियनशिप का आयोजन 16 से 21 अगस्त 2004 तक कॉर्क (आयरलैंड) में किया। इसमें कुल मिलाकर 77 नौकाएं थी। विभिन्न हवा और समुद्री दशाओं (25 नॉट तक हवाएं जो 2.5 मीटर तक उठी) में कुल मिलाकर 8 दौड़ें संपन्न हुई। नौसेना की ओर से उतारी गई चार टीमों की स्थिति निम्न प्रकार से थी:-

(क) ए मोंगिया/लेफ्टिनेंट अमित अरविंद - तृतीय

(ख) एस एस चौहान पी ओ/एन शर्मा एल एम ए - चतुर्थ

(ग) एन के यादव एम सी पी ओ1/जी एल यादव एम सी पी ओ II - आठवां

(घ) लेफ्टिनेंट कमांडर ए स पटांकर/ लेफ्टिनेंट एस एस कोर्ति – नवां

4.40 **नौसेना के खिलाड़ियों की उपलब्धियां :-**

4.41 **राष्ट्रीय शूटिंग चैम्पियनशिप 2004-05:-** राष्ट्रीय शूटिंग चैम्पियनशिप 2004-05 इंदौर में 5 से 15 अक्तूबर 2004 तक आयोजित की गई जिसमें नौसेना कार्मिकों ने तीन स्वर्ण, पांच रजत और तीन कांस्य पदक जीते।

क्र सं०	नाम	रैंक	प्रतियोगिता	उपलब्धि
1.	एम.सुराजॉय सिंह	पी ओ	दक्षिण कोरिया में 11 से 20 जून 2003 तक आयोजित विश्व जूनियर बॉक्सिंग चैम्पियनशिप	कांस्य पदक
2.	सी पी आर सुधीर कुमार	सी पी ओ पी टी आई	माल्टा में 25 से 28 जून 2004 तक आयोजित कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप	01 स्वर्ण और 02 रजत पदक
3	ए एल लाकरा	पी ओ पी टी आई	चेक गणराज्य में 7 से 14 जून 2003 तक आयोजित 35वीं ग्रांड प्रिक्स बॉक्सिंग चैम्पियनशिप	रजत पद
4	ए एल लाकरा	ए जी पी ओ	हिसार में 3 से 8 अगस्त 2003 तक आयोजित राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैम्पियनशिप	57 कि ग्रा वर्ग में स्वर्ण पदक
5	जोनाथन	एन ए एच-II	हिसार में 3 से 8 अगस्त, 2003 तक आयोजित राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैम्पियनशिप	48 कि.ग्रा. वर्ग में रजत पदक

5

भारतीय वायुसेना

अपने वायुयान के साथ वायुसैनिक

भारतीय वायुसेना

5.1 आज भारतीय वायुसेना (आई ए एफ) उत्कृष्टता और व्यावसायिकता के प्रमाणित रिकार्ड वाली आधुनिक, व्यापक प्रौद्योगिकी सम्पन्न सेना है। राष्ट्र के द्वारा सामना की जाने वाली ऐसी नई सुरक्षा चुनौतियों के अनुरूप आधुनिकता के नए प्रतिमान की दहलीज पर पैर टिकाए हुए है जिनकी ओर भी वा से को ध्यान देना होगा।

5.2 संक्रियाओं की निरन्तर बढ़ती लागतों को देखते हुए लागत-प्रभावी प्रशिक्षण, अनुकूलतम आउटपुट और न्यूनतम अपव्यय पर काफी जारे दिया जा रहा है। महत्त्वपूर्ण कल्याणकारी क्षेत्रों में भारतीय वायुसेना अपने कार्मिकों के जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए घर, शिक्षा और होस्टल सुविधा सम्बन्धी अनेक उपाय क्रियान्वित कर चुकी है।

5.3 परम्परागत युद्धकालीन भूमिकाओं के लिए शांतिकाल प्रशिक्षण के अलावा भारतीय वायुसेना ने इस वर्ष असम, अरूणाचल प्रदेश और बिहार में बाढ़ राहत कार्रवाइयों के दौरान सिविल प्राधिकारियों को उल्लेखनीय सहायता मुहैया कराई है। भारतीय वायुसेना दिसंम्बर, 2004 में सूनामी कहर के बाद कार्रवाई करने वाली भी प्रथम सेना थी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में व्यापक राहत कार्रवाइयों के अलावा श्रीलंका और मालद्वीप में भी सहायता प्रदान की गई। विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध के मैदान में भारतीय सेना की संक्रियाओं/अभ्यासों में और सियाचिन ग्लेशियर जीवनरेखा (लाइफ लाइन) को भारतीय वायुसेना द्वारा बराबर बनाए रखा जा रहा है। साथ ही नियंत्रण रेखा के किनारे कुछ अतिरिक्त क्षेत्रों में भी इसके द्वारा सहायता दी जा रही है।

उड़ान भरते हुए सारंग टीम का उन्नत हल्का हेलिकॉप्टर (ए एल एच)

समारोह

5.4 **रक्षा अलंकरण समारोह :** राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह जुलाई 5 और जुलाई 8, 2004 को हुआ, जहां भारत के राष्ट्रपति ने गणतंत्र दिवस 2004 की पूर्वसंध्या पर घोषित उच्च विशिष्ट सेवा पुरस्कारों के विजेताओं को अलंकृत किया। इनमें वायुसेना अफसरों को 6 प वि से में और 11 अ वि से में पुरस्कार प्रदान किए गए।

5.5 **स्वतंत्रता दिवस ध्वजारोहण समारोहः** भारत की स्वतंत्रता की 57 वीं वर्षगांठ के अवसर पर लालकिला, दिल्ली में 15 अगस्त, 2004 को ध्वजारोहण समारोह आयोजित किया गया। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा झंडा फहराया गया। स्कूली बच्चों के अलावा इस समारोह में कैबिनेट मंत्रियों, तीनों सेनाध्यक्षों और अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। वायुसेना के समन्वयकारी सेना होने के कारण इस वर्ष प्रधानमंत्री को संयुक्त अंतर-सेवा और पुलिस टुकड़ी द्वारा गारद सम्मान दिया गया। और इसमें 132 कार्मिकों ने भाग लिया जिसमें दिल्ली पुलिस, तीनों सेनाओं से स्क्वाड्रन लीडर रैंक और उसके समकक्ष अफसर और वायुसेना के चार स्क्वाड्रान लीडर शामिल थे।

5.6 **वायुसेना दिवस की 72 वीं वर्षगांठः** 8 अक्तूबर, 2004 को वायुसेना दिवस-सह-अलंकरण परेड वायुसेना स्टेशन पालम में सम्पन्न हुई जिसमें एयर चीफ मार्शल एस कृष्णास्वामी, प वि से मे, अ वि से मे, वा. से. मे. एवं बार, ए डी सी, वायुसेनाध्यक्ष (सी ए एस)ने सलामी ली। परेड से पहले तीनों सेनाध्यक्षों ने इंडिया गेट स्थित अमर जवान ज्योति और वायुसेना स्टेशन, पालम स्थित वायुसेना युद्ध स्मारक पर शहीदों को फूल मालाएं चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। परेड में मार्शल ऑफ द एयर फोर्स, थलसेनाध्यक्ष, नौसेनाध्यक्ष और एयर अफसर कमाडिंग-इन-चीफ, पश्चिम वायुकमान के साथ वरिष्ठ सेना पदाधिकारियों और विदेशी मिशनों के एम एन और ए ए ने भाग लिया। अलंकरण समारोह के दौरान, कुल 46 पदक प्राप्तकर्त्ताओं को पुरस्कारों से अलंकृत किया गया। जिसमें वायुसेना मेडल (शौर्य), वायुसेना मेडल, वि से मे बार, वि से मे और जीवन रक्षा पदक पुरस्कार शामिल थे। परेड के बाद फ्लाईपास्ट हुआ और सूर्य किरण एयरोबैटिक टीम (एस के ए टी) द्वारा कलाबाजी करतब के अलावा एडवांस्ड लाइट हेलिकॉप्टरों (ए एल एच) द्वारा पहली बार सारंग प्रदर्शन किया गया। 8 अक्तूबर, 2004 की शाम को वायुसेनाध्यक्ष ने एयर हाउस में एक प्रीतिभोज की मेजबानी की जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, विपक्ष के नेता, मार्शल ऑफ द एयर फोर्स अन्य सेनाध्यक्षों और गणमान्य अतिथियों ने भाग लिया।

जीप को ऊपर उठाते हुए ए एल एच 'ध्रुव' हेलिकॉप्टर

5.7 **बैंकाक में ए डब्ल्यू एस ओ संगीत समारोह : 13 फरवरी, 2004:** 13 फरवरी, 2004 को बैंकाक में जब एयर वॉरियार सिम्फनी आर्केस्ट्रा (ए डब्ल्यू एस ओ) ने एक संगीत समारोह प्रस्तुत किया तो यह एक ऐतिहासिक घटना बन गया। इस अवसर के मुख्य अतिथि रॉयल थाइ एयर फोर्स के डिप्टी कमांडर-इन-चीफ, एयर चीफ मार्शल च्लेरन चम चेरिन सुक थे। विशिष्ट श्रोताओं में भारतीय राजदूत श्रीमती एल के पोनाप्पा, विभिन्न देशों के राजदूत और रक्षा-अताशे, स्थानीय सिविल पदाधिकारी और रॉयल थाइलैंड आर्मी और एयरफोर्स कार्मिकों ने समारोह का आनंद लिया। ए डब्ल्यू एस ओ का प्रदर्शन इतना सम्मोहक था कि भारतीय राजदूत ने जुलाई, 2004 में फिर से ए डब्ल्यू एस ओ संगीत समारोह आयोजित करने की इच्छा प्रकट की।

5.8 **फिनलैंड में भा वा से ए डब्ल्यू एस ओ संगीत समारोह:** फिनलैंड में हुए द्विवार्षिक समारोह हमीना टेटू 2004 में एकमात्र एशियन मिलिटरी बैंड के रूप में संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत करना ए डब्ल्यू एस ओ के लिए बड़े सम्मान की बात थी। ए डब्ल्यू एस ओ, ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, रूस, एस्टोनिया और फिनलैंड से आए मिलिटरी बैंडों के साथ भाग ले चुका है। वायुसेना बैंड द्वारा बजाई गई धुनें विशेष रूप से मूल स्वर-लिपियां और लोकप्रिय पश्चिमी पॉप, जाज और पश्चिमी शास्त्रीय संगीत के श्रोताओं और अन्य बैंडों के संगीतज्ञों ने मुक्त कंठ से सराहना की। ए डब्ल्यू एस ओ द्वारा प्रस्तुत भारतीय शास्त्रीय स्वरलिपियों को फिनलैंड के निवासियों ने विशेष रूप से पसंद किया।

5.9 **ध्वज प्रदान समारोह:** ध्वज प्रदान समारोह वायुसेना स्टेशन, कानपुर में 1 नवम्बर, 2004 को आयोजित किया गया। समारोह के दौरान भारत के राष्ट्रपति ने क्रमश: वायुकर्मी परीक्षा बोर्ड (ए ई बी) और 1 बेस मरम्मत डिपो (बी आर डी) को ध्वज प्रदान किया । समारोह में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल जैसे अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने समारोह की शोभा बढ़ाई।

उड़ान संरक्षा

5.10 संगठित प्रयास से समग्र उड़ान परिवेश में सुधार हुआ है और दुर्घटनाओं/घटनाओं में कमी हुई है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष दुर्घटना दर कम रही है। टेक्नालॉजी तथा डिजाइन से जुड़ी समस्याओं की पहचान करके इसे दूर किया गया है। मिग-21 के इंजनों से संबंधित तकनीकी समस्याओं का समाधान करने के लिए आशोधन (सुधार) किए गए हैं। इससे चालू वित्तीय वर्ष में दुर्घटनाओं में भारी कमी आई है। इसके अतिरिक्त, वायुयान एयरक्रू के प्रशिक्षण क्षेत्र की कमी को दूर करने के लिए लगातार ऑपरेशन स्लेबस की समीक्षा ओर सूक्ष्म पर्यवेक्षण द्वरा ध्यान रखा जार रहा है। प्रशिक्षण पा री यूनिटों को उड़ान की दृष्टि से बेहतर मौसम वाली स्थितियों के क्षेत्रों में पुन:स्थापित किया गया है। हवाई मैदानों के आस-पास तथा साथ लगे क्षेत्रों में पक्षियों के खतरों से निपटने के फलस्वरूप उड़ान पर्यावरण बेहतर बना है और पिछले दो वर्षों में पक्षी टकराने से कोई दुर्घटना नहीं हुई है। आधुनिक दिशा-निर्देशन व्यवस्था और रिकवरी साधनों पर अतिरिक्त जोर दिया गया है जिससे अधिक सुरक्षित उड़ान पर्यावरण मिल सका है। भारतीय वायुसेना के उड़ान संरक्षा रिकार्ड को और अधिक सुधारने के लिए सरकार ने 30 दिसंबर, 2004 को एक विशेषज्ञ समिति का भी गठन किया है जो

वायुयान दुर्घटना के कारणों की पहचान करेगी और उनसे बचाव के उपाय सुझाएगी। यह समिति उस उच्च दुर्घटना संभावित तकनीक जो सुरक्षित संक्रियाओं के लिए सहायक नहीं है, की पहचान करके कार्मिकों के चयन तथा भर्ती संबंधी नीतियों को तर्क संगत बनाकर मौजूदा प्रशिक्षण प्रणाली और उड़ान पर्यावरण की समीक्षा के काम में लगी है जिससे कि संक्रियात्मक कार्यक्षमता बढ़ सके। विशेषज्ञ समिति एक व्यापक कार्य योजना प्रस्तुत करेगी। जिससे कि वायुयान दुर्घटनाओं के कारण कम से कम हानि हो। यह समिति पूर्ववर्ती समितियों द ला फोन्टेन समिति और कमेटी ऑन फॉइटर एयरक्राफ्ट एक्सीडैण्टस की सिफारिशों के क्रियान्वयन और उड़ान संरक्षा पर उनके प्रभावों का भी अध्ययन करेगी। आशा है कि विशेषज्ञ समिति अपनी रिपोर्ट मई 2005 तक प्रस्तुत कर देगी।

संचार

5.11 **भा वा से की व्यापक क्षेत्र नेटवर्क (डब्ल्यू ए एन) परियोजना:** वायुसेना की मौजूदा वायू रक्षा भू पर्यावरण प्रणाली (ए डी जी ई एस) तथा अन्य संचार नेटवर्कों को मजबूत बनाने की आवश्यकता है ताकि व्यावहारिक दृष्टि से पहले से ही किसी भी सम्भाव्य दुर्घटना पर समय रहते काबू पाया जा सके। वायुसेना मुख्यालय में गठित एक अध्ययन दल ने वायुसेना की विभिन्न संचार आवश्यकताओं का विश्लेषण करके एक ऐसे समाधान का प्रस्ताव किया है जो व्यवहारिक, विश्वसनीय और सुरक्षित है। इस दल ने प्रयोक्ता निदेशालयों तथा कमान मुख्यालयों से बातचीत की जिससे कि उनकी विस्तृत (बैण्डविड्थ) आवश्यकताओं को आकलन किया जा सके। आपसी बातचीत के आधार पर अध्ययन दल ने भा वा से डब्ल्यू ए एन के लिए एक संरचना सुझाई जो भा वा से की शांति तथा युद्धकालीन, दोनों आवश्यकाताओं के लिए व्यावहारिक एवं अत्यधिक विश्वसनीय है।

5.12 **मानवरहित हवाई वाहन (यू ए वी) संचार:** यू ए वी स्क्वाड्रनों को भारतीय वायुसेना में पहले ही शामिल किया जा चुका है। भू-नियंत्रण स्टेशन (जी सी एस) से स्क्वाड्रन बेस तथा कमान मुख्यालय को प्रत्यक्ष वीडियो द्वारा डाटा प्रदान करने के लिए मोबाइल सैटकॉम वेरी स्माल एपर्चर सैटेलाइट (वी एस ए टी) टर्मिनलों के संचार नेटवर्क की योजना बनाई गई है। युद्ध की स्थिति में आगे की कार्रवाई की योजना बनाने के लिए फील्ड/थिएटर कमांडर द्वारा इस डाटा का उपयोग किया जाएगा। शांति के दौरान यह युद्धनीतिक डाटा प्रदान करेगा।

5.13 **डिजिटल वॉयस तथा डाटा रिकॉर्डर:** वायुसेना ने भू-वायू आर/टी तथा संक्रिया संचार को रिकार्ड करने के लिए 32 चैनलों का एक अत्याधुनिक डिजिटल वॉयस तथा डाटा रिकार्डर का प्रापण किया है यह मेलट्रॉन मेक के पुराने एयरफील्ड टेपरिकार्डर (ए एफ टी आर), जो अप्रचलित घोषित किया जा चुका है, का स्थान लेगा।

5.14 **खोज तथा बचाव (एस ए आर) हेलिकॉप्टर के लिए इन्मारसैट का प्रापण:** एस ए आर ड्यूटियों के लिए प्रयुक्त हेलिकॉपटर हेतु भारतीय वायुसेना अत्याधुनिक उपग्रह टेलीफोन प्राप्त कर रही है। इससे एस ए आर गतिविधियों में शामिल वायुयान कर्मियों की काफी समय से चली आ रही आवश्यकता का पूरा किया जा सकेगा। एस ए आर की तुरंत संक्रिया और प्रभावशाली संपर्कन के लिए तथा उसके द्वारा प्रभावित वर्गों को समय पर समय सहायता प्रदान करने के लिए

यह प्रणाली किसी भी एस ए आर क्षेत्र से दुनिया में कहीं भी स्थित प्राधिकरणों/ ग्राहकों के लिए वायुयान कर्मियों को विश्वसनीय तथा तुरंत सूचना देने में समर्थ होगी।

हवाई मैदानों का उन्नयन

5.15 हवाई मैदानों का उन्नयन निरंतर चलनेवाली प्रक्रिया है। अप्रचलित उपस्कर के स्थान पर यंत्रावतरण तंत्र (इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम) (आई एल एस)/दूरी मापन उपस्कर (डी एम ई), विजुअल ऑप्टिकल रेंज (वी ओ आर)/दूरी मापन उपस्कर (डी एम ई), निगरानी रेडार उपस्कार (एस आर ई)/ परिशुद्ध उपगम रेडार (पी ए आर), संयुक्त स्वचालित दिशा सूचक (सी ए डी एफ), रोधी नाका (एरिस्टर बैरियर) आदि मार्गनिर्देशक साधनों का प्रापण किया जा रहा है।

वायुसैनिकों की भर्ती

5.16 पी बी ओ आर की भर्ती की जिम्मेदारी वायुसेना मुख्यालय के अधीन केन्द्रीय वायुसैनिक चयन बोर्ड (सी ए एस बी) की है। इसका यह प्रयास रहता है कि भारतीय वायुसेना की इन्वेंटरी में आधुनिक आयुध प्रणालियों को प्रयोग में लाने के लिए श्रेष्ठ मानव संसाधन प्रदान किया जाए। सी ए एस बी के सहयोग से देश के विभिन्न भागों में स्थित तेरह वायुसैनिक चयन केन्द्र (ए एस सी) पी बी ओ आर के चयन कि लिए जिम्मेदार हैं।

5.17 औसतन, भारतीय वायुसेना एक वर्ष में लगभग 7000 प्रशिक्षणार्थियों को भर्ती करती है। एंप्लायमेंट न्यूज/रोजगार समाचार में प्रकाशित विज्ञापनों द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित करते हुए सी ए एस बी अखिल भारतीय स्तर पर निर्धारित परीक्षाओं का आयोजन करता है। साथ ही, दूरस्थ और सीमावर्ती क्षेत्रों के अभ्यर्थियों को मौका देने के लिए ए एस सी तथा संबंधित राज्य सरकारों के साथ मिलकर सी ए एस बी भर्ती-रैलियों का आयोजन करता है। भारतीय वायुसेना में वायुसैनिकों की भर्ती पूरी तरह योग्यता पर आधारित होती है। ए एस सी/रैलियों में अभ्यर्थियों की परीक्षा ली जाती है। और परिणाम उसी दिन घोषित किए जाते हैं। इसके बाद सी ए एस बी में परिणामों को संकलित किया जाता है और अखिल भारतीय चयन सूची तैयार की जाती है।

5.18 **अजय विक्रम सिंह समिति (ए वी एस सी) का कार्यान्वयनः** भारतीय वायुसेना से संबंधित ए वी एस सी चरण-1 की सिफारिशों को 12 मार्च, 2005 को सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया। इसका कार्यान्वयन 16 दिसंम्बर, 2004 को किया गया जो पूर्वव्यापी से था। यह आर्मी (ए वी एस सी -1) से संबंधित सिफारिशें की तारीख है जिससे कि अन्य सेवाओं के साथ समतुल्यता बनी रहे। इसके परिणामस्वरूप फ्लांइग अफसर से विंग कमांडर तक विभिन्न रैंकों में कुल 4445 पदोन्नतियां हुई।

5.19 भारतीय वायुसेना की जनशक्ति आवश्यकता और पुर्नसंरचना से संबंधित प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

समुद्र के ऊपर उड़ान भरता एस यू 30 वायुयान

6

तटरक्षक

तटरक्षक: लघु, प्रत्यक्ष और कुशल बल

तटरक्षक

6.1 भारतीय तटरक्षक (भा.त.र.) की स्थापना तटरक्षक अधिनियम 1978 के अधिनियम के साथ 19 अगस्त, 1978 को हुई थी। समुद्री तथा दूसरे राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के विचार से भारत के समुद्री क्षेत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संघ के एक सशस्त्र बल के तौर पर तटरक्षक के गठन के लिए अधिनियम में प्रावधान किया गया था। तटरक्षक भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र, जोकि 2.02 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, की नियमित निगरानी के लिए उत्तरदायी है, ताकि अवैध मत्स्य शिकार/ तस्करी तथा अन्य अवैध गतिविधियों को रोका जा सके। इसके अलावा तटरक्षक के डयूटी चार्टर में खोज एवं बचाव, प्रयास/अभियान तथा समुद्री पर्यावरण संरक्षण (समुद्र में प्रदूषण-रोधी उपाय) शामिल हैं।

संगठन

6.2 तटरक्षक की कमान नियंत्रण तथा तटरक्षक मुख्यालय, नई दिल्ली से महानिदेशक द्वारा संभाली जाती है। भारत की संपूर्ण तटीय रेखा तथा समुद्री क्षेत्र मुंबई, चेन्नई और पोर्टब्लेयर में स्थित क्षेत्रीय मुख्यालयों सहित तीन क्षेत्रों में बंटा हुआ है। इन क्षेत्रों को आगे तटरक्षक जिलों में बांटा गया है, जिसमें प्रत्येक जिला कमांडर तटीय प्रांत का प्रतिनिधित्व करता है। तटरक्षक के अधीन दो वायु

एक तटरक्षक हेलिकॉप्टर, तेल प्रदूषण नियंत्रण यूनिट का प्रदर्शन करते हुए

स्टेशन, दमण तथा चेन्नई में तैनात हैं तथा 04 वायु इन्क्लेव जोकि गोवा, मुम्बई, कोलकाता तथा पोर्टब्लेयर में है।

बल स्तर

6.3 1978 में मामूली शुरूआत के साथ तटरक्षक ने लगातार पोतों तथा वायुयानों को शामिल करते हुए अपने बलस्तर को बढ़ाने मे तेजी से प्रगति की है। वर्तमान में तटरक्षक के बलस्तर में 38 पोत, 20 अंतर्रोधी नौकाएं/ क्राफ्ट तथा 06 होवरक्राफ्ट, 24 डोरनियर वायुयान तथा 17 चेतक हेलिकाप्टर तथा 03 अत्याधुनिक हल्के हेलिकाप्टर हैं।

कर्त्तव्य तथा प्रकार्य

6.4 जैसाकि तटरक्षक अधिनियम की धारा 14 में विनिर्दिष्ट किया गया है, तटरक्षक के कर्तव्य तथा प्रकार्य निम्नवत् हैं:-

- कृत्रिम द्वीपों, अपतटीय तेल टर्मिनलों तथा साधनों की सुरक्षा,
- भारतीय मछुवारें की सुरक्षा,
- समुद्र में संकटग्रस्त मछुवारों की सहायता,
- समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा तथा परिरक्षण,
- समुद्री प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण,
- तस्करी-रोधी अभियानों में सीमा-शुल्क तथा अन्य प्राधिकारियों की सहायता करना,
- लागू समुद्री विधियों का प्रवर्त्तन करना,

प्रदूषणरोधी आपरेशन

- समुद्र में जान और माल की सुरक्षा करना,
- वैज्ञानिक आंकड़ों का संग्रहण करना,
- भारत सरकार द्वारा यदा-कदा निर्दिष्ट अन्य डयूटियां।

भारत के समुद्री हितार्थ क्षेत्र

6.5 भारत के समुद्री हितार्थ क्षेत्र व्यापक हैं। भारत का 7, 517 कि०मी० का तटीय सीमा रेखा क्षेत्र तथा 2.02 लाख वर्ग किलोमीटर तक अनन्य आर्थिक क्षेत्र (ई.ई. जेड) है। भारत का समुद्री परिमाप 2005 तक विधिक महाद्वीपीय शेल्फ (एल सी एस) शासन प्रणाली के साथ एक मिलियन वर्गमीटर के करीब बढ़ने की संभावना है। भारत के समुद्री क्षेत्र में तट के नजदीक 598 द्वीप, अंडमान एवं निकोबार समूह में 572 द्वीप तथा लक्षद्वीप में 27 द्वीप हैं। इसके अतिरिक्त समुद्रगामी संधि के अंतर्गत भारत को हिन्द महासागर के लगभग 13 डिग्री दक्षीणी अक्षांश में 1,50,000 वर्ग मील समुद्रगामी माईनिंग ब्लॉक का क्षेत्र आबंटित किया गया है। ये हित इसके अंटार्कटिका में वैज्ञानिक हितों के अलावा हैं।

6.6 सामुद्रिक दृष्टि से भारत के सात पड़ोसी देश हैं। एक बार यदि विधिक महाद्वीपी शेल्फ को स्वीकृत कर लागू कर दिया जाता है तो आठवां ओमान सल्तनत होगा। भारत ने पाकिस्तान तथा बांगलादेश जहां पर आर्थिक तथा ऐतिहासिक हितबद्ध सक्रिय हैं, को छोड़कर अपने सभी समुद्री पड़ोसी देशों की सीमा रेखा को सीमांकित कर दिया है।

तटरक्षक के नये स्टेशन का सक्रियण

6.7 24 नवंबर, 2004 को सर क्रीक के नजदीक जखाऊ में तटरक्षक स्टेशन सक्रिय किया गया। क्षेत्र के उथले समुद्र तथा संकरे समुद्र (क्रीक) में संक्रियाओं के लिए दो होवरक्राफ्टों को जखाऊ में तैनात कर दिया गया है।

खोज एवं बचाव (एस ए आर) प्रयास

6.8 **समुद्र में संकटग्रस्त परिस्थितियों में द्रुतगामी प्रतिक्रिया अपेक्षित है:** वर्ष के दौरान तटरक्षक पोतों तथा वायुयानों ने विभिन्न खोज एवं बचाव अभियान चलाए तथा वे 125 व्यक्तियों, 4 पोतों तथा 12 नौकाओं को बचाने में सफल रहे । मुख्य खोज तथा बचाव अभियानों को निम्नवत दर्शाया गया है।

खोज एवं बचाव आपरेशनों के दौरान संदिग्ध जलयानों की जांच

6.9 **श्रीलंकाई मछुवारे :** 30 जून, 2004 को समुद्री बचाव समन्वय केन्द्र (एम आर सी सी) चेन्नई को व्यापारिक पोत (एम वी) एस बी एस निम्बस, जोकि आंध्र प्रदेश के तट के पास कावेरी बेसिन में नौचालन कर रहा था, से एक संदेश प्राप्त हुआ। एक मछुवाही नौका एफ वी आयोसा बेबी अपने पांच श्रीलंकाई कर्मियों के साथ काकीनाडा के 115 समुद्री मील दक्षिण-

पश्चिम में असहाय बह रही थी। कर्मी निर्जलीकरण की स्थिति में थे, चूंकि मछुवाही नौका के मुख्य प्रणोदन मशीन में खराबी आ जाने के कारण वह 20 दिनों से इधर-उधर बह रही थी तथा उसमें खान-पान का सामान नहीं था। समुद्री बचाव समन्वय केन्द्र, चेन्नई ने खोज एवं बचाव के लिए समन्वय कार्य हाथ में लिया तथा थके-मांदे कर्मियों को आहार तथा पीने का पानी उपलब्ध करवाने के लिए पोत को निर्देशित किया। व्यापारिक पोत, एस बी एस निम्बस को मछुवाही नौका को खींच कर काकीनाडा बंदरगाह पर लाया गया। नौका के बंदरगाह पहुंचने पर उसके सभी पांच कर्मियों को प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध करवाई गई। तटरक्षक के सामुद्रिक बचाव उप केन्द्र (एम आर एस सी) विजाग अभियान को समन्वित किया।

6.10 **मालदीवी तटरक्षक को सहायता:** 10 जुलाई 2004 को समुद्री बचाव समन्वय केन्द्र, मुम्बई को मालदीवी तटरक्षक से एक मछुवाही नौका के चार कर्मियों सहित लापता होने का एक संकट संदेश प्राप्त हुआ। मछुवाही नौका 'मुश थारी' मालदीवी द्वीप समूह के नैफारू द्वीप से काशिधू द्वीप की ओर जा रही थी तथा उसे अंतिम बार 09 जुलाई, 2004 को देखा गया। तटरक्षक ने इनमारसेट पर एक सुरक्षा नेट संदेश प्रसारित किया। तटरक्षक के संगठित प्रयासों के परिणामस्वरूप 12 जुलाई, 2004 को नौका को व्यावसायिक पोत एम वी बोन्थी द्वारा त्रिवेन्द्रम से लगभाग 270 समुद्री मील दक्षिण-पश्चिम में देखा गया।

6.11 **श्रीलंकाई खोज एवं बचाव क्षेत्र (एस आर आर) में खोज एवं बचाव:** 23 जुलाई, 2004 को समुद्री बचाव समन्वय केन्द्र चेन्नई को व्यापारिक पोत सेतिया जया में आग लगने के परिणामस्वरूप उसके कर्मी सदस्यों द्वारा पोत को छोड़ दिए जाने की सूचना प्राप्त हुई। टैंकर माले से सिंगापुर की ओर जा रहा था। श्रीलंकाई प्राधिकारियों द्वारा असमर्थता व्यक्त करने पर पोत के मालिक ने समुद्री बचाव समन्वयन केंद्र, चेन्नै को खोज एवं बचाव अभियानों को समन्वयन करने की ज़िम्मेदारी लेने के लिए अनुरोध किया। तद्नुसार, आधार क्षेत्र से 300 समुद्री मील के अंतर्गत निकटवर्ती पोतों का ध्यान आकर्षित करने के लिए इनमारसेट पर एक सुरक्षा नेट संदेश सक्रिय किया गया। तदुपरांत, 24 जुलाई, 2004 को व्यापारिक पोत ब्रिटिश प्राइड के मास्टर ने एम आर सी सी, चेन्नई से संपर्क कर यह सूचित किया कि नौ कर्मी सदस्यों को बचा लिया गया तथा अन्य छह शवों को बरामद कर लिया गया। व्यापारिक पोत ब्रिटिश प्राइड ओमान से लॉग बीच, अमेरिका की ओर जा रहा था और उसे तटरक्षक द्वारा सक्रिय सुरक्षा नेट संदेश ने सतर्क कर दिया था।

6.12 **अगाती द्वीप के पास खोज एवं बचाव:** 15 सितंबर, 2004 को अगाती बंदरगाह अधिकारी से समुद्री बचाव उप केन्द्र, कोच्चि को एक संदेश प्राप्त हुआ जिसने एक भारतीय गोताखोर अनुदेशक के साथ दो पर्यटकों (ब्रिटिश नागरिक) के लापता होने की जानकारी दी। स्थानीय प्रशासन ने क्षेत्र में उपलब्ध मछुवाही नौकाओं का प्रयोग करते हुए एक खोज अभियान आरंभ किया दोनों ब्रिटिश नागरिकों को समुद्र में तैरते हुए पाया गया तथा उनको सफलतापूर्वक बचाव कर लिया गया। हालांकि लापता गोताखोर अनुदेशक का पता नहीं लग सका।

6.13 **एम वी प्रभु पार्वतीः** 17 अक्तूबर, 2004 को व्यावसायिक पोत प्रभु पार्वती मे मास्टर से तटरक्षक समुद्री बचाव समन्वयन केन्द्र मुंबई को, एक संकट संदेश प्राप्त हुआ जिसमें एक इंजन कक्ष कैडेट के पोत से गिरने की जानकारी दी गयी। तदनुसार, तुरंत ही एक खोज एवं बचाव अभियान शुरू किया गया जिसमें 17 तथा 18 अक्तूबर, 2004 को दमन से दो डोरनियर वायुयानों को उड़ानों के लिए तैनात किया गया। जिन्होंने तटरक्षक की सतही यूनिटों के समन्वयन के साथ अत्यधिक संभावित क्षेत्र में खोज शुरू की। खोज अभियान में आवर्धन के लिए पोरबंदर से दो अंतरारोधी पोत भी शामिल हुए। बीच में समुद्री बचाव उपकेन्द्र पोरबंदर को लापता व्यक्ति के मछुवाही नौका ईश्वर वी आर एल-10812 के द्वारा बचाव करने की सूचना मिली तथा उक्त व्यचक्ति को 22 अक्तूबर, 2004 को बिरावल बंदरगाह पर लाया गया।

9.14 **श्रीलांकाई पोत चतुर पुता :** 03 नवंबर, 2004 को समुद्री बचाव समन्वय, केन्द्र मुबंई को श्रीलंकाई पोत, चतुर पुता के उलट जाने का एक संकट संदेश प्राप्त हुआ। पोत पर पांच व्यक्ति मौजूद थे। समुद्री बचाव समन्वय केन्द्र मुबंई ने तुरंत खोज एवं बचाव के लिए समन्वय शुरू किया। 03 नवंबर, 2004 को समुद्री बचाव समन्वय केन्द्र मुंबई ने एक अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा नेट (आई एस एन) संदेश सक्रिय किया, जिसमें उक्त पोत के निकट से मार्गस्थ व्यापारिक पोतों को सहायता देने का अनुरोध किया गया। 04 नवंबर, 2004 को अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा नेट (आई एस एन) संदेश मिलने पर व्यापारिक पोत एम टी अलकॉमर द्वारा पांच में से चार कर्मियों का बचाव करके उन्हें गाले, श्रीलंका पहुंचाया गया।

6.15 **व्यापारिक पोत फ्रेश मार्केट की सहायताः** 06 नवंबर, 2004 को समुद्री बचाव समन्वय केन्द्र मुंबई को एम वी फ्रेश मार्केट से एक संकट चेतावनी संदेश प्राप्त हुआ। पोत पर 10 कर्मी सवार थे। समुद्री बचाव समन्वय केन्द्र मुबंई ने आपरेशन का समन्वय किया और निकटवर्ती व्यापारिक पोत एम वी कोडायजिशन एच पी एल ने संकटग्रस्त पोत के कर्मियों को बचा लिया। उसके बाद पोत को कोची की ओर भेजा गया, जहां कर्मियों को तटरक्षक पोत में चढ़ाने क`लिए उतारा गया था और सुरक्षित बंदरगाह लाया गया।

चिकित्सा निकासी

6.16 **एम वी तेन बैंकः** 13 जुलाई, 2004 को समुद्री बचाव समन्वय केन्द्र मुंबई को एम वी तेन बैंक पर घायल कर्मी की निकासी के लिए समुद्री बचाव समन्वय केन्द्र, फालमाअथ, यू० के० से सूचना मिली। समुद्री बचाव समन्वय केन्द्र मुबंई ने तुरंत ही समन्वय कार्य संभाल लिया। पोत को कोची की ओर जाने का निर्देश दिया गया ताकि तटरक्षक हेलिकाप्टर का प्रयोग करके चिकित्सा निकासी की जा सके। पोत के मास्टर के साथ लगातार संपर्क बनाए रखा गया तथा दूरभाष पर चिकित्सा सलाह उपलब्ध कराई गई। 14 जुलाई, 2004 को रोगी की सुरक्षित निकासी की गई तथा उपचार के लिए उसे सिविल अस्पताल कोच्चि में दाखिल करा दिया गया।

6.17 **एम वी ईरान देयन्तः** 5 जुलाई, 2004 को समुद्री बचाव समन्वय केन्द्र, मुंबई को एम वी इरान देययन्त पर किसी रोगी के पेट में तीव्र दर्द के बारे में सूचना मिली। यह पोत मुंबई से लगभग 15 समुद्री मील दक्षिण- पश्चिम में था।

संकट के तात्कालिक स्वरूप को देखते हुए मुंबई से तुरंत ही एक हेलिकाप्टर भेजा गया तथा रोगी की निकासी करके उसे मेसीना अस्पताल, मुंबई में दाखिल करा दिया गया।

6.18 **एम वी अनातोली कोलेसनी चेन्कोः** 18 अगस्त, 2004 को समुद्री बचाव समन्वय केन्द्र, मुंबई को एम वी अनातोली कोलसनी चेन्को से संदेश मिला कि रूसी पोत अपने एक कर्मी जो कि दुर्घटना में अपने बाएं हाथ पर गंभीर चोट खाए बैठा है, उसकी चिकित्सा निकासी का अनुरोध कर रहा है। समुद्री बचाव उप केन्द्र, न्यू मंगलौर ने समन्वय कार्य आरंभ किया तथा सी - 131 को चिकित्सा निकासी के लिए भेजा गया। पोत ने 19 अगस्त, 2004 को भीतरी बंदरगाह में प्रवेश किया तथा रोगी को निकाल लिया गया तथा तटरक्षक के रोगी वाहन में ऐ जे अस्पताल, मंगलौर ले जाया गया।

6.19 **एम टी जर्मन सन :** जर्मन तेल टैंकर एम टी जर्मन सन से एक कर्मी को चिकित्सा के लिए ले जाने की सूचना प्राप्त हुई जो कि पोत पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। तटरक्षक अंतर्रोधी नौका को न्यूमंगलौर से 3 सितंबर, 2004 को भेजा गया। तथा कर्मी को हटाए जाने के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया।

पांचवा भारत-जापान तटरक्षक संयुक्त अभ्यास

6.20 1 से 6 नवंबर, 2004 तक मुंबई में/के पास पांचवां भारत-जापान संयुक्त अभ्यास आयोजित किया गया था। जापानी तटरक्षक पोत मिजूहो ने दो एकीकृत हेलिकाप्टरों के साथ अभ्यास में भाग लिया। अभ्यास का उद्देश्य भारतीय तटरक्षक तथा जापनी तटरक्षक के बीच सहयोग और समन्वय बढ़ाना था ताकि समुद्र में खोज एवं बचाव आपरेशनों तथा समुद्री डकैती का सामना करने के लिए आपसी क्षमताएं बढ़ाई जा सकें तथा संयुक्त कार्य-पद्धति का अभ्यास हो सके।

विदेशों में तैनाती

6.21 दो तटरक्षक पोत यथा एकीकृत हेलिकाप्टर सहित तटरक्षक पोत सारंग तथा तटरक्षक पोत दुर्गाबाई देशमुख और एक तटरक्षक डोरनियर वायुयान को श्रीलंकाई नौसेना के साथ 14-18 दिसंबर, 2004 के दौरान आयोजित संयुक्त अभ्यास में भाग लेने के लिए कोलंबो, श्रीलंका में तैनात किया गया था।

जनशक्ति भर्ती और प्रशिक्षण

6.22 वित्तीय वर्ष 2004-05 के दौरान तटरक्षक ने 16 अफसरों तथा 79 नामांकित कार्मिकों को भर्ती किया है। तटरक्षक अफसरों को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सैन्य शिक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत कोर्सों के लिए भी तैनात किया गया। इस कार्यक्रम के तहत आतंकवाद रोधी निधिकरण कार्यक्रम के अधीन एक रिक्ति के अलावा निम्नलिखित कोर्सों में रिक्तियों का उपयोग किया गया है:-

(क) नौसेना स्टाफ कोर्स

(ख) बोर्डिंग अफसर कोर्स

(ग) पोर्ट आपरेशन कोर्स

(घ) भावी कमान अफसर कोर्स

(ड.) समुद्री खोज नियोजन

(च) सीपोर्ट सुरक्षा तथा आतंकवाद-रोधी

(छ) अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अफसर कोर्स

6.23 तटरक्षक अपने अफसरों को रक्षा सेवा स्टाफ कालेज (डी एस एस सी) वेलिंगटन, रक्षा प्रबंधन कालेज (सी डी एम) सिकन्दराबाद तथा नौसेना उच्च कमान कोर्स, मुंबई में भी तैनात करता है। इस वर्ष दो नये कोर्स यथा हैदराबाद में एस डी एम सी तथा एन डी सी (राष्ट्रीय रक्षा कालेज) भी तटरक्षक को आबंटित किए गए हैं। सरकार ने वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस धारकों के लिए अल्पकालीन सेवा योजना शुरू करने का अनुमोदन कर दिया है ताकि पायलट काडर में कमी को पूरा किया जा सके। इन कोर्सों के अलावा इस वर्ष से पुनर्वास महानिदेशालय द्वारा प्रायोजित संस्थानों से भी नामांकित कार्मिकों के लिए सेवामुक्ति पूर्व कोर्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

7

रक्षा उत्पादन

'एरो इंडिया 2005' में आगंतुक

रक्षा उत्पादन

7.1 रक्षा उत्पादन विभाग (डी डी पी) कई वर्षों में मजबूत ढांचा बन कर उभरा है। इसमें 39 आयुध निर्माणियां और 8 सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम शामिल हैं। यह यथासंभव भारतीय सिविल/निजी क्षेत्र से भी सामान लेते हैं और देश के रक्षा उत्पादन के मुख्य घटक का काम करते हैं। प्रशासनिक एवं प्रकार्यात्मक कारणों से गुणता आश्वासन महानिदेशालय और वैमानिकी गुणता आश्वासन महानिदेशालय और मानकीकरण निदेशालय को भी रक्षा उत्पादन विभाग के अधीन रखा गया है। इस मजबूत ढांचे की सरकारी नियंत्रण में उत्पत्ति स्वतंत्र भारत में रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए की गई थी।

7.2 रक्षा उत्पादन विभाग, इसे दिए गए कार्य की प्रकृति के अनुरूप प्रयोक्ता सेनाओं अर्थात् एक तरफ सशस्त्र सेनाओं और दूसरी ओर रक्षा अनुसंधान विकास स्थापनाओं (डी आर डी ई) के बीच कड़ी का काम करता है। तदनुसार, निम्नलिखित के लिए पूर्ण कार्रवाई करते हुए डी डी पी की इस भूमिका से प्रयोक्ताओं और डी आर डी ई के दृष्टिकोण को जोड़ने की जरूरत होगी:-

(क) विद्यमान क्षमताओं का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए और साथ ही नए उत्पादों को कम से कम समय में विकसित करने एवं उन्हें रक्षा सेनाओं में शामिल करने के लिए ढांचे और टेक्नोलोजी को आपस में बांटने के लिए रक्षा उत्पादन यूनिटों, डी आर डी ई, सेनाओं और निजी उद्योग में सहक्रिया।

(ख) उत्पादकता में सुधार लाने और विविध उत्पाद प्रोफाइल के लिए बहुमुखी प्रतिभा विकसित करने के उद्देश्य से विद्यमान ढांचे का आधुनिकीकरण, आई टी आधारित प्रबंधन साधनों के इस्तेमाल में वृद्धि।

(ग) गुणता आश्वासन की भूमिका को पुन: परिभाषित करना, उत्पादन एजेंसियों द्वारा स्वत:-प्रमाणन प्राप्त करना और टेस्ट प्रयोगशालाओं और प्रूफ रेंजों को मजबूत बनाना।

(घ) **मानकीकरण:-** संयुक्त सेवा विनिर्देशनों को प्राप्त करना, व्यावसायिक दृष्टि से उपलब्ध आफ-द-शेल्फ उत्पादों का इस्तेमाल बढ़ाना।

(ङ) रक्षा उत्पादन में निजी उद्यमों की भूमिका में वृद्धि।

(च) **उत्पादों और सेवाओं के निर्यात को बढ़ाने की कोशिश:-** रक्षा आयात में बाई-बैक्स पर जोर, संयुक्त डिजाइन और विकास को आगे बढ़ाना, सह-उत्पादन, विश्व स्तर के उत्पादों का उत्पादन करने के लिए संयुक्त कार्रवाई एवं संयुक्त मार्केटिंग।

(छ) आयुध निर्माणियों और रक्षा पी एस यू का पुनर्गठन ताकि भावी जरूरतों को तेजी से पूरा करने के लिए सक्षम हो सकें।

7.3 इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए रक्षा उत्पादन विभाग निम्नलिखित का पर्यवेक्षण करता है:-

(i) आयुध निर्माणी बोर्ड के अधीन 39 आयुध निर्माणियां:- एक और आयुध निर्माणी नालंदा (बिहार) में स्थापित की जा रही है।

(ii) सार्वजनिक क्षेत्र के 8 रक्षा उपक्रम:

- ❑ हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड
- ❑ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
- ❑ भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड
- ❑ माझगांव डाक लिमिटेड
- ❑ गोवा शिपयार्ड लिमिटेड
- ❑ गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड
- ❑ भारत डायनामिक्स लिमिटेड
- ❑ मिश्र धातु निगम लिमिटेड

(iii) गुणता आश्वासन (नौसेना आयुध को छोड़कर):

- ❑ गुणता आश्वासन महानिदेशालय
- ❑ वैमानिकी गुणता आश्वासन महानिदेशालय

(iv) मानकीकरण निदेशालय

(v) योजना तथा समन्वय निदेशालय

(vi) रक्षा प्रदर्शनी संगठन

(vii) स्वदेशीकरण

(viii) रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्र की सहभागिता

(ix) रक्षा उत्पादन बोर्ड

आयुध निर्माणियां

7.4 रक्षा हार्डवेयर और उपस्करों का देश में उत्पादन करने के लिए आयुध निर्माणियां एक सुबद्ध आधार हैं। रक्षा उत्पादन उच्च विशिष्टीकृत, जटिल है और बेजोड़ चुनौतियों से भरा है। उत्पादों को सुरक्षित, विश्वसनीय, संगत और विभिन्न क्षेत्रों, मौसमों और अत्यधिक कठोर परिस्थितियों में काम करने में सक्षम होना चाहिए। तदनुसार, ऐसी तकनीक अपनाई जाए, जो इंजीनियरिंग, धात्विकी, रासायनिक, वस्त्र, चमड़े एवं आप्टिकल तकनीकों के बड़े क्षेत्र को कवर कर सके, गुणता एवं उत्पादकता की उत्कृष्टता सुनिश्चित होनी चाहिए, मुख्य

उद्देश्य आत्मनिर्भरता होना चाहिए। आयुध निर्माणियां भी अर्ध-सैनिक एवं पुलिस बलों की शस्त्रों, गोला-बारूद, वस्त्र एवं उपस्करों की जरूरतों की पूरा करती हैं। आयुध निर्माणियां रक्षा बलों से अधिक कार्यभार प्राप्त करके और गैर रक्षा ग्राहकों तथा निर्यात के लिए अपने उत्पादों के विविधीकरण के निरंतर प्रयासों के माध्यम से अपनी क्षमता का इष्टतम उपयोग बढ़ाने का प्रयत्न करती हैं।

7.5 वर्तमान में, भारतीय आयुध निर्माणी संगठन अपने 200 वर्ष पूरे कर चुका है। पहली आयुध निर्माणी सन् 1801 में कोलकाता के पास काशीपुर में स्थापित की गई थी तथा इस समय 40 वीं आयुध निर्माणी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ नालंदा, बिहार में स्थापित की जा रही है। ये आयुध निर्माणियां भौगोलिक दृष्टि से देशभर में 25 विभिन्न स्थानों में अवस्थित हैं। स्वतंत्रता पूर्व की निर्माणियों में न केवल तैयार मदों के उत्पादन की क्षमता थी अपितु उनमें मूल तथा मध्यवर्ती सामग्री की आपूर्ति करने की क्षमता भी थी जिनके लिए उस समय सिविल क्षेत्र में स्वदेशी औद्योगिक आधारभूत ढांचा पर्याप्त नहीं था। सार्वजनिक एवं निजी दोनों ही क्षेत्रों में सिविल औद्योगिक आधारभूत ढांचे के क्रमिक विकास के साथ स्वतंत्रता के बाद स्थापित निर्माणियों में पश्चवर्ती एकीकरण की संकल्पना को छोड़ दिया गया था। निजी क्षेत्र से मध्यवर्ती सब-असेंबली को प्राप्त करके मूल मध्यवर्ती सामान के उत्पादन के बजाय निर्मित सामान के उत्पादन पर अधिक जोर दिया गया।

7.6 **संगठनः-** आयुध निर्माणियों को मुख्य उत्पाद/ प्रयुक्त प्रौद्योगिकियों के आधार पर 5 डिवीजनों में विभाजित किया गया है:-

(क) गोलाबारूद और विस्फोटक

(ख) शस्त्र, वाहन एवं उपस्कर

(ग) सामग्री एवं संघटक

(घ) कवचित वाहन

(ङ) निर्माणियों का आयुध उपस्कर समूह

7.7 आयुध निर्माणी बोर्ड में महानिदेशक, आयुध निर्माणी एवं अध्यक्ष तथा नौ अन्य सदस्य शामिल हैं। अपर महानिदेशक, आयुध निर्माणी रैंक के बोर्ड के पांच सदस्य उपर्युक्त निर्माणी समूहों के प्रमुख होते हैं। आयुध निर्माणी बोर्ड के शेष चार सदस्य स्टाफ कार्यों जैसे कार्मिक, वित्त, आयोजना एवं सामग्री प्रबंधन, परियोजना एवं इंजीनियरी तथा तकनीकी सेवाओं के लिए उत्तरदायी हैं। सरकार ने सेना, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन तथा रक्षा मंत्रालय को प्रतिनिधित्व प्रदान करते हुए एक विस्तृत आयुध निर्माणी बोर्ड का गठन किया है। प्रौद्योगिकी संसाधनों की आयोजना के लिए समुचित सूचनाएं एवं दृष्टिकोण प्रस्तुत करने, उत्पादों की प्रौद्योगिकी एवं प्रक्रियाओं के उन्नयन तथा आयुध निर्माणी बोर्ड के कुशलतापूर्ण कार्य संचालन के लिए आवश्यक विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार के लिए समय-समय पर विस्तृत बोर्ड बैठकें आयोजित की जाती हैं।

7.8 **उत्पाद ब्यौरा तथा प्रौद्योगिकी:-** आयुध निर्माणियां रक्षा बलों की उभरती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने उत्पादों तथा विनिर्माण प्रौद्योगिकियों का निरंतर उन्नयन करती रहती हैं। वे सेना के इंफेंट्री, आर्टिलरी, वायु रक्षा आर्टिलरी और सेना की कवचित कोरों के लिए अनेक प्रकार के शस्त्रों और गोलाबारूदों का उत्पादन करती हैं। वे अब नौसेना, आयुध के स्वदेशी विकास का कार्य कर ही हैं। निर्माणियों में सैन्य परिवहन वाहनों, इंफेंट्री युद्धक वाहनों, कवचित वाहनों, आप्टिकल तथा ऑटो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, गर्मियों तथा सर्दियों के लिए वर्दियों, पैराशूटों, चमड़े के विविध सामान तथा सामान्य मदों का उत्पादन किया जाता है।

7.9 **वृद्धि:-** पिछले कई वर्षों में आयुध निर्माणियों की बिक्री में लगातार वृद्धि हुई है। वर्ष 2004-05 के दौरान 6150.29 करोड़ रुपए की रिकार्ड बिक्री की गई जो पिछले 6 वर्षों की अवधि में 100 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। (1997-98 में 3071 करोड़ रुपए)। वर्ष 2005-06 में आयुध निर्माणियों की बिक्री बढ़कर 7200 करोड़ रुपए होने की संभावना है। आयुध निर्माणियों ने प्रौद्योगिकी को लगातार अद्यतन करके/ उसका उन्नयन करके शस्त्रों, गोलाबारूदों तथा अन्य उपस्करों के विकास में अपनी गति बनाए रखने का प्रयास किया है।

7.10 आयुध निर्माणियां रक्षा बलों से अधिक कार्यभार प्राप्त करके और गैर-रक्षा ग्राहकों तथा निर्यात के लिए अपने उत्पादों के विविधीकरण के निरंतर प्रयासों के माध्यम से अपनी क्षमता का इष्टतम उपयोग करने का प्रयत्न करती हैं। इसी तरह उत्पाद और प्रक्रिया विकास का लक्ष्य बनाकर घेरलू अनुसंधान एवं विकास क्षमता को सुदृढ़ बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है।

5.56 मि. मी. इनसास एक्सकैलीबर राइफल

7.11 आयुध निर्माणियों ने निर्यात सहित, गैर-रक्षा ग्राहकों को अपनी बिक्री में धीरे-धीरे वृद्धि की है। वर्ष 2004-05 के दौरान आयुध निर्माणियों की कुल बिक्री की 15.5 प्रतिशत बिक्री (953.65 करोड़ रुपए) गैर-रक्षा ग्राहकों को की गई। वर्ष 2005-06 में गैर-रक्षा ग्राहकों को बिक्री काफी अधिक 1325 करोड़ रुपए तक होने की संभावना है।

7.12 **विशिष्टताएं:** पिछले कुछ वर्षों के दौरान आयुध निर्माणियों की कुछ प्रमुख उपलब्धियां इस प्रकार हैं:-

(i) सभी 39 आयुध निर्माणियों ने आई एस ओ -9001:2000 के अनुसार गुणता प्रबंधन प्रणालियां अपना ली हैं। उन्नयित रूपांतर में ग्राहक संतुष्टि एवं निरंतर गुणता सुधार पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

(ii) आयुध निर्माणी, भंडारा ने 'शिल्का' एयर डिफेंस गन 23 एम एम के लिए 470 किलोग्राम परीक्षण बारूदी बैच का पहली बार सफलतापूर्वक उत्पादन किया।

(iii) आयुध निर्माणी परियोजना, मेडक (ओ एफ पी एम) ने लॉक असेम्बली सहित, पिनाका राकेट्स के लिए आवश्यक एल्यूमीनियम पॉड असेम्बली का सफलतापूर्वक विकास किया है। आयुध निर्माण परियोजना, मेडक ने निर्यात के लिए और सेना के लिए अत्याुधनिक रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन (आर सी डल्ब्यू एस) सहित माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल्स (बारूदी सुरंगों से सुरक्षित वाहनों) का भी निर्माण किया है।

आर सी डब्ल्यू एस सहित बारूदी सुरंग से सुरक्षित वाहन

(iv) गन कैरिज फैक्ट्री, जबलपुर ने पहले प्रोटोटाइप ''कवच'' (कॉफ लांचर) का नौसेना के प्रयोग के लिए विकास किया और सफलतापूर्वक परीक्षण किया।

(v) लघु शस्त्र निर्माणी, कानपुर ने प्रोटोटाइप कारबाइन का निर्माण किया है।

(vi) जून, 2004 में पोखरन में आर्टिलरी गोलाबारूद की प्रदर्शन फायरिंग सफलतापूर्वक की गई। यह गोलाबारूद आई. एम. आई., इजराइल के साथ एम. ओ.यू. के तहत आयुध निर्माणी, चंद्रपुर (ओ.एफ.सी.एच.), आयुध निर्माणी, अंबाझरी (ओ एफ जे) और आयुध निर्माणी, कानपुर (ओ एफ सी) में निर्मित किया गया। सह-उत्पादन मार्ग के माध्यम से विकसित गोलाबारूद अपेक्षाकृत सस्ता होगा।

(vii) गुणता के मामले में नाइट्रोजलीसरीन (एन.जी) में स्थिरता के लिए आयुध निर्माणी, इटारसी ने महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। लगातार प्रयासों के परिणामस्वरूप 'हीट टेस्ट वैल्यू' जो पहले 10 से 12 मिनट के स्तर पर था, बढ़कर 15 मिनट (औसत) हो गया है।

(viii) आर्डनेंस केबल फैक्ट्री, चंडीगढ़ ने खानों के लिए 48/0.2 स्ट्रेंड ट्वीन ट्युस्टिड फायरिंग केबल विकसित की है जिसे गोलाबारूद फैक्ट्री, खड़की (ए. एफ. के.) द्वारा उत्पादित किया गया है।

(ix) आर्डनेंस पैराशूट फैक्टरी, कानपुर निकट भविष्य में 5000 लाइट बुलेट-प्रूफ जैकेटों की सप्लाई करती रहेगी।

(x) फील्ड गन फैक्टरी, कानपुर (एफ.जी. के.) ने सुपर रेपिड गन माउंट (एस आर जी एम) आर्डनेंस को सफलतापूर्वक विकसित किया है। गोलाबारूद परखने के लिए इसकी जरूरत होती है। इसे आयुध निर्माणी, कानपुर में विकसित किया गया है। एफ.जी.के. ने बैरल और ब्रीच मैकेनिज्म को सफलतापूर्वक विकसित कर लिया है। इसे पी.एक्स. ई., बालासोर में सफलतापूर्वक प्रूफ फायर किया गया। ओ. एफ. बी. इस आर्डनेंस को महत्वपूर्ण अनुकल्प के रूप में नौसेना और बी.एच.ई.एल. को सप्लाई करने की योजना बना रही है।

7.13 **आयुध निर्माणियों में स्व-प्रमाणनः-** आयुध निर्माणियों ने 01 अप्रैल, 2002 से स्व-प्रमाणन की प्रक्रिया शुरू की, जिसके फलस्वरूप रक्षा सेनाओं को जारी किए गए उत्पादों की गारंटी हो जाती है। फिलहाल, स्व-प्रमाणन सात तेजी से बदलते वस्त्र तथा सामान्य भंडार मदों तक लागू किया गया है जो आयुध उपस्कर समूह की निर्माणियों के कुल कारोबार का लगभग 20 प्रतिशत है। आगे, 12 वस्त्र मदों एवं 4 प्रकार के गोलाबारूद की पूर्ति को भी संशोधित निरीक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत लाया जाएगा जिसमें आयुध निर्माणी द्वारा आवश्यक सामग्री

एवं इंटर-स्टेज निरीक्षण का पालन किया जाना है। आने वाले समय में बहुत-सी मदों को स्व-प्रमाणन के अंतर्गत लाने की योजना है।

7.14 **आंतरिक अनुसंधान एवं विकास प्रक्रिया:-** आयुध निर्माणियों में उत्पाद एवं प्रक्रिया सुधार के संबंध में आंतरिक अनुसंधान एवं विकास प्रक्रिया पर काफी ध्यान दिया जा रहा है। रक्षा सामानों के डिजाइन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ठोस अभिकल्पन तथा संवेदनशील विश्लेषण की तकनीकें अपनाई गई हैं। आंतरिक अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में कुछ प्रमुख उपलब्धियां इस प्रकार हैं:-

- कवचित एम्बुलेंस
- माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल (एमपीवी)
- फील्ड हॉवित्जर के लिए रिकॉइल सिस्टम
- सीएमटी में अंतर्राष्ट्रीय स्तरीकरण प्रणाली का संघटन
- टैंकों के लिए ड्राइवर्स साइट

7.15 महत्वपूर्ण प्रयोक्ताओं के साथ विचार-विमर्श करके कई नए उत्पादों और अपग्रेडों का भी पता लगाया गया है। इन उत्पादों/ अपग्रेडों को विकसित करने के लिए अपेक्षित प्रौद्योगिकी की ऑफ-द-शैल्फ उपलब्धता का पता लगाया गया है, ताकि सह-विकास/ सह-उत्पादन के लिए एडवांस प्रौद्योगिकी संभरक के साथ तालमेल बैठाया जा सके।

7.16 डिजाइन और विकास क्षमताओं को बढ़ाने और उत्पाद डिजाइन एवं विकास के क्षेत्र में योग्यता में वृद्धि करने के लिए निर्माणियों में ड्राइंग/डिजाइन कार्यालयों को आधुनिक बनाने हेतु निर्माणियों में कम्पयुटरीकृत सीएडी/सीएएम केंद्र (डिजाइन केंद्र) स्थापित किए जा रहे हैं।

7.17 **सिविल ट्रेड तथा निर्यात के क्षेत्र में विविधीकरण:-** आयुध निर्माणियां, सिविल क्षेत्र के उद्योगों के वाणिज्यक उपयोग के लिए विभिन्न प्रकार के रसायनों का उत्पादन करती हैं। ये सिविल क्षेत्र के लिए विविध प्रकार के वस्त्र, चमड़े से बनी वस्तुएं तथा स्पोर्टिंग शस्त्र और गोलाबारूद का भी निर्माण करती हैं। वर्ष 2004-05 के दौरान सिविल ट्रेड में बिक्री का लक्ष्य 268 करोड़ रुपए था। ओ. एफ.बी. ने. 32" रिवॉल्वर एवं पिस्तौल की बिक्री के लिए 6 निर्माणियों में आउटलेट्स खोले हैं। एक नए स्पोर्ट्स हथियार .3006" राइफल का भी विकास किया गया है जो गृह मंत्रालय की क्लियरेंस मिलने के बाद बाजार में उपलब्ध हो जाएगा।

7.18 आयुध निर्माणियां देश-विदेश में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लेकर, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में विज्ञापन के द्वारा उत्पादकों को बढ़ावा देकर, लक्षित देशों के दौरा करने वाले शिष्टमंडलों के साथ वार्तालाप करके भारत तथा भारत से बाहर एजेंटों तथा क्रेता प्रतिनिधियों के जरिए निर्यात बढ़ाने के लिए सशक्त विपणन का प्रयास कर रही हैं। क्रेताओं को वांछित सूचना तत्काल सुलभ कराने के लिए उत्पाद सूची कम्पैक्ट डिस्क का विकास किया गया है।

जवाबी समय को कम करके कुछ ही घंटे में करने के लिए ऑन-लाईन इंटरनेट साइट की स्थापना की गई है।

7.19 **सुरक्षा:-** आयुध निर्माणियों में कड़े सुरक्षा मानक स्थापित करने, सुरक्षा संबंधी जागरूकता लाने तथा सतर्कता बरते जाने के लिए वर्ष 1996 के दौरान सुरक्षा नीति की पुनरीक्षा की गई थी। सुरक्षा मैनुअल तथा स्थायी अनुदेश सुरक्षा नीतियों में अनुपूरक भूमिका अदा करते हैं। आकस्मिक उपायों के तौर पर दुघर्टना नियंत्रण योजना भी बनाई गई है तथा केंद्रीय तथा शॉप स्तर पर सुरक्षा समितियों का गठन किया गया है। दुर्घटना संभावित तथा खतरनाक क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है। एक तीन-स्तरीय सुरक्षा संबंधी परीक्षा तथा मॉनीटरी प्रणाली से निर्धारित सुरक्षा मानकों का सख्त कार्यान्वयन सुनिश्चित होता है। सुरक्षा परीक्षा पहले स्तर में निर्माणी द्वारा मासिक आधार पर की जाती है। दूसरे स्तर में अन्य निर्माणियों के अधिकारी दल द्वारा छमाही आधार पर सुरक्षा जांच की जाती है। तीसरे स्तर में क्षेत्रीय सुरक्षा नियंत्रणालय द्वारा की जाती है। परीक्षा में बताए गए अंतर में किए गए सुधार को संबंधित क्षेत्रीय नियंत्रणालय तथा कारपोरेट स्तर पर सुरक्षा नियंत्रक/ आयुध निर्माणी बोर्ड द्वारा गहन मॉनीटरी की जाती है।

7.20 **ऊर्जा की बचत:-** आयुध निर्माणियों में ऊर्जा बचत के प्रयास निरंतर किए जाते हैं। ऊर्जा की बचत के प्रयासों में कार्यकलापों के सभी क्षेत्र शामिल होते हैं। बेहतर दक्षता, उच्चतर क्षमता उपयोग तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन के द्वारा ऊर्जा की खपत में किफायत बरती जा रही है। आयुध निर्माणियों द्वारा ऊर्जा की बचत के लिए अपनाए गए उपायों से, वर्ष 2003-04 में कुल ऊर्जा खपत, उत्पादन लागत की प्रतिशतता के रूप में, 2002-2003 के 4.22% प्रतिशत की तुलना में घटकर 3.99% हो गई।

7.21 **गुणवत्ता प्रबंधन:-** सभी आयुध निर्माणियों में पूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन सिद्धांतों को लागू करने पर बहुत जोर दिया जा रहा है। सभी 39 आयुध निर्माणियों ने गुणता प्रबंधन प्रणाली के अनुसार आई.एस.ओ. 9001-2000 अपना लिया है। 29 आर्डनेंस निर्माणियों में 52 प्रयोगशालाएं एन.ए.बी.एल. को प्रत्यावर्तित हैं और आई. एस. ओ./आई.ई. सी 17025 के नए मानकों के अनुरूप हैं। आयुध निर्माणियों के उत्पादों की गुणवत्ता की मॉनीटरिंग विविध तंत्रों के जरिए की जाती है जिनमें पूर्व-निर्धारित प्रक्रिया कार्यक्रमों और गुणवत्ता योजनाओं के लिए कार्य करना, सांख्यिकीय प्रक्रिया नियंत्रण उत्पादों में सुधार करने तथा प्रक्रियाओं के संबंध में अस्वीकृति को कम से कम करने की दिशा में प्रक्रियाओं/उत्पादों के नियंत्रण हेतु सांख्यिकीय गुणता नियंत्रण तकनीकें, आयुध निर्माणी प्रयोगशालाओं में परीक्षण, आंतरिक गुणवत्ता लेखा परीक्षा और गुणवत्ता आश्वासन स्थापनाओं के साथ मासिक वार्ता-बैठकें शामिल हैं। कमियों का विश्लेषण करने तथा विनिर्माण प्रक्रिया में इन्हें स्वत: दूर करने हेतु सुधारात्मक उपाय करने के लिए आयुध निर्माणी बोर्ड द्वारा चलाए गए गुणवत्ता संवर्द्धन अभियान को निचले स्तर तक चलाया गया है।

7.22 **ग्राहक संतोष:-** आयुध निर्माणियों के दल, ग्राहकों की प्रतिपुष्टि जानने के लिए ग्राहकों की शिकायतों को दूर करने, प्रक्रियाओं के समक्ष आने वाली समस्याओं को समझने और उत्पादों से जुड़ी हुई उनकी उम्मीदों से अवगत होने के लिए नियमित रूप से डिपुओं और अग्रवर्ती क्षेत्र का दौरा करते हैं। आयुध निर्माणी बोर्ड और गुणता आश्वासन महानिदेशालय के अधिकारियों का संयुक्त दल भी मदों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए प्रयोक्ता की मर्जी जानने हेतु अग्रवर्ती क्षेत्रों का दौरा करते हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम

हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एच.ए.एल.)

7.23 अक्तूबर, 1964 में हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड तथा एयरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड को मिलाकर हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड बनाया गया था। इस कंपनी की छः राज्यों में 16 डिवीजनें हैं। एच.ए.एल. के सभी प्रभागों को आई.एस.ओ. 9001-2000 और 12 प्रभागों को आई.एस.ओ. 14001-1996 पर्यावरण प्रबंध प्रणाली प्रमाण-पत्र मिला हुआ है। एच.ए.एल. एक एम.ओ.यू. साइन करने वाली कंपनी है और इसे छोटा रत्न (श्रेणी-1) कंपनी घोषित किया गया है।

7.24 इसके स्थापित होने से अब तक हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड एक विशाल बहु-आयामी एयरोनॉटिक्स कॉम्पलेक्स बन चुका है। इसने लड़ाकू विमानों, प्रशिक्षक विमानों, हेलिकॉप्टरों, मालवाहक विमानों, इंजनों, वैमानिकी और प्रणाली उपस्करों के डिजाइन, विनिर्माण तथा ओवरहॉल में व्यापक दक्षता हासिल कर ली है। इसकी उत्पादन श्रृंखला में आंतरिक विकास एवं अनुसंधान वाले 10 प्रकार के विमान तथा उन्नत हल्का हेलिकॉप्टर, ध्रुव एवं 13 किस्म के लाइसेंस उत्पादन, जिसमें 8 किस्म के एयरो-इंजन और 1000 से भी अधिक विमान प्रणाली उपस्करों (वैमानिकी, यांत्रिक और विद्युत) की मदें शामिल हैं।

7.25 हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड की मुख्य आपूर्तियां/सेवाएं भारतीय वायुसेना, नौसेना और तटरक्षक बल तथा सीमा बल के लिए होती हैं। अतिरिक्त उत्पादन के अनुरूप परिवहन जहाज तथा हेलिकॉप्टरों की आपूर्ति वाणिज्यिक एयरलाइन्स तथा राज्य सरकारों को की जाती है। कंपनी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अंतरिक्ष वाहन कार्यक्रम में भी सहयोग देती है तथा मिसाइल विकास तथा निर्माण कार्यक्रम में भी भाग ले रही है।

7.26 इक्कीसवीं सदी की चुनौतियां का मुकाबला करने के लिए, एच.ए.एल. का मिशन 'एयरो-स्पेश उद्योग में अंतर्राष्ट्रीय भूमिका निभाने के लिए' है। इस कंपनी का लक्ष्य देश में विकसित एडवांस्ड लाइट हेलिकॉप्टर (ए.एल.एच.) के निर्यात, सेना और सिविल विमानों, एरो-स्ट्रक्चर और इंजन उपकरणों के ओवरहॉल एवं रख-रखाव एवं आई.टी आधारित सेवाओं के माध्यम से ग्राहक आधार को बढ़ाना है। साथ ही यह बड़ी एयरो-स्पेश कंपनियों के साथ व्यवसाय सहयोग और सामरिक गठबंधन बनाने की योजना बना रही है।

7.27 वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण उपलब्धियां को नीचे बताया गया है:-

(i) वर्ष 2004-05 के दौरान कंपनी ने कुल 4425 करोड़ रुपए का सर्वाधिक उत्पादन और 630 करोड़ रुपए का कर पूर्व लाभ अर्जित किया।

(ii) एच.ए.एल. द्वारा भारतीय वायुसेना के लिए पहली बार दो एस.यू.-30 एमकेआई का निर्माण किया गया।

(iii) टीएम-333-2 एम2 इंजन लगा अपग्रेडिड चीता हेलिकॉप्टर 25150 फुट की ऊंचाई पर स्थित सस्सेर कांगरी (लद्दाख) पर उतारा जो कि रिकार्ड था।

(iv) ए.एल.एच. (ध्रुव) ने 25000 फुट की ऊंचाई पर उड़ान भरकर मझोले भार-वर्ग के हेलिकॉप्टर का रिकार्ड सेट किया।

(v) सी-किंग ट्रांसमिशन असेंबली उपकरणों की मरम्मत/ ओवरहॉल के लिए बंगलूर में सुविधाओं को स्थापित किया गया।

(vi) एयरबस ए-320 फारवर्ड पैसेंजर डोर के 1000 सेट सप्लाई करने के लिए एयरबस इंडस्ट्रीज के साथ 80 मिलियन अमरीकी डॉलर का करार किया गया।

(vii) कंपनी को इंस्टीच्यूट ऑफ डायरेक्टर, नई दिल्ली से 'इन्नोवेशन 2004' के लिए स्वर्ण मयूर अवार्ड मिला। यह पुरस्कार चेतक हेलिकॉप्टरों की पुन: इंजनिंग के लिए मिला।

(viii) एच.ए.एल. ने 'वर्ड क्वालिटी कमिटमेंट इंटरनेशनल प्लेटिनम स्टार अवार्ड-पैरिस 2004' जीता। एच.ए.एल. को यह पुरस्कार गुणता नेतृत्व नवोत्पाद प्रौद्योगिकी के प्रति उसकी प्रतिबद्धता के लिए दिया गया।

7.28 वर्ष के दौरान कई देशीय विकास कार्यक्रम चलाए गए-जैसे, इंटरमीडिएट जेट ट्रेनिंग (आईजेटी), लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट (एलसीए) और कई अपग्रेड कार्यक्रम। सीरीज उत्पादन और लाइसेंस्ड उत्पादन कार्यक्रमों के तहत देशीय एडवांस्ड लाइट हेलिकॉप्टर, एस. यू-30 एमके-1 और हॉक एजेटी में भी समय-सारणी के अनुसार विकास हुआ।

भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड (बी ई एल)

7.29 अप्रैल, 2004 में अपनी स्वर्ण जयंती मनाने के बाद, भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड (बीईएल) देश में अग्रणी व्यावसायिक इलेक्ट्रानिक्स कंपनी है। रक्षा सेनाओं, अर्ध सैन्य बल संगठनों और दूरसंचार क्षेत्र में अन्य संरचना के इस्तेमाल के लिए नवीनतम अत्याधुनिक इलेक्ट्रानिक्स उपस्करों/संघटकों के डिजाइन, विकास तथा निर्माण में लगा होने पर, बी ई एल ने एविएशन वीकएंड स्पेस टेक्नालॉजी (ए डब्ल्यू एस टी), ए मेकग्रा-हिल पब्लिकेशन द्वारा 2004 के लिए कराई गई प्रतिष्ठित टॉप परफार्मिंग कंपनीज स्टडी में एरोस्पेस/रक्षा कंपनियों में टॉप रैंकिंग प्राप्त की।

7.30 इस कंपनी की 9 उत्पादन यूनिटें हैं और 31 निर्माण प्रभाग हैं जो 7 राज्यों में

फैले हुए हैं अत्याधुनिक निर्माण और जांच सुविधाओं का प्रयोग करते हुए व्यापार बढ़ाने के लिए कंपनी ने जो अपना फोकस अनुसंधान एवं विकास पर किया है, उसे मान्यता मिली है। कंपनी की सहायक कंपनी बी ई एल. ऑप्ट्रॉनिक्स डिवाइस, लिमिटेड (बी ई एल ओ पी) जो इमेज इंटेंसीफायर ट्यूब बनाती है, वह भी आगामी वर्षों में संभवत: अपने कार्य में सुधार कर लेगी।

7.31 इस वर्ष के दौरान बी ई एल द्वारा प्राप्त की गई महत्वपूर्ण उपलब्धियों का वर्णन नीचे किया गया है:-

(i) बी ई एल ने गनर्समेन साइट, एम बी टी अर्जुन के लिए फायर कंट्रोल कंप्यूटरों और सर्वरों जैसी उपप्रणालियों सहित एकीकृत फायर नियंत्रण प्रणालियों (आई एफ एस) का विकास किया है।

(ii) बी ई एल ने इस वर्ष के दौरान 275 अल्प दूरी के युद्धक्षेत्र सर्वेक्षण राडारों (बी एफ एस आर) की सप्लाई की है। बी ई एल को भारतीय सेना से बी एफ आर-एस आर की 1171 संख्या के आदेश भी प्राप्त हुए हैं। इस राडार के निर्यात होने की बहुत संभावना है।

(iii) इस कंपनी के समाज के प्रति योगदान को ग्रीनटैक फाउंडेशन ने ग्रीनटैक ऐन्वार्यन्मेंट ऐक्सैलैंस गोल्ड पुरस्कार देकर तथा इलेक्ट्रानिक एंड इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने ई एल सी आई एन ए पुरस्कार देकर मान्यता प्रदान की है।

(iv) गुणता आश्वासन महानिदेशालय ने बी ई एल के तीन उत्पादों को स्व-प्रमाणन का दर्जा दिया है जिनके नाम हैं-स्टार्स 'वी' 25 डब्ल्यू वी एच एफ उपस्कर (जो गाजियाबाद और पंचकूला यूनिटों पर बनाया जाता है), लिथियम सल्फर डाइऑक्साइड बैट्रीज (जो पुणे की यूनिट में बनाया जाता है) और आर आर एफ वी एच एफ रेडियो रिले उपस्कर (जो बंगलौर यूनिट में बनाया जाता है)।

(v) जनरल, इलेक्ट्रिक, यू एस ए अर्थात् जी ई-बी ई प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स मल्टीटोन पी एल सी, यू के यानि बी ई एल मल्टीटोन लिमिटेड के दो संयुक्त साहसिक कार्यों ने मार्केट में कंपनी की पकड़ बनाई है।

(vi) भारत इलेक्ट्रानिक लिमिटेड की कोटद्वार और पंचकूला यूनिटों को 'उत्कर्ष के लिए मजबूत प्रतिबद्धता हेतु प्रशस्ति' का उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया। कोटद्वार यूनिट यह पुरस्कार लगातार दूसरे वर्ष प्राप्त कर रही है।

(vii) बी ई एल ने भारत सरकार को वर्ष 2003-04 के लिए आज तक का सबसे ज्यादा 100 प्रतिशत डिविडेंड अदा किया जिसकी राशि 60.68 रुपए करोड़ थी। वर्ष 2004-05 के लिए शेयर धारकों को पहला-पहला 40 प्रतिशत का अंतरिम डिविडेंड दिया गया।

(viii) राडार, इलेक्ट्रानिक वारफेयर सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम इत्यादि का विकास करने वाले बी ई एल साफ्टवेयर टेक्नोलाजी सेंटर को साफ्टवेयर इंजीनियरी इंस्टीट्यूट के कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल फ्रेमवर्क को लेवल 4 पर आंका गया है।

(ix) बी ई एल पिछले छः वर्षों से एम ओ यू स्कोर का 'उत्कृष्ट' रेटिंग प्राप्त कर रही है। वर्ष 2002-03 का एक ओ यू पुरस्कार माननीय प्रधानमंत्री से प्राप्त किया गया था।

भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (बी ई एम एल)

7.32 भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड मई 1964 में स्थापित किया गया था और इसने जनवरी 1965 से अपना काम करना शुरू किया था। इस समय भारत सरकार के पास इसकी इक्विटी कैपीटल का 61.23 प्रतिशत है और शेष कैपीटल वित्तीय संस्थानों, कर्मचारियों और जनता के पास है। बी ई एम एल मुख्य रूप से अर्थमूविंग और निर्माण उपस्करों, रक्षा और रेलवे के क्षेत्र में डिजाइन, निर्माण, विपणन और विक्रय उपरांत की सहायता में लगा हुआ है।

7.33 इस कंपनी के छः पूर्णतया एकीकृत निर्माण प्रभाग हैं जो बंगलौर, कोलार गोल्ड फील्ड (के जी एफ) और मैसूर में बसे हुए हैं। इनमें मेसर्स विग्नयान इंडस्ट्रीज लिमिटेड नामक एक सहायक स्टील फाउंड्री भी है जो तारीकेरे में है। बी ई एम. एल की सभी उत्पादन यूनिटें सामान्य उद्देश्य और विशेष उद्देश्य की सभी आवश्यक मशीनों, निर्माण उपस्करों, उत्पादों की पूरी श्रृंखला के निर्माण के लिए आवश्यक संचालन और भंडारण सुविधाओं से सुसज्जित हैं। कंपनी का आर एंड डी तंत्र बहुत मजबूत है जिसमें बड़े अर्हताप्राप्त एवं अनुभव प्राप्त कार्मिक काम करते हैं। इसमें उत्पाद के डिजाइन और विकास की सुविधाएं हैं, सामग्री के लिए जांच एवं मूल्यांकन प्रयोगशालाएं हैं, ढ़ाँचा संबंधी इंजीनियरी हाइड्रॉलिक्स इंजन और संचारण प्रयोगशालाएं और कंप्यूटर की सहायता प्राप्त डिजाइन केंद्र हैं। बी ई एम एल के उत्पाद 30 से अधिक देशों में निर्यात किए गए हैं जिनमें सीरिया, तुनिसिया, साउथ अफ्रीका, जार्डन, श्रीलंका, सूरीनाम, बंगलादेश और यू ए ई शामिल हैं। बी ई एम एल अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में अपनी ब्रांड छवि को सुधारने के लिए नई-नई नीतियां अपना रहा है और आगामी वर्षों में अपने निर्यात को बढ़ाने के लिए सचेत है।

7.34 इस वर्ष के दौरान बी ई एम एल की विशिष्ट उपलब्धियों का वर्णन नीचे दिया गया है:-

(i) बी ई एम एल के बंगलौर कांप्लेक्स ने इस वर्ष मैसर्स रोटैम, कोरिया के तकनीकी सहयोग से अत्याधुनिक विशेषताओं वाले मैट्रो कोचों के प्रथम बैच का सफलतापूर्वक निर्माण करके और उसे दिल्ली मैट्रो रेल कार्पोरेशन (डी एम आर सी) को सप्लाई करके एक मुख्य सीमा चिह्न पार कर लिया है। डी एम आर सी कोचों का नियमित उत्पादन जारी है।

(ii) स्काई बस सिस्टम का विकास-लाइट रेल कार की नवीन परिकल्पना जिसमें यह डक्ट के रास्ते ओवरहैड से अलग होती है कंपनी की अन्य चुनौतीपूर्ण उपलब्धि थी। बी ई एम एल द्वारा

कल्पित एवं निर्मित प्रथम आदि प्ररूप कोंकण रेलवे कार्पोरेशन को सप्लाई किया गया था जो गोवा में प्रयोक्ता के व्यापक परीक्षण से गुजर रहा है। इस नई प्रणाली के आगामी वर्षों में शहरी सामूहिक यातायात के आधुनिक, कारगर और लागत प्रभावी विकल्प के रूप में विकसित होने की शक्तिशाली संभावना है।

(iii) बी ई एम एल की भारतीय रेलवेज से 160 रेल कोचों के दूसरे बैच का आर्डर प्राप्त हुआ है जिसका मूल्य 42 करोड़ रुपए होगा। यह उन 200 के आपूर्ति आदेश के अलावा है जो 2003-04 की अंतिम तिमाही के दौरान पहले ही प्राप्त किया जा चुका था।

(iii) इस कंपनी द्वारा विकसित नाव पुल प्रणाली एक ऐसा रक्षा उत्पाद है जिसने थलसेना के कड़े परीक्षणों को पूरा किया है और सेटों का बैच प्रोडक्शन चल रहा है।

(v) जिन उत्पादों का बी ई एम एल ने विकसित किया है, उनमें डम्प ट्रक (बी एच 100), पाइप लेयर (बी पी100), साइड डिसचार्ज लोडर (बी एल 10 सी), बैक हो लोडर (बी एल 9 एच) और हाईड्रॉलिक एक्सकेवेटर (बी ई 71) शामिल हैं। ये इस वर्ष मार्केट में सफलतापूर्वक उतारे गए थे।

(vi) इस कंपनी ने द्वितीय फास्टेस्ट ग्रोइंग कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट कंपनी का पुरस्कार प्राप्त किया जो कंस्ट्रक्शन वर्ल्ड-एन आई सी एम ए आर द्वारा दिया जाता है। भारत सरकार ने इसे दुर्घटनाओं की, बारंबारता की औसत न्यूनतम दर प्राप्त करने के लिए मैसूर काम्पलैक्स के उपस्कर प्रभाग को राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार प्रदान किया।

डंप ट्रक

माझगांव डॉक लिमिटेड (एम डी एल)

7.35 देश के अग्रणी युद्धपोत निर्माता यार्ड माझगांव डॉक लिमिटेड को भारत सरकार ने अपने अधिकार में मई 1960 में लिया था। इन वर्षों के दौरान इसने अपनी स्वदेशी डिजाइन क्षमताओं का विकास किया है और अपनी उत्पाद श्रृंखला को बढ़ाया है। इस श्रृंखला में रक्षा क्षेत्र के लिए डिस्ट्रायर, फ्रिगेट, मिसाइल बोर्ड, कॉरवैट्स, सबमैरीन और पेट्रोल वेसल हैं तथा सिविल क्षेत्र के लिए मर्चेंट वैसल और ड्रैजर हैं। यह देश में एकमात्र ऐसा शिपयार्ड है जिसने सबमैरीन बनाए हैं। यह एक ऐसा महत्वपूर्ण कार्य है जिसने संसार की कुछेक कंपनियां ही कर पाई हैं। एम डी एल को तेल खोज क्षेत्र में ढांचे के प्रति अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान देने का श्रेय भी प्राप्त है।

7.36 इस वर्ष के दौरान एम डी एल की महत्वपूर्ण उपलब्धियां का वर्णन नीचे किया गया है:-

(i) परियोजना 17 की दूसरी फ्रिगेट 04 जून, 2004 को लांच की गई।

(ii) नौवीं बार्डर आउट पोस्ट वैसल 'सीमा प्रहरी त्रिशूल' 21 जून, 2004 को कमीशन की गई।

(iii) 2 नौसेना पोतों, 1 तटरक्षक पोत और 1 व्यापारिक पोत की मरम्मत की गई।

(iv) कंपनी के पास 3 फ्रिगेट और 3 डिस्ट्रायर बनाने के आदेश हैं।

गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जी एस एल)

7.37 रक्षा शिपयार्डों में नवीनतम एवं लघुत्तम-गोवा शिपयार्ड लिमिटेड है जिसे सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों में प्रथम सफल उद्यम योजना प्रणाली को लागू करने का विशेषाधिकार प्राप्त है। इस कंपनी ने परियोजना प्रबंधन में नए मानक स्थापित करते हुए अपनी शक्ति कई गुणा बढ़ाई है। इसने 24 माह के अनुर्बोधित समय से छः माह पूर्व भारतीय नौसेना को दो ऐक्स्ट्रा फास्ट अटैक क्राफ्ट सौंपकर यह संकेत दिया है कि क्या नहीं प्राप्त किया जा सकता है।

7.38 इस वर्ष के दौरान जी एस एल की महत्वपूर्ण उपलब्धियां निम्नलिखित रही हैं:-

(i) ओ एन जी सी को एक सरवाइवल एट सी ट्रेनिग दी गई।

(ii) जून और अगस्त 2004 के बीच एक एडवांस ऑफशोर पेट्रोल वैसल और दो एक्स्ट्रा फास्ट पेट्रोल वैसलों के लिए नौतल बिछाए गए।

(iii) जी एस एल ने पोत निर्माण परियोजनाओं के निर्माण/ आदेश प्राप्त करने के लिए चार विदेशी कंपनियों के साथ सहयोग का करार किया है।

(iv) इस कंपनी ने विश्व भर में निविदाओं के लिए बोली लगाने और विदेश में प्रदर्शनियों, सेमिनारों और कंपनी की पोत निर्माण क्षमताओं से संबंधित प्रदर्शनों में भाग लेकर निर्यात संवर्धन अभियान को बढ़ावा दिया है।

गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (जी आर एस ई)

7.39 1 अप्रैल, 1960 में भारत सरकार द्वारा अपने अधिकार में लिए जाने के बाद से गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड का इसकी बढ़ती समुद्री

आवश्यकताओं–विशेषकर नौसेना तथा तटरक्षक की आवश्यकताओं को बेहतर बनाने के लिए विस्तार तथा आधुनिकीकरण किया गया है। गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड देश का एक अग्रणी शिपयार्ड है तथा यह पूर्व का प्रीमियम यार्ड है। उभरती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड उन्नत युद्ध–पोतों से अत्याधुनिक वाणिज्यिक जलयानों तक, छोटे हार्बर यानों से तीव्र तथा शक्तिशाली गश्ती जलयानों तक पोतों की एक विस्तृत श्रृंखला का निर्माण करता है। भारत का प्रथम फ्लीट टैंक भी गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड में ही बना था। इस सूची में नवीनतम नाम नई पीढ़ी का हॉवरक्राफ्ट है।

7.40 केवल उत्पाद श्रृंखला ही गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड की बहुमुखी प्रतिभा को प्रदर्शित नहीं करती है। आज, यह अपनी इंजीनियरी तथा इंजन विनिर्माण डिवीजनों के साथ विश्व के गिने–चुने शिपयार्डों में एक है।

7.41 वर्ष के दौरान गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड की महत्वपूर्ण उपलब्धियां इस प्रकार हैं:–

(i) कंपनी ने 2003–04 के लिए कर पश्चात लाभ के 35% (123.84% करोड़ रुपए की इक्विटी प्रदत्त पूंजी का 8.30%) 10.28 करोड़ रुपए का लाभांश का भुगतान किया है।

(ii) प्रोजेक्ट 16 ए (भा. नौ. पो. बेतवा यार्ड –3010) में श्रृंखला के दूसरे फ्रिगेट का 7 जुलाई, 2004 को जलावतरण किया गया था।

(iii) प्रथम दो तीव्रगति प्रहारक यानों (यार्ड सं. 2051 तथा 2052) का क्रमशः 11

जी. आर. एस. ई. में निर्मित अपतटीय गश्ती जलयान

दिसंबर, 2004 तथा 14 दिसंबर, 2004 को जलावतरण किया गया था।

(iv) तीन लैंडिग शिप टैंकों (बड़े) (यार्ड सं. 3014) में से पहले टैंक का 3 अप्रैल, 2004 को जलावतरण किया गया था।

(v) तीसरे तथा चौथे तीव्रगति प्रहारक यानों (यार्ड 2053 तथा 2054) के नौतल 28 सितंबर, 2004 को स्थापित किए गए थे।

(vi) कंपनी ने तीन लैंडिग शिप टैंकों (बड़े), चार तीव्रगति प्रहारक यानों तथाा चार पनडुब्बी-रोधी युद्ध-पद्धति कार्वेटों के निर्माण के लए आर्डर प्राप्त किए हैं जिनकी सुपुर्दगी 2005-2011 के दौरान की जानी है।

भारत डायनामिक्स लिमिटेड (बी डी एल)

7.42 भारत डायनामिक्स लिमिटेड की स्थापना निर्देशित प्रक्षेपास्त्रों के विनिर्माण के लिए 1970 में की गई थी। यह सार्वजनिक क्षेत्र के उन कुछेक सामरिक उद्योगों में से एक है जो उन्नत निर्देशित प्रक्षेपास्त्र प्रणालियों का उत्पादन करने की क्षमता रखते हैं। कंपनी की दो यूनिटें हैं जिनमें से एक कंचनबाग, हैदराबाद में है और दूसरी मेडक जिले के भाणूर में है। स्वदेशी पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र के अलावा यह कोंकुर तथा कोंकुर-एम तथा इनवार (3 यू बी के-20) प्रक्षेपास्त्रों तथा अन्य आंतरिक रूप से विकसित उत्पादों जैसे प्लेम लांचरों और सिमुलेटरों का निर्माण करती है। यह कंपनी एकीकृत प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम के तहत अन्य प्रक्षेपास्त्रों की प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकासा संगठन के साथ मिलकर कार्य कर रही है।

7.43 वर्ष के दौरान भारत डायनामिक्स लिमिटेड की महत्वपूर्ण उपलब्धियां इस प्रकार है:-

(i) कंपनी के मिलन, कोंकुर, पृथ्वी और सूचना प्रौद्योगिकी प्रभागों के पास आई एस ओ 9001-2000 प्रमाणन हैं। भारत डायनामिक्स लिमिटेड उपभोक्ता संतुष्टिकरण को अत्यधिक महत्व देता है। कंपनी उपभोक्ताओं द्वारा आयोजित फील्ड फायरिंग में नियमित रूप से हिस्सा लेती है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड विनिर्माण प्रक्रिया, निरीक्षण कार्य प्रणाली में विभिन्न सुधारों को नियमित रूप से कार्यान्वित करती है। कंप्यूटरीकरण के माध्यम से कार्य प्रणाली की कुशलता में वृद्धि हुई है। इसके परिणामस्वरूप प्रति कर्मचारी की गुणता में निरंतर वृद्धि हुई है।

(ii) निर्यात को और बढ़ाए जाने के उद्देश्य से भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने वर्ष 2003-04 में 13.76 लाख रुपए की उप-असेंबलियों का निर्यात किया है।

(iii) कंपनी ने मिलन विस्तारित रेंज/ भारतीय के विकास तथा उत्पादन के लिए संयुक्त उद्यम की स्थापना करने के लिए एम बी डी ए के साथ समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

मिश्र धातु निगम लिमिटेड (मिधानि)

7.44 वैमानिकी, अंतरिक्ष, शस्त्रास्त्र, परमाणु ऊर्जा, नौसेना जैसे सामरिक क्षेत्रों के लिए

सुपर अलॉय, टिटेनियम अलॉय, तथा विशेष प्रयोजन स्टीलों और विशेष उत्पादों जैसे कि मोलिब्डेनम तारों और प्लेटों, टिटेनियम और स्टेनलेस स्टील ट्यूबों, साफ्ट मेगनेटिक अलॉयों, कंट्रोल्ड एक्सपांशन अलॉयों और रेसिस्टेंस अलॉयों जैसी विद्युत उपयोग की अलॉयों में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 1973 में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में मिश्र धातु निगम लिमिटेड की संस्थापना की गई थी।

7.45 वर्ष के दौरान मिधानि की महत्वपूर्ण उपलब्धियां इस प्रकार हैं:-

(i) अनंतिम आंकड़ों के आधार पर, कंपनी ने वर्ष 2003-04 में अपने समग्र कार्य-निष्पादन के लिए 'उत्कृष्ट' समझौता-ज्ञापन रेटिंग प्राप्त की है।

(ii) क्रय नीति एवं प्रक्रिया, जो 1983 से प्रचलन में है, की मुख्य सतर्कता आयोग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए पूरी तरह से जांच की गई है तथा उसे संशोधित किया गया है और इसे 1 अप्रैल, 2004 से प्रवर्तित कर दिया गया है।

(iii) दूसरो के सहयोग से कंपनी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एक नाइयोबियम हैफनियम, मिश्र धातु एन आई ओ बी एच ए टी-101 का विकास किया है।

(iv) कंपनी ने वर्ष के दौरान एम डी एन 250 प्लेटों एवं रिंगों, सुपरको शीटों तथा टी आई-31 प्लेटों का विनिर्माण करने के लिए विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र से 71 करोड़ रुपए तक का प्रतिष्ठित उच्च मूल्य का आर्डर प्राप्त किया।

(v) पहली बार 5 डायमीटर X 450 मीटर की लंबाई के निम्न धातु इलेक्ट्रोड का उत्पादन एवं आपूर्ति की गई जो भारतीय वायुसेना की आवश्यकता संबंधी विनिर्दिष्टियों एवं गुणता मानकों को पूरा करता है।

(vi) 48 X एन 4 ग्रेड इलेक्ट्रोडों का उत्पादन हुआ जो ए बी ए श्रेणी के इस्पातों की वेल्डिंग के लिए नौसेना वास्तुकला निदेशालय की सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है।

(vii) आकाश परियोजना के लिए डी आर डी एल को आपूर्ति करने के लिए एयर बोतलों का प्रूफ परीक्षण करने हेतु 'घरेलू' सुविधा की सफल स्थापना/विकास जिसमें सह्य क्षमता मापने की भी व्यवस्था है।

(viii) मिधानि ने अपने उत्पादों के लिए डी जी सी ए, वैमानिकी गुणता आश्वासन महानिदेशालय, गुणता आश्वासन महानिदेशालय तथा ग्राहकों से गुणता प्रमाणन प्राप्त किया है।

7.46 **संक्रियात्मक क्षमता:-** संक्रियात्मक क्षमता को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित उपाए किए गए:-

(i) टिटेनियम शॉप में वैक्युम आर्क रिफाइनिंग-1 भट्ठी के लिए गतिक वैक्युम का स्वदेशी विकास, स्थापना तथा इसे चालू किया जाना।

(ii) स्वदेशी इलेक्ट्रानिक परिवर्तनीय गति ड्राइव सहित हॉट रोलिंग मिल के 'आमदा' बैंड सा कटिंग मशीन में यांत्रिक परिवर्तनीय गति ड्राइव का प्रतिस्थापन।

(iii) हाट रोलिंग मिल प्रवेश एवं निकास में 2 उच्च फिनिशिंग मिलों के लिए इलेक्ट्रानिक नियंत्रणों का स्वदेशी विकास।

(iv) हाट रोलिंग मिल में हाइड्रोलिक शीट शियर मशीन के लिए कटिंग और क्लेंपिंग हाइड्रोलिक ड्राइव सिलिंडरों का स्वदेशी विकास।

(v) विगत वर्ष में उत्पादन मूल्य में कुल आयातित मात्रा 30 प्रतिशत थी और उसकी तुलना में यह अब 25% थी, जिससे उत्पादन मूल्य में स्वदेशी मात्रा में वृद्धि हुई।

(vi) स्क्रैप का पुनर्चक्रण किया गया जिसकी वजह से विगत वर्ष में 10.78 करोड़ रुपए की तुलना में इस वर्ष 13. 76 करोड़ रुपए के नए कच्चे माल की खरीददारी नहीं करनी पड़ी।

7.47 वर्ष 2004-05 के दौरान विकास के लिए जिन उत्पादों/ग्रेडों का चयन किया गया है उनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) मिग इंजन कार्यक्रम के लिए नाइट्राइडिंग इस्पात 38 X एम यू ए डल्ब्यू

(ii) एल सी ए कार्यक्रम के लिए इस्पात 15-5 पी एच

(iii) कवचित अनुप्रयोगों के लिए अत्यधिक मजबूत एवं अत्यधिक सुदृढ़ इस्पात

(iv) महत्वपूर्ण वेल्डिंग अनुप्रयोगों के लिए ग्रेड 91 एस एम ए डब्ल्यू इलेक्ट्रोड

(v) नाभिकीय अनुप्रयोगों के लिए अत्यधिक सुदृढ़ फेरिटिक इस्पात।

आयुध निर्माणियों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों की बिक्री

7.48 आयुध निर्माणियों और सार्वजनिक क्षेत्र में रक्षा उपक्रमों द्वारा पिछले तीन वर्षों में जारी सामान की कुल कीमत इस प्रकार है:-

वर्ष	आयुध निर्माणियां कुल बिक्री	सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम कुल बिक्री	(करोड़ रुपए में) कुल योग
2002-2003	6508.05	8788.31	15296.36
2003-2004	6523.87	9892.73	16416.60
2004-2005 (अनंतिम)	6150.30	11120.38	17270.68

7.49 सार्वजनिक क्षेत्र में रक्षा उपक्रमों और आयुध निर्माणियों ने वर्ष 2004-05 के लिए 68.342 मिलियन अमरीकी डालर के सामान का निर्यात किया है।

स्वदेशीकरण

7.50 रक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की तलाश में जहां प्रौद्योगिकी की दृष्टि से संभाव्य हो तथा आर्थिक रूप से व्यवहार्य हो, वहां रक्षा उपस्करों का स्वदेशीकरण किए जाने हेतु निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र और सिविल

ट्रेड-दोनों में अनेक गहन और जटिल उपस्करों के लिए विस्तृत स्वदेशी पूर्ति स्त्रोतों का पता लगाना और उनका विकास करना हमारे स्वदेशीकरण के प्रयास का एक हिस्सा रहा है। स्वदेशीकरण के क्षेत्र में निजी क्षेत्र/सिविल ट्रेड में परिवर्तन आया है और अब ये कच्चे माल, संघटकों, उप प्रणालियों के पूर्तिकर्ता बने रहने की बजाय संपूर्ण रक्षा उपस्कर/प्रणाली के विनिर्माण का एक अंग बन गए हैं। रक्षा उद्योग क्षेत्र, जो अब तक सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित था, को अब भारतीय निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए भी खोल दिया गया है। अब भारतीय कंपनियां लाइसेंस के अधीन सभी किस्मों के रक्षा उपस्करों का विनिर्माण करने के लिए रक्षा उद्योग स्थापित करने के लिए पात्र हैं। ऐसी कंपनियों में इक्विटी के 26 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी हो सकेगा। लाइसेंस प्रदान करने के आवेदनों पर विचार करने के तौर-तरीकों के बारे में रक्षा मंत्रालय के परामर्श से औद्योगिकीय नीति तथा संवर्धन विभाग ने विस्तृत दिशा-निर्देश पहले ही जारी कर दिए हैं। आज निजी क्षेत्र औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग से लाइसेंस लेकर कोई भी रक्षा उपस्कर बना सकता है।

7.51 रक्षा उपस्करों के हिस्से-पुर्जों के स्वदेशीकरण हेतु आठ तकनीकी समितियों के रूप में एक संस्थागत ढांचा मौजूद है जिसमें गुणता आश्वास महानिदेशालय के अधिकारी शामिल हैं। प्रत्येक समिति का प्रमुख मेजर जनरल/ब्रिगेडियर अथवा समतुल्य रैंक का तकनीकी अधिकारी होता है। ये समितियां सर्वेक्षण और क्षमताओं का आकलन करके रक्षा उपस्करों/ सामान के स्वदेशीकरण कार्य करने में सक्षम सिविल उद्योगों का संक्षिप्त ब्यौरा रखती हैं। ये समितियां प्रयोक्ता सेवाओं से विचार-विमर्श करके स्वदेशीकरण हेतु मदों की पहचान करने के बाद तथा वाणिज्यिक व्यवहार्यता एवं सामरिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए स्वदेशीकरण कार्यकलाप शुरू कराती हैं और रक्षा उपस्करों/ सामान की समय पर पूर्ति सुनिश्चित करती हैं। वर्ष 2003-04 के दौरान नए सिरे से विकास और 1101 मदों के स्वदेशीकरण के लिए 210.81 करोड़ रुपए के पूर्ति आदेश प्रस्तुत किए गए थे। वर्ष 2004-05 के दौरान 6.94 करोड़ रुपए मूल्य की 709 मदों को विकास करने हेतु हाथ में लिया गया है। फरवरी, 2002 से आयुध निर्माणियां और सार्वजनिक क्षेत्र में रक्षा उपक्रमों जैसी उत्पादन एजेंसियों ने अपनी उत्पादन रेंज में आने वाले उपस्करों के स्वदेशीकरण की जिम्मेदारी ली है।

7.52 सिविल उद्योग के साथ विस्तृत तथा सार्थक बातचीत सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर सम्मेलन/ प्रदर्शनियां आयोजित की जाती है। वर्ष 2003-04 के दौरान गुणता आश्वासन महानिदेशालय की सहभागिता से पूरे देश में विभिन्न स्थलों पर प्रदर्शनियां एवं बिक्री जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। वर्ष 2004-05 के दौरान ऐसे 9 कार्यक्रम किए जा चुके हैं।

7.53 सिविल उद्योग को रक्षा सामान का स्वदेशी विकास करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वर्ष 1993-94 में स्वदेशीकरण में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार देने की एक योजना शुरू की गई

थी। रक्षा उपस्करों और रक्षा सामान की प्रतिस्थापन मदें तैयार करने के लिए उद्योग द्वारा किए गए प्रयासों को पूरी मान्यता दी जाती है और पात्र इकाइयों को उपयुक्त पुरस्कार दिए जाते हैं।

7.54 निजी भागीदारी के लिए रक्षा उद्योग क्षेत्र को खोल दिए जाने के बाद विभिन्न किस्म के रक्षा उपस्करों का विनिर्माण करने के लिए निजी कंपनियों को 22 आशय पत्र/ औद्योगिक लाइसेंस दिनांक 31.3. 2005 तक जारी किए गए हैं। लार्सन एवं टर्बो लि. महेन्द्रा एंड महेन्द्रा लि. ऑटोमोटिव कोच और कंपोनेट्स लि. जैसी कंपनियां ने रक्षा उपस्करों के विनिर्माता और पूर्तिकारों के रूप में रक्षा उद्योग क्षेत्र में प्रवेश के लिए आशय पत्र प्राप्त किए हैं।

7.55 रक्षा उत्पादन विभाग में डा. विजय केलकर की अध्यक्षता में एक समिति भी बनाई गई है जो रक्षा उपस्करों के अर्जन/ अधिप्राप्ति की प्रक्रिया में अपेक्षित परिवर्तनों की जांच तथा उन पर सिफारिशें करेगी। ये समिति 'उत्पाद रणनीति' पर आधारित प्रयास का सुझाव देगी और प्रयोक्ता सेनाओं, रक्षा मंत्रालय तथा भारतीय उद्योग (निजी क्षेत्र सहित) के एकीकरण के लिए तौर तरीके बताएगी। यह समिति रक्षा निर्यातों में वृद्धि करने, रक्षा अर्जन में प्रतिपूर्ति शामिल करने और बड़े रक्षा उपस्करों तथा प्लेटफार्मों के डिजाइनर तथा इंटिग्रेटर की भूमिका आयुध निर्माणियों और सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों के लिए सुकर बनाने के लिए अपेक्षित परिवर्तन करने का भी सुझाव देगी।

रक्षा उत्पादन विभाग में अन्य संगठन

वैमानिकी गुणता आश्वासन महानिदेशालय

7.56 वैमानिकी गुणता आश्वासन महानिदेशालय का मुख्यालय नई दिल्ली में तथा देश में विभिन्न उत्पादन केन्द्रों अर्थात् हि.ए. लि., भारत इलैक्ट्रानिक्स लि., भारतीय टेलीफोन उद्योग, मिधानि, ई सी आई एल और बेंगलूर में इसकी आवास निरीक्षण स्थापनाएं हैं और इसकी विभिन्न आयुद्ध निर्माणियां भी हैं जो एयर आर्मामेंट स्टोरों और एयर फील्ड लाइटिंग उपस्करों के उत्पादन में लगी हुई हैं।

7.57 प्रक्षेपास्त्र प्रणाली गुणता आश्वासन एजेंसी, जिसमें वैमानिकी, गुणता आश्वासन महानिदेशालय, गुणता आश्वासन महानिदेशालय और नौसेना युद्ध सामग्री निरीक्षण निदेशालय से अधिकारी शामिल हैं, की स्थापना विकास तथा उत्पाद के दौरान गुणता आश्वासन कवरेज मुहैया कराने के लिए वर्ष 1991-92 के दौरान की गई थी। यह एजेंसी वैमानिकी गुणता आश्वासन महानिदेशालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करती है। डी जी ए क्यू एक नोडल एजेंसी होने के अलावा आई जी डी एम पी परियोजनाओं की सभी बुनियादी प्रणालियों के लिए गुणता कवरेज मुहैया करती है। एस एफ एंड डी तथा पी जे-01 ब्रह्मोस जैसे गैर आई जी एम डी पी प्रक्षेपास्त्र परियोजनाओं के लिए गुणता आश्वासन कवरेज मुहैया करने के उद्देश्य से प्रक्षेपास्त्र

प्रणाली गुणता आश्वासन एजेंसी की भूमिका का विस्तार किया गया है।

7.58 वर्ष 2004-05 के दौरान पृथ्वी, त्रिशूल, नाग, आकाश, अग्नि, ब्रह्मोस, ए डी और अस्त्र मिसाइल प्रणाली के संबंध में सफल उड़ान परीक्षण किया गया।

7.59 अप्रैल, 2004 से अक्तूबर, 2004 की अवधि के लिए निम्नलिखित प्रमुख गतिविधियां हैं:-

(क) निरीक्षण किए गए वैमानिकी स्टोर का मूल्य-4230 करोड़ रुपए।

(ख) तकनीकी समिति स्टोर के स्वदेशी विकास के लिए मांग पर तैयार कर रही है जिसका विकास नीचे दिया गया है:

क्रम सं.	स्टोर	मात्रा	यूनिट कीमत (रुपयों में)	मूल्य (लाख रुपयों में)
1.	बाहरी मुख्य व्हील का कवर	400	5000	20
2.	नोज टायर	250	3000	10
	बाहरी रिग्गर	400	4000	12
3.	आटोमेटिक इंकफ्लेटेबल लाइफ जैकेट	200	16065	32.13

(ग) पृथ्वी/ आकाश/ त्रिशूल प्रक्षेपात्रों जैसी एकीकृत निर्देशित प्रक्षेपात्र विकास कार्यक्रम में अति प्रमुख प्रणालियों के लिए समग्र प्रमुख एजेंसी और गुणवत्ता आश्वासन एजेंसी दोनों रूप में सक्रिय रूप से भाग लिया।

(घ) वैमानिकी गुणता आश्वासन महानिदेशालय निम्नलिखित अत्याधुनिक स्वदेशी परियोजनाओं की गुणता आश्वासन में सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है:-

(i) हल्का युद्धक विमान तेजस

(ii) तेजस के लिए कावेरी इंजन

(iii) मध्यम दर्जे का जेट प्रशिक्षक विमान-36

(iv) उन्नत हल्का हेलिकॉप्टर।

7.60 संगठन सुधार कार्यक्रम इस प्रकार हैं:-

(क) प्रयोक्ताओं की अतिरिक्त अनिवार्य विशेषताओं/ आवश्यकताओं को उनकी जानकारी संबंधी रिपोर्टों के आधार पर शामिल करने के लिए विनिर्देश/ आरेखण अद्यतन बनाए जा रहे हैं। कंप्यूटर सहायताप्राप्त डिजाइन और प्रारूपण प्रणाली मुख्यालय के आरेखण कार्यालय में अधिष्ठापित करके चालू की गई है।

(ख) उत्पादन/ संपूर्ण मरम्मत सुविधाओं के विभिन्न क्षेत्रों में संचालित आवधिक गुणता लेखापरीक्षा के माध्यम से गुणता निगरानी पर अत्यधिक जोर दिया जा रहा है।

(ग) वैमानिकी गुणता आश्वासन महानिदेशालय ने एयरों इंडिया-2005 प्रदर्शनी शो में सक्रिय रूप से भाग लिया जिसमें वैमानिकी गुणता आश्वासन महानिदेशालय के मार्गदर्शन में विकसित वैमानिकी सामान प्रदर्शित किया गया था।

गुणता आश्वासन महानिदेशालय

7.61 गुणता आश्वासन महानिदेशालय रक्षा उत्पादन विभाग के अधीन कार्यरत एक अंतर-सेवा संगठन है। गुणता आश्वासन महानिदेशालय सेना, नौसेना (नौसेना शस्त्रास्त्रों को छोड़कर) के लिए आयातित और स्वदेशी दोनों प्रकार के सभी रक्षा सामान और उपस्करों तथा वायुसेना के वास्ते निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और आयुध निर्माणियों से अधिप्राप्त सामान्य उपयोग की मदों के गुणता आश्वासन के लिए उत्तरदायी है। अत: देश की रक्षा तैयारी में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है।

7.62 **संगठनात्मक संरचना और कार्य:-** गुणता आश्वासन महानिदेशालय सात तकनीकी निदेशालयों में बंटा हुआ है जिनमें से प्रत्येक विशिष्ट श्रेणी के उपस्करों के लिए उत्तरदायी है। तकनीकी निदेशालय में उनके संबंधित मुख्यालयों, नियंत्रणालयों, फील्ड गुणता आश्वासन स्थापनाओं तथा प्रूफ स्थापनाओं (केवल शस्त्रास्त्र शाखा के मामले में) सहित त्रिस्तरीय उर्ध्वाधर संरचना हैं। उनके द्वारा निष्पादित कार्य एक दूसरे के पूरक हैं और अधिकतम दक्षता प्राप्त करने के लिए एक दूसरे से जुड़े हैं।

7.63 गुणता आश्वासन महानिदेशालय संगठन की बड़ी उपलब्धियां इस प्रकार हैं:-

(क) **सामान का निरीक्षण:-** गुणता आश्वासन महानिदेशालय यह सुनिश्चित करता है कि सामान की स्वीकृति निर्धारित विनिर्देशों और निष्पादन मानदंडों के अनुसार कड़ाई से हो। पिछले तीन वर्षों के दौरान निरीक्षण किए गए सामान का मूल्य इस प्रकार है:-

वर्ष	निरीक्षण किए गए सामान का मूल्य (करोड़ रुपए में)
2002-03	16001
2003-04	14692
2004-05	13137 (31.1.05 तक)

(ख) **आयातित उपस्करों का गुणता आश्वासन:-** गुणता आश्वासन महानिदेशालय सशस्त्र सेनाओं द्वारा अर्जित किए जा रहे आयातित उपस्करों और हथियार प्रणालियों के निरीक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहा है।

(ग) **स्व-प्रमाणन:-** गुणता आश्वासन महानिदेशालय संगठन गुणता के प्रति जागरूक उन फर्मों/ विनिर्माताओं को जो गुणता प्रबंध प्रणाली के क्षेत्र में सुस्थापित हैं और जिन्होंने उत्तरवर्ती रक्षा पूर्ति आदेशों के निष्पादन के दौरान निरंतर उत्पाद गुणता का प्रदर्शन किया है, स्व-प्रमाणन का दर्जा प्रदान कर रहा है। अब तक 52 फर्मों को स्व-प्रमाणन दर्जा दिया गया है।

(घ) **प्रशिक्षण पहल:-** रक्षा गुणता आश्वासन संस्थान, बेंगलूर गुणता आश्वासन महानिदेशालय के कार्मिकों को गुणता आश्वासन, प्रबंधन/ मानव संसाधन विकास और सूचना प्रौद्योगिकी

के क्षेत्र में प्रशिक्षण दे रहा है। सेनाओं और सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों, आयुध निर्माणी बोर्ड आदि जैसे बाहरी संगठनों के कार्मिकों के लिए पाठ्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पिछले 2 वर्षों के दौरान प्रशिक्षित अधिकारियों का ब्यौरा इस प्रकार है:-

वर्ष	गुणता आश्वासन	अन्य संगठन महानिदेशालय
2003-04	391	92
2004-05	449	90

मानकीकरण निदेशालय

7.64 रक्षा सेनाओं के भीतर मदों के प्रसार पर नियंत्रण करने के लिए वर्ष 1962 में मानकीकरण निदेशालय का गठन किया गया था। मानकीकरण संबंधी कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिए देश में प्रमुख केंद्रों पर नौ मानकीकरण एकक और छह डिटेचमैंट स्थापित किए गए हैं। मानकीकरण निदेशालय का मुख्य उद्देश्य तीनों सेनाओं के बीच उपस्करों और संघटकों के बीच समानता स्थापित करना है ताकि रक्षा सेनाओं की समग्र सामान-सूची को कम किया जा सके। निम्नलिखित के माध्यम से इस उद्देश्य को प्राप्त किया जाना अपेक्षित है:-

(i) संयुक्त सेना विनिर्देशों, संयुक्त सेना अधिमानित रेंजों, संयुक्त सेना युक्तियुक्त सूचियों, संयुक्त सेना दिशा-निर्देशों, संयुक्त सेना नीति विवरणों और संयुक्त सेना गुणात्मक आवश्यकताओं जैसे मानकीकरण दस्तावेज तैयार करना;

(ii) रक्षा से संबंधित सामान सूची को कूटबद्ध करना और सूची बनाना;

(iii) प्रवेश नियंत्रण;

7.65 मानकीकरण संबंधी कार्यकलाप 13 मानकीकरण उप समितियों, इन उप-समितियों के तहत पैनलों/कार्यदलों, अनेक विशेषज्ञ तकनीकी पैनलों और रक्षा उपस्कर कूटकरण समिति के माध्यम से किए जाते हैं।

7.66 **उपलब्धियां:-** मानकीकरण निदेशालय ने वर्ष 2004-05 के दौरान निम्नलिखित कार्य किए:

(i) पंचवर्षीय रोल ऑन प्लान (2004-09) शुरू की गई थी।

(ii) वर्ष 2004-05 के दौरान तैयार किए गए मानक दस्तावेजों की संख्या 658 के लक्ष्य की तुलना में 765 थी।

7.67 **कूटकरण और सूचीकरण:-** वर्ष 2004-05 के दौरान 13, 527 मदों को कूटबद्ध और 7810 मदों को अद्यतन बनाया गया था।

7.68 **प्रवेश नियंत्रण:** (i) अप्रचलित/ पुरानी मदों का पता करने, मात्रा निर्धारित करने और घोषणा करने संबंधी 356 मामलों के विवरण 31 मार्च 2005 तक निपटाए गए हैं।

(ii) वेबसाइट पर 323 विभागीय विनिर्दिष्टियां डाली गई थीं। इस प्रकार 31 मार्च, 2005 तक वेबसाइट पर कुल 2108 विभागीय विनिर्दिष्टियां डाली गई थीं।

7.69 **सूचना प्रौद्योगिकी:-** निदेशालय की सरकारी वेबसाइट को सभी सैलों द्वारा

कूटकरण पर सूचना ले पाने के लिए ओरेकल 9 आई में वेब आधारित ऑनलाइन साफ्टवेयर के विकास के साथ मानकीकरण निदेशालय के एडवांस कंप्यूटिंग एवं सिस्टम एप्लीकेशन संबंधी केंद्र द्वारा उन्नत बनाया गया है। इसके अतिरिक्त, संपूर्ण देश में सभी रक्षा मानकीकरण एककों और डिटेचमैंटों को जोड़ते हुए छह लीज्ड लाइन चैनल स्थापित किए गए हैं।

7.70 **प्रशिक्षण:** मानकीकरण प्रशिक्षण संस्थान, पुणे, मानकीकरण, कूटकरण, प्रबंध विकास कार्यक्रम, कुल गुणवत्ता प्रबंधन तथा डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली से संबंधित पाठ्यक्रम आयोजित करता है। संस्थान ने वर्ष 2004-05 में निम्नलिखित क्षेत्रों में 13 पाठ्यक्रम/ संपूर्ण पाठ्यक्रम आयोजित किए:-

(i) मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क (एम ए एन) तथा एल आई एन यू एक्स नेटवर्किंग।

(ii) ई-गवर्नेंस और सूचना सुरक्षा के मूल सिद्धांत।

(iii) मानकीकरण और कोडीकरण पर पूर्वाभिमुखीकरण, बुनियादी और संपूर्ण पाठ्यक्रम।

(iv) डाटाबेस अभिविन्यास पाठ्यक्रम।

योजना तथा समन्वय निदेशालय

7.71 योजना तथा समन्वय निदेशालय को देश में रक्षा उपस्करों के उत्पादन के लिए समग्र योजनाएं तैयार करने के मुख्य उद्देश्य से वर्ष 1964 में स्थापित किया गया था। इस निदेशालय को आयुध निर्माणियों द्वारा चलाई जा रही प्रमुख स्वदेशीकरण योजनाओं, यथा अर्जुन और टी-90 मुख्य युद्धक टैंक, विभिन्न आर्टिलरी तोपों और कवचित वाहनों का उत्पाद सुधार, टैंकों और इंजनों की संपूर्ण-मरम्मत क्षमता में वृद्धि की मॉनीटरिंग और उन्हें कार्यान्वित किए जाने की जिम्मेदारी है। सेना और नौसेना के लिए शस्त्रास्त्रों का विकास कार्यक्रम इस निदेशालय के अन्य प्रमुख कार्य-कलाप हैं। यह निदेशालय तीनों सेनाओं के लिए इलेक्ट्रानिकी क्षेत्र में महत्वपूर्ण परियोजनाओं को भी मॉनीटरी करता है।

7.72 यह निदेशालय, रक्षा उत्पादन विभाग में रक्षा उत्पादन और रक्षा निर्यात के लिए नोडल प्वाइंट है। यह निदेशालय, इस विभाग के निर्यात स्कंध द्वारा अन्य देशों के विभिन्न द्विपक्षीय रक्षा नीति समूहों और संयुक्त कार्य समूहों के साथ विचार-विमर्श के दौरान उसकी सहायता करता है।

7.73 यह निदेशालय, तीनों सेनाओं की अपनी-अपनी पूंजीगत अधिप्राप्ति योजनाओं के 'खरीदो', 'खरीदो और बनाओ' तथा 'बनाओ' श्रेणियों में वर्गीकरण के संबंध में एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय के साथ की जाने वाली कार्रवाई का रक्षा उत्पादन विभाग के भीतर समन्वय करता है। यह निदेशालय, रक्षा उत्पादन बोर्ड, जिसे रक्षा अधिप्राप्ति

परिषद द्वारा लिए गए 'बनाओ' के सभी निर्णयों से उत्पन्न प्रगति की मॉनीटरिंग का कार्य दिया गया है, के सचिवालय के रूप में कार्य करता है। यह लाइसेंस उत्पादन, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और प्रारंभत: उत्पादन/ विकास के बारे में इष्टतम निर्णयों पर पहुंचने में रक्षा अधिप्राप्ति परिषद की सहायता भी करता है।

7.74 यह निदेशालय, जनरल स्टाफ उपस्कर नीति समिति, मानकीकरण समिति, कार्यदलों और विभिन्न मॉनीटरिंग समितियों में रक्षा उत्पादन विभाग का प्रतिनिधित्व करता है।

रक्षा प्रदर्शनी संगठन

7.75 1981 में स्थापित रक्षा प्रदर्शनी संगठन की भारत और विदेश में रक्षा प्रदर्शनियों का आयोजन और समन्वय करने की प्रमुख जिम्मेदारी है। यह प्रगति मैदान, नई दिल्ली में स्थायी रक्षा पैविलियन का रख-रखाव करता है, जिसमें प्रतिवर्ष 14 नवंबर से 27 नवंबर तक आयोजित किए जाने वाले भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के दौरान सर्वाधिक दर्शक पहुंचते हैं। इस पैविलियन में आयुध निर्माणियों, सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों और रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन द्वारा विनिर्मित/ विकसित उत्पाद प्रदर्शित किए जाते हैं। इसके अलावा, सशस्त्र सेनाओं, गुणता आश्वासन महानिदेशालय, तटरक्षक और राष्ट्रीय कैडेट कोर को भी इस प्रदर्शनी में प्रतिनिधित्व दिया जाता है।

7.76 निर्यात संवर्धन प्रयास के एक हिस्से के रूप में रक्षा निर्यात संगठन भारत में अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनियों का आयोजन करता है और विदेश में प्रदर्शनियों में सार्वजनिक क्षेत्र में रक्षा उपक्रमों की सहभागिता का समन्वय करता है। चालू वित्त वर्ष के दौरान, रक्षा प्रदर्शनी संगठन ने 21 से 23 सितंबर, 2004 तक दक्षिण अफ्रीका के प्रीटोरिया में अफ्रीका एयरोस्पेस एवं डिफेंस में रक्षा उपक्रमों की सहभागिता का समन्वय किया। पहली बार, भारतीय पैविलियन के भाग के रूप में दो निजी क्षेत्र की कंपनियों ने भाग लिया।

अंतरराष्ट्रीय एयरोस्पेस प्रर्दशनी-एयरो इंडिया

7.77 एयरोस्पेस उद्योग के अग्रणियों को प्रोत्साहित करने तथा उनके उत्पादों को प्रदर्शित करने हेतु प्रदर्शकों के लिए इंटरफेस उपलब्ध कराने के लिए एक इवेंट के रूप में परिकल्पित एयरो इंडिया, अब इस क्षेत्र में प्रधान प्रदर्शकों में से एक है। यह अपने सहभागियों को सार्थक सहयोग तथा वैश्विक कारोबारी के साथ तालमेल हेतु अवसर मुहैया कराता है।

7.78 पांचवीं अंतरराष्ट्रीय एयरोस्पेस प्रदर्शनी-एयरो इंडिया 2005 का 9 से 13 फरवरी, 2005 तक बेंगलूर के निकट याल्हंका में आयोजन किया गया था। इस बार प्रदर्शनी बड़े क्षेत्र में आयोजित की गई और बड़ी संख्या में देश/कंपनियों ने इसमें भाग लिया।

एयरो इंडिया-2005 के दौरान 29 देशों के 32 शिष्टमंडलों ने दौरा किया।

7.79 वायुसेना स्टेशन, याल्हंका में 1108.69 लाख रुपए की लागत पर अनेक्सिस से युक्त एक नए हंगर का निर्माण किया है। ए एफ एस वाई में 13,52,47,951.22 रुपए की लागत पर संपूर्ण रवने का पुर्ननिर्माण किया गया है। इसके अलावा, रनवे की 9000 फीट के विस्तार की समग्र दीर्घकालिक योजना के भाग के रूप में रनवे का 8000 फीट तक विस्तार किया गया है। इस प्रदर्शनी में एयरो इंडिया 2003 की तुलना में भारतीय कंपनियों (100%), विदेशी कंपनियों (32%) तथा समग्र प्रदर्शनी क्षेत्र (35%) की सहभागिता के संबंध में एक महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई है।

7.80 ज्ञान ज्योति ऑडिटोरियम, बेंगलूर में 7 से 9 फरवरी, 2005 तक 'एयरोस्पेस प्रौद्योगिकी-विकास तथा रणनीति' पर अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। एयरो इंडिया सिविल एविएशन संगोष्ठी का 10 फरवरी, 2005 को सी आई आई द्वारा आयोजन किया गया था। भारतीय उड्डयन उद्योग के बेहतर प्रदर्शन की पृष्ठभूमि वाली इस संगोष्ठी में भारतीय उड्डयन परिदृष्य, हवाई अड्डे तथा मार्ग नेटवर्क, रक्षा तथा सिविल उड्डयन क्षेत्र में सह-संबंध, घरेलू उड्डयन वृद्धि पर कम लागत एयरलांइस का प्रभाव तथा अंतरराष्ट्रीय बेहतरीन परंपराओं से सीख जैसे मुद्दे शामिल किए गए थे।

7.81 आठ रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रमों के बाद निवेश उत्पादन एवं बिक्री तथा कर के बाद लाभ का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

निवेश

(करोड़ रुपए में)

पीएसयू का नाम	2002-2003		2003-2004		2004-2005	
	इक्विटी	सरकारी ऋण	इक्विटी	सरकारी ऋण	इक्विटी	सरकारी ऋण
एचएएल	120.50	-	120.50	-	120.50	-
बीईएल	80.00	-	80.00	-	80.00	-
बीईएमएल	36.87	-	36.87	-	36.87	-
एमडीएल	199.20	-	199.20	-	199.20	-
जीआरएसई	123.84	-	123.84	-	123.84	-
जीएसएल	19.40	-	19.40	-	19.40	-
बीडीएल	115.00	-	115.00	-	115.00	-
मिधानि	137.34	-	137.34	-	137.34	-
कुल	832.15	-	832.15	-	832.15	-

कार्यकारी परिणाम

उत्पादन का मूल्य तथा बिक्री

(करोड़ रुपए में)

पीएसयू का नाम	2002-2003		2003-2004		2004-2005 **(अनंतिम)**	
	उत्पादन का मूल्य	**बिक्री का मूल्य**	**उत्पादन का मूल्य**	**बिक्री का मूल्य**	**उत्पादन का मूल्य**	**बिक्री का मूल्य**
एचएएल	3477.84	3120.42	3756.14	3799.78	5332.42	4425.00
बीईएल	2536.39	2508.02	2807.83	2798.59	3305.00	3268.00
बीईएमएल	1740.16	1681.17	1691.86	1765.75	1860.04	1862.21
एमडीएल	539.52	569.27	495.77	191.00	450.00	77.39
जीआरएसई	523.09	153.69	486.90	390.76	460.21	868.74
जीएसएल	232.14	386.50	200.83	296.92	152.00	24.00
बीडीएल	330.38	277.72	522.47	524.80	489.37	463.75
मिधानि	93.50	91.52	116.42	125.13	136.52	131.29
कुल	9473.02	8788.31	10078.22	9892.73	12185.56	11120.38

कर पश्चात लाभ

(करोड़ रुपए में)

पीएसयू का नाम	2003-2004	2004-2005 **(अनंतिम)**
एचएएल	409.79	428.90
बीईएल	316.10	451.00
बीईएमएल	24.17	172.57
एमडीएल	7.92	8.26
जीआरएसई	29.30	24.67
जीएसएल	31.88	8.20
बीडीएल	47.61	22.50
मिधानि	6.89	5.40
कुल	872.66	1120.50

8

रक्षा अनुसंधान एवं विकास

एल सी ए तेजस उड़ान फोरमेशन में

रक्षा अनुसंधान एवं विकास

8.1 रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) की स्थापना सन् 1958 में उस समय मौजूद भारतीय थल सेना की तकनीकी विकास स्थापनाओं (टीडीईज़) और तकनीकी विकास तथा उत्पादन निदेशालय (डीटीडीपी) को रक्षा विज्ञान संगठन (डीएसओ) में मिलाकर की गई थी। डीआरडीओ की प्रयोगशालाओं की गतिविधियों मे उच्च प्रौद्योगिकी के क्षेत्र जैसे वैमानिकी, आयुध इलैक्ट्रॉनिक्स, संग्राम वाहन, इंजीनियरिंग प्रणाली, यंत्रीकरण, मिसाइलों, उन्नत परिकलन तथा अनुरूपण, विशेष सामग्रियों, नौसेना प्रणालियों और जैव विज्ञान में अनुसंधान तथा विकास शामिल हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन सशस्त्र सेनाओं के लिए अत्याधुनिक शस्त्र प्रणालियों और उपस्करों के डिज़ाइन और विकास के कार्यक्रमों को प्रतिपादित और निष्पादित करने में समर्पित है।

मिशन

8.2 रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत सन् 1980 में बनाया गया रक्षा अनुसंधान एवं विकास का पृथक विभाग रक्षा प्रणालियों में आत्मनिर्भरता को निरंतर बढ़ाने और विश्वस्तर की रक्षा प्रौद्योगिकियों के विकास के मिशन के प्रति समर्पित है। मिशन की प्राप्ति को सरल बनाने के लिए एक मिशन मोड संरचना बनाई गई है जिसके प्रमुख रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार हैं जो रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव हैं और महानिदेशक, अनुसंधान एवं विकास भी हैं।

संगठनात्मक संरचना

8.3 रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के अंतर्गत डीआरडीओ मुख्यालय तकनीकी निदेशालय और कार्पोरेट निदेशालयों में संगठित है। तकनीकी निदेशालय एक विशिष्ट प्रौद्योगिकी क्षेत्र को देखते हैं। ये निदेशालय एकल विन्डो प्रणाली के अंतर्गत विशिष्ट प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कार्य करने वाली प्रयोगशालाओं को सुविधाएं प्रदान करते हैं। और नए कार्यक्रमों/परियोजनाओं के लिए अनुमोदन प्राप्त करने में सहायता प्रदान करते हैं तथा चालू परियोजनाओं की मॉनीटरिंग व समीक्षा में मदद करते हैं। दूसरी तरफ कार्पोरेट निदेशालय कार्मिक, मानव संसाधन विकास, सामग्री प्रबंधन, योजना एवं समन्वय, प्रबंध सेवा, राजभाषा/संगठन एवं पद्धति (ओ एण्ड एम), बजट, वित्त एवं लेखा, सुरक्षा एवं सतर्कता, सिविल निर्माण एवं संपदा तथा बहिर्विश्वविद्यालयी अनुसंधान जैसे सुपरिभाषित कार्यों को देखते हैं। भर्ती एवं मूल्यांकन केन्द्र और कार्मिक मूल्यांकन केन्द्र क्रमशः रक्षा अनुसंधान विकास सेवा काडर और रक्षा अनुसंधान तकनीकी काडर के

अंतर्गत डीआरडीओ की सभी प्रयोगशालाओं तथा मुख्यालय के लिए वैज्ञानिकों और तकनीकी स्टाफ की पदोन्नति के लिए नियतकालिक आधार पर नई भर्ती और मूल्यांकन का कार्य करते हैं।

8.4 डीआरडीओ द्वारा हाथ में लिए गए कार्यक्रमों और परियोजनाओं को अनुसंधान एवं विकास की 50 प्रयोगशालाओं/स्थापनाओं के नेटवर्क द्वारा निष्पादित किया जाता है। ये प्रयोगशालाएं पूरे भारत वर्ष में पूर्व में तेजपुर से लेकर पश्चिम में जोधपुर तक और उत्तर में लेह से लेकर दक्षिण में कोच्चि तक स्थित हैं।

मॉनीटरिंग और समीक्षा प्रक्रिया

8.5 मिशन मोड कार्यक्रम/परियोजनाएं, प्रयोक्ता सेवाओं के साथ निकट साझेदारी से निष्पादित की जाती हैं। प्रतिभा, विशेषज्ञता और संसाधनों में उपलब्ध उत्तम संसाधनों के प्रयोग के लिए यथावश्यक आधार पर डीआरडीओ अपनी परियोजनाओं और कार्यक्रमों को निष्पादित करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों, शैक्षणिक संस्थानों, अनुसंधान प्रयोगशालाओं और निजी ठेकेदारों से संपर्क स्थापित करता है। शस्त्र प्रणालियों और प्लेटफार्मों के विकास और ''उत्पादनीकरण'' के बीच समयान्तराल को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी साधन परियोजनाओं में ''समवर्ती इंजीनियरिंग'' दृष्टिकोण अपनाया गया है।

8.6 डीआरडीओ संस्थानीकृत प्रक्रिया के माध्यम से नियमित आधार पर कार्यक्रमों और परियोजनाओं की मॉनीटरिंग और समीक्षा करता है। सभी प्रयोगशालाओं की बड़ी परियोजनाओं की प्रगति की वर्ष में एक बार समीक्षा करने के लिए ''डीआरडीओ अनुसंधान परिषद्'' नामक एक स्थानीय उच्च स्तरीय निकाय है जिसके अध्यक्ष रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार हैं। इसके अलावा टैक्नोप्रबंधकीय पहलुओं पर विचार करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति कार्पोरेट रिव्यू भी करती है। सेना की स्टाफ परियोजनाओं की सह-सेनाध्यक्ष द्वारा वर्ष में दो बार समीक्षा की जाती है। सभी प्रमुख कार्यक्रमों/ परियोजनाओं के लिए मल्टी-टीयर ''कार्यक्रम प्रबंधन बोर्ड'' है जिसमें तीनों सेनाओं, डीआरडीओ प्रयोगशालाओं के और कुछ मामलों में शैक्षणिक संस्थानों और अन्य राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशालाओं के प्रतिनिधि होते हैं। ये कार्यक्रम प्रबंधन बोर्ड कार्यक्रमों की समय-समय पर मॉनीटरिंग और समीक्षा करते हैं तथा मध्यावधि सुधारक निदेश देते हैं।

8.7 डीआरडीओ देरी को कम करने के लिए और सामान्य स्टाफ गुणात्मक आवश्यकताओं सहित पहले से विचारों को जानने तथा परियोजनाओं पर निरंतर नज़र रखने के लिए भी प्रयोक्ताओं को परियोजना पीयर समीक्षाओं, परियोजना प्रगति समीक्षाओं में शामिल कर रहा है। सभी संबंधित एजेन्सियों के प्रतिनिधियों के साथ सामूहिक बैठकें आयोजित की जाती हैं। विकासशील एजेन्सियों/प्रयोगशालाओं प्रयोक्ता सेवाओं और उत्पादन ऐजेन्सियों के बीच सहक्रिया लाने के लिए निजी उद्योगों के साथ उनके शीर्ष निकायों जैसे फिक्की (एफआईसीसीआई), सी आई आई और एसोचैम के साथ भी विचार-विमर्श बैठकें आयोजित की गईं।

सेनाओं मे डीआरडीओ का योगदान

8.8 संगठन ने सन् 1980 से सशस्त्र सेनाओं को आत्मनिर्भर बनाने में बड़ी सफलता हासिल की है। एक तरफ इसने हमारी सशत्र सेनाओं को उन्नत देशों के शस्त्र निर्यात नियंत्रण क्षेत्र का सामना करने मे सक्षम बनाया है तो दूसरी तरफ डीआरडीओ ने अत्याधुनिक स्वदेशी रक्षा प्रणालियों के विकास के माध्यम से संग्राम प्रभावकारिता को निरंतर बढ़ाया है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान कई रक्षा प्रणालियों और उपस्करों का उत्पादनीकरण हुआ है। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- लक्ष्य - पायलट सहित लक्ष्य वायुयान (एरियल लक्ष्य अभ्यास प्रणाली)
- निशांत - रिमोटचालित वाहन (एरियल निगरानी के लिए)
- पृथ्वी - जमीन से जमीन पर वार करने वाली सामरिक रणभूमि मिसाइल
- अग्नि-1 और अग्नि-11 - जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल
- ब्रह्मोस - सुपरसौनिक क्रूज़ मिसाइल
- अर्जुन - मुख्य युद्ध टैंक
- संग्रह - नौसेना के लिए एकीकृत ई डब्ल्यू प्रणाली
- संयुक्ता - थलसेना के लिए एकीकृत ई डब्ल्यू प्रणाली
- मिहिर - हेलिकॉप्टर आधारित डंकिंग सोनार
- नागन -कर्षित ऐरे सोनार
- एईआरवी - जलावरोधों को पार करने के लिए कवचित इंजीनियर रैके वाहन
- टी-72 चैसिस पर सेतुबंधन टैंक
- अजेय - संग्राम समुन्नत टी-72 टैंक
- सर्वत्र - यांत्रिक रूप से लांच किया गया ब्रिज असाल्ट
- मैट ग्राउन्ड सरफेसिंग - दलदली भू-भाग, उथले पानी तथा नर्म मिट्टी में चलने के लिए एक पटरी मार्ग युक्ति
- नाभिकीय, जैवीय और रासायनिक कारकों तथा कार्मिकों, उपस्करों और भू-भाग को विसंदूषित करने के लिए चल विसंदूषण प्रणाली।
- सफारी (मेक-1) - रिमोट नियंत्रित विस्फोटक यंत्र को निष्क्रिय करने के लिए म्यूटिंग प्रणाली
- पिनाका - बहुबैरल रॉकेट प्रणाली
- बीएमपी11 पर कवचित ऐम्बुलैन्स
- बीएमपी 11 पर ट्रैक्ड कैरियर मोर्टार
- 105 मि.मी. तथा 81 मि.मी प्रदीपक गोलाबारूद
- 125 मि.मी. गोलाबारूद, फिर स्टैबिलाइज़्ड कवच भेदक त्याज्य सोबो मेक-। व ।।
- इनसास - 5.56 मि.मी. भारतीय लघु शस्त्र प्रणाली
- ट्रैंक्विल - मिग 23 वायुयान के लिए रेडार चेतावनी रिसीवर

- टैम्पेस्ट – मिग विमान के लिए रेडार चेतावनी रिसीवर तथा स्वसंरक्षण जैमर
- कैच – एक वायुवाहित सिगनल आसूचना प्रणाली
- कमान सूचना निर्णय सहायता प्रणाली
- संग्राम नेट रेडियो
- संसार – उच्च ग्रेड डिजीटल गुप्तता सहित व्यापक गुप्तता उपस्कर
- संवाहक – तोपखाना संग्राम कमान तथा नियंत्रण प्रणाली
- जगुआर के लिए मिशन कंप्यूटर
- सुखोई वायुयान के लिए मिशन कंप्यूटर, डिस्प्ले प्रोसेसर तथा आर डब्ल्यू आर
- वायुयान रोधी नाका
- भीम – वायुयान शस्त्र ट्रॉली
- पुनः पता लगाने योग्य गुब्बारा बैराज प्रणाली
- विभिन्न प्रकार के वायुयानों के लिए पैराशूट
- अवधाव शिकार संसूचक
- खाने के लिए तैयार भोजन आदि
- डाटा कंसेन्ट्रेटर
- नौसैनिक पोतों के शोर तथा चुंबकीय संकेतों के लिए डी–गाउसिंग तथा एकाउस्टिक रेंज
- हंसा – हल आरोहित सोनार प्रणाली
- उषुस सोनार प्रणाली
- प्रोसेसर आधारित बद्ध सुरंग तथा प्रोसेसर आधारित एक्सरसाइज सुरंग
- समुन्नत तारपीडो/हल्का भार तारपीडो
- सेक्टेल – वाक गुप्तता टेलीफोन
- 3 डी केन्द्रीय प्राप्ति व निगरानी रेडार
- शस्त्र का पता लगाने वाला रेडार
- बीएफएसआर–एसआरःयुद्ध क्षेत्र निगरानी रेडार–लघु परास

वर्ष के दौरान आर एण्ड डी कार्यक्रमों/परियोजनाओं में हुई प्रगति

8.9 04 जनवरी, 2001 को बंगलौर में हल्के लड़ाकू वायुयान (एलसीए) तेजस के प्रौद्योगिकी प्रदर्शक (टीडी1) की पहली उड़ान भरी गई। तब से एलसीए के दो प्रौद्योगिकी प्रदर्शकों तथा एक प्रोटोटाइप वाहन (पीवी1) पर उड़ान जांचे की जा रही हैं। 06 जून, 2002 को जांच कार्यक्रम में दूसरा प्रौद्योगिकी प्रदर्शक (टीडी2) शामिल हुआ। कम भार वाला मानक एलसीए प्रोटोटाइप वाहन (पीवी1) 25 नवंबर, 2003 को टेस्टिंग फ्लीट में शामिल हुआ। दिसंबर, 2004 से तेजस ने 321 उड़ान जांचे पूरी की हैं, जिसमें पराध्वनिक उड़ानें भी शामिल हैं। चौथे तेजस वायुयान (पीवी2) का कार्य प्रगति पर है, जो कि उत्पादन स्तर का है और इसके शीघ्र ही उड़ान भरने की आशा

है। प्रशिक्षक रूपांतर एलसीए (पीवी5) की डिज़ाइन गतिविधियां प्रगति पर हैं जिसमें एलसीए (नौसेना) के साथ समानता सुनिश्चित की गई है। एचएएल में वायुयान को सेना में शामिल करने में सहायता के लिए उत्पादन प्रबंध की भी समानांतर रूप से योजना बनाई जा रही है। वर्ष 2007 तक तेजस की प्रारंभिक संक्रियात्मक अनुमति प्राप्त कर ली जाएगी।

8.10 गैस टरबाइन अनुसंधान स्थापना में कावेरी इंजन की 1300 से अधिक घंटों तक विकास जांच की गई तथा मै० सीआईएएम, रूस में उच्च तुंगता जांच के चरण-1 तथा 11 सफलतापूर्वक पूर्ण किए गए। एचएएल द्वारा निर्मित प्रथम इंजन के-6 अपनी अधिकतम क्षमता तक चला है। जून, 2004 के दौरान कोर इंजन (सी4) की जांच में कंप्रेसर सर्ज मार्जिन भी प्रदर्शित किया गया था। वर्तमान समय में जीटीआरई में मौजूदा के 9 श्रृंखला के इंजनों को अंतरिम उड़ान स्तर तक बदलने का कार्य प्रगति पर है ताकि इसको दिसंबर, 2006 तक एलसीए के साथ एकीकृत कर दिया जाए। सरकार ने एलसीए के सभी तीनों रूपांतरों के लिए कावेरी इंजन कार्यक्रम हेतु और 2800 करोड़ रु० मंजूर किए हैं तथा वर्ष 2007 तक उत्पादन रिलीज हेतु कावेरी इंजन के संरूपण को पूरा करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

8.11 ''कावेरी मेरीनाइसेशन'' परियोजना हाथ में ली गई है तथा उप-प्रणालियों के विस्तृत डिजाइन का कार्य पूरा हो गया है। कावेरी मरीन गैस जनरेटर का परीक्षण 09 अप्रैल, 2004 को आरंभ हुआ और लाइट अप में पुनरावृति क्षमता 4-6 सैकण्ड में तथा निष्क्रिय गति पर त्वरण प्राप्त किया गया। निष्क्रिय गतिपर निष्पाादन की तुलना इसके निमित बनाए डिज़ाइन से की गई। इसने लगभग 8 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन किया। इंजन ने प्रथम निर्माण में 7 घंटों का परीक्षण पूरा कर लिया है और 10 नवंबर, 2004 को 100% आघूर्ण प्रति मिनट (आरपीएम) तक चला है।

8.12 लक्ष्य - यह एक चालक रहित लक्ष्य वायुयान है, इसमें तीनों सेनाओं के प्रशिक्षण के लिए हवाई सुरक्षा पायलटों के गन तथा मिसाइल चालक दल को प्रशिक्षण के लिए हवाई लक्ष्य प्रदान करने के लिए जमीन से रिमोट द्वारा चालित हवाई दल को प्रशिक्षण के लिए हवार्ह लक्ष्य प्रदान करने के लिए जमीन से रिमोट द्वारा चालित हवाई लक्ष्य प्रणाली लगी है। लिमिटेड सीरीज़ प्रोडक्शन (एलएसपी) योजना के तहत 2001-02 में पांच लक्ष्य वायु सेना को सौंपे गए थे। इन्होंने 32 से अधिक उड़ानें भरी हैं। तीन लक्ष्य नौसेना के सुपुर्द भी किए गए हैं। नौसेना ने कुल 14 उड़ानें आयोजित कीं। लक्ष्य थल सेना को भी दिए गए हैं और इन-सर्विस अभियानों को डीआरडीओ सहयोग दे रहा है।

8.13 रक्षा उड्डयानिकी अनुसंधान संस्थान (डेयर), बंगलौर डीआरडीओ की एक प्रयोगशाला है। इसने वायुवाहित इलैक्ट्रानिक वारफेयर, वायुवाहित प्रासेसर तथा इलैक्ट्रानिक्स वारफेयर (ई डब्ल्यू) प्रणाली का परीक्षण तथा मूल्यांकन के क्षेत्र में तेजी से विकास किया है। प्रयोगशाला ने मिग, जगुआर तथा सी-हैरीयर श्रेणी के विभिन्न लड़ाकू वायुयानों की बचाव क्षमता तथा

मिशन निष्पादन को बढ़ाने के लिए रेडार चेतावनी तथा ई डब्ल्यू सूट का डिज़ाइन तथा विकास किया है। इन प्रणालियों का उत्पादन भारत इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड (बी ई एल) में किया जा रहा है। डेयर ने मिशन उड्डयानिकी जिसमें एलएसी के लिए मिशन कंप्यूटर, एसयू-30 तथा जगुआर वायुयान शामिल है, के क्षेत्र में स्वदेशी विकास मे भी अग्रता हासिल की है जिसका अपेक्षित मात्रा में विकास और सुपुर्दगी की गई।

8.14 सेना उड़ान योग्यता प्रमाणीकरण केन्द्र (सेमीलेक) की स्थापना 1994 में की गई थी। यह बंगलौर में कार्यरत है तथा यह सेना वायुयान तथा वायुवाहित प्रणालियों के उड़ान योग्यता प्रमाणीकरण का नोडल प्वाइंट है। सेना उड़न योग्यता (आरसीएमए) के 14 क्षेत्रीय केन्द्र हैं जो पूरे देश में फैले हुए हैं तथा एचएएल की विभिन्न डिविज़नों, अनुसंधान तथा विकास स्थापनाओं और बेस रिपेयर डिपो (बीआरडी) पर स्थित हैं, जो डिज़ाइन, उत्पादन तथा वायुयान तथा इसकी प्रणालियों के ओवरहाल के दौरान समकालीन उड़ान योग्यता को सुनिश्चित करते हैं। सेमीलेक, डिज़ाइन मूल्यांकन तथा उड़ान योग्यता प्रमाणीकरण का कार्य दुनिया भर की इस प्रकार की संस्थाओं की बराबरी से करता है।

8.15 सरकार ने वायु वाहित प्रणाली केन्द्र (कैब्स), बंगलूर के लिए 2000 करोड़ रु० मूल्य के वायुवाहित पूर्व चेतावनी एवं नियंत्रण (एईडब्लयूएंडसी) कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। ऑपरेशनल एईडब्ल्यूएंडसी प्रणाली क्षमता वाली एक प्रयोगशाला प्रोटोटाइप तथा एक इंजीनियरिंग प्रोटोटाइप के विकास की परिकल्पना की गई है। सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थान, शैक्षिक संस्थाएं तथा निजी फर्में विकास के कार्य में भाग ले रही हैं। तड़ित (लाइटनिंग) परीक्षण सुविधाओं की स्थापना भी कैब्स में कर ली गई है जहां स्वदेशी कार्यक्रम की प्रणालियों जैसे तेजस, एडवांस लाइट हैलिकॉप्टर (ए एल एच), इंटरमीडिएट जेट ट्रैनर (आई जे टी) तथा सारस का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है।

8.16 हवाई वितरण अनुसंधान तथा विकास संस्थान (एडीआरडीई), आगरा स्थित डीआरडीओ की प्रयोगशाला ने भारतीय वायुसेना के इन्डेंट के एक हिस्से के रूप में एयरक्राफ्ट अरेस्टर बैरियर (20 टन क्लास) के 4 सेट की आपूर्ति तथा स्थापना की है। पायलेट पैराशूट (भारतीय वायुसेना के विभिन्न प्रकार के वायुयानों के लिए), मिग-29 (उच्च तुंगता वर्जन) के लिए ब्रेक पैराशूट तथा व्हेपन डेलिवरी पैराशूट का विकास/वितरण किया गया। एक आधुनिक समाघात फ्री फाल पैराशूट प्रणाली का विकास किया गया है। एडीआरडीई, आगरा ने पहली बार इसरो के स्पेस रिकवरी परीक्षण कार्यक्रम के लिए पुनः प्रवेश केप्सूल की रिकवरी के लिए पैराशूट रिकवरी तथा फ्लोटेशन प्रणाली का विकास किया है। इस प्रणाली ने परीक्षण की विभिन्न अवस्थाओं जैसे एएन-32 वायुयान से डमी गिराना, वास्तपिक केप्सूल वज़न के साथ हेलीकाप्टर से उच्च तुंगता परीक्षण में अपनी योग्यता साबित कर दिखाई है। अंतिम और पूर्ण प्रणाली दिसंबर, 2005 में करने की योजना है।

8.17 त्रिशूल तीनों सेनाओं के लिए कम लेवल पर शीघ्र प्रतिक्रिया करने वाली सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल है। वर्ष 2003-04 के दौरान लगातार सात सफल उड़ान परीक्षण केवल निर्देशन प्रणाली के प्रदर्शन के लिए किए गए थे। इसमें बड़ी उपलब्धि 25 मार्च, 2004 को वारहैड डेटोनेशन से रिमोट द्वारा चालित विमान का पूरी तरह विनाश था। वायुसेना के लिए लांचर तथा रड़ार वाहन ''त्रिशूल ग्राउंड इलैक्ट्रॉनिक्स एंड रेडार व्हीकल'' (टीजीईआरवी) का उत्पादन प्रारूप तैयार कर लिया है। पिछले कुछ महीनों में टीजीईआरवी को उन्नत किया गया है तथा इन जमीनी प्रणालियों के उत्पादन प्रारूप का प्रयोग करते हुए 15 सितंबर, 2004 को सफल डड़ान भरी गई। भारतीय वायुसेना की आवश्यकता के अनुसार त्रिशूल की श्रेणी को बढ़ाया गया है।

8.18 एकल लक्ष्य के मिशन में वारहैड के साथ हवा से हवा में मार करने वाली शस्त्र प्रणाली आकाश की सफलतापूर्वक उड़ान की गई। इसके बाद आकाश शस्त्र प्रणाली का एक साथ मल्टी-टार्गेट एंगेजमैंट कैपेबिलिटि का प्रदर्शन दो जीवित लक्ष्यों के विरुद्ध किया गया। पिछली 10 सतत् परीक्षण उड़ानों के दौरान नोदन, नियंत्रण तथा निर्देशन प्रणालियों के एकरूप निष्पादन का प्रदर्शन किया गया। ग्रुप नियंत्रण केन्द्र तैयार कर लिया गया है। मिसाइल तथा विभिन्न भू-प्रणालियों की आपूर्ति सरकारी तथा निजी क्षेत्र के उत्पादन कार्य केन्द्रों द्वारा की गई है। इन प्रणालियों की आपूर्ति के लिए गुणवत्ता आवश्यकताओं को अंतिम रूप दे दिया है।

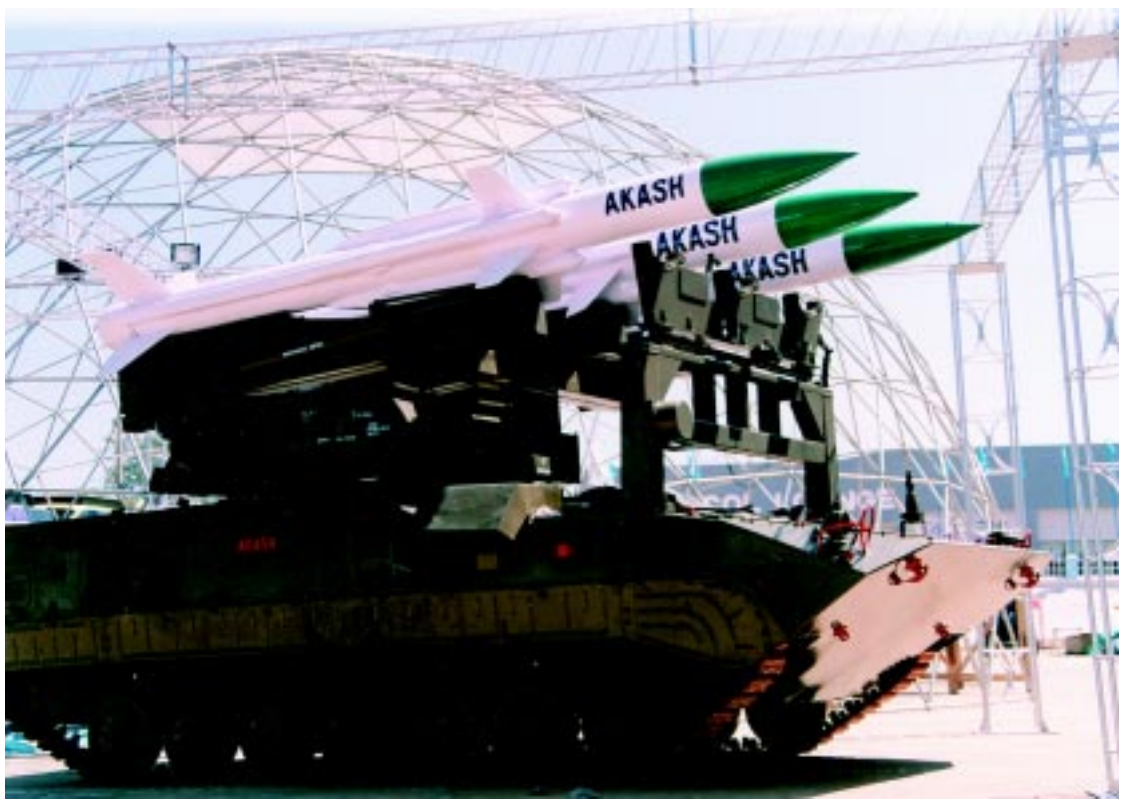

एरो इंडिया 2005 में आकाश मिसाइल सिस्टम का प्रदर्शन

8.19 नाग, तीसरी पीढ़ी की टैंक-रोधी निदेशित मिसाइल के वर्ष 2004 के दौरान पांच निदेशित उड़ान परीक्षण किए गए हैं। 11 अक्तूबर, 2004 को किया गया एक उड़ान परीक्षण जीवित वारहैड से पूरे प्रचालन विन्यास के साथ था। वर्ष के दौरान लक्ष्य प्राप्ति प्रणाली का निष्पादन भी अंतिम रूप में स्थापित कर लिया गया। एएलएच-नाग लांचर प्रोटोटाइप का विकास पूरा हो गया है।

8.20 मध्यम रेंज की अग्नि-1 तथा अग्नि-11 मिसाइलों का सफल उड़ान परीक्षण जुलाई-अगस्त 2004 के दौरान किया गया। इन दोनों मिसाइल प्रणालियों को सशस्त्र सेना में शामिल करने की स्वीकृति मिल गई है।

8.21 विश्व की सर्वोत्तम सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ब्रह्मोस को भारतीय तथा रूसी वैज्ञानिकों के संयुक्त प्रयास के द्वारा विकसित किया गया है। यह मिसाइल क्रूज मिसाइलों में अग्रणी है तथा यह ध्वनि की गति से 2-8 गुना की गति से उड़ान भरने वाली एकमात्र मिसाइल है। इस मिसाइल को विभिन्न प्लेटफार्मों-जहाज, पनडुब्बी, भू-मोबाइल लांचरों तथा वायुयान से जहाज तथा भू-लक्ष्यों से लांच किया जा सकता है। ब्रह्मोस के भू-रूपांतर का परीक्षण फायर दिसंबर, 2004 में सफलतापूर्वक किया गया। ब्रह्मोस को भारतीय नौसेना में शामिल किया जा रहा है तथा यह क्रम उत्पाद फेज में प्रवेश कर गया है।

8.22 वायुगतिक अभिकलन तथा मूल्यांकन (पेस), के लिए एक प्रोसेसर, एक 128-नोड समानांतर संसाधित करने की प्रणाली का डिज़ाइन डीआरडीओ की एक प्रयोगशाला, अनुराग द्वारा भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी), बंगलौर के लिए किया गया है। जनवरी, 2004 में इसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा आईआईएससी, बंगलौर में राष्ट्र को समर्पित किया गया था। एक स्वदेशी डेस्क्टॉप कंप्यूटर अबैकस तैयार किया गया है जो सामान्य उद्देश्य वाले माइक्रोप्रोसेसर पर आधारित है। प्रोटोटाइप समानांतर संसाधित प्रणाली पर आधारित एक 16-नोड अबैकस प्रोसेसर को भी विकसित किया गया है।

8.23 तोपखाना समाघात कमान तथा नियंत्रण प्रणाली (एसीसीसीएस) के सफल विकास और प्रयोक्ताओं द्वारा इसके मूल्यांकन करने के बाद बीईएल द्वारा सेना के लिए 6 रेजिमंटल प्रणालियों का सीमित श्रेणी उत्पादन किया जा रहा है। थलसेना ने शक्ति परियोजना के तहत बीईएल को एक टेस्ट-बेड कॉप्स-लेवल मार्क-II प्रणाली के लिए आदेश दिया है।

8.24 टैंक टी-72 में प्रयोग के लिए 125 एम एम फिन स्टैब्लाइज़्ड आर्मर पियरसिंग डिस्कार्डिंग सैबो (साफ्ट कोर, एफएसएपीडीएस) गोलाबारूद मैक-I का उत्पादन किया जा रहा है। बढ़ी हुई फायर पावर (प्राणघाती) के साथ इस गोलाबारूद के मैक-II रूपांतर का विकास पूरा हो गया है तथा प्रयोक्ता परीक्षण सफलतापूर्वक कर लिया गया है।

8.25 आयुध अनुसंधान तथा विकास स्थापना (एआरडीई), पुणे ने भी एक अंडर बैरेल ग्रेनेड लांचर (यूबीजीएल) विकसित किया है

जो 5.56 एमएम आईएनएसएएस राइफल तथा एके-47 के अनुकूल है। प्रदर्शन के आधार पर प्रयोक्ता ने इसे सेना में शामिल करने की सिफरिश की है।

8.26 मौजूदा पीढ़ी की सामरिक मिसाइलों की प्रणोदन प्रणाली के बेहतर प्रदर्शन हेतु केस बांडिड मोड में मिश्रित नोदक ग्रेन की आवश्यकता है। केस बांडिड मोटर के प्रोसेसिंग के लिए बेहतर ज्वलन विशिष्टताओं की प्रौद्योगिकी का विकास कर लिया गया है।

8.27 हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों में नोदक के निम्न तापमान वाले गुण मिसाइलों के विश्वसनीय प्रदर्शन के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण है। क्रियाशील एवं दीर्घीकरण दोनों प्रचलानों को पूरा करने के लिए ठोस नोदक प्रतिपादन विकसित कर लिया गया है।

8.28 नौसेना विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला, विशाखापट्टनम ने एएलएच के लिए हेलिकॉप्टर अग्नि नियंत्रण प्रणाली तथा टॉरपीडो इलैक्ट्रॉनिक्स विकसित किया है।

8.29 टॉरपीडो डिटेक्शन तथा प्रलोभक प्रणाली के डिज़ाइन एवं विकास को संयुक्त रूप से नौसेना भौतिक समुद्र विज्ञान प्रयोगशाला (एनपीओएल) तथा नौसेना वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला (एनएसटीएल) द्वारा किया गया है। एनपीओएल ने कर्षित प्रलोभक तथा ऐरे के डिज़ाइन को पूरा किया है। यह प्रणाली दिसंबर, 2005 तक तैयार हो जाएगी। इसमें ध्वनि, रेडार क्रास सेक्शन तथा इन्फ्रा-रेड सिग्नेचर पूर्वानुमान तथा प्रबंधन सुविधा है। निम्न आवृति डंकिंग सोनार के डिज़ाइन तथा विकास को शुरू किया गया है।

8.30 भारी वाहन फैक्ट्री (एचवीएफ), आवड़ी ने सीवीआरडीई जो कि मोहरबंद विवरण धारक प्रधिकारी (एएचएसपी) है, के मार्गनिर्देशन में आदेशित 124 में से 5 एमबीटी अर्जुन टैंकों का उत्पादन एवं वितरण कर दिया है। ये पांच टैंक 07 अगस्त, 2004 को रक्षा मंत्री द्वारा थल सेनाध्यक्ष को सौंपे गए हैं। प्रौद्योगिकी का स्थानांतरण शीघ्र ही किए जाने वाला है। नौ और अर्जुन टैंकों का उत्पादन सन् 2005 के मध्य तक होने की संभावना है।

8.31 एचवीएफ में विभिन्न आधुनिक योजनाओं सहित संग्राम संशोधित अजय (सीआईए) टैंकों का उत्पादन जोरों पर है। लगभग 40 सीआईए अजय टैंकों जिसमें बेहतर सुरक्षा एवं विशुद्ध जीपीएस मार्गनिर्देशन प्रणाली हेतु विस्फोटक रिएक्टिव कवच (ईआरए) लगे हुए हैं, को एचवीएफ से तैयार कर दिया गया है। दूसरी सुधारात्मक योजनाओं जैसे समाकलित अग्नि संसूचन एवं दमन प्रणाली को समाकलित करने संबंधी अविरत प्रयास जारी हैं।

8.32 आर्डनेन्स फैक्ट्री मेडक (ओएफएमके) द्वारा मांगे गए 198 कैरियर मोर्टार ट्रेक्ड वाहनों में से 168 का उत्पादन कर दिया है। डीआरडीओ द्वारा तैयार बीएमपी-II चैसिस पर 50 विचित एम्बुलैंस के उत्पादन संबंधी मांग ओएफएमके को दी गई है। कवचित एम्बुलैंस के पाइलट नमूने के उत्पादन के लिए सीवीआरडीई द्वारा उत्पादन एवं निरीक्षण

एजेन्सियों को सभी तकनीकी सहायता प्रदान की गई है।

8.33 सेमी-एक्टिव लेज़र होमिंग मिसाइल को एमबीटी अर्जुन की मुख्य तोप से सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया गया है। एमबीटी अर्जुन में लाहत मिसाइलों के फायर प्रदर्शन के लिए अपेक्षित चल टेलिमेट्री स्टेशन, जनरेटर वाहन, विशेष टार्गेट फिक्सचर एवं अन्य परीक्षण उपस्कर को इस उद्देश्य से तैयार किया गया था। प्रयोगात्मक टैंक ''टैंक X'' की फायरिंग क्षमता की पुष्टि वर्ष 2004 के ग्रीष्म में इसके मूल्यांकन के दौरान की गई थी। इसे उन्नत स्वचालित निष्पादन के लिए उच्च एचपी इंजन के साथ समाकलित किया जा रहा है।

8.34 भावी इन्फेन्ट्री काम्बेट वाहन (आईसीवी) - अभय का पहला प्रोटोटाइप के रूप में आधुनिक हाइड्रो-न्यूमेटिक सस्पेंशन प्रणाली सहित स्वेदेशी स्वचालित प्रणाली के साथ एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शक के रूप में देखा गया है। वांछित बचाव स्तरों के लिए स्वदेश विकसित मिश्रित, टिटेनियम एवं कठोर कवच स्टील का प्रयोग किया गया है। टरेट में भावी लक्ष्यों को भेदने हेतु शस्त्र प्रणालियों का मिश्रण समाकलित है जिन्हें स्वदेशी फायर नियंत्रण एवं तोप नियंत्रण प्रणाली से सहायता मिलती है।

8.35 बीएमपी-11 पर कवचित जल-थलीय इंजीनियर टोही वाहन के पहले पाइलट वाहन को थलसेना द्वारा मंजूरी दे दी गई है। मांगे गए 16 टोही वाहनों में से तीन वाहनों को तैयार कर 2005 के मध्य तक थलसेना को सौंपे जाने की आशा है। बीएमपी-11 पर कवचित जलथलीय डोजर (एएडी) के छः वाहनों की मांग थलसेना द्वारा की गई है।

भावी इंफेन्ट्री कम्बैट व्हीकल ''अभय'' (कवचित प्रोटोटाइप)

वाहन को 2005 के मध्य तक निकासी हेतु थलसेना के सुपुर्द कर दिया जाएगा।

8.36 सीमित क्रमिक उत्पादन हेतु आदेशित सर्वत्र के पांच सेटों तथा टी-72 टैंकों पर बीएलटी की चार संख्याओं को पूरा कर थल सेना के सुपुर्द कर दिया गया है। बीएलटी की शेष 06 संख्याओं को एचवीएफ, अवाड़ी से बीएलटी कैरियार वाहनों की रसीद मिलने के बाद तैयार कर लिया जाएगा।

8.37 डीआरडीओ की एक स्थापना हिम तथा अवधाव अध्ययन स्थापना (सासे) ने परंपरागत वेधशालाओं को आधुनिक मौसम स्टेशनों मे प्रोन्नत कर दिया है। पंद्रह नए स्वचालित मौसम स्टेशन पश्चिमी हिमालय में स्थापित किए गए हैं। हिमाच्छादित क्षेत्रों में तैनात जवानों और आम जनता के लिए न्यूरल नेटवार्क, फ्यूजी लोजिक आदि पर आधारित तकनीक ने सटीक मौसम जानकारी एवं हिम पूर्वानुमान में सहायता की है। नियमित अवधाव पूर्वानुमान जारी होने एवं अवधाव सुरक्षा/जागरूकता कार्यक्रमों ने कीमती जान-माल की सुरक्षा में काफी सहायता की है। सासे ने थल सेना के लिए रिमोट सेन्सिंग तथा जीआईएस तकनीक का प्रयोग करते हुए अवधाव संकट ''डैट कार्डस'' तैयार किए हैं। ये कार्ड हस्तचालित, आसानी से देखने लायक अवधाव स्थल सहित चिन्हित ट्रेक प्रोफाइल वाले एवं डिजीटल भू-भाग माडल सहित क्षेत्र के बारे में विशेष जानकारी देने वाले हैं।

8.38 थल सेना के लिए संयुक्त एक इलैक्ट्रॉनिक युद्धपद्धति (ईडब्ल्यू) कार्यक्रम है। कंट्रोल सेंटर (सीसी) ब्लॉक के पहले उत्पादन क्रमिक यूनिट को संचार खंड पर स्थापित किया गया है। गैर-संचार (नॉन-कम्यू) एंटिटी को मूल्यांकित कर प्रदर्शित किया गया है। इस यूनिट का फील्ड मूल्यांकन किया जा रहा है।

8.39 संग्रह नौसेना के लिए स्वदेशी इलैक्ट्रॉनिक युद्धपद्धति कार्यक्रम है। बीईएल द्वारा विभिन्न ई डब्ल्यू प्रणालियों का उत्पादनीकरण कर उन्हें विभिन्न प्लेटफार्मों पर स्थापित किया गया है। एलोरा, इलैक्ट्रानिक सपोर्ट मेजर (ईएसएम) प्रणाली को भी पूरा कर लिया गया है।

8.40 संवाहक एक कोर है जो बटालियन स्तर निर्णय सहायक प्रणाली को एकत्र कर, मिलाकर, प्रक्रियाबद्ध कर तथा आसूचना एवं संभारिकी सूचनाओं को प्रसारित कर थल सेना कमांडरों तक पहुंचाता है। यह सॉफ्टवेयर फील्ड स्टेशन पर तैनात किया गया है एवं इसका उपयोग किया जाना है।

8.41 आधुनिक प्रौद्योगिकी पर आधारित न्यूक्लियर बॉयोलाजिकल तथा एमके-1वर्ज़न से तीन गुणा अधिक अवशोषण क्षमता रखने वाले नई पीढ़ी के एक आणविक जीव वैज्ञानिक तथा रासायनिक (एनबीसी) वेध्य सूट को तैयार किया गया है। इस सूट को जवानों द्वारा रायनिक युद्ध पद्धति एवं संदूषित वातावरण में प्रयोग किया जाना है। इसकी मुख्य विशेषताएं हल्का वजन, ज्वाला मंदन एंव फ्लूटोकार्बन इलाज है। इसका परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है।

8.42 रक्षा धातुकर्मीय अनुसंधान प्रयोगशाला, हैदराबाद ने अल्प समाप्त उत्पादों के लिए संसाधन रूट स्थापित करने एवं कावेरी इंजन के लिए समाप्त घटकों के उत्पादन हेतु

प्रौद्योगिकी को मानकीकृत कर दिया गाय है। प्लेटिनम मिश्रधातु टीआई-600 तैयार है और यह टाइप सर्टिफिकेशन की अग्रिम अवस्था में है तथा इसके तैयार घटकों का मूल्यांकन किया जा रहा है। नौसेना के अनुप्रयोग के लिए दो तरह का स्वदेशी इस्पात भी विकसित किया गया है। एसएआईएल की मौजूदा सुविधाओं एवं संदर्श योजनाओं को ध्यान में रखते हुए प्रयोगशाला ने औद्योगिक प्रोसेसिंग चक्र तैयार कर लिया है। भारतीय नौसेना ने उक्त स्टील के लिए 200 करोड़ रु० तक की मांग प्रस्तुत की है।

8.43 विकिरण चिकित्साा और रासायनिक संदूषित क्षेत्रों का सर्वेक्षण करने के लिए डीआरडीओ ने बीएमपी-11पर आधारित एनबीसी टोह वाहन विकसित किया है। इस वाहन में रोंजेनोमीटर, पोर्टेबल डोज़ रेट मीटर, पॉकेट डोजीमीटर, रेडियो फोटो ल्युमिसेन्स (आरपीएल) लॉकेट आदि जैसे आणविक सेंस्र लगे हैं। रासायनिक युद्ध पद्धति एजेंट का एम-90 और पोर्टेबल गैस क्रोमेटोग्राफ से पता लगाया जाता है। इस वाहन में प्रयोगशाला विश्लेषण हेतु संदूषित क्षेत्र से नमूने एकत्र करने की व्यवस्था है।

प्रौद्योगिकी विकास/नवीकरण

8.44 डीआरडीओ ने फोटोनिक्स प्रौद्योगिकियों पर आधारित युक्तियों और प्रणालियों के विकास के लिए फोटोनिक्स फेज़-11 कार्यक्रम शुरू किया है। प्रौद्योगिकी के भूमिक विकास में लेसर डायोड ऐरे का विकास, टयूनेबल इंफ्रा-रेड लेसर सोर्स, अनुकूली प्रकाशीय बिंबन, टार्गेटों को लक्षित करना और ट्रेकिंग तथा टार्गेट पहचान शामिल होंगे।

8.45 नौसेना के इस्तेमाल के लिए समुद्री सतह और नौकाओं, जहाजों, फ्रिगेट, समुद्र के ऊपर से गुजरने वाली, नीची उड़ान भरने वाले वायुयानों और समुद्री कोलाहल और बारिश में पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए तटवर्ती गश्ती रेडार (मेरीटाइम पेट्रोल रेडार) को डिज़ाइन और विकसित किया गया है। अंशांकित टार्गेटों के साथ योग्यता परीक्षण पूरे कर लिए गए हैं और रेडार लक्ष्यों का पता लगाने मे सभी गुणात्मक जरूरतों पूरी करते हैं। डार्नियर पर रेडार का समाकलन किया जा रहा है।

8.46 कोहरा/धुंआ/धूल जैसी मौसम की खराब स्थितियों में टार्गेटों का पता लगाने के लिए डीआरडीओ ने मिलीमीटर तरंग आवृत्तियों पर फोकल प्लेन ऐरे (एफपीए) इमेजर का विकास किया है।

8.47 भूमिगत जल में निहित फ्लोराइड तत्व को हटाने के लिए डीआरडीओ की एक प्रयोगशाला रक्षा अनुसंधान तथा विकास स्थापना (डीआरडीई) ने दो स्वदेशी खाद्य पौध पदार्थों के भरम से निकले मूसा अलबेसियाना और फैसिलस मुंगो (एचके-1 और एचके -2) का उपयोग किया है। परिणाम दर्शाते हैं कि इस विधि से 60 से 62% फ्लोराइड की मात्रा दूर हुई है। वाइब्रो कोलरा स्ट्रेन टाइप के लिए एक नई पद्धति विकसित की गई है जो हैज़ा के फैलने की आणविक जानपदिक रोगविज्ञानी जांच के लिए अत्यंत उपयोगी है। लेपटास्पाइरासिस रोग नैदानिक किटों का विश्व

स्वास्थ्य संगठन द्वारा सफलतापूर्वक मूल्यांकन किया गया था और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इन किटों को प्राप्त करने के लिए आदेश दिए थे। अश्वों मे ग्रंथी रोग के कारक एजेंट बी मेली के लिए पालिमरेस चेन रिएक्शन (पीसीआर) आधारित संसूचन प्रणाली विकसित की गई है। कोल्ड स्लाटर्ड मीट का पता लगाने और मीट की माइक्रोबियल गुणवत्ता की जांच के लिए विकसित जांच किट मूल्यांकन हेतु विभिन्न यूनिटों को दी गई है और यह रिमोंट वेटरिनरी कोर (आरवीसी) यूनिटों में अत्यंत उपयोगी पाई गई है।

मूलभूत अनुसंधान

8.48 सामरिक महत्त्व के क्षेत्रों में बुनियादी अनुसंधान को बल प्रदान करने के लिए डीआरडीओ में चार अनुसंधान बोर्ड कार्य कर रहे हैं। ये बोर्ड हैं : वैमानिकी अनुसंधान एवं विकास बोर्ड (एआरएंडडीबी); आर्मामेंट रीसर्च बोर्ड (एआरएमआरईबी); नौसेना अनुसंधान बोर्ड (एनआरबी) और जीव विज्ञान अनुसंधान बोर्ड (एलएसआरबी)। ये बोर्ड शैक्षिक संस्थानों और अन्य राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं के साथ अनुमोदन, निधियन और सहायता अनुदान परियोजनाओं की मानीटरी कर सहयोगी ढंग से अनुसंधान को बढ़ावा देते हैं।

8.49 एआरएंडडीबी ने फरवरी 1971से करना प्रारंभ किया और तब से 35 संस्थानों की लगभग 1280 परियोजनाओं के लिए निधिकरण किया। फिलहाल 25 शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थाओं पर 100 परियोजनाओं के लिए निधिकरण कर रहा है। वैमानिकी अनुसंधान एवं विकास के ऊपरी क्षेत्रों में इसकी निधिकरण सीमा 5 करोड़ रू० प्रति वर्ष है। सिस्टम डिज़ाइन एवं इंजीनियरी, कंपोजिट स्ट्रक्चर टैक्नोलॉजी तथा कंप्यूटेशन फ्लूड डायनामिक्स (सीएफडी) के क्षेत्र में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई, राष्ट्रीय एयरोस्पेस लिमिटेड, बंगलूर तथा भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलूर में तीन विशिष्टता केन्द्र स्थापित किए गए हैं, जिनके सहायोगी केन्द्र आईआईटी कानपुर, मुंबई और खड़गपुर में हैं। एआरएंडडीबी वेबसाइट डीआरडीओ डॉटकाम के माध्यम से चलाई जा सकती है।

8.50 आर्मामेंट रिसर्च बोर्ड के तहत 53 परियोजनाएं मंजूर की गई हैं, जिसमें विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों और अन्य अनुसांधान एवं विकास संगठन के लिए आर्मामेंट से जुड़े उच्च ऊर्जा सामग्रियों के क्षेत्र, सेंसरों, बालिस्टिक्स, कंबस्शन एवं डेटानिक्स, मॉडलिंग/सिम्युलेशन तथा अन्य क्षेत्र शामिल हैं। इनमें से 26 परियोजनाएं सफलतापूर्वक पूरी हो गई हैं और शेष पर काम किया जा रहा हैं।

8.51 जीव विज्ञान अनुसंधान बोर्ड जीव विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग करने, उसका विस्तार करने तथा उसे और अधिक गहन करने की अपनी नीति को जारी रखे हुए है। इसने शैक्षणिक संस्थानों को 14 परियोजनाओं की मंजूरी दी है, जिससे मंजूर परियोजनाओं की कुल संख्या 73 हो गई है। कुछ परियोजनाएं जो एलएसआरबी द्वारा सहायता प्राप्त हैं, वे हैं संक्रामक रोग का शीघ्रता से निदान, पिजनपी में पॉड बोरर के लिए इंजीनियरिंग रजिस्टेंस, ट्रोपिकल टयूबर कोर के लिए माइकोरहिजल टेक्नोलॉजी, हास्पिटल वेस्ट, समुद्री जीवों की दुर्गंध-रोधी, युद्धनीति इत्यादि।

8.52 नौसेना प्रौद्योगिकियों के लिए बुनियादी अनुसंधान को नौसेना अनुसंधान बोर्ड सहायता कर रहा है। शैक्षणिक संस्थानों को 2.42 करोड़ रु० की लागत से 8 नई अनुदान सहायता परियोजनाएं मंजूर की गई थीं और कुल 48 परियोजनाओं में से 22 परियोजनाएं पूरी कर ली गई हैं।

बाह्य अनुसंधान एवं बौद्धिक संपत्ति अधिकार

8.53 विज्ञान और प्रौद्योगिकी के युवा अनुसंधान-कर्ताओं की जानकारी को बढ़ाने के लिए अनुसंधान अवसरों की उपलब्धता में वृद्धि करने हेत्क शैक्षणिक समुदायों के साथ डीआरडीओ का आपसी संपर्क व्यापक रूप से मजबूत किया गया है। शैक्षणिक संस्थाओं में उपलब्ध बौद्धिक स्रोतों के साथ जुड़े वर्धित बाह्य निधिकरण नई-नई प्रौद्योगिकियों की ओर अभिमुख नए विचारों की उत्पत्ति और विकास को उत्प्रेरित करेंगे। अधिक मात्रा में धन की उपलब्धता से देश में अनुसंधान और विज्ञान की स्थिति को बल मिलेगा। कल्पनामूलक परयोजनाएं बाह्य अनुसंधान योजनाओं का केन्द्र होती हैं, जिन्हें योजना के तहत सहायता दी जाती है।

8.54 उपर्युक्त को देखते हुए बाह्य अनुसंधान योजना ने अपनी शैक्षणिक पहुंच को बढ़ा दिया है और बौद्धिक तथा अवसंरचनात्मक स्रोतों की उपलब्धता के लिए उचित सावधानी रखी जाती है। चालू वर्ष के दौरान कुल 5 करोड़ रु० मूल्य की 21 मई परियोजनाएं मंजूर की गई हैं। यह परियोजनाएं देश की ख्याति प्राप्त 19 शैक्षणिक/अनुसंधान संस्थानों में फैली हुई हैं। शेष वित्त वर्ष के दौरान 11 करोड़ रु० की अनुमानित लागत से लगभग 25 और परियोजनाओं के अनुमोदित होने की उम्मीद है। ये परियोजनाएं कई शैक्षणिक/अनुसंधान संस्थानों को दी जाएंगी।

8.55 डीआरडीओ के अनुसंधान क्रिया-कलापों से तैयार की गई बौद्धिक संपदा को विशेष कानूनी संरक्षा प्रदान करने के लिए सामग्री, इलैक्ट्रॉनिक्स, जैव-चिकित्सा विज्ञान तथा खाद्य प्रौद्योगिकी के क्षेत्र के उत्पादों/प्रक्रियाओं के लिए 85 बौद्धि संपदा अधिकार आवेदन-पत्र (विदेश में प्रस्तुत 12 आवेदनों सहित) प्रस्तुत किए गए।

8.56 पिछले एक वर्ष के दौरान 27 पेटेंट (विदेश में दिए गए 3 पेटेंटों सहित) दिए गए और 28 मामले पेटेंट देने के लिए स्वीकार किए गए। इसके अलावा भारत में ही एक कॉपी राइट रजिस्टर किया गया। बौद्धिक संपदा अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रयोगशालाओं में 7 जागरूकता कार्यक्रम/कार्यशालाएं/पेटेंट क्लिनिक आयोजित किए गए।

सेनाओं की मदद

8.57 डीआरडीओ ने एक स्मार्ट वेस्ट विकसित की है जो समेकित संवेदक के साथ ईसीजी, ईएमजी, जीएसआर तथा शरीर के तापमान को मॉनीटर करने में सक्षम है। फील्ड की अवस्थाओं में इसके प्रदर्शन की प्रक्रिया चल रही है।

8.58 कम्बेट फ्री फॉल (सीएफएफ) प्रोटेक्टिव क्लोदिंग तथा उपस्कर जिसमें पैराट्रूपर्स के लिए कूदने का सूट, दस्ताने, बूट, चश्मे, हैल्मेट, जैक नाइफ शामिल हैं

और डीआरडीओ द्वारा पैराट्रूपर्स के लिए सीएफएफ ऑक्सीजन सिस्टम विकसित किया गया है। इसके तकनीकी परीक्षण चल रहे हैं और वर्ष 2005 के मध्य तक इनके उपभोक्ताओं को सौंपे जाने की संभावना है।

8.59 तेजस (एलसीए) के इंटेग्रेटिड लाईफ सपोर्ट सिस्टम (आईएलएसएस) के छद्म परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे कर लिए गए हैं और यह सिस्टम अब उड़ान योग्यता परीक्षणों के लिए तैयार है। सबमेरीन एस्केप सेट (एसईएस) के भी स्वीकार्यता परीक्षण किए गए हैं। एसईएस के लिए प्रथम बार भारत में विकसित स्वदेशी परीक्षण उपस्कर का सफलतापूर्वक नौसेना की कमानों में प्रदर्शन किया गया है।

8.60 सेना के लिए केनिस्टर(6.68 लाख रु०) पर्सनल डिकन्टामिनेशन किट (3.34 लाख रु०) तथा ट्राई कलर डिटेक्टर पेपर (टीसीडी) (3.34 लाख रु०) के थोक उत्पादन के लिए आदेश दिया गया है।

8.61 खून चूसने वाले कीटों से कार्मिकों को बचाने के लिए डीअरडीओ द्वारा विकसित एक बहु कीट रोधी स्प्रे गोल (मल्टी-इनसेक्ट रिपेल्लेंट स्प्रे फॉर्मूलेशन) रक्षा सेनाओं मे उपयोग हेतु सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा महानिदेशक द्वारा स्वीकार कर अनुशंसित किया गया है।

8.62 डीआडीओ द्वारा तापमान नियंत्रित बायो-डाइजेस्टर्स तथा मेटल बायो- डाइजेस्टर्स तैयार करके सेनाओं को दिए गए हैं।

8.63 तरह-तरह के रागी खाद्य उत्पाद, जैसे मंडुवे का मीठा मिश्रण, मंडुवे का मसालेदार मिश्रण तथा पोषक मिश्रित अनाज़ की चपातियां विकसित की गई हैं और भिन्न-भिन्न यूनिटों में प्रयोग किया गया है।

8.64 कई तरह के क्षुधावर्धक जैसे मिर्च चबीना, नीम्बु चबीना और जीरा चबीना डीआरडीओ द्वारा विकसित किए गए हैं। उच्च तुंगता क्षेत्रों मे स्थित यूनिटों मे इनके परीक्षण किए जा रहे हैं। इन क्षुधावर्धकों को सेनाओं ने बहुत पसंद किया है।

मानव संसाधन विकास

8.65 डीआरडीओ ने जनशक्ति के विकास के लिए एक गतिशील एवं सुव्यवस्थित तरीका अपनाया है। डीआरडीओ में मानव संसाधन विकास से संबंधित नीतियों और रणनीतियों के विकास हेतु एक समेकित पहल करने और इन्हें संगठनात्मक पद्धति में लागू करने के लिए मानव संसाधन सलाहकार निकाय का गठन किया गया है।

8.66 वैज्ञानिक, तकनीकी, प्रशासनिक तथा संबद्ध काडरों के प्रबंधन की देख-देख के लिए जनशक्ति आयोजना बोर्ड काम कर रहा है। डीआरडीओ की विभिन्न परियोजनाओं के लिए सभी श्रेणियों की जनशक्ति जरूरतों की समीक्षा की गई है, जिसमें काडर ढांचे को युक्ति संगत करना, प्रोत्साहन योजनाएं, प्रशिक्षण नीतियां, पदोन्नति के बढ़े हुए अवसर प्रदान करना, सेवानिवृत्ति हेतु साक्षात्कारों को आयोजन जैसे अनेक तरीके शामिल हैं। संगठन ने सर्वोत्तम प्रतिभाशाली व्यक्तियों को आकर्षित करने व उन्हें बनाए रखने के अलावा मानव संसाधनों का अधिकतम उपयोग भी सुनिश्चित किया है।

8.67 अपनी परियोजनाओं के लिए वैज्ञानिक तथा तकनीकी जानकारी की मौजूदा व भावी जरूरतों को पूरा करने के लिए अनेक तकनीकी तथा गैर-तकनीकी कार्यक्रम/ पाठयक्रम चलाए गए हैं। अनुसंधान तथा प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत कुल 42 व्यक्तियों को आईआईटी तथा अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों ने विभिन्न विषयों में एमई/एमटेक पाठयक्रमों हेतु प्रायोजित किया गया है।

8.68 इसी प्रकार सतत् शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों के लिए अलग-अलग विषयों पर 152 पाठयक्रम आयोजित किए गए हैं और मार्च, 2005 तक 19 और पाठयक्रम चलाए जाएंगे। डीआरडीओ के 2 प्रशिक्षण संस्थान हैं, एक है - पुणे स्थित आयुध प्रौद्योगिकी संस्थान, जो कि अब एक मानद विश्वविद्यालय है और यह आयुध विषय में उन्नत प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए है और दूसरा है- मंसूरी स्थित प्रौद्योगिकी प्रबंधन संस्थान, जो कि वैज्ञानिकों की उन्नत प्रबंधकीय प्रशिक्षण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए है। फिलहाल प्रशासन तथा संबद्ध काडरों हेतु प्रशिक्षण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए जोधपुर में एक केन्द्र का विकास किया जा रहा है और परिणामपरक नीतियों को लागू करने के लिए डीआरडीओ की सभी स्थापनाओं/ प्रयोगशालाओं में मानव संसाधन विकास इकाइयां (एचआरडी सैल) स्थापित की गई है।

उद्योग जगत के साथ पारस्परिक कार्रवाई तथा प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण

8.69 डीआरडीओ प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण द्वारा उद्योग जगत के साथ निकट संबंध बनाए रखता है। विभिन्न उत्पादों के प्रसंस्करण तथा उत्पादन के दौरान उद्योगों को आने वाली विभिन्न समस्याओं को समुचित सलाह/मार्गदर्शन द्वारा हल किया जाता है। और देश में औद्योगिक आधार को उन्नत करने के लिए संगठन की प्रयोगशालाओं में उपलब्ध विश्लेषण व परीक्षण सुविधाएं उद्योगों को भी मुहैया कराई जा रही हैं।

8.70 रक्षा सेना के उपयोग के अलावा रक्षा प्रौद्योगिकियों को आम आदमी की पहुंच में लाने के लिए डीआरडीओ ने वर्ष 2004-2005 के दौरान काफी बड़ी संख्या में आधुनिकतम प्रौद्यौगिकियां हस्तांतरित की हैं, जैसे एनबीसी के क्षेत्र में - कैनिस्टर, दस्ताने, ओवर-बूट, ऑटो-इन्जेक्टर्स, फिल्टर्स; जीव विज्ञान में - लिकोड्रमा रोधक, एग्जिमा रोधक, दांत दर्द रोधक, समुद्रतटीय झाड़ी (सीबकथार्न) से हर्बल पेय, हर्बल से हर्बल चाय, विष निराकरण फिल्टर्स, मच्छर रोधक स्प्रे तथा क्रीम, 2 डिऑक्सी-डी-ग्लूकोज 2 डीजी, फील्ड स्ट्रेचर्स, क्रिटीकल केयर वेंटीलेटर्स रिटोर्ट पाउच प्रोसेस, न्यूट्री बार, संरक्षित तथा सुगंधित चपातियां। ये दोहरे उपयोग वाली प्रौद्योगिकियां उत्पादन एवं वाणिज्यिकरण के लिए 40 से भी अधिक उद्योगों को हस्तांतरित की गई हैं।

9

अन्तर सेवा संगठन

दिल्ली कैंट स्थित परिचर्या सेना अस्पताल के स्कूल में दीप प्रज्जवलन समारोह

अन्तर सेवा संगठन

9.1 निम्नलिखित अन्तर सेवा संगठन सीधे रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं:-

(i) सैन्य इंजीनियरी सेवा

(ii) सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा महानिदेशालय

(iii) रक्षा संपदा महानिदेशालय

(iv) मुख्य प्रशासन अधिकारी का कार्यालय

(v) जनसंपर्क निदेशालय

(vi) सेना क्रय संगठन

(vii) सेना खेलकूद नियंत्रण बोर्ड

(viii) सशस्त्र सेना फिल्म एवं फोटो प्रभाग

(ix) विदेशी भाषा विद्यालय

(x) इतिहास प्रभाग

(xi) राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय

(xii) रक्षा प्रबंधन महाविद्यालय

(xiii) रक्षा सेवा स्टाफ महाविद्यालय

(xiv) रक्षा मंत्रालय पुस्तकालय

सैन्य इंजीनियरी सेवा (एम ई एस)

9.2 सैन्य इंजीनियरी सेवा देश की सबसे बड़ी निर्माण ऐजेंसी है। यह देश भर में फैले शांतिकालीन तथा अग्रवर्ती क्षेत्रों के 450 स्टेशनों में निर्माण सेवाएं प्रदान करती है। यह रक्षा सेवाओं की प्रमुख इंजीनियरी शाखा है और सेना, नौसेना, वायुसेना, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, गुणता आश्वासन महानिदेशालय, आयुध निर्माणियों, तटरक्षक, केन्द्रीय विद्यालय संगठन तथा केन्द्रीय एवं राज्य सरकारी उपक्रमों को निर्माण सेवाएं प्रदान करती है। आज इसका वार्षिक कार्यभार 3300 करोड़ रुपए से ऊपर चला गया है।

9.3 एम ई एस इंजीनियर-इन-चीफ के समग्र नियंत्रण में काम करती है जो निर्माण इंजीनियरी में रक्षा मंत्रालय एवं तीनों सेनाओं के सलाहकार हैं। इसका गठन ऐसे निर्माण कार्यों को डिजाइन करने के लिए किया गया है जो निर्माण महानिदेशालय के प्रबंधन में किए जाते हैं। इसके पास निर्माण कार्यों की आयोजना, अभिकल्पना एवं पर्यवेक्षण के लिए वास्तुविदों, सिविल वैद्युत एवं यांत्रिक इंजीनियरों, संरचनात्मक अभिकल्पकों, मात्रा सर्वेक्षकों तथा संविदा विशेषज्ञों की एक अभिन्न टीम है।

9.4 एम ई एस को सभी प्रकार के सिविल निर्माण कार्यों की विशेषज्ञता हासिल है। इसमें पारंपरिक भवनों एवं फैक्टिरियों से लेकर अत्याधुनिक जटिल प्रयोगशालाओं, समुद्री निर्माण कार्यों, पोतघाटों, गोदीबाडों, गोदियों, कर्मशालाओं, जलावतरणों, हवाई मैदानों, सड़कों, ब्लास्ट पेनों आदि के निर्माण की विशेषज्ञता

शामिल है। यह रक्षा सेवाओं को वातानुकूलन, शीत भंडारण, जल आपूर्ति, संपीड़ित वायु, जल-मल उपचार संयंत्र, लिफ्टों व क्रेनों जैसी अत्याधुनिक ढांचागत सेवाएं भी प्रदान करती है।

9.5 वर्ष के दौरान एम. ई. एस ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण समयबद्ध परियोजनाएं पूरी की:-

(क) **आई. एन. एच. एस. अश्विनी:** आई. एन. एच. एस. अश्विनी में अस्पताल सुविधाओं के आधुनिकीकरण का कार्य दो चरणों में 93.27 करोड़ की लागत से किया गया। अस्पताल 4 दिसम्बर, 2004 को प्रयोक्ताओं को सौंपा गया।

(ख) **नौसेना अकादमी, एजीमला:** यह पश्चिमी तट पर एम ई एस द्वारा वर्तमान में पूरी की जा रही एक बड़ी परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत 503 करोड़ रुपए की लागत से प्रशासनिक भवनों, कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, सभागार एवं पुस्तकालय कैडेट मेस, आवासी/ विवाहित आवास तथा अन्य ओटी एम इमारतों का निर्माण कार्य होना है। कैडेट मेस एवं आवासीय भवन का काम पूरा हो चुका है और अन्य निर्माण कार्य पूरे होने के विभिन्न चरणों में है।

(ग) **परियोजना इव डेट:** एम. ई. एस को 5529 करोड़ रुपए की लागत से तजाकिस्तान के आइनी एयरफील्ड पर अन्य सेवाओं के साथ-साथ रनवे की सतह के पुनर्निर्माण एवं मरम्मत का कार्य सौंपा गया है। यह कार्य दो कार्यकारी अवधियों में पूरा किया जाना है और संतोषजनक ढंग से चल रहा है।

9.6 **प्रणोद क्षेत्र (थ्रस्ट एरियाज):** वर्ष के दौरान निम्नलिखित प्रणोद क्षेत्र रहे:

(क) **बल्बों के स्थान पर फ्ल्यूरेसेंट ट्यूबें और सी एफ एल लगाना:** आवासीय भवनों में बल्बों के बदले फ्ल्यूरेसेंट ट्यूब लाइटों तथा सी एफ एल का प्रावधान किया जा रहा है। इससे बिजली की खपत में काफी कमी आएगी।

(ख) **वर्षा जल-संरक्षण:** एम ई एल में वर्षा जल-संरक्षण (रेन वाटर हार्वेस्टिंग) की व्यवस्था की गई है। इससे भूजल का निर्माण होगा और मौजूदा भूमिगत जल-स्तर बढ़ेगा।

9.7 **विवाहित आवास परियोजना (एम ए पी):** तीनों सेनाओं के लिए 60302 आवास ईकाइयों के निर्माण के लिए स्वीकृत विवाहित आवास परियोजना का पहला चरण, जो कि वर्तमान में प्रगति पर है, 16 स्टेशनों में निर्माण के चरण में पहुंच गया है परियोजना पर 637.89 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत आएगी। पहले चरण में तैयार किए जाने वाली 60302 आवासीय ईकाइयों में से 50197 सेना के लिए, 2808 नौसेना के लिए और 7297 वायु सेना के लिए होंगी।

सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा (ए. एफ. एम. एस)

9.8 सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा का प्रमुख उद्देश्य बीमारियों की रोकथाम और बीमार व घायल कार्मिकों की देखरेख व इलाज द्वारा सशस्त्र सेना कार्मिकों और उनके परिवारों के स्वास्थ्य की रक्षा और उन्नति करना है।

9.9 सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा (ए एफ एम एस), सेना चिकित्सा कोर (ए एम सी), सेना दंत चिकित्सा कोर (ए डी सी) और सैन्य परिचर्या सेवा (एम एन एस) से मिलकर बनी है। यह सेवारत कार्मिकों, उनके परिवारों और आश्रितों, जो 6.6 मिलियन (66 लाख) के करीब हैं, को व्यापक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती है।

9.10 इसके अतिरिक्त आसाम राइफल्स, राष्ट्रीय राइफल्स, तटरक्षक, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और सीमा संगठन जैसे अर्द्धसैनिक संगठनों के फील्ड में तैनात कार्मिकों तथा देश के अशांत क्षेत्रों में कार्यरत अन्य केन्द्रीय पुलिस/आसूचना बलों के कार्मिकों को भी सशस्त्र चिकित्सा सेवा द्वारा उपचार सुविाधाएँ प्रदान की जाती हैं। सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा भूतपूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों को खासतौर से भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना की स्थापना से पहले के संक्रमण काल में यथासंभव चिकित्सा सुविधा प्रदान करती रही है।

9.11 सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा का खासतौर से अगम्य और दुर्गम क्षेत्रों में महामारियों और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान बुलाए जाने पर सिविल प्राधिकारियों को सहायता प्रदान करने का शानदार रिकार्ड रहा है। इसके अतिरिक्त चिकित्सा, दंत-चिकित्सा और परा-चिकित्सा कार्मिकों का सुप्रशिक्षित बल आपातस्थिति में सिविलियनों को नजदीकी सिविल अस्पतालों में भेजने से पहले प्राथमिक चिकित्सा भी प्रदान करता है।

सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा का आधारभूत ढांचा:-

9.12 सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा देश की सबसे बड़ी और सबसे सुसंगठित स्वास्थ्य रक्षा प्रणाली है। यह डाक्टरों तथा 89 फील्ड एंबुलेंसों से लैस रेजीमेंटल सहायता चौकियों का एक नेटवर्क है। समाघात क्षेत्रों में उपलब्ध की गई सुविधाओं के अतिरिक्त विभिन्न आकार के 127 अस्पताल देश भर में फैले हैं जिनमें अत्यंत सुव्यवस्थित रैफरल सुविधाएं मौजूद हैं। जहां परिधीय अस्पतालों में बुनियादी विशेषीकृत सुविधाएं मौजूद हैं, वहीं आठ कमान/ सेना अस्पताल उच्च विशिष्टता सुविधाओं और अत्याधुनिक उपकरणों से लैस हैं।

चिकित्सा अनुसंधान

9.13 सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा महानिदेशालय, सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा (सेना, नौसेना व वायुसेना) में चल रही अनुसंधान गतिविधियों पर नजर रखता है। सशस्त्र सेना चिकित्सा अनुसंधान समिति की प्रतिवर्ष फरवरी माह में पुणे स्थित सशस्त्र

सेना चिकित्सा महाविद्यालय में बैठक होती है और इसमें नए अनुसंधान प्रस्तावों पर चर्चा व इनके चयन के साथ-साथ वर्तमान में चल रही परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाती है।

सम्मेलन एवं अनुवर्ती चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रम

9.14 (i) एशिया प्रशांत क्षेत्र सैन्य चिकित्सा सम्मेलन 9-14 मई 2004 के बीच आस्ट्रेलिया के ब्रिसबेन शहर में हुआ। सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा के महानिदेशक ने दो अन्य अधिकारियों के साथ इस सम्मेलन में भाग लिया और अपने प्रबंध प्रस्तुत किए।

(ii) सैन्य चिकित्सा सम्मेलन की वार्षिक अंतरराष्ट्रीय समिति की बैठक 12-17 सितंबर 2004 के बीच वाशिंगटन डी सी में हुई। सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा महानिदेशालय ने दो अन्य अधिकारियों के साथ इस बैठक में भाग लिया।

(iii) विभिन्न सशस्त्र सेना अस्पतालों में इस निदेशालय द्वारा अनुमोदित 64 'इन हाऊस' सतत चिकित्सा जाँच, अपडेट, कार्यशालाएं, गोष्ठियाँ आदि आयोजित की गईं।

(iv) सशस्त्र सेना चिकित्सा अधिकारियों ने सरकारी हैसियत से और प्रतिभागी सदस्यों के तौर पर देश भर के 127 अनुमोदित सिविल निकायों के विभिन्न सम्मेलनों तथा कार्यशालाओं में भाग लिया।

सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा महानिदेशालय के ज्ञापन 'डीजीएएफएमएस पब्लिकेशन' का प्रकाशन

9.15 (i) डीजीएएफएमएस का एक नया चिकित्सा ज्ञापन प्रकाशनाधीन है।

(ii) डीजीएएफएमएस के दो नए चिकित्सा ज्ञापनों के मसौदों का प्रस्ताव है।

(iii) डीजीएएफएमएस के दो संशोधित चिकित्सा ज्ञापन प्रकाशनाधीन हैं।

भारतीय सशस्त्र सेना चिकित्सा जरनल का अन्य देशों के स से चि सेवाओं के साथ पारस्परिक आदान-प्रदान

9.16 वर्तमान में सशस्त्र सेना चिकित्सा महाविद्यालय, पुणे द्वारा निकाला गया भारतीय सशस्त्र सेना चिकित्सा जरनल (एनजेएएफआई), नौ देशों को भेजा जा रहा है। कुछ अन्य देशों के साथ एनजेएएफआई के पारस्परिक आदान-प्रदान का प्रस्ताव किया जा चुका है।

रक्षा संपदा महानिदेशालय (डी जी डी ई)

9.17 रक्षा संपदा महानिदेशालय रक्षा उद्देश्यों के लिए अर्जन, अधिग्रहण, स्थानांतरण तथा भाड़े पर अचल संपत्ति के प्रापण के लिए रक्षा मंत्रालय का एक केन्द्रीय कार्यकारी अभिकरण हैं। वर्तमान विभिन्न राज्यों में भूमि के अर्जन/स्थानांतरण के कई प्रस्ताव हैं।

9.18 भारत में 62 छावनियां हैं जो 19 राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में स्थित हैं। छावनी बोर्ड स्वायत्तशासी निकाय हैं जो छावनी अधिनियम, 1924 के प्रावधानों के अनुसार रक्षा मंत्रालय के नियंत्रण में कार्य करते हैं। छावनी बोर्ड में चुने गए प्रतिनिधि और पदेन तथा नामित सदस्य होते हैं और चुने गए तथा पदधारी सदस्यों के बीच एक संतुलन रखा जाता है। स्टेशन कमांडर छावनी बोर्ड का अध्यक्ष होता है। इन निकायों के कार्यों की देख-रेख व नियंत्रण मध्यवर्ती स्तर पर कमानों के जनरल अफसर-इन-चीफ द्वारा और शीर्ष स्तर पर रक्षा संपदा महानिदेशक/रक्षा मंत्रालय के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है।

9.19 छावनी बोर्डों के पास संसाधन काफी सीमित होते हैं क्योंकि छावनी की ज्यादातर संपत्ति पर सरकार का स्वामित्व होता है जिस पर किसी प्रकार का कर नहीं लगाया जा सकता। परंतु केंद्र सरकार की संपत्तियों के लिए बोर्डों को सेवा शुल्क प्राप्त होता है। यहां पर प्रतिबंधों के कारण न तो कोई उद्योग स्थापित हो सकते हैं और न ही व्यापार और व्यवसाय छावनी क्षेत्रों में कोई खास उन्नत्ति कर सकते हैं। केंद्र सरकार उनके राजस्व के आवर्धन के सहायतार्थ अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

9.20 समग्र कार्यनिष्पादन में सुधार और एकता की भावना पैदा करने के लिए वर्ष के दौरान सभी छावनी बोर्ड स्कूलों का एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। देश के विभिन्न भागों के छावनी बोर्ड के स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों ने इस कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक भाग लिया।

9.21 मानव विकास के पहलू में सुधार लाने के लिए ज्यादातर छावनी बोर्डों के अपने अस्पताल और औषधालय हैं। ये अस्पताल छावनी और उसके आसपास की सिविल जनता की आवश्यकताओं को पूरा करते है। यहां कुल अस्पतालों/ औषधालयों की संख्या 69 है जिनका रखरखाव किया जाता है। स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार छावनी बोर्डों द्वारा प्राथमिक विद्यालयों का रखरखाव भी किया जाता है। कई छावनी बोर्ड उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों एवं इंटरमीडिएट/जूनियर महाविद्यालयों का भी रखरखाव कर रहे है। छावनी बोर्डों द्वारा कुल 189 विद्यालय एवं महाविद्यालय चलाए जा रहे हैं।

9.22 भूमि और छावनी बोर्ड के मामलों में रक्षा संपदा महानिदेशक रक्षा मंत्रालय के सलाहकार के रूप में काम करते हैं। रक्षा संपदा महानिदेशालय रक्षा मंत्रालय का संलग्न कार्यालय है जो कि रक्षा आवश्यकतओं को पूरा करने के लिए भूमि और इमारतों को भाड़े पर लेने-देने संबंधी, अधिग्रहण अथवा अर्जन से संबंधित अधिशासी कार्यों के लिए उत्तरदायी है। अस्थायी/स्थायी रूप से 'सरप्लस' समझी गई रक्षा भूमि का भी केंद्र सरकार/राज्य सरकार के अन्य विभागों सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या प्रतिष्ठित विद्यालयों/संस्थाओं को या भूतपूर्व सैनिकों को लाइसेंस, पट्टे अथवा स्थानांतरण पर

देकर निपटान किया जाता है। जहां छावनी बोर्डों के संबंध में रक्षा संपदा महानिदेशक के कार्य प्रधान निदेशक/निदेशकों, कमान और छावनी अधिशासी अधिकारियों के माध्यम से छावनियों का नगरपालिका प्रशासन करता है, वहीं भूमि का रखरखाव, भूमि संबंधी रिकार्डों की अभिरक्षा, अचल संपत्ति का प्रापण रक्षा संपदा अधिकारियों के माध्यम से किया जाता है। रक्षा भूमि के 17.31 लाख एकड़ में से 0.68 लाख एकड़ भूमि का रखरखाव रक्षा संपदा महानिदेशालय के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है।

मुख्य प्रशासन अधिकारी का कार्यालय

9.23 मुख्य प्रशासन अधिकारी कार्यालय मंत्रालय के अधीन सेवा मुख्यालयों और अंतर सेवा संगठनों के मुख्यालयों को सिविलियन जनशक्ति और संरचनात्मक सहायता प्रदान करने के लिए जिम्मेवार है। संयुक्त सचिव (प्रशि) मुख्य प्रशासन अधिकारी और निदेशक (सुरक्षा) का कार्य भी संभालते हैं। जहां तक सुरक्षा का संबंध है वे मुख्य सुरक्षा अधिकारी के कार्य का पर्यवेक्षण करते है।

9.24 मु. प्र. अ कार्यालय के कार्य निम्न छः प्रभागों द्वारा किए जाते है:-

(i) प्रशासन प्रभाग

(ii) कार्मिक प्रभाग

(iii) जनशक्ति योजना एवं भर्ती प्रभाग

(iv) प्रशिक्षण, समन्वय एवं कल्याण प्रभाग

(v) वित्त एवं सामग्री प्रभाग

(vi) संपदा एवं निर्माण प्रभाग

9.25 प्रशासन प्रभाग सेना मुख्यालय एवं 26 अंतर-सेवा संगठनों में कार्यरत लगभग 10,000 सिविलियन कर्मचारियों से संबंधित प्रशासनिक कार्य देखता है। प्रशासन प्रभाग के अधीन ही एक शिकायत प्रकोष्ठ कार्यरत है जो सेवारत/सेवानिवृत्त स. से. मु. सिविलियन कर्मचारियों की शिकायतें सुनता है और उनका अतिशीघ्र निपटान सुनिश्चित करता है।

9.26 कार्मिक प्रभाग सेना मुख्यालयों और अंतर सेवा संगठनों को सिविलियन जनशक्ति प्रदान करता है और उनकी जनशक्ति के प्रबंधन को देखता है।

9.27 जनशक्ति योजना एवं भर्ती प्रभाग कार्मिक एवं प्रशिक्षण प्रभाग के परामर्श से भर्ती नियमों पर नीति निर्धारित करने और निर्धारित माध्यमों से सेना मुख्यालयों एवं अंतर सेवा संगठनों में सभी रिक्त पदों पर सीधी भर्ती करने के लिए जिम्मेवार है।

9.28 वित्त एवं सामग्री प्रभाग सेना मुख्यालय एवं अंतर सेवा संगठनों के सभी कार्यालयों को सामग्री संबंधी सहायता प्रदान करता है जिसमें कार्यालय उपस्कर, भंडार, फर्नीचर एवं लेखन-सामग्री का प्रापण और प्रावधान शामिल है।

9.29 मु. प्र. अ. कार्यालय के प्रशिक्षण, समन्वय एवं कल्याण प्रभाग के अंतर्गत कार्यरत 'रक्षा मुख्यालय प्रशिक्षण संस्थान' सेना मुख्यालयों एवं अंतर सेवा संगठनों में तैनात सिविलियन कार्मिकों की प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करता है।

9.30 संपदा एवं निर्माण प्रभाग स. से. मु. में तैनात सैन्य अधिकारियों के रिहायशी आवास से संबंधित संपदा कार्यों को पूरा करता है।

9.31 सेना मुख्यालयों एवं रक्षा मंत्रालय के सिविलियन कर्मचारियों के कल्याण संबंधित कार्य मु.प्र. अ कार्यालय द्वारा किया जा रहा है। गंभीर संकट की स्थिति में स. से मु./ अं. से. सं. कल्याण निधि और रक्षा सिविलियन चिकित्सा सहायता निधि (रसिचिसनि) कर्मचारियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

9.32 सं. स (प्रशि) एवं मु. प्र. अ की देखरेख में मुख्य सुरक्षा अधिकारी और उनके अधीन कार्मिक रक्षा सुरक्षा क्षेत्र में कार्यालयों की इमारतों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। इस क्षेत्र में सुरक्षा भंग की किसी भी घटना को रोकने के लिए इमारतों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होती है। ब्रीफिंग्स के माध्यम से अधिकारियों एवं कार्मिकों को सूचना की सुरक्षा बनाए रखने के लिए जागरूक करने के प्रयास भी किए जाते हैं।

जनसंपर्क निदेशालय (डी.पी.आर)

9.33 जनसंपर्क निदेशालय मंत्रालय, सशस्त्र बलों तथा रक्षा मंत्रालय के अधीन अंतर सेवा संगठनों की महत्वपूर्ण घटनाओं, उपलब्धियों तथा नीति संबंधी प्रमुख निर्णयों के बारे में मीडिया को सूचना प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। नई दिल्ली स्थित अपने मुख्यालय और देशभर में फैले अपने 25 क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ यह निदेशालय मीडिया सहायता और सेवा प्रदान करने वाला एक केंद्रीय अधिकरण है जो सुनिश्चित करता है कि प्रिंट और इलैक्ट्रानिक मीडिया पर सूचनाओं का पर्याप्त प्रचार-प्रसार हो। यह नियमित साक्षात्कार, प्रेस सम्मेलनों और प्रेस दौरों का आयोजन करके नेताओं तथा रक्षा मंत्रालय तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मीडिया का परस्पर संपर्क भी कराता है।

9.34 निदेशालय सशस्त्र बलों के लिए 13 भाषाओं (असमी, बंग्ला, अंग्रेजी, गोरखाली, हिंदी, कन्नड, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, और उर्दू) में एक पाक्षिक पत्रिका 'सैनिक समाचार' निकालता है। निदेशालय का प्रसारण अनुभाग सशस्त्र सेना कार्मिकों के लिए आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले 40 मिनट के एक कार्यक्रम 'सैनिकों के लिए' का समन्वय करता है। निदेशालय का फोटो अनुभाग प्रिंट मीडिया में छपने

वाली सभी रक्षा संबंधी घटनाओं के लिए फोटोग्राफ उपलब्ध कराता है।

9.35 वर्ष 2004-05 में निदेशालय ने जिन बड़ी घटनाओं को कवर किया, उनमें दिसंबर 2004 में सुनामी के कहर के दौरान सेना, नौसेना और वायुसेना द्वारा बड़े पैमाने पर की गई राहत और बचाव संक्रियाएं शामिल हैं। इस दौरान अल्प सूचना पर बड़ी संख्या में वायुयान, हेलिकॉप्टर और जलपोत इस कार्य में लगाए गए। प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए भोजन, वस्त्र, दवाइयां, टेंट और पीने के पानी सहित टनों राहत सामग्री वायुयानों के द्वारा पहुंचाई गई। मीडिया से जुड़े लोगों को भारत और पड़ोसी देशों के सुनामी प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंचाया गया। इससे सशस्त्र बलों के आपदा प्रबंधन कार्यों और सभी राहत उपायों की मॉनीटरिंग में प्रदर्शित क्षमता का पर्याप्त प्रचार हुआ।

9.36 सशस्त्र बलों द्वारा किए गए उपायों के परिणामस्वरूप इस क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति में कुछ सुधार के बाद आपसी विश्वास कायम करने के उपायों के रूप में पड़ोसी देशों के साथ हमारे संबंधों के विशेष संदर्भ में तथा जम्मू-कश्मीर में सैन्य बलों में कटौती के, सरकार के निर्णय का व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया।

9.37 जिन अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं को प्रचारित किया गया, उनमें भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग की स्थापना, एमबीटी 'अर्जुन' का सेना में प्रवेश, देश में ही जोड़कर बनाए गए 'सुखोई-30 एमकेआई' वायुयान के रोलिंग आउट, भीष्म टी-90 एस टैंकों तथा अग्नि-II, पृथ्वी-III और ब्रह्मोस मिसाइलों की सफल परीक्षण उड़ानें शामिल हैं।

9.38 सेना से जुड़ी जिन महत्त्वपूर्ण घटनाओं को कवर किया गया, उनमें जम्मू-कश्मीर से सैन्य बलों की वापसी, ओलंपिक खेलों में मेजर आर एस राठौर की शानदार जीत, इरीट्रिया और इथियोपिया की शांति रक्षा संक्रियाओं में भारतीय सैन्य बलों की सहभागिता, अमेरिकी सैन्य बलों के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास तथा अंटार्कटिका अभियान को पर्याप्त प्रचार दिया गया। सेना कमांडर सम्मेलन तथा महिला सैन्य प्रेक्षकों के कांगो दौरे जैसी कुछ अन्य घटनाओं को भी समाचार-पत्रों में संतोषजनक कवरेज मिली। राष्ट्रपति के दौरे को कवर करने के लिए थॉयज और मिजोरम के वैरांग्टे स्थित प्रतिविद्रोहिता एवं जंगल युद्ध पद्धति स्कूल के लिए मीडिया टूर आयोजित किए गए।

9.39 निदेशालय द्वारा भारतीय नौसेना की प्रमुख घटनाओं का भी यथायोग्य प्रचार किया गया। आईएनएस तरंगिणी की भू-परिक्रमा यात्रा, सिंगापुर, फ्रांस और अमेरिकी नौसेनाओं के साथ संयुक्त अभ्यासों तथा तलवार श्रेणी के पोत आई एन एस बेतवा की कमीशनिंग को अच्छा प्रचार दिया गया। एक और घटना जिसे व्यापक प्रचार मिला वह थी-सर्व नौसेना

दल द्वारा उत्तर की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर चढाई जो एक विश्व कीर्तिमान था।

9.40 जहां तक भारतीय वायुसेना की बात है अलास्का के 'कोप थंडर' अभ्यास, सिंगापुर के एशियाई हवाई प्रदर्शन, दक्षिण अफ्रीका के गोल्डन ईगल अभ्यास में और कोंगो के संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन में भाग लेने वाले भारतीय वायुसेना के दलों को व्यापक कवरेज दी गई। चीतल हेलिकॉप्टर द्वारा स्थापित नए विश्व कीर्तिमान, पोखरण में फायर पावर प्रदर्शन 'वायु शक्ति,' जोशी-मठ और ब्रदीनाथ के बीच भूस्खलनों के कारण फंसे तीर्थयात्रियों को निकालने तथा ब्रह्मपुत्र की बड़ी घटनाओं को भी व्यापक प्रचार दिया गया।

सेना क्रय संगठन (एपीओ)

9.41 रक्षा मंत्रालय में सेना क्रय संगठन को रक्षा बलों के उपयोग के लिए सूखे राशन के प्रापण एवं समय पर आपूर्ति की जिम्मेवारी सौंपी गई है। ए. पी. ओ. चावल व गेहूं भारतीय खाद्य निगम से खरीदता है। चीनी का आबंटन चीनी निदेशालय द्वारा विभिन्न चीनी मिलों को नियत किए गए लेवी कोटे से किया जाता है। दालें, पशु, राशन, खाद्य तेल, वनस्पति (हाइड्रोजेनेटिड खाद्य तेल) चाय एवं दुग्ध उत्पाद जैसे अन्य सामान केंद्रीय एवं राज्य सार्वजनिक उपक्रमों एवं विभिन्न राष्ट्रीय/ राज्य स्तर के सहकारी उपभोक्ता परिसंघों से खरीदे जाते हैं। पूर्ण दुग्ध पाउडर, स्किमड मिल्क पाउडर, मक्खन एवं घी भारतीय राष्ट्रीय सहकारी डेयरी परिसंघ के माध्यम से खरीदे जाते हैं। डिब्बाबंद सामान जैसे सब्जियाँ फल, जैम, डिब्बाबंद दूध, मांस एवं मछली उत्पाद, कॉफी, अंडा पाउडर आदि पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं एवं खुली निविदाओं के द्वारा निजी पार्टियों/ डीलरों से खरीदे जाते हैं। मांग की गई वस्तुओं को आमतौर पर ऐसे समय खरीदा जाता है जब उनकी उपलब्धता अधिक हो एवं कीमतें कम। वर्ष 2004-05 के दौरान उपर्युक्त वस्तुओं के प्रापण हेतु सेना मुख्यालय को 772.48 करोड़ रु. दिए गए।

9.42 ठेके पर ली गई मदों की गुणवत्ता सेना मुख्यालय के अधीन संयुक्त खाद्य प्रयोगशालाओं द्वारा सुनिश्चित की जाती है जो निविदा द्वारा वस्तुओं का निरीक्षण करने के पश्चात् मांग के अनुसार विभिन्न आपूर्ति आगारों को सामान के प्रेषण का पर्यवेक्षण करती है।

सेना खेलकूद नियंत्रण बोर्ड

सेना चैम्पियनशिप

9.43 सेना खेलकूद नियंत्रण बोर्ड (एस.एस. सी.बी) तीनों सेनाओं में विभिन्न खेलकूद गतिविधियों का आयोजन एवं समन्वयन करता है। कुल चार टीमें (आर्मी रेड, आर्मी ग्रीन, इंडियन नेवी एवं एयर फोर्स) एस. एस. सी. बी. के संरक्षण में 19 सेना चैम्पियनशिपों में भाग लेती हैं।

राष्ट्रीय चैम्पियनशिप

9.44 एस.एस.सी.बी. 28 राष्ट्रीय खेलकूद परिसंघों से संबद्ध है और 38 राष्ट्रीय

चैम्पियनशिपों में भाग लेता है जिसमें 10 जूनियर सेक्शन की हैं। सेना एथलेटिक्स, जूनियर हॉकी, वाटर पोलो तथा ट्रायथलॉन में प्रथम स्थान पर बाक्सिंग एवं कुश्ती (ग्रेनेडियर) में द्वितीय स्थान पर एवं तैराकी/ गोताखोरी, कब्बड्डी एवं तायक्वांडो में तृतीय स्थान पर रही।

अंतर्राष्ट्रीय चैम्पियनशिप

9.45 **ओलंपिक खेल 2004:** वर्ष 2004 के ओलंपिक खेल 13 अगस्त से 29 अगस्त 2004 तक एथेंस, यूनान में आयोजित किए गए। सेना के पांच खिलाड़ी एवं दो अधिकारी भारतीय दल के साथ भेजे गए। मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौर ने डबल ट्रैप प्रतियोगिता में रजत पदक प्राप्त किया।

मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौर

अंतर्राष्ट्रीय सेना खेलकूद परिषद (सी.आई.एस.एम)

9.46 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग:- अंतर्राष्ट्रीय सेना खेलकूद परिषद (सी.आई.एस.एम) की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग 3 नवम्बर 2004 से 8 नवंबर 2004 तक गैबोरॉन, बोस्वाना में आयोजित की गई। इस बैठक के दौरान चौथे सेना विश्व खेल 2007 हैदराबाद में कराए जाने के करार पर हस्ताक्षर किए गए।

सर्वश्रेष्ठ सेना खिलाड़ी

9.47 पिछले वर्ष की अंतर-सेवा, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय चैम्पियनशिपों में प्रदर्शन के आधार पर मद्रास इंजीनियरिंग ग्रुप एवं सेंटर, बैंगलौर के नायक सूबेदार इग्नेस टिर्की को वर्ष 2003-04 का 'सर्वश्रेष्ठ सेना खिलाड़ी' घोषित किया गया एवं उन्हें संयुक्त कमांडर्स सम्मेलन 2004 के दौरान ए वी एम जसवंत सिंह ट्राफी भेंट की गई।

अर्जुन पुरस्कार विजेता

9.48 सेना के दो खिलाड़ियों, मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौर एवं कैप्टन राजेश पट्टु को क्रमश: शूटिंग एवं घुड़सवारी के लिए अगस्त 2004 में अर्जुन पुरस्कार प्रदान किए गए।

सशस्त्र सेना फिल्म एवं चित्र प्रभाग (ए.एफ.एफ.पी.डी)

9.49 सशस्त्र सेना फिल्म एवं फोटो प्रभाग की जिम्मेदारी मुख्यत: सेना मुख्यालयों एवं रक्षा संगठनों की प्रशिक्षण फिल्मों, फोटोग्राफों व आर्ट वर्क आदि के निर्माण, प्रापण एवं वितरण की जरूरतों को पूरा करना है ताकि

प्रशिक्षण, हथियार परीक्षण, सुरक्षा, रक्षा अनुसंधान, आसूचना तथा रक्षा मंत्रालय के रस्मी समारोहों की रिकार्डिंग तथा फोटो तथा वीडियो कवरेज संबंधी आवश्यकता पूरी की जा सके।

9.50 एफ एफ पी डी के पास आजादी से पहले के समय की दुर्लभ फिल्में एवं फोटोग्राफों का अत्यंत समृद्ध संग्रह है। अंग्रेजों से उत्तराधिकार में प्राप्त इस सामग्री का बड़ा ऐतिहासिक महत्व है और यह इस प्रभाग के केंद्रीय रक्षा फिल्म संग्रहालय में संरक्षित है। इन फोटोग्राफों में भारतीय सेनाओं की द्वितीय विश्वयुद्ध में कार्रवाई, परेडों, रस्मों, उत्सवों, प्रसिद्ध व्यक्तिओं एवं प्रशिक्षण गतिविधियों आदि को दर्शाया गया है। कुछ महत्वपूर्ण फिल्मों जैसे ब्रिटिश युद्ध, रूसी युद्ध, चीनी युद्ध, डेजर्ट विक्टरी, जापानी आत्मसमर्पण, नाजी हमले, वर्मा अभियान, चर्चिल द मैन, लंदन विक्टरी परेड आदि के साथ-साथ और भी कई महत्वपूर्ण फिल्में इस संग्रहालय में मौजूद हैं।

9.51 इस प्रभाग की केंद्रीय रक्षा फिल्म लाइब्रेरी की जिम्मेदारी (सी डी एफ एल) विभिन्न यूनिटों/फार्मों/ प्रशिक्षण स्थापनाओं/ कमानों के विशिष्ट प्रशिक्षण जरूरतें पूरी करने के लिए, प्रशिक्षण फिल्में वितरित करने की है। इसमें 35 मि मी फार्मेट में 570, 16 मि मी फार्मेट में 1010 एवं वीडियो फार्मेट में 310 टाईटल हैं। इस वर्ष के दौरान ट्रुप्स को 4031 प्रशिक्षण फिल्में/ वीडियो कैसेट्स वितरित की गईं। अब तक 18429 कलर/ ब्लैक एंड ह्वाइट निगेटिव एक्सपोज किए गए हैं और 26141 कलर/ ब्लैक एंड व्हाइट फोटो तैयार किए गए हैं। इस वर्ष केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सी आर पी एफ) ने अपने कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए विभिन्न विषयों पर 17 प्रशिक्षण फिल्मों का उपयोग किया। सी.आर.पी.एफ अधिकारियों को भुगतान के आधार पर 'वर्टिकल हैलिकल स्कैन' कैसेट्स दी गई।

9.52 कारगिल ऑपरेशन के दौरान प्राप्त अनुभवों के आधार पर इस वर्ष एल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल के लिए विशेष रूप से तीन फिल्में बनाई गई हैं ताकि ट्रुप्स को ऊंचाई पर स्थित पर्वतीय क्षेत्र में चोटियों पर बैठे शत्रु से लड़ने, ग्लेशियर क्षेत्र में ऑपरेशन एवं उसके दौरान खतरनाक एवं बर्फीले क्षेत्रों में युद्धकला में प्रशिक्षित किया जा सके। निर्माणाधीन 11 प्रशिक्षण फिल्मों में से इस समय छः फिल्में पूरी हो चुकी है एवं पांच फिल्में अंतिम चरण में हैं।

9.53 इस प्रभाग की मोबाइल सिनेमा इकाई अग्रिम क्षेत्रों में सैनिकों के लिए डाक्यूमेंटरी फिल्मों/सांस्कृतिक एवं परिवार कल्याण के महत्व वाली पत्रिकाओं का प्रापण/वितरण करती है।

विदेशी भाषा विद्यालय (एस. एफ.एल)

9.54 विदेशी भाषा विद्यालय रक्षा मंत्रालय के संरक्षण में एक अंतर सेवा संगठन है।

यह हमारे देश का एक अनूठा संस्थान है क्योंकि कहीं और एक जगह इतनी विदेशी भाषाएं नहीं पढ़ाई जाती। यह 1948 से भारत में विदेशी भाषा अध्यापन में अग्रणी रहा है। इस समय यह विद्यालय तीनों सेनाओं के कार्मिकों को 18 विदेशी भाषाओं का प्रशिक्षण दे रहा है। यह भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों एवं विभागों जैसे विदेश मंत्रालय, कैबिनेट सचिवालय, केंद्रिय पुलिस संगठन, जैसे सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस की भी प्रशिक्षण संबंधी जरूरतें पूरी करता है। इसके अतिरिक्त सिविलियन छात्रों को निर्धारित सरकारी नियमों के अनुसार दक्षता प्रमाण-पत्र, एडवांस डिप्लोमा और दुभाषिया पाठ्यक्रम में भी दाखिला दिया जाता है।

9.55 विदेशी भाषा विद्यालय (एस. एफ. एल) में नियमित रूप से पढाई जाने वाली भाषाएं हैं: अरबी, भाषा इंडोनेशिया, बर्मी, चीनी, फ्रेंच, जर्मन, पर्शियन, पश्तो, रूसी, स्पेनिश, सिंहली, तिब्बतन, जापानी, थाई, मलय, हिब्रू, वियतनामी और पाकिस्तानी उर्दू (अनुरोध पर).

9.56 विदेशी भाषा विद्यालय में निम्नलिखित पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं:-

(क) दुभाषिया पाठ्यक्रम

(ख) प्रवीणता प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम

(ग) अल्प-अवधि पाठ्यक्रम

(घ) एडवांस डिप्लोमा पाठ्यक्रम

9.57 दुभाषिया पाठ्यक्रम एक पूर्णकालिक पाठ्यक्रम है। छात्र सशस्त्र सेनाओं, रक्षा मंत्रालय, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं अन्य सरकारी विभागों द्वारा प्रायोजित किए जाते हैं। विदेशी भाषा विद्यालय देश का एकमात्र संस्थान है जहां भाषा इंडोनेशिया, पश्तो, थाई, सिंहला एवं बर्मी के पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं।

9.58 दुभाषिया पाठ्यक्रमों की अवधि इस प्रकार है:-

(क) भाषा इंडोनेशिया	16 1/2 महीने
(ख) बर्मी	16 1/2 महीने
(ग) फ्रेंच	16 1/2 महीने
(घ) जर्मन	16 1/2 महीने
(च) पर्शियन	16 1/2 महीने
(छ) जापानी	22 महीने
(ज) पश्तो	16 1/2 महीने
(झ) सिंहला	16 1/2 महीने
(ट) स्पेनिश	16 1/2 महीने
(ठ) तिब्बती	16 1/2 महीने
(ड) रूसी	20 महीने
(ढ) अरबी	20 महीने
(त) चीनी	23 महीने

9.59 प्रवीणता प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के बाद उच्च डिप्लोमा गहन पाठ्यक्रम कराया जाता है। दोनों अंशकालिक पाठ्यक्रम हैं और प्रत्येक की अवधि एक साल है। ये दोनों

पाठ्यक्रम मिलाकर विश्वविद्यालयों के त्रिवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के समकक्ष हैं।

9.60 अल्प अवधि पाठ्यक्रम पूर्णत: आवश्यकताजनित कार्यक्रम है। इनका आयोजन आवश्यकता होने पर किया जाता है, खासतौर पर उन सैन्य अताशियों और अधिकारियों के लिए जिन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ मिशनों पर भेजा जाता है या प्रयोक्ता महानिदेशालयों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार।

9.61 एस.एफ. एल रक्षा संस्थानों के विदेशी भाषा शिक्षण अंगों का मातृ संगठन है जहां विदेशी भाषाएं सिखाई जाती हैं यह परीक्षाएं आयोजित करता है और सफल उम्मीदवारों को डिप्लोमा जारी करता है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रत्याशियों को संस्थान द्वारा आयोजित एडवांस डिप्लोमा (आई.एफ. एस) परीक्षा पास करनी अनिवार्य है। एस. एफ. एल. रेजीमेंटल भाषाओं, उदाहरण के लिए नेपाली, में पूरे देश के विभिन्न सैन्य यूनिटों में परीक्षाएं आयोजित करता है। परीक्षाएं 'धिवेही' भाषा में भी आयोजित की जाती हैं। सीखी गई भाषा के आत्मसात्करण और अवधारण की जांच करने के लिए तीनों सेनाओं की विभिन्न विदेशी भाषाओं की अलग से विशेष प्रवीणता परीक्षाएं ली जाती हैं।

9.62 वर्ष के दौरान एस.एफ.एल द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में उत्तीर्ण कार्मिकों की संख्या निम्नवत है:-

प्रवीणता प्रमाण-पत्र	88
एडवांस डिप्लोमा गहन पाठ्यक्रम	72
दुभाषिया	93
विशेष दक्षता	11
भारतीय विदेश सेवा (परिवीक्षाधीन)	9

इतिहास अनुभाग

9.63 **संयुक्त अंतर सेवा इतिहास प्रभाग:** भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा आयोजित अभियानों के खास संदर्भ में द्वितीय विश्व युद्ध का विस्तृत आधिकारिक इतिहास लिखने के लिए 13 जुलाई 1945 को एक संयुक्त अंतर सेवा इतिहास अनुभाग का गठन किया गया। विभाजन के बाद यह संयुक्त अंतर सेवा इतिहास अनुभाग (भारत और पाकिस्तान) बन गया। द्वितीय विश्वयुद्ध (1939-45) में भारतीय सशस्त्र सेनाओं का आधिकारिक इतिहास 24 खंडों में संयुक्त अंतर सेवा इतिहास अनुभाग (भारत और पाकिस्तान) द्वारा लिखा गया। कार्य समाप्ति के बाद 1963 में इसे भंग कर दिया गया।

9.64 **इतिहास अनुभाग (भारत)/इतिहास प्रभाग:** इस बीच 26 अक्तूबर 1953 को भारतीय सशस्त्र सेनाओं के स्वतंत्रोपरांत सैन्य अभियानों के आधिकारिक विवरणों को लिखने और प्रकाशित करने के लिए इतिहास प्रभाग की स्थापना की गई। जम्मू और कश्मीर (1947-48) में अभियानों का इतिहास इसका पहला काम था। अभी तक इसके 19 खंड निकल चुके हैं। 01 अप्रैल 1992 से इतिहास अनुभाग को इतिहास प्रभाग के रूप में पुनर्नामित किया गया।

9.65 **गतिविधियाँ:** इतिहास प्रभाग रक्षा मंत्रालय और भारतीय सशस्त्र सेनाओं के

रिकार्ड और संदर्भ कार्यालय के रूप में काम करता है। वर्ष 2004-05 के दौरान इतिहास प्रभाग में स्थायी अवधारण के लिए सैन्य मुख्यालयों, यूनिटों और संगठनों से करीब 4000 अभियानों के रिकार्ड प्राप्त हुए। लगभग 325 सैन्य अधिकारियों और विद्वानों ने रिकार्ड और सैन्य इतिहास से संबंधित अनुसंधान कार्यों को देखने के लिए रिकार्ड रूम का दौरा किया। विभिन्न यूनिटों व फार्मेशनों तथा भारत व विदेश के विद्वानों से प्राप्त 280 पूछताछों के लिए प्रभाग ने सैन्य इतिहास से संबंधित जानकारी प्रदान की है।

9.66 **विशेष कार्य:** वर्ष 2004 के दौरान इतिहास प्रभाग ने 1962 के भारत-चीन युद्ध तथा 1965 और 1971 के भारत-पाक युद्धों के इतिहास को अद्यतन करने और उसके संपादन के लिए तीन संपादकीय दलों का गठन किया।

9.67 **युद्ध सम्मान समितियों के सदस्य:-** इतिहास प्रभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी भारतीय सेना एवं वायुसेना की युद्ध सम्मान समितियों के सदस्य के रूप में काम करते हैं।

9.68 **शोधवृत्ति:** रक्षा मंत्रालय की शोधवृत्ति योजना के अंतर्गत सैन्य इतिहास पर शोध करने के लिए प्रभाग दो शोधवृत्तियाँ भी प्रदान करता है।

9.69 **हेराल्डिक सेल:** इतिहास प्रभाग का हेराल्डिक सेल तीनों सेना मुख्यालयों और रक्षा मंत्रालय की उनकी नई स्थापनाओं के लिए नाम सुझाकर यूनिटों/फार्मेशनों के लिए किरीट और बैज डिजाइन करके तथा उपयुक्त आदर्श वाक्य (मोटो) गढ़कर मदद करता है।

राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय (एन डी सी)

9.70 राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय का उद्घाटन 27 अप्रैल 1960 को प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा किया गया था। दिल्ली के केंद्र में स्थित यह महाविद्यालय पिछले 44 वर्षों में उत्तरोत्तर प्रगति करता गया है और राष्ट्रीय सुरक्षा तथा सामरिक अध्ययनों के मामलों में इसने बहुत नाम कमाया है। यह एक ऐसी संस्था के रूप में विकसित हुआ है जो बदलती दुनिया में भारत की सामरिक सुरक्षा की जरूरतों को समझता और उनकी व्याख्या करता है। यह संस्थान एक ऐसा शैक्षिक एवं व्यावसायिक धरातल प्रदान करने का प्रयास करता है जो उच्चतर शिक्षा और मानसिक उद्वेलन के लिए अनुकूल हो। सशस्त्र सेनाओं की प्रमुख संयुक्त सैन्य शैक्षिक संस्था के रूप में यह राष्ट्रीय सुरक्षा के सभी क्षेत्रों की खोज करता है।

9.71 एन डी सी प्रत्येक वर्ष भारत तथा मित्र देशों के चुने हुए वरिष्ठ रक्षा एवम् सिविल सेना अधिकारियों के लिए 47 सप्ताह का एक पाठ्यक्रम चलाता है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए रणनीतियों एवं संरचनाओं में अध्ययन के एक कार्यक्रम के माध्यम से बढ़ी हुई जिम्मेदारी के लिए भविष्य के नीति निर्माताओं को तैयार करने का एक प्रयास है। यह पाठ्यक्रम इस प्रकार तैयार किया गया है कि इसमें सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक,

वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीय, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा वातावरण, वैश्विक मामले, भारतीय रणनीतिक/निकटतम पड़ोसी एवं राष्ट्रीय सुरक्षा के सैन्य विस्तार आदि विषय शामिल हो जाते हैं। यह बड़े गर्व की बात है कि एन डी सी के स्नातक भारत और विदेशों में बहुत ही ऊंचे स्थानों पर हैं।

रक्षा प्रबंधन महाविद्यालय (र प्र म)

9.72 रक्षा प्रबंधन संस्थान, सिकंदराबाद की स्थापना 1970 में की गई थी। 1980 में इसका नया नाम 'रक्षा प्रबंधन महाविद्यालय' रखा गया था। र. प्र. म प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है जो कि प्रबंधन संबंधी अवधारणाओं और तकनीकों को रक्षा के सभी प्रकार के पहलुओं जैसे:-संक्रिया, संभारिकी, आसूचना एवं प्रशिक्षण में लागू किए जाने की ओर अभिमुख होते हैं। र. प्र. म द्वारा आयोजित किए जाने वाले प्रमुख कार्यक्रम हैं-दीर्घ कालीन रक्षा प्रबंधन पाठ्यक्रम, वरिष्ठ रक्षा प्रबंधन पाठ्यक्रम, रक्षा प्रबंधन सेमिनार और समनुदेशन अभिमुख प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम। यह महाविद्यालय प्रबंधन परामर्श अध्ययन करवाता है। इस महाविद्यालय में आधुनिक एवं नवीनतम प्रशिक्षण सहायक सामग्री उपलब्ध है।

रक्षा सेवा स्टाफ महाविद्यालय

9.73 रक्षा सेवा स्टाफ महाविद्यालय (र. से. स्टा. महा.) भारत के सबसे पुराने सैन्य संस्थानों में से है। इसकी स्थापना 1905 में देवलाली में की गई थी और यह 1950 से वेलिंग्टन में काम कर रहा है। रक्षा सेवा स्टाफ महाविद्यालय तीनों सेनाओं के मध्य स्तर के अधिकारियों को तथा इसके साथ ही कुछ सिविलियन अधिकारियों और सहयोगी विदेशी राष्ट्रों के अधिकारियों को प्रशिक्षण देता है। यह महाविद्यालय प्रत्येक वर्ष जून-अप्रैल तक 45 हफ्तों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। रक्षा सेवा स्टाफ महाविद्यालय के स्टाफ पाठ्यक्रम का उद्देश्य होता है अंतर सेवा एवं संयुक्त सेवा के वातावरण में संक्रियात्मक एवं स्टाफ संबंधी कार्यों का प्रशिक्षण देना। यह प्रशिक्षण अधिकारियों को मेजर/लेफ्टि कर्नल एवं अन्य सेवा में समतुल्य रैंक के अधिकारियों के रूप में किसी स्टाफ/ संक्रियात्मक ड्यूटियों को प्रभावी रूप से निर्वाह करने में समर्थ बनाता है।

रक्षा मंत्रालय पुस्तकालय

9.74 रक्षा मंत्रालय पुस्तकालय रक्षा मंत्रालय, तीनों सेना मुख्यालयों, अंतर सेवा संगठनों एवं दिल्ली में स्थित अन्य संबद्ध रक्षा स्थापनाओं के संबंध में योजना एवं नीति निर्धारण से संबंधित विषयों पर साहित्य प्रदान करता है इसमें विशेष रूप से रक्षा एवं उससे संबंधित विषय का साहित्य होता है तथा यह सामान्य पाठकों की आवश्यकताओं को भी पूरा करता है। पुस्तक चयन उप-समिति, जिसके अध्यक्ष संयुक्त सचिव महोदय होते हैं, पुस्तकालय के लिए वाचन-सामग्री का चयन करते हैं। इस वर्ष के दौरान पुस्तकालय में 3050 नई पुस्तकें आई, 124 जनरल और 23 समाचार-पत्र खरीदे गए।

10

भर्ती एवं प्रशिक्षण

भारतीय सैन्य अकादमी में कमीशन प्रदान करने का समारोह

भर्ती एवं प्रशिक्षण

10.1 सशस्त्र सेनाएं सेवा, बलिदान, देशभक्ति और हमारे देश की संयुक्त संस्कृति की प्रतीक हैं। सशस्त्र सेनाओं में भर्ती स्वैच्छिक है और भारत का प्रत्येक नागरिक, चाहे वह किसी भी जाती, वर्ग, धर्म और समुदाय का हो, सशस्त्र सेनाओं में भर्ती के योग्य है बशर्ते वह निर्धारित शारीरिक, चिकित्सा और शैक्षिक मानदंडों पर खरा उतरता हो।

अफसर रैंक से नीचे के पदों पर भर्ती

10.2 प्रत्येक नागरिक, चाहे वह किसी भी वर्ग, धर्म और राज्य का हो, सेना में भर्ती के योग्य है, बशर्ते वह निर्धारित शारीरिक, आयु, चिकित्सा और शैक्षिक मानदंडों पर खरा उतरता हो, सेना में अन्य रैंकों की भर्ती राज्य संघ-शासित क्षेत्रों की भर्ती योग्य पुरुष आबादी (आर एम पी) की प्रतिशतता के अनुसार की जाती है। भर्ती योग्य पुरुष आबादी में राज्य संघ शासित क्षेत्रों के वे सभी पुरुष शामिल हैं जो निर्धारित गुणात्मक अपेक्षाएं पूरी करते हों और जिनकी गिनती कुल पुरुष आबादी के 10 प्रतिशत में होती है। 11 क्षेत्रीय भर्ती कार्यालय, एक गोरखा भर्ती डिपो, कुनराघाट और 47 रेजिमेंट केंद्रों के अतिरिक्त दिल्ली कैंट में स्थित एक स्वतंत्र भर्ती कार्यालय भर्ती करने का काम करते हैं। भर्ती वर्ष 2003-2004 के दौरान, भर्ती संगठन ने सेना के लिए 1,04,169 रंगरुटों की भर्ती की।

नौसैनिकों की भर्ती

10.3 नौसेना मुख्यालय में जनशक्ति योजना और भर्ती निदेशालय का नौसेना भर्ती संगठन (एन आर ओ) भारतीय नौसेना में नौसेनिकों की भर्ती के लिए जिम्मेवार है। नौसैनिकों की भर्ती का कार्य निम्नलिखित प्रविष्टियों के लिए किया जाता है:-

(क) तीन वर्ष का डिप्लोमा प्राप्त किए हुए अभ्यार्थियों की आटिफिसर के रूप में सीधी (डी ई डी एच) (ख) आर्टिफिसर अप्रेंटिस (ए ए)-(10+2), (ग) मैट्रिक एंट्री रंगरुट (एम ई आर), (घ) गैर-मैट्रिक एंट्री रंगरुट (एन एम ई आर), (च) पेटी अफसरों (उत्कृष्ट खिलाड़ी) की सीधी भर्ती।

10.4 नौसेना में भर्ती, अखिल भारतीय स्तर पर की जाती है। समूचे देश में स्थित 30 केंद्रों में भर्ती परीक्षाएं ली जाती हैं। भर्ती किए गए कार्मिकों की संख्या उन योग्य आवेदकों की संख्या पर निर्भर करती है जो लिखित परीक्षा, शारीरिक स्वस्थता परीक्षा और चिकित्सा परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर

सके। जाति, धर्म या क्षेत्र के आधार पर कोई वरीयता नहीं दी जाती।

वायुसैनिकों की भर्ती

10.5 अविवाहित पुरुष भारतीय नागरिक, चाहे वे किसी भी जाति, मत, धर्म और राज्य (नेपाल के नागरिक) के हों, भारतीय वायु सेना में भर्ती के योग्य हैं, बशर्ते वे निर्धारित शारीरिक, आयु और शैक्षिक मानदंडों को पूरा करते हों। भा. वा. से. में भर्ती के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों का चयन, अखिल भारतीय स्तर पर एक केंद्रीकृत चयन प्रणाली के माध्यम से किया जाता है।

अफसर रैंक से नीचे के पदों पर कार्मिकों (पी. बी. ओ. आर.) की भर्ती के लिए पात्रता मानदंडों में संशोधन

10.6 **प्रवेश के लिए आयु सीमा में संशोधनः-** बाल अधिकार सम्मेलन में जारी यू एन विज्ञाप्ति में यह निर्धारित किया गया है कि 18 वर्ष से कम आयु के कार्मिक, युद्ध में भाग नहीं लेंगे। उपर्युक्त को देखते हुए, पी.बी.ओ.आर. की भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 16 से बढ़ाकर 17 वर्ष 6 मास कर दी गई है।

10.7 **संशोधित शारीरिक मानदंडः-** 1 अगस्त, 2004 से पी बी ओ आर की भर्ती के लिए शारीकिर मानदंडों में वृद्धि की गई है और इसके लिए निम्नलिखित न्यूनतम लंबाई निर्धारित की गई है:-

(क) पूर्व हिमालय क्षेत्र 157 से.मी. से 160 से. मी.

(ख) पश्चिम हिमालय क्षेत्र 163 से.मी. से 166 से.मी.

(ग) केंद्रीय क्षेत्र 167 से.मी. से 168 से. मी.

(घ) दक्षिण क्षेत्र 165 से.मी. से 166 से. मी.

(ड.) गोरखा 157 से.मी. से 160 से.मी.

(च) सभी क्षेत्रों में ट्रेड्समैनों के लिए लंबाई में 2 से.मी. की मौजूदा छूट को हटा दिया गया है।

10.8 **शैक्षिक मानदंडो में संशोधनः-** सेना में हो रहे नित नए प्रयोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने और भविष्य में इस्तेमाल हो सकने वाले जटिल हथियारों/ उपस्कर प्रणालियों की प्रभावी ढंग से साज-संभाल सुनिश्चित करने के लिए, यह आवश्यक है कि शैक्षिक मानदंडों की समीक्षा नियमित रूप से की जाए। 1 अप्रैल 2002 से सेना में भर्ती किए जाने वाले सिपाही सामान्य ड्यूटी की शिक्षा योग्यता को अप ग्रेड करके मैट्रिक कर दिया गया है जिसमें उनकी द्वितीय श्रेणी (45 प्रतिशत अंक) हो और सिपाही क्लर्क/ स्टोर कीपर तकनीकी/तकनीकी/ नर्सिंग सहायक श्रेणियों में भर्ती की न्यूनतम शिक्षा योग्यता को अपग्रेड करके 10+2 कर दिया गया है जिसमें रंगरूट के कुल प्राप्तांक 50 प्रतिशत हों। सेना में विभिन्न वर्गों के लिए शैक्षिक मानदंडो के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

	वर्ग	शिक्षा	आयु
(क)	सिपाही सामान्य ड्यूटी	कुल 45 प्रतिशत अंको के साथ एस एस एल सी/ मैट्रिक, यदि उच्चतर योग्यता है तो कोई प्रतिशत आवश्यक नहीं तब मैट्रिक में केवल पास होना आवश्यक है।	17-1/2 से 21 वर्ष
(ख)	सिपाही तकनीकी	10+2 इंटर मीडिएट परीक्षा में भौतिकी, रसायन शास्त्र, अंकगणित और अंग्रेजी विषयों के साथ विज्ञान में कुल न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक और ट्रेड के लिए विशिष्ट प्रत्येक विषय में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक उच्चतर योग्यता को कोई महत्व नहीं दिया जाएगा।	17-1/2 से 23 वर्ष
(ग)	सिपाही क्लर्क/ स्टोर कीपर तकनीकी	किसी भी स्ट्रीम (कला, वाणिज्य, विज्ञान) में 50 कुल प्रतिशत अंकों से और प्रत्येक विषय में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंकों से 10+2 इंटरमीडिएट परीक्षा पास की हो। उच्चतर योग्यता को महत्व दिया जाएगा।	17-1/2 से 23 वर्ष
(घ)	सिपाही नर्सिंग सहायक	भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव-विज्ञान और अंग्रेजी विषयों के साथ विज्ञान में कुल न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों से और प्रत्येक विषय में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंको से 10+2 इंटरमीडिएट परीक्षा पास की हो/ उच्चतर योग्यता को कोई महत्व नहीं दिया जाएगा।	17-1/2 से 23 वर्ष
(च)	सिपाही ट्रेड्समैन	गैर-मैट्रिक	17-1/2 से 23 वर्ष
(छ)	सिपाही (सामान्य ड्यूटी) गैर-मैट्रिक	गैर-मैट्रिक	17-1/2 से 23 वर्ष
(ज)	सर्वेक्षण ऑटो कार्टोग्राफर	अंकगणित से स्नातक/ विज्ञान स्नातक साथ ही मैट्रिक और 10+2 अंकगणित और विज्ञान से पास की हो।	20-35 वर्ष
(झ)	जे सी ओ धार्मिक शिक्षक	किसी भी विषय में स्नातक। इसके अलावा अपने धार्मिक संप्रदाय की अतिरिक्त योग्यता।	27-34 वर्ष
(ट)	जे सी ओ केटरिंग	10+2 कुकरी/ होटल प्रबंधन और केटरिंग तकनीक में जो ए आई सी टी ई द्वारा मान्यता प्राप्त हो, एक वर्ष या अधिक की अवधि का डिप्लोमा/ सर्टिफिकेट कोर्स।	21-27 वर्ष
(ठ)	हवलदार	शिक्षा स्नातक सहित स्नातक/ शिक्षा स्नातक स्नातकोत्तर	20-25 वर्ष

सिपाही (सामान्य ड्यूटी) के रूप में भर्ती के लिए शिक्षा में छूट, कुछ चुनिन्दा राज्यों/ क्षेत्र/ वर्ग और समुदाय में स्वीकृत हैं।

10.9 **सिपाही जनरल ड्यूटी कैटेगरी के लिए शैक्षिक मानदंडों में छूट:-** सेना में विभिन्न ट्रेडों के लिए अर्हता शिक्षा मानदंड निर्धारित किए जाते हैं। कुछ क्षेत्रों/ समुदायों के लिए सिपाही जनरल ड्यूटी कैटेगरी में भर्ती के लिए शिक्षा मानदंडों में छूट की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों और दूरस्थता को ध्यान में रखते हुए दी जाती है। मौजूदा समीक्षा, 1 अप्रैल 2004 से 31 मार्च 2007 तक प्रभावी रहेगी।

अफसरों को कमीशन प्रदान करना

10.10 सशस्त्र सेनाओं में कमीशन प्राप्त अफसरों की भर्ती मुख्यत: संघ लोक सेवा आयोग (यू पी एस सी) के माध्यम से की जाती है। इसके लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा एक लिखित परीक्षा आयोजित की जाती है। इसके बाद सर्विस सेलेक्शन बोर्ड द्वारा साक्षात्कार लिया जाता है और चिकित्सा बोर्ड चिकित्सा जांच करता है। भर्ती सीधे सेना, नौसेना और वायुसेना की तकनीकी शाखाओं से संबंधित भर्ती निदेशालयों, महिला विशेष प्रवेश योजना, एन सी सी विशेष योजना और सेवा प्रविष्टियों में से की जाती है। इन्हें गैर संघ लोक सेवा आयोग प्रविष्टि कहा जाता है। एस एस बी के माध्यम से भर्ती सेना चिकित्सा कोर और सेना दंत चिकित्सा कोर को छोड़कर अन्य सभी सेनाओं और सेवाओं में अभ्यार्थियों के अफसरों के रूप में प्रवेश के लिए की जाती है।

10.11 **भर्ती :-** वर्ष 2004 के दौरान, अफसर के रूप में कमीशन प्रदान करने के पूर्व के प्रशिक्षण के लिए अभ्यार्थियों की भर्ती निम्नानुसार थी:-

(क)	**एन डी ए**			607 (**सेना**-392)
(ख)	**आई एम ए**			626
	(1)	आई एम ए (डी ई)	444	
	(2)	ए सी सी	108	
	(3)	एस सी ओ	27	
	(4)	पी सी (विशेष)	47	
		कुल	626	
(ग)	**ओ टी ए**			409
	(1)	ओ टी ए	305	
	(2)	एन सी सी	104	
		कुल	409	
(घ)	**तकनीकी प्रविष्टियां**			455
	(1)	यू ई एस	61	
	(2)	एस एस सी (टी)	100	
	(3)	10+2 टी ई एस	169	
	(4)	टी जी सी	125	
		कुल	455	

संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती

10.12 संघ लोक सेवा आयोग वर्ष में दो बार लिखित अखिल भारतीय प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करता है जिसे संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा (सी डी एस ई) कहा जाता है। विश्वविद्यालय के स्नातक और वे भी जो इसके अंतिम वर्ष में पढ़ रहे हैं, इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। सफल अभ्यार्थियों का सेना प्रवरण बोर्ड द्वारा साक्षात्कार लिया जाता है और इसके बाद चिकित्सा बोर्ड द्वारा चिकित्सा जांच की जाती हैं अंत में चुने गए अभ्यार्थी संबंधित प्रशिक्षण अकादमी अर्थात् भारतीय सैन्य अमादमी (आई एम ए)/ सेना के लिए अफसर प्रशिक्षण अकादमी, नौसेना के लिए नौसेना अकादमी और वायु सेना के लिए वायुसेना अकादमी ज्वाइन करते हैं।

10.13 इसी प्रकार, संघ लोक सेवा आयोग राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश के लिए भी वर्ष में दो बार लिखित परीक्षा आयोजित करता है। 10+2 परीक्षा पास कर चुके अथवा 12 वीं में पढ़ रहे अभ्यार्थी इसमें बैठ सकते हैं। सफल अभ्यर्थियों का राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश से पूर्व सेना प्रवरण बोर्ड द्वारा साक्षात्कार लिया जाता है और चिकित्सा बोर्ड द्वारा चिकित्सा जांच की जाती है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में तीन वर्ष तक प्रशिक्षण दिया जाता है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कोर्स पूरा करने के बाद अभ्यर्थियों (कैडेट) को उनके कमीशन प्राप्त करने के पूर्व के प्रशिक्षण के लिए उनके द्वारा चुनी गई विंग पर निर्भर करते हुए संबंधित सेना अकादमियों (आई एम ए/एन ए/ ए एफ ए) में भेज दिया जाता है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी सफल कैडेटों को स्नातक डिग्री भी प्रदान करती है।

10.14 **विश्वविद्यालय प्रवेश योजना (यू ई एस):-** अधिसूचित इंजीनियरी शाखाओं के अंतिम/ अंतिम वर्ष से पूर्व के विद्यार्थी विश्वविद्यालय प्रवेश योजना के तहत सेना के तकनीकी सेनाओं में कमीशन अफसर के रूप में स्थायी सेना कमीशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। पात्र अभ्यर्थियों को सेना मुख्यालय द्वारा तैनात स्क्रीनिंग टीमों द्वारा कैम्पस में ही साक्षात्कार कर चुना जाता है। एस एस बी और चिकित्सा बोर्ड के बाद, अंतिम रूप से चुने गए अभ्यर्थियों को कमीशन प्राप्त करने से पूर्व आई एम ए देहरादून में एक वर्षीय कमीशन पूर्व प्रशिक्षण लेना होता है। इस प्रवेश के माध्यम से कैडेट कमीशन मिलने पर दो वर्ष की पूर्व दिनांकित वरिष्ठता के भी हकदार होते हैं।

तकनीकी स्नातक (टी जी) प्रवेश

10.15 इंजीनियरी की अधिसूचित शाखाओं के इंजीनियरी ग्रेजुएट/ पोस्ट ग्रेजूएट और वे भी जो अंतिम वर्ष में पढ़ रहे हैं, इस प्रवेश के माध्यम से तकनीकी सेनाओं में स्थायी सेना कमीशन के लिए आवेदन करने के हकदार हैं। चुने गए अभ्यार्थियों को आई एम ए देहरादून में एक वर्ष के प्रशिक्षण के बाद कमीशन प्रदान किया जाता है। इस प्रवेश के माध्यम से आए कैडेट कमीशन मिलने पर दो वर्ष की पूर्व दिनांकित वरिष्ठता के भी हकदार होते हैं।

10.16 **अल्प सेवा कमीशन (तकनीकी) प्रवेश:-** अल्प सेवा कमीशन (तकनीकी) प्रवेश योजना पात्र तकनीकी स्नातकों/

स्नातकोत्तरों को तकनीकी सेनाओं में भर्ती मुहैय्या कराती है। एस एस बी और चिकित्सा बोर्ड के बाद, अंतिम रूप से चुने गए अभ्यार्थियों को ओ टी ए चेन्नई में 11 महीने का कमीशन पूर्व प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण पूरा होने पर, सफल अभ्यर्थियों को तकनीकी सेनाओं में अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अफसर के रूप में शामिल किया जाता है। इस प्रवेश के माध्यम से आए अभ्यार्थी भी कमीशन प्राप्त होने पर दो वर्ष की पूर्वदिनांकित वरिष्ठता के हकदार हैं।

प्रवरण बोर्डों के माध्यम से भर्ती

10.17 सेना प्रवरण बोर्ड/ वायुसेना प्रवरण बोर्ड के माध्यम से भर्ती सेना, नौसेना और वायुसेना की निम्नलिखित शाखाओं के लिए की जाती है:-

सेना:- सेना चिकित्सा कोर और सेना दंत चिकित्सा कोर को छोड़कर सभी सेनांग एवं सेवाएं।

नौसेना:- वैद्युत इंजीनियरी, इंजीनियरी (नौसेना वास्तु-शिल्प) परिभारिकी, कानून, शिक्षा, हवाई यातायात नियंत्रण, कार्यकारिणी, जल, नौसेना आयुध निरीक्षण।

वायुसेना:- फ्लाइंग पायलट (एफ पी), वैमानिकी इंजीनियरी (इलेक्ट्रॉनिक्स), वैमानिकी इंजीनियरी (यांत्रिकी), शिक्षा, प्रशासन, परिभारिकी, लेखा और मौसम विज्ञान।

वैमानिकी इंजीनियरी कोर्स (ए ई सी)

10.18 वैमानिकी इंजीनियरी कोर्स में वायुसेना प्रवरण बोर्ड के माध्यम से अर्हता प्राप्त तकनीकी स्नातकों की भर्ती की जाती है जो पहले वायुसेना अकादमी, हैदराबाद में प्रशिक्षण लेते हैं और उसके बाद वायुसेना तकनीकी कॉलेज (ए एफ टी सी) में। ए एफ टी सी से सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने के बाद उन्हें तकनीकी शाखा की इलेक्ट्रॉनिक और मेकेनिकल स्ट्रीम में शामिल किया जाता है।

महिला अफसरों की भर्ती

10.19 महिला विशेष प्रवेश योजना तीन क्षेत्रों (स्ट्रीम) अर्थात् तकनीकी, गैर-तकनीकी और विशेषज्ञ में पात्र महिलाओं के लिए खुली है। चयन के बाद, उन्हें ओ टी ए चेन्नई में छह महीने का प्रशिक्षण दिया जाता है और फिर सशस्त्र सेनाओं की निम्नलिखित सेनांगों/ सेवाओं में अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अफसर के रूप में कमीशन प्रदान किया जाता है:-

सेना:- वैद्युत एवं मेकेनिकल इंजीनियरी कोर, सिगनल कोर, सेना शिक्षा कोर, सेना आयुध कोर, सेना सेवा कोर, सैन्य आसूचना कोर और जज एडवोकेट जनरल शाखा।

नौसेना:- इंजीनियरी (नौसेना वास्तुशिल्प), परिभारिकी, कानून, शिक्षा, हवाई यातायात नियंत्रण।

वायुसेना:- उड़ान, वैमानिकी इंजीनियरी (इलेक्ट्रॉनिक), वैमानिकी इंजीनियरी (मेकेनिकल), शिक्षा, प्रशासन, परिभारिकी, लेखा और मौसम विज्ञान।

10.20 **महिला विशेष प्रवेश योजना (अफसर) की भर्ती में वृद्धि:-** महिला अभ्यर्थियों को महिला विशेष प्रवेश योजना

(अफसर) के माध्यम से भारतीय सेना में भर्ती किया जाता है। यह योजना काफी सफल हुई है। परिणामस्वरूप महिला विशेष प्रवेश योजना की सुनियोजित भर्ती में सितम्बर 2003 से 50 से 75 प्रति कोर्स और 150 प्रति वर्ष बढ़ोतरी हुई है। वर्तमान में लगभग 921 महिला अफसर भारतीय सेना में कार्यरत हैं।

10.21 **अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अफसर/ महिला विशेष प्रवेश योजना अफसर का कार्यकाल बढ़ाना:-** यूनिटों में कनिष्ठ अफसरों की कमी के निदान के रूप में सरकार ने सेना में अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अफसरों के साथ-साथ महिला विशेष प्रवेश योजना अफसरों के कार्यकाल को बढ़ाकर 10-14 वर्ष कर दिया है।

एन सी सी विशेष प्रवेश

10.22 न्यूनतम 'बी' ग्रेड का एन सी सी 'सी' प्रमाण-पत्र और स्नातक में 50 अंक रखने वाले विश्वविद्यालय स्नातक नौसेना और वायुसेना में नियमित कमीशन प्राप्त अफसर के रूप में और सेना में अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अफसर के रूप में कमीशन प्राप्त करने के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। उन्हें संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा (सी डी एस ई) में बैठने से छूट दी गई है। उन्हें सीधे एस एस बी साक्षात्कार के माध्यम से लिया जाता है। गुणता आवश्यकता (क्यू आर) पूरी करने वाले अभ्यार्थियों को राज्य स्तर पर विभिन्न एन सी सी निदेशालयों के माध्यम से आवेदन करना होता है। स्क्रीनिंग डी जी एन सी सी द्वारा की जाती है जो योग्य कैडेटों के आवेदन पत्र भर्ती निदेशालय को अग्रेषित करता है।

10.23 **सेना कैडेट कॉलेज प्रवेश के माध्यम से कमीशन प्रदान करना:-** तीन सेनाओं के पात्र अन्य रैंक, 10+2 परीक्षा के बाद सेना कैडेट कॉलेज प्रवेश के माध्यम से नियमित कमीशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। एस एस बी और चिकित्सा बोर्ड के माध्यम से चयन के बाद कैडेटों को सेना कैडेट कॉलेज देहरादून में तीन वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाता है जिसकी समाप्ति पर उन्हें स्नातक डिग्री मिलती है। इसके बाद आई एम ए, देहरादून में एक वर्ष का कमीशन पूर्व प्रशिक्षण दिया जाता है। स्थायी कमीशन सभी सेनांगों/सेवाओं में प्रदान किया जाता है।

विशेष कमीशन प्राप्त अफसर

10.24 सरकार ने विशेष कमीशन प्राप्त अफसरों के सपोर्ट कैडर के सृजन को अनुमोदित कर दिया है। पात्र जूनियर कमीशन प्राप्त अफसरों और अन्य रैंकों से ये पद भरे जाते हैं। इस प्रवेश के तहत, सेना सीनियर स्कूल प्रमाणपत्र पास (कक्षा 10+2 सी बी एस ई पैटर्न) 30-35 वर्ष की आयु समूह वाले जे सी ओ/ एन सी ओ/ अन्य रैंक सेना प्रवरण बोर्ड और चिकित्सा बोर्ड के माध्यम से स्क्रीनिंग/चयन के बाद कमीशन के पात्र हैं। उन्हें आई एम ए, देहरादून में एक वर्ष की अवधि का कमीशन पूर्व प्रशिक्षण लेना होता है। इस प्रकार से कमीशन प्राप्त करने वाले अफसर कर्नल रैंक तक पदोन्नति पाते हैं। मूल पदोन्नति और कार्यकारी पदोन्नति के

नियम नियमित अफसरों के समान ही हैं। इन अफसरों को यूनिटों में सब यूनिटों में सब यूनिट कमांडर/ क्वार्टर मास्टर और मेजर रैंक तक विभिन्न अतिरिक्त रेजिमेंटी पदों (ई आर ई) पर नियुक्त किया जाता है। ये अफसर के रूप में लगभग 20–25 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद 57 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत होते हैं। इस योजना से न केवल जे सी ओ/ एन सी ओ/ अन्य रैंक की कैरियर संभावनाओं में सुधार होता है बल्कि सेना में अफसरों की कमी को पूरा करने में भी काफी हद तक सहायता मिलती है।

10.25 **स्थायी कमीशन (चयन सूची) काडर के माध्यम से प्रवेश:–** एस एस बी द्वारा चयन के बाद पात्र पी बी ओ आर को विभिन्न सेनाओं/ सेवाओं में स्थायी कमीशन स्पेशल लिस्ट (पी सी एस एल) प्रदान की जाती है । इस एंट्री से पी बी ओ आर को अधिक प्रेरणा मिल रही है।

10.26 **आई ए एफ में एस एन सी ओ कमीशनिंग:–** इस एंट्री के अंतर्गत 10+2 की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता वाले और 36 वर्ष तक की आयु के सार्जेंट या इससे ऊपर की रैंक (तकनीकी और गैर तकनीकी ट्रेडों) के न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा वाले सेवारत कार्मिक यूनिट स्तर पर स्क्रीनिंग तथा इसके बाद ए एफ एस बी चयन परीक्षाओं तथा डॉक्टरी जांच के बाद भारतीय वायुसेना में कमीशन पाने के पात्र होते हैं। तथापि, उच्चतर शैक्षिक योग्यता वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाती है। तकनीकी ट्रेडों के सैन्य कार्मिकों को तकनीकी शाखा में तथा गैर–तकनीकी शाखा और गैर–तकनीकी ट्रेडों के कार्मिको को ग्राउंड ड्यूटी शाखाओं में प्रवेश दिया जाता है।

10.27 **ब्रांच कमीशनिंग :** इस एंट्री के अंतर्गत 10वीं पास की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता वाले 37 से 42 वर्ष की आयु वर्ग के सार्जेंट या इससे ऊपर की रैंक के तकनीकी और गैर–तकनीकी ट्रेड़ों के सेवारत कार्मिक एक लिखित परीक्षा और उसके बाद ए एफ एस बी चयन परीक्षाओं तथा डाक्टरी जांच पास करने के बाद भारतीय वायुसेना में कमीशन पात्र होते हैं। तकनीकी ट्रेड़ों के सैन्य कार्मिकों को तकनीकी शाखा और गैर तकनीकी ट्रेड़ों के कार्मिकों को ग्राउंड ड्यूटी शाखाओं में प्रवेश दिया जाता है।

10.28 **टेक्निकल एंट्री स्कमी (10+2 टी ई एस) :–** टेक्निकल एंट्री स्कमी (टी ई एस) के अंतर्गत भौतिकी, रसायन और गणित के साथ माध्यमिक शिक्षा/ राज्य बोर्ड के भारतीय प्रमाणपत्र/ केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 10+2 की योग्यता वाले उम्मीदवार थल सेना में कमीशन पाने के पात्र होते हैं। चयन के बाद इन्हें आई एम ए देहरादून में एक वर्षीय बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता है और इसके बाद इन्हें तीन वर्षीय इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स करना होता है। कमीशन प्रदान किए जाने के बाद इन्हें सेनांगों का एक वर्षीय विशिष्ट प्रशिक्षण दिया जाता है। इस एंट्री के माध्यम से वालंटियर कैडेट काम्बैट आर्म्स में भी प्रवेश ले सकते हैं।

10.29 **नौसेना की 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम:–** इस स्कीम के अंतर्गत बारहवीं कक्षा में भौतिकी, रसायन और गणित वाले

उम्मीदवार सर्विसेज सेलेक्शन बोर्ड द्वारा चुने जाते हैं और मरीन इंजीनियरिंग/ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में चार वर्षीय बी.टेक डिग्री कोर्स करने के लिए भा नौ पो शिवाजी में भेजे जाते हैं। प्रत्येक बैच से 12 कैडेटों को कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नालॉजी (सी यू एस ए टी) में नेवल आर्किटेक्चर डिग्री कोर्स के लिए नामित किया जाता है। इन कैडेटों को सब-लेफ्टिनेंट के रूप में स्थायी कमीशन (पी सी) प्रदान किया जाता है। इस स्कीम का उद्देश्य सुप्रशिक्षित तकनीकी अफसरों को तकनीकी शाखा में पी सी अफसरों की आवश्यकता को पूरा करने योग्य बनाना है।

मेडिकल और डेंटल अफसरों की भर्ती

10.30 सशस्त्र सेना चिकित्सा कॉलेज, पुणे के मेडिकल स्नातकों को सशस्त्र सेनाओं में स्थायी कमीशन प्राप्त मेडिकल अफसरों के रूप में सीधा प्रवेश दिया जाता है। नियमित कमीशन प्राप्त/ अल्प सेवा कमीशन प्राप्त मेडिकल अफसरों की भर्ती के लिए सिविल मेडिकल कॉलेजों के स्नातक/ स्नातकोत्तर भी सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा महानिदेशालय (डी जी ए एफ एम एस) को आवेदन कर सकते हैं जो मेडिकल अफसरों के रूप में प्रवेश से पहले एक अखिल भारतीय प्रतियोगिता परीक्षा और साक्षात्कार का संचालन करता है।

भर्ती के लिए प्रचार

10.31 हमारे देश के युवाओं को सेना में अफसर काडर के लिए अवसरों की और अधिक जानकारी देने के लिए कदम उठाए गए हैं। बेहतर प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए अपनाए गए प्रचार के साधन निम्नलिखित हैं:-

(क) **प्रेस विज्ञापन:-** विविध एंट्रियों यथा यू पी एस सी और गैर-यू पी एस सी एंट्रियों के लिए एम्प्लॉयमेंट न्यूज/ रोजगार समाचार और विभिन्न भाषाओं में डायरेक्टरेट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड विजुअल पब्लिसिटी (डी ए वी पी) के माध्यम से विज्ञापन जारी किए जाते हैं। यू पी एस सी एंट्रियों में नेशनल डिफेंस एकेडमी (एन डी ए), इंडियन मिलिट्री एकेडमी (डायरेक्ट एंट्री) और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी (शार्ट सर्विस कमीशन (नॉन टेक्निकल) शामिल हैं। गैर-यू पी एस सी एंट्रियों में टेक्निकल ग्रेजूएट कमीशन (टी जी सी), यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम (यू ई एस), 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम (टी ई एस), शॉर्ट सर्विस कमीशन (टेक्निकल), वीमेन स्पेशल एंट्री स्कीम (ऑफिसर्स, शार्ट सर्विस कमीशन (एन सी सी स्पेशल एंट्री) और विधि स्नातकों के लिए जज एडवोकेट जनरल (जे ए जी) शाखा शामिल हैं। अन्य रैंक श्रेणियों यथा हवलदार इंस्ट्रक्टर्स और जूनियर कमीशन प्राप्त आफिसर्स (कैटरिंग और धार्मिक शिक्षकों) आदि के लिए भी विज्ञापन जारी किए जाते

हैं। संबंधित जोनल रिक्रूटमेंट ऑफिस (जेड आर ओ)/ ब्रांच रिक्रूटमेंट ऑफिस (बी आर ओ) भी स्थानीय प्रादेशिक समाचार पत्रों में अन्य रैंकों की भर्ती के लिए विज्ञापन प्रकाशित करते हैं। शैक्षिक संस्थाओं द्वारा निकाली गई पत्रिकाओं में भी विज्ञापन प्रकाशित किए जाते हैं।

(ख) **होर्डिंग:-** सर्वश्रेष्ठ युवा पुरुषों एवं महिलाओं को सशस्त्र सेनाओं में शामिल होने के लिए आकर्षित करने के उद्देश्य से चुनिंदा स्थानों पर होर्डिंग लगाए जाते हैं।

(ग) **मुद्रित प्रचार:-** डी ए वी पी और प्राइवेट व्यावसायिक एजेंसियों द्वारा तैयार किए गए सूचना फोल्डर, इश्तहार, विवरणिका, डाटा कार्ड, पोस्टर और ब्लो-अप व्यापक तौर पर वितरित किए जाते हैं।

(घ) **प्रदर्शनी और मेले:-** प्रत्येक वर्ष नई दिल्ली के भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में रक्षा पैवेलियन में एक स्टॉल लगाया जाता है जहां आगंतुकों को भर्ती संबंधी जानकारी दी जाती है। ऐसा अन्य आयोजित मेलों में भी किया जाता है जो विद्यार्थियों के लिए और उनके कैरियर से संबंधित होते हैं।

(च) **इमेज प्रोजेक्शन कैम्पेन:-** युवाओं को कमीशन प्राप्त अफसरों के रूप में उपलब्ध अवसरों की जानकारी देने के लिए मुद्रण, श्रव्य, दृश्य और श्रव्य-दृश्य मीडिया में निम्नलिखित इमेज प्रोजेक्शन कैम्पेन (आई पी सी) शुरू किए गए:-

(i) आई पी सी- I - सितंबर 1997 से मार्च 1998

(ii) आई पी सी- II - अगस्त 1999 से अगस्त 2000

(iii) आई पी सी- III - जून 2002 से मई 2003

उपर्युक्त तीन कैम्पेन से प्राप्त अनुकूल प्रतिक्रियाओं के आधार पर इमेज प्रोजेक्शन कैम्पेन (आई पी सी-IV) का चौथा चरण 2005 के मध्य तक शुरू किए जाने की संभावना है।

रक्षा सेवाओं के लिए प्रशिक्षण

10.32 रक्षा क्षेत्र में मानव संसाधन प्रबंधन की अपनी कई खास विशेषताएं हैं। प्रशिक्षण का उद्देश्य अफसरों और सैनिकों को दक्ष योद्धा बनाने के लिए आवश्यक जानकारी देना तथा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय विकासों के बारे में सुविज्ञ बनाना है। जिस माहौल में रक्षा अफसर काम करते हैं, उसके लिए प्रशिक्षण बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रशिक्षण आवश्यकताओं को नए भर्ती किए गए अफसरों, उन्नत और विशिष्ट प्रशिक्षण चाहने वाले अफसरों और अन्य रैंको (ओ आर) के अनुरूप रखा जाता है। तदनुसार रक्षा क्षेत्र में अनेक प्रशिक्षण संस्थान इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक-दूसरे के साथ तालमेल बनाकर कार्य करते हैं।

सैनिक स्कूल

10.33 सैनिक स्कूल केंद्र और राज्य सरकार के बीच संयुक्त उपक्रम के रूप में तथा सैनिक स्कूल सोसाइटी के समग्र नियंत्रण के अंतर्गत स्थापित किए गए थे। इस समय 20 सैनिक स्कूल हैं। सैनिक स्कूलों का उद्देश्य कैडेटों में उत्तम चरित्र, टीम भावना, देशभक्ति पूर्ण दृष्टिकोण और देश सेवा की भावना विकसित करना है। सैनिक स्कूल, लड़कों को नेशनल डिफेंस एकेडमी (एन डी ए) के माध्यम से सशस्त्र सेनाओं में प्रवेश करने के लिए तैयार करने के प्रमुख संस्थान रहे हैं।

10.34 सैनिक स्कूलों का उद्देश्य स्तरीय पब्लिक स्कूल शिक्षा को आम आदमी की पहुंच के भीतर लाना, बच्चे के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना तथा सशस्त्र सेनाओं के अफसर काडर में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना है।

10.35 सैनिक स्कूलों में छठी और नवीं कक्षा में दाखिला दिया जाता है। जिस वर्ष दाखिला लेना हो, उस वर्ष की पहली जुलाई को उनकी आयु कक्षा VI के लिए 10–11 वर्ष और कक्षा IX के लिए 13–14 वर्ष होनी चाहिए। दाखिले प्रत्येक वर्ष जनवरी में संपन्न हुई प्रवेश परीक्षा के आधार पर बनाए गए योग्यता क्रम के अनुसार ही किए जाते हैं। दाखिले के लिए फॉर्म स्कूलों में सामान्यत: नवंबर के महीने में उपलब्ध होते हैं और प्रवेश परीक्षा प्रत्येक वर्ष जनवरी के तीसरे रविवार को ली जाती है।

10.36 प्रवेश परीक्षा में लिखित परीक्षा और साक्षात्कार होता है। इसके बाद दाखिला नेशनल डिफेंस एकेडमी में प्रवेश के लिए निर्धारित चिकित्सा मानदंडों के अनुसार चिकित्सीय रूप से उम्मीदवार को उपयुक्त पाए जाने पर किया जाता है।

10.37 सैनिक स्कूल पूर्णत: आवासीय स्कूल हैं जो पब्लिक स्कूलों की तरह चलाए जाते हैं। सभी सैनिक स्कूल ऑल इंडिया पब्लिक स्कूल कांफ्रेंस के सदस्य भी हैं। इनका पाठ्यक्रम एक जैसा होता है और ये केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध होते हैं तथा शिक्षा की 10+2 पद्धति को अपनाते हैं। आज की तारीख में रक्षा बलों के 6000 से अधिक अफसर सैनिक स्कूलों के छात्र रहे हैं।

मिलिट्री स्कूल

10.38 अजमेर, बंगलूर, बेलगाम, धौलपुर और चैल स्थित देश के पांच मिलिट्री स्कूल सी बी एस ई से संबद्ध हैं। मिलिट्री स्कूल अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा के आधार पर कक्षा VI में लड़कों का दाखिला करते हैं। मिलिट्री स्कूलों में 67 प्रतिशत सीटें 'हकदार श्रेणी' कहलाने वाले जे सी ओ/ ओ आर के बच्चों के लिए आरक्षित होती हैं। 33 प्रतिशत गैर-हकदार सीटों में से 20 प्रतिशत सैन्य अफसरों के बच्चों और 13 प्रतिशत सिविलियनों के बच्चों के लिए आरक्षित होती हैं।

10.39 मिलिट्र स्कूलों का उद्देश्य विद्यार्थियों को अखिल भारतीय सेकंडरी स्कूल परीक्षा और सी. बी. एस. ई. द्वारा संचालित सीनियर सेकंडरी प्रमाणपत्र परीक्षा में भाग लेने योग्य बनाने के लिए स्तरीय शिक्षा प्रदान करना तथा एन डी ए में उनका प्रवेश कराना भी होता है।

राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज (आर आई एम सी), देहरादून

10.40 राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज (आर आई एम सी), देहरादून की स्थापना 13 मार्च 1922 को भारत की सशस्त्र सेनाओं में अफसर बनने के इच्छुक भारत में जन्में या यहां के अधिवासी लड़कों को आवश्यक प्रारंभिक प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। यह संस्थान अब नेशनल डिफेंस एकेडमी खडकवासला (पुणे) के लिए एक फीडर संस्थान के रूप में काम करता है जहां सेना, नौसेना और वायुसेना के कैडेट अपना प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं।

10.41 आर आई एम सी के लिए चयन राज्य सरकारों द्वारा आयोजित कराई गई एक लिखित परीक्षा-सह-मौखिक परीक्षा के माध्यम से किया जाता है। संबंधित राज्यों के लिए सीटें जनसंख्या के आधार पर आरक्षित की जाती हैं। आर आई एम सी में प्रवेश वर्ष में दो बार अर्थात जनवरी और जुलाई में होता है जहां हर सत्र में 25 कैडेट को दाखिला दिया जाता है जबकि आर आई एम सी की अधिकतम क्षमता 250 है। कक्षा VIII में साढ़े 11 से 13 वर्ष के आयु वर्ग के लड़कों को दाखिला दिया जाता है। कॉलेज 10+2 सी बी एस ई पद्धति पर विज्ञान क्षेत्र में कक्षाएं चलाता है

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खड़कवासला

10.42 एन डी ए एक प्रमुख संयुक्त सेवा संस्थान है जो युवा कैडेटों को रक्षा सेवाओं के भावी अफसरों के रूप में प्रशिक्षण देता है। एन डी ए में प्रवेश यू पी एस पी द्वारा संचालित तक प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर दिया जाता है। सभी तीनों सेनाओं अर्थात् सेना, नौसेना और वायुसेना के कैडेट तीन वर्ष के लिए एन डी ए में संयुक्त प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। एन डी ए से पास होने के बाद कैडेट सशस्त्र सेनाओं में कमीशन किए जाने से पहले विशिष्ट प्रशिक्षण के लिए अपनी संबंधित सैन्य अकादमियों में जाते हैं। यह अकादमी एक ऐसा बेजोड़ संस्थान है जहां अफसर बनने की प्रारंभिक अथवा में ही अंतर सेवा पहलुओं को विकसित किया जाता है जिससे एक-दूसरे की सेवा के प्रति भाईचारे और सम्मान की भावना विकसित होती है।

10.43 एन डी ए का शैक्षिक पाठ्यक्रम 10+2+3 के राष्ट्रीय ढांचे के अनुरूप है। अकादमी के पाठ्यक्रम को अकादमी से पास होने के समय बी.ए. और बी.एस.सी. की डिग्री प्रदान करने के लिए जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। इस समय भूटान, मालदीव, लेसोथो, किर्किस्तान और फिलीस्तीन के कन्डिडेट भी एन डी ए में प्रशिक्षण ले रहे हैं।

राष्ट्रीय सैन्य अकादमी, देहरादून

10.44 1932 में स्थापित राष्ट्रीय सैन्य अकादमी का गौरवपूर्ण और भव्य इतिहास रहा है। इसका उद्देश्य बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण और व्यापक शिक्षण के साथ बौद्धिक, नैतिक और शारीरिक गुणों का पूरी तरह से विकास करना है। आई एम ए मालदीव, मॉरीशस, लेसोथो, फिलीस्तीन और भूटान

चैतवुड बिल्डिंग : आईएमए

जैसे मित्र राष्ट्रों के कैडेटों को भी प्रशिक्षण प्रदान करता है।

10.45 आई एम ए में प्रवेश के विभिन्न तरीके इस प्रकार हैं:-

(क) एन डी ए से स्नातक की डिग्री प्राप्त करने पर; (ख) आर्मी कैडेट कॉलेज से स्नातक की डिग्री प्राप्त करने पर जो स्वयं आई एम ए का एक विंग है; (ग) डायरेक्ट एंट्री ग्रेजुएट कैडेट जो संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा और सर्विसेज सेलेक्शन बोर्ड में सफल होने के बाद शामिल होते हैं:- (घ) तकनीकी स्नातक; (च) फाइनल/प्री फाइनल वर्ष के इंजीनियरिंग कॉलेज छात्रों के लिए यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम (यू ई एस); और (छ) उन उम्मीदवारों के लिए 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम (टी ई एस) जिन्होंने 10+2 की परीक्षा भौतिकी, रसायन और गणित में 70 प्रतिशत से अधिक अंकों से उत्तीर्ण की है।

अफसर प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई

10.46 अफसर प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना 1963 में अफसर प्रशिक्षण स्कूल (ओ टी एस) के रूप में सेना में अफसरों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए की गई थी। इसकी स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर 01 जनवरी 1988 को इसे अफसर प्रशिक्षण अकादमी (ओ टी ए) का नाम दिया गया। इसका मुख्य कार्य एमर्जेंसी कमीशन प्रदान करने के लिए जैंटलमैन कैडेटों को प्रशिक्षित करना था। परंतु 1965 के बाद से, जब एमर्जेंसी कमीशन को अलग कर दिया गया, अकादमी ने अल्प सेना कमीशन के लिए कैडेटों को प्रशिक्षित करना आरंभ कर दिया।

अफसर प्रशिक्षण अकादमी में पासिंग आउट परेड

10.47 21 सितंबर 1992 से भारतीय सेना ने कमीशन प्राप्त अफसरों के रूप में महिलाओं को प्रवेश के लिए अपने द्वार खोल दिए हैं। शुरू में प्रत्येक वर्ष एंट्रियों को आर्मी सर्विस कोर, आर्मी एजुकेशन कोर, जज एडवोकेट जनरल डिपार्टमेंट, कोर ऑफ इंजीनियर्स, सिगनल्स और इलेक्ट्रिकल और मेकेनिकल इंजीनियरों तक सीमित रख कर 50 महिला कैडेटों को कमीशन किया जाता था। हर वर्ष लगभग 100 महिला अफसरों को ओ टी ए से कमीशन प्रदान किया जाता है।

10.48 ओ टी ए निम्नलिखित कोर्सों के लिए कमीशन-पूर्व प्रशिक्षण प्रदान करता है:-

(क) स्नातकों के लिए अल्प सेवा कमीशन (नॉन टेक्निकल)

(ख) इंजीनियरिंग स्नातकों के लिए अल्प सेवा कमीशन (टेक्निकल)

(ग) स्नातक/ स्नातकोत्तर महिला कैडेटों के लिए अल्प सेवा कमीशन (महिला)

सेनायुद्ध कॉलेज, महू

10.49 सेना युद्ध कॉलेज जिसे पहले समाघात कॉलेज के नाम से जाना जाता था का सृजन इंफेंट्री स्कूल से हुआ और 1 अप्रैल 1971 को स्वतंत्र संस्थान के रूप में स्थापित हुआ। इसका नया नाम यानी सेना युद्ध कॉलेज 15 जनवरी 2003 से लागू हुआ। यह अफसरों के लिए प्रमुख सर्व सेनांग सामरिक प्रशिक्षण संस्थान है और सामरिक तथा संभारिक के क्षेत्र में नई अवधारणाओं और सिद्धांतों के मूल्यांकन संबंधी महत्वपूर्ण कार्य करता है।

10.50 **कोर्स**

(क) **उच्च कमान कोर्स:-** इसका उद्देश्य किसी डिवीजन की कमान करने के विशेष संदर्भ में उच्च कमान और वरिष्ठ स्टाफ नियुक्तियां धारित करने के लिए अफसरों को प्रशिक्षित करना है। 40 सप्ताह की अवधि का एक कोर्स तीनों सेनाओं के केवल भारतीय अफसरों के लिए चलाया जाता है।

प्रतिवर्ष 55 अफसरों को प्रशिक्षित किया जाता है।

(ख) **वरिष्ठ कमान कोर्स:-** इसका उद्देश्य सभी सेनांगों और सेनाओं के चुने हुए मेजर/लेफ्टि कर्नलों को वायु और अन्य सेनांग तथा सेनाओं के साथ मिलकर ब्रिगेड या समाघात कमान के हिस्से के रूप में बटालियन/समाघात समूह के सामरिक नियोजन तथा युद्ध और शांति में यूनिट के प्रशिक्षण और प्रशासन में प्रशिक्षित करना। 13 सप्ताह की अवधि का प्रत्येक कोर्स 150 अफसरों को प्रशिक्षित करता है और लगभग 10% रिक्तियां विदेशी मित्र देशों, अर्द्धसैनिक बलों और केंद्रीय पुलिस संगठनों को पेश की जाती हैं। ऐसे तीन कोर्स प्रतिवर्ष चलाए जाते हैं।

(ग) **कनिष्ठ कमान कोर्स:-** इसका उद्देश्य वायु और अन्य सेनांग और सेनाओं के साथ मिलकर बटालियन समूह या समाघात समूह के हिस्से के रूप में राइफल कंपनी/समाघात दल के सामरिक नियोजन में और साथ ही युद्ध और शांति में सब-यूनिटों के प्रशिक्षण और प्रशासन में सभी सेनांग और सेनाओं के अफसरों को प्रशिक्षित करना है। 10 सप्ताह की अवधि के प्रत्येक कोर्स में 400 अफसरों को प्रशिक्षित किया जाता है और लगभग 10% रिक्तियां विदेशी मित्र देशों, अर्द्धसैनिक बलों और केंद्रीय पुलिस संगठनों को दी जाती हैं। प्रतिवर्ष ऐसे चार कोर्स चलाए जाते हैं।

(घ) **फार्मेशन कमांडर ओरिएंटेशन प्रोग्राम (एफ सी ओ पी):** 4 सप्ताह के इस प्रोग्राम का उद्देश्य युद्ध और शांति में अपनी फार्मेशनों की कमान के लिए संभावित डिविजनल कमांडर तैयार करना है।

जूनियर लीडर विंग, बेलगाम

10.51 बेलगाम स्थित जूनियर लीडर विंग में जूनियर अफसरों, जे सी ओ और एन सी ओ को सब यूनिट स्तर की सामरिक और विशिष्ट मिशन तकनीकों में प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि उन्हें गंभीर दबाव और तनाव के अंतर्गत विभिन्न भू-भाग में सौंपे गए संक्रियात्मक मिशनों को पूरा करने के लिए सक्षम बनाया जा सके और उन्हें युद्धकाल और शांतिकाल में अपनी सब युनिटों को प्रभावी रूप से कमान करने और प्रबंध करने में सक्षम बनाया जा सके। यह सेना, अर्द्धसैनिक बलों, केंद्रीय पुलिस संगठनों और मित्र विदेशी देशों के अफसरों और एन सी ओ को कमांडों किस्म की संक्रिया में प्रशिक्षण देता है और उन्हें सभी किस्म के भूभागों और संक्रियात्मक परिवेश में विशेष मिशन समूहों अथवा अग्रणी स्वतंत्र मिशनों का भाग बनने में सक्षम बनाता है।

जूनियर लीडर अकादमी, बरेली

10.52 जूनियर लीडर अकादमी (जे एल ए) की स्थापना 1998 में जूनियर लीडरों अर्थात् सभी सेनांगों और सेवाओं के जे सी ओ और वरिष्ठ एन सी ओ को अधिक प्रभावी बनाने के लिए नेतृत्व और संबद्ध विषयों में संस्थागत प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से की गई थी।

10.53 सभी सेनांगों और सेवाओं के जे सी ओ/ एन सी ओ के लिए निम्नलिखित कोर्स चलाए जाते हैं:-

(क) **जूनियर लीडर कोर्स (जे एल सी):-** यह नए पदोन्नत जे सी ओ और वरिष्ठ एन सी ओ (जिन्हें जे सी ओ की पदोन्नति के लिए अनुमोदित किया गया है) के लिए छः सप्ताह का कोर्स है। वर्ष में छः कोर्स चलाए जाते हैं जिनमें 3,240 छात्रों को प्रशिक्षण दिया जाता है।

(ख) **संभाव्य सूबेदार मेजर (पी एस एम) अभिमुख कोर्सः-** यह 108 नए पदोन्नत सूबेदार मेजर अथवा सीनियर सूबेदार (जिन्हें सूबेदार मेजर की पदोन्नति के लिए अनुमोदित किया गया है) के लिए चार सप्ताह का कोर्स है। वर्ष में छः कोर्स चलाए जाते हैं जिनमें 640 छात्रों को प्रशिक्षण दिया जाता है।

जूनियर लीडर अकादमी, रामगढ़

10.54 हमारी सेना की विशाल संख्या को देखते हुए जूनियर लीडर प्रशिक्षण के लिए दूसरी जूनियर लीडर अकादमी (जे एल ए) के गठन की आवश्यकता महसूस की गई। 2001 में बिहार में रामगढ़ में अंतरिम स्थान में जूनियर लीडर अकादमी (जे एल ए) गठित करने का निर्णय लिया गया। जूनियर लीडर अकादमी रामगढ़ का गठन जूनियर लीडर अकादमी बरेली की तर्ज पर किया गया है। संस्थान ने फरवरी 2003 से प्रति वर्ष 648 छात्रों के लिए प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया है।

रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज, वेलिंगटन

10.55 रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज (डी एस एस सी) तीनों सेनाओं की प्रमुख प्रशिक्षण स्थापना है जो भारतीय सशस्त्र सेनाओं के तीनों विंगों, मित्र विदेशी देशों और भारतीय सिविल सेवाओं के मध्यम स्तर के अफसरों को प्रशिक्षण प्रदान कर रही है। इस कॉलेज के पुराने छात्रों को देश और विदेश में बहुत ख्याति मिली है। 1905 में इसके शुरू होने पर, स्टाफ कॉलेज को अस्थायी रूप से देवलाली में स्थापित किया गया था। 1950 तक सेना स्टाफ कॉलेज प्रगति करता हुआ वेलिंगटन में पूर्णतया एकीकृत रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज के रूप में तैयार हो गया। अब यह कॉलज प्रतिवर्ष 430 छात्र अफसरों को प्रशिक्षित करता है, जिनमें मित्र देशों तथा भारतीय सिविल सेवा के अफसर शामिल हैं।

10.56 स्टाफ कोर्स का उद्देश्य तीनों सेनाओं के चयनित अफसरों को शांति और युद्धकाल में, अपनी सेना, अंतर सेवा और संयुक्त सेवा परिवेश में कमान और स्टाफ कार्यों के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना है और मेजर से कर्नल और समकक्ष रैंकों द्वारा धारित कमान और स्टाफ नियुक्तियों में प्रभावी रूप से कार्य निष्पादन के लिए संबद्ध सामान्य शिक्षा भी प्रदान करता है।

10.57 यह कोर्स 45 सप्ताह की अवधि का है, जो छह शिक्षकीय (ट्यूटोरियल) अवधियों में उपविभाजित है जो प्रत्येक पांच से नौ सप्ताह की अवधि का होता है। कोर्स, सामान्यतः जून के तीसरे सप्ताह से आरंभ होता है और आगामी वर्ष के अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह में समाप्त होता है। सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने पर डी एस एस सी, पी एस सी (स्टाफ कोर्स पास किया) का प्रमाण प्रत्र प्रदान करता है। डी एस एस सी मद्रास विश्वविद्यालय से संबद्ध

है जो कोर्स की अर्हता प्राप्त करने वाले सभी छात्रों को एम एस सी (रक्षा एवं सामरिक अध्ययन) डिग्री प्रदान करता है।

उच्च तुंगता-युद्ध पद्धति स्कूल (एच ए डब्ल्यू एस) गुलमर्ग

10.58 इस स्कूल का उद्देश्य चयनित कार्मिकों को उच्च तुंगता (एच ए) के सभी पहलुओं में, पर्वतीय युद्ध-पद्धति में प्रशिक्षित करना तथा ऐसे भू भागों में युद्ध करने की तकनीकों का विकास करना है। यह स्कूल विशेषज्ञता प्रशिक्षण और एच ए, पर्वतीय और बर्फ युद्ध-पद्धति में अनुमोदित सिद्धांतों के प्रचार-प्रसार के लिए सेना नोडल अनुदेशात्मक सुविधा के रूप में कार्य करता है। यह सेना प्रशिक्षण कमान के लिए उच्च तुंगता, पर्वतीय और बर्फ युद्ध-पद्धति के विकास में योगदान प्रदान करने वाला एक केंद्र है।

10.59 उच्च तुंगता युद्ध-पद्धति स्कूल (एच ए डब्ल्यू एस), पर्वतीय युद्ध-पद्धति (एम डब्ल्यू) तथा शीत युद्ध-पद्धति (डब्ल्यू डब्ल्यू) नामक दो कोर्स शृंखलाएं क्रमश: सोनमर्ग तथा गुलमर्ग में संयोजित करता है। अफसरों, जे सी ओ तथा एन सी ओ को सभी कोर्सों में संयुक्त रूप से प्रशिक्षण दिया जाता है। शीतयुद्ध-पद्धति शृंखला की प्रशिक्षण अवधि मौटे तौर पर जनवरी से अप्रैल तथा पर्वतीय युद्ध पद्धति की प्रशिक्षण अवधि मई से अक्तूबर है। साहसिक खेलों, खासकर स्कीइंग और पर्वतारोहण के क्षेत्र में स्कूल ने अपनी श्रेष्ठता कायम की है। इस स्कूल के कार्मिक एवरेस्ट, कंचनजंगा तथा अमेरिका स्थित मैकिनले पर्वत सहित संसार की सभी महत्वपूर्ण चोटियों पर चढ़े हैं।

प्रतिविद्रोहिता एवं जंगल युद्ध-पद्धति स्कूल, एरंगटे

10.60 प्रतिविद्रोहिता एवं जंगल युद्ध-पद्धति स्कूल (सी आई जे डब्ल्यू) अफसरों, जे सी ओ/ एन सी ओ के लिए प्रतिविद्रोहिता एवं जंगल युद्ध-पद्धति प्रतिविद्रोहिता तकनीकों, आसामी, बोडो, नागामीज, मणिपुरी/ तांगखुल भाषा कोर्सों के साथ-साथ युद्ध विद्रोही क्षेत्र में तैनाती से पहले प्रवेश पूर्व प्रशिक्षण (पिट) भी संचालित करता है। यह प्रतिविद्रोहिता तथा जंगल युद्ध संक्रियाओं में काम करने के लिए सामरिक सिद्धांत तथा तकनीकें विकसित करता है और उनकी समीक्षा करता है तथा विदेशी प्रकाशनों का अध्ययन करके दुनिया के दूसरे भागों में फैली विद्रोहिता के सभी सामरिक तथा तकनीकी पहलुओं की हमें जानकारी उपलब्ध कराता है।

10.61 अर्द्धसैनिक बलों तथा मित्र देशों जैसे श्रीलंका, नेपाल, सिंगापुर, केन्या, इराक, भूटान तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के अनेक छात्रों ने भी इन कोर्सों में भाग लिया। नेपाल की शाही सेना को भी प्रतिविद्रोहिता एवं जंगल युद्ध-पद्धति स्कूल में विशेष प्रशिक्षण दिया गया है।

प्रतिविद्रोहिता तैनाती पूर्व-प्रशिक्षण युद्ध स्कूल

10.62 जम्मू एवं कश्मीर तथा पूर्व में विद्रोह की समस्या बढ़ने की वजह से उन सभी यूनिटों को तैनाती से पूर्व प्रशिक्षण देने की

जरूरत महसूस की गई जिन्हें प्रतिविद्रोहिता के माहौल में तैनात करना होता है। प्रतिविद्रोहिता एवं जंगल युद्ध-पद्धति स्कूल की क्षमता सीमित थी, खास किस्म की ऑपरेशन स्थिति तथा यूनिटों के संचलन की प्रशासनिक समस्याओं के अतिरिक्त यह जरूरी था कि उन यूनिटों को उनके ऑपरेशन वाले इलाके के नजदीक वाले क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाए। इन समस्याओं को दूर करने के लिए उत्तरी कमान में तैनात की जा रही यूनिटों के लिए खेरू, सरोल तथा भालरा में तथा असम और मेघालय में तैनात की जाने वाली यूनिटों के लिए ठाकुरबाड़ी में सेना के अपने संसाधनों ही तीन कोर युद्ध स्कूलों की स्थापना की गई है। इन स्कूलों में दिए गए तैनाती-पूर्व प्रशिक्षण ने सभी यूनिटों को लाभ पहुंचाया है क्योंकि इससे वे अपने इलाके की विद्रोही समस्या की खासियतों को समझ सके हैं। प्रतिविद्रोहिता के प्रशिक्षण के अलावा ये स्कूल खासकर उत्तर कमान में नियंत्रण रेखा तथा अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में यूनिटों को उनकी भूमिका के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं।

इंफेंट्री स्कूल, महू

10.63 इंफेंट्री स्कूल भारतीय सेना के सबसे बड़े तथा सबसे पुराने सैन्य प्रशिक्षण संस्थानों में से एक है। इस संस्थान का उद्‌भव 1885 में हुआ। वर्तमान इंफेंट्री स्कूल का उद्‌भव उस निर्णय के आधार पर किया गया जिसे आजादी के तुरंत बाद लिया गया जिसके अनुसार इंफेंट्री के विभिन्न तथा हथियार प्रशिक्षण संस्थानों को मिलाकर महू में प्रशिक्षण के लिए इंफेंट्री स्कूल बनाया गया।

10.64 इंफेंट्री स्कूल में चलाए जा रहे कोर्स हैं युवा अफसर कोर्स, प्लाटून हथियार कोर्स, मोर्टार कोर्स, टैंकरोधी तथा निर्देशित मिसाइल कोर्स, मीडियम मशीनगन तथा स्वचालित ग्रेनेड लांचर (जे/एन) कोर्स, सेक्शन कमांडर कोर्स, स्वचालित आंकडा संसाधन कोर्स, स्नीपर कोर्स तथा हथियार सपोर्ट वेपन कोर्स। यह संस्थान न केवल इंफेंट्री के अफसरों, जे सी ओ तथा अन्य रैंकों को ही प्रशिक्षित करता है अपितु अर्द्धसैनिक बलों तथा सिविल पुलिस संगठनों के अतिरिक्त अन्य सेनांगों और सेवाओं को भी प्रशिक्षित करता है। वर्तमान में यह संस्थान एक वर्ष में 7000 से अधिक अफसरों, जे सी ओ तथा एन सी ओ को प्रशिक्षित कर रहा है।

10.65 आर्मी मार्क्समैनशिप यूनिट इंफेंट्री स्कूल का हिस्सा है तथा भारत और एशिया में इसने बहुत नाम कमाया है। आर्मी मार्क्समैनशिप यूनिट सेना तथा राष्ट्रीय शूटिंग टीमों को प्रशिक्षण देने में शामिल है। इस यूनिट का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सटीक निशानेबाजी प्रतियोगिताओं में उत्कृष्टता हासिल करना है। इस संस्थान ने मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौर जैसे निशानेबाजों को तैयार किया है जिन्होंने 2004 में एथेंस में हुए ओलंपिक में रजत पदक हासिल किया।

रक्षा प्रबंधन कॉलेज, सिकंदराबाद

10.66 कॉलेज को 'इन हाउस' तथा 'एक्सटर्नल' कैप्सूल के रूप में नीचे दिए गए

कोर्सों/कप्सूलों के संचालन की जिम्मेवारी सौंपी गई है:-

(क) **इन हाऊस कार्यक्रम/कोर्स:**

कोर्स का नाम	वर्ष में होने वाले कोर्सों की संख्या	अवधि (सप्ताह)	नफरी प्रति कोर्स	प्रतिवर्ष को जोड़
(1) दीर्घ रक्षा प्रबंधन कोर्स	1	44	90	90
(2) वरिष्ठ रक्षा प्रबंधन कोर्स	2	6	33	66
(3) रक्षा प्रबंधन कार्यक्रम	1	2	20	20
(4) कार्योन्मुख प्रबंधन प्रशिक्षण	5	1	35	175
			कुल	351

(ख) **एक्सटर्नल कैप्सूल:-**

(i) सेना युद्ध कॉलेज, नौसेना युद्ध-पद्धति कॉलेज, हवाई युद्ध-पद्धति कॉलेज, आयुध तकनीक संस्थान तथा रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज के लिए प्रबंधन कैप्सूल

(ii) राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, भारतीय सैन्य अकादमी, अफसर प्रशिक्षण अकादमी तथा वायुसेना अकादमी के प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण के लिए बाहरी नेतृत्व कैप्सूल।

(iii) तीनों सेनाओं, प्रत्येक सेना के लिए पृथक-पृथक प्रभावी निर्णय लेने के लिए एक्सटर्नल कैप्सूल।

10.67 रक्षा प्रबंधन कॉलेज तीनों सेनाओं का संस्थान है जिसकी कमान दो स्टार वाले फ्लैग अफसर द्वारा की जाती है। रक्षा प्रबंधन कॉलेज का मिशन राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चुनौतियां का सामना करने के लिए प्रबंधन विचार के विकास की प्रक्रिया को इस प्रकार आगे बढ़ाना है कि प्रबुद्ध नेतृत्व, कुशल संसाधन प्रबंधन तथा प्रभावी निर्णय लेने की क्षमता विकसित की जा सके।

सामग्री प्रबंधन कॉलेज, जबलपुर

10.68 यह कॉलेज भारतीय सैन्य आयुध कोर (आई ए ओ सी) अनुदेश स्कूल के क्रम को आगे बढ़ाता है जिसकी स्थापना अक्तूबर 1925 में खड़की में की गई थी। बाद में 1939 में इस स्कूल को भारतीय सेना आयुध कोर प्रशिक्षण केंद्र का नाम दिया गया तथा इसे इसके वर्तमान स्थान जबलपुर में स्थानांतरित कर दिया गया। जनवरी 1950 में, यह सेना आयुध कोर (ए ओ सी) स्कूल बना। प्रशिक्षण के बदलते सिद्धांतों और उन्नत अवधारणाओं की शुरूआत के साथ ए ओ सी स्कूल को 1987 में सामग्री प्रबंधन कॉलेज (सी एम एम) का नया नाम दिया गया। प्रबंधन शिक्षा के क्षेत्र में दशकों की समर्पित प्रतिबद्धता ने 1987 में कॉलेज को जबलपुर विश्वविद्यालय (रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय) से संबद्ध होने की दिशा में प्रेरित किया और शीघ्र ही सी एम एम ने अपनी प्रमाणित उत्कृष्टता के जोर पर 1990

में स्वायत्तशासी दर्जा प्राप्त किया। कॉलेज विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से 'गवर्नमेंट कॉलेज' के रूप में रजिस्टर्ड है। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टैक्निकल एजुकेशन का (ए आई सी टी ई) अनुमोदन प्राप्त करना कॉलेज की उपलब्धियों में एक मील का पत्थर साबित हुआ।

10.69 कॉलेज यू जी सी एक्ट के अंतर्गत गठित एक स्वायत्तशासी निकाय नेशनल अससमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल (एन ए ए सी) से मान्यता प्राप्त है। एन ए ए सी ने कॉलेज को पांच तारा (उच्चतम) मान्यता प्रदान की है। कॉलेज, भारतीय सेना में आयुध सपोर्ट प्रबंधन संबंधी कार्यों में लगे ए ओ सी के सभी रैंकों और सिविलियनों को आवश्यक नीति संबंधी प्रशिक्षण प्रदान करता है। यह सभी सेनांगों और सेवाओं के चयनित अफसरों, जे सी ओ और अन्य रैंकों को यूनिट प्रशासन और सामग्री प्रबंधन संबंधी नियंत्रण का प्रशिक्षण भी प्रदान करता है।

तोपखाना स्कूल, देवलाली

10.70 तोपखाना स्कूल, देवलाली विज्ञान की विविध उपशाखाओं और तोपखाना युद्ध-पद्धति प्रणाली सिखाने वला शैक्षणिक केंद्र है। हवाई प्रेक्षण चौकी ड्यूटी के लिए पायलटों को प्रशिक्षण देने के साथ-साथ यह स्कूल तोपखाना रेजिमेंट के अफसरों, जे सी ओ और एन सी ओ को तोपखाना हथियारों और प्रणाली का तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करता है। सिद्धांतों की समीक्षा के अलावा यहां भारतीय और विदेशी दोनों तरह के तोपखाना उपस्करों का अध्ययन और परीक्षण भी किया जाता है।

10.71 तोपखाना स्कूल ने वर्ष में बहुत बड़ी संख्या में अफसरों, जे सी ओ और एन सी ओ को प्रशिक्षण प्रदान कर तोपखाना हथियार प्रणाली के प्रचालन और इस्तेमाल में तकनीकी दक्षता और कार्य कुशलता को समझने और विकसित करने में सहयोग दिया है। वर्ष के दौरान विभिन्न विदेशों में कई अफसरों और कार्मिको को भी प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

सेना हवाई रक्षा कॉलेज, गोपालपुर

10.72 पहले सेना हवाई रक्षा कॉलेज ने अक्तूबर 1989 तक तोपखाना स्कूल देवलाली की एक विंग के रूप में कार्य किया, फिर इसे तोपखाने की मुख्य शाखा से विभाजित करके वायु रक्षा तोपखाना के अग्रदूत के रूप में गोपालपुर लाया गया। कॉलेज वायु रक्षा तोपखाना के कार्मिकों, अन्य सेनांगों और विदेशों के सशस्त्र बलों के कार्मिकों को वायु रक्षा से संबंधित विषय में प्रशिक्षण प्रदान करता है।

10.73 सेना हवाई रक्षा कॉलेज लांग गनरी स्टाफ कोर्स (अफसर) युवा अफसर कोर्स, इलैक्ट्रॉनिक युद्ध-पद्धति कोर्स, वरिष्ठ कमान हवाई रक्षा कोर्स, लांग गनरी स्टाफ कोर्स, जूनियर कमीशंड अफसर/ नॉन कमीशंड अफसर तकनीकी अनुदेशक फायर नियंत्रण कोर्स, वायुयान पहचान कोर्स, यूनिट अनुदेशक और क्रू आधारित प्रशिक्षण और ऑटोमेटेड डाटा प्रोसेसिंग कोर्स जैसे कई कोर्सों को संचालित करता है।

सेना सेवा कोर केंद्र एवं कॉलेज, बंगलौर

10.74 बंगलौर में सेना सेवा कोर (ए एस सी) केंद्र एवं कॉलेज की स्थापना के लिए 01 मई 1999 को सेना सेवा कोर केंद्र (दक्षिण) और सेना यांत्रिक परिवहन स्कूल को बंगलौर में ए एस सी केंद्र के साथ मिला दिया गया। केंद्र और कॉलेज (सी सी) विविध विषयों जैसे संभारिकी प्रबंधन, परिवहन प्रबंधन, भोजन प्रबंधन, ऑटोमेटेड डाटा प्रोसेसिंग इत्यादि में सेना सेवा कोर के अफसरों, जूनियर कमीशंड अफसरों, अन्य रैंकों और रंगरूटों तथा अन्य सेनांग और सेवाओं को बेसिक और उन्नत प्रशिक्षण देने वाला एक प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान है। ए एस सी कॉलेज 1992 से संभारिकी और संसाधन प्रबंधन में डिप्लोमा/ डिग्री प्रदान करने के लिए रूहेलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से संबद्ध है।

सेना शिक्षा कोर प्रशिक्षण कॉलेज एवं केंद्र, पचमढ़ी

10.75 सेना शिक्षा कोर (ए ई सी) प्रशिक्षण कॉलेज एवं केंद्र, पंचमढ़ी सशस्त्र सेनाओं में शैक्षणिक प्रशिक्षण देने वाला एक उत्कृष्ट रक्षा संस्थान है। अपनी किस्म का एकमात्र, यह श्रेणी 'ए' स्थापना और श्रेणी 'ए' रेजिमेंटल केंद्र दोनों है। यह बरकतुल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल से संबद्ध स्वायत्तशासी कॉलेज भी है जिसे अपने कोर्स और डिग्री को योजना बनाने, संचालित करने, परीक्षा लेने और प्रदान करने की शैक्षणिक और प्रशासनिक शक्तियां प्राप्त हैं।

10.76 मानचित्र शिल्प विभाग ए ई सी अफसरों और भारतीय सेना के सभी सेनांगों और सेवाओं के पी बी ओ आर, अर्द्धसैनिक बलों के कार्मिकों और मित्र विदेशी देशों के कार्मिकों के लिए मैप रीडिंग अनुदेशक कोर्स चलाता है। मानचित्र शिल्प अनुदेशक कोर्स की अवधि 10 सप्ताह है और मानचित्र शिल्प और इसके प्रयोग में ठोस जानकारी देने के लिए बनाया गया है।

10.77 अपनी यूनिटों में प्रभावी अनुदेशक बनाने के लिए, भारतीय सेना के सभी सेनांगों और सेवाओं के अन्य रैंकों के प्रशिक्षण के लिए यूनिट शिक्षा अनुदेशक (यू ई आई) कोर्स एक अमूल्य कोर्स है। इस कोर्स की अवधि 12 सप्ताह की है।

10.78 विदेशी भाषा विंग ने (एफ एल डब्ल्यू), जो ए ई सी प्रशिक्षण कॉलेज व केंद्र के तीन प्रभागों में से एक है, न केवल सशस्त्र सेनाओं में अपितु राष्ट्रीय शैक्षणिक परिवेश में भी, आज अपने आप को विदेशी भाषा प्रशिक्षण की सर्वप्रथम नोडों में से एक के रूप में स्थापित कर लिया है। विदेशी भाषा विंग (एफ एल डब्ल्यू) के दो डिजिटाइज्ड भाषा लैब हैं और प्रत्येक की क्षमता 20 छात्रों की है। हाल ही में, क्षेत्रीय और विदेशी भाषाओं में प्रशिक्षण देने के लिए, विदेशी भाषा विंग (एफ एल डब्ल्यू) में एक कम्प्यूटर एडिड लैंग्वेज लर्निंग लैब स्थापित की गई है।

मिलिट्री संगीत विंग, पचमढ़ी

10.79 मिलिट्री संगीत विंग, पचमढ़ी अक्तूबर 1950 में, उस समय के सी-इन-सी जनरल (बाद में फील्ड मार्शल) के एम करिअप्पा के संरक्षण में, ए ई सी ट्रेनिंग कॉलेज एंड सेंटर, पचमढ़ी के एक भाग के रूप में स्थापित किया गया था। भारत में, अपनी तरह का यह एकमात्र संस्थान है। मिलिट्री संगीत खंड में 200 से भी अधिक सांगीतिक रचनाओं की धरोहर है और इस खंड ने नए भर्ती बैंडमैनों, पाइपरों या ड्रमरों को प्रशिक्षण देने के लिए भिन्न-भिन्न श्रेणियों के कोर्सों के माध्यम से, भारत में मिलिट्री संगीत का उच्च स्तर बनाए रखने में विशिष्टता हासिल की है। ये कोर्स संगीत के मूल सिद्धांतों से आरंभ होकर संगीत में पूर्ण निपुणता हासिल कर लेने तक के हैं।

रिमाउंट और पशुचिकित्सा कोर केंद्र तथा स्कूल, मेरठ

10.80 मेरठ स्थित रिमाउंट और पशुचिकित्सा कोर (आर वीसी) केंद्र और स्कूल सभी आर वी सी कार्मिकों का अपना कॉलेज है। स्कूल का उद्देश्य, सभी सेनांगों और सेवाओं के अफसरों और अफसरों से कम रैंक वाले सभी कार्मिकों को पशु-प्रबंधन और पशुचिकित्सा से जुड़े विभिन्न पहलुओं के क्षेत्र में प्रशिक्षित करना है। अफसरों के लिए ग्यारह कोर्स हैं तथा पी बी ओ आर के लिए छः कोर्स हैं। यहां कुल 250 छात्रों को प्रशिक्षित किया जा रहा है।

सेना खेलकूद संस्थान, पुणे

10.81 अपने देशवासियों के दिलों में राष्ट्रीय गौरव को पुनः प्रतिष्ठित करने तथा सेना की विजयी छवि बनाने के लिए, सरकार ने पुणे में सेना खेलकूद संस्थान बनाने तथा देश के विभिन्न भागों में विशिष्ट क्षेत्रों में 'सेना खेलकूद नोडों' की स्थापना के लिए अपना अनुमोदन दिया था। सेना खेलकूद संस्थान, पुणे ने 02 जुलाई 2001 से कार्य करना आरंभ किया। खान-पान, विदेशी प्रदर्शन और विदेशी कोचों से प्रशिक्षण को मद्देनजर रखकर अत्याधुनिक आधारभूत अवसंरचना और इससे जुड़े उपकरणों के लिए पर्याप्त राशि अलग रखी गई है।

शारीरिक प्रशिक्षण सेना स्कूल, पुणे

10.82 शारीरिक प्रशिक्षण सेना स्कूल (ए एस पी टी) पहला ऐसा संस्थान है जो यूनिटों और सब-यूनिटों में शारीरिक प्रशिक्षण देने के संबंध में सेना कार्मिकों को सुव्यवस्थित तथा व्यापक प्रशिक्षण दे रहा है। सेना में स्तर को सुधारने के लिए यह खेलकूद में मूल प्रशिक्षण भी देता है और खेलों और खेलकूदों में मनोरंजन के माध्यम से अनुपूरक शारीरिक प्रशिक्षण देता है। इन कोर्सों में सेना के अफसर, अर्द्धसैनिक बलों और मित्र विदेशी देशों के अफसर, जे सी ओ और अन्य रैंक भाग लेते हैं। ए एस पी टी ने पी बी ओ आर के लिए राष्ट्रीय खेलकूद संस्थान के सहयोग से बॉक्सिंग, बॉलीवाल, बॉस्केटबाल, तैराकी और जीवन-रक्षक-जूडो और योग कोर्स में छः संबद्ध खेलकूद कोर्स आरंभ किए हैं।

सेना समाघात वायुयान चालन प्रशिक्षण स्कूल (सी ए ए टी एस)

10.83 वायुयान चालकों को वायुयान चालन में प्रशिक्षण देने के लिए तथा युद्ध की विभिन्न संक्रियाओं में विमानन यूनिटों को चलाने और विमानन प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करने, मानक संक्रिया की प्रक्रियाओं (एस ओ पी) के विकास और ग्राउंड ट्रूपों के साथ सहक्रिया (सिनरजी) में विमानन सामरिक शिक्षा के विकास के लिए मई 2003 में नासिक रोड पर सेना समाघात वायुयान- चालन प्रशिक्षण स्कूल (सी ए ए टी एस) बनाया गया। स्कूल में चलाए जाने वाले कोर्स हैं:- मूल कोर्स से पूर्व पायलट कोर्स, मूलभूत सेना विमानन कोर्स, पूर्व-अर्हता प्राप्त उड़ान प्रशिक्षण कोर्स, विमानन प्रशिक्षक हेलिकॉप्टर कोर्स, टाइप पर हेलिकॉप्टर रूपांतरण, उड़ान कमांडर कोर्स और नए उपकरण कोर्स।

मिलिट्री इंजीनियरी कॉलेज, पुणे

10.84 पुणे स्थित मिलिट्री इंजीनियरी कॉलेज (सी एम ई) पहला तकनीकी संस्थान है। यहां इंजीनियरी कोर, अन्य सेनांगों और सेवाओं, नौसेना, वायुसेना, अर्द्धसैनिक बलों, पुलिस और सिविलियनों को प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अलावा, मित्र देशों के कार्मिकों को भी प्रशिक्षण दिया जाता है। बी-टेक और एम-टेक डिग्रियाँ देने के लिए मिलिट्री इंजीनियरी कॉलेज जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय से संबद्ध है। सी एम ई द्वारा चलाए जाने वाले स्नातक और स्नातकोत्तर कोर्सों को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए आई सी टी ई) की मान्यता भी प्राप्त है। कॉलेज प्रति वर्ष औसतन 1500 अफसरों और अफसर रैंक से नीचे के 800 कार्मिकों को प्रशिक्षित करता है।

इलैक्ट्रॉनिक्स तथा मकैनिकल इंजीनियरी सेना कॉलेज, सिकंदराबाद

10.85 इलैक्ट्रॉनिक्स तथा मकैनिकल इंजीनियरी सेना कॉलेज (एम सी ई एम ई) का कार्य सिविलियनों सहित, ई एम ई के सभी रैकों को इंजीनियरी, शस्त्र प्रणालियों के बारे में तथा उनके रख रखाव, मरम्मत और जांच के विशेष संदर्भ में, उपकरण के बारे में विभिन्न क्षेत्रों की तकनीकी शिक्षा देना तथा वरिष्ठ, मध्यम और पर्यवेक्षक स्तरों पर प्रबंध और सामरिकी प्रशिक्षण देना है। एम सी ई में सभी रैंक के 1760 कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जा सकता है। यहां 13 अफसरों के लिए कोर्स और पी बी ओ आर के लिए 61 विभिन्न कोर्स चलाए जाते हैं।

मिलिट्री पुलिस कोर केंद्र और स्कूल, बंगलौर

10.86 स्कूल का उद्देश्य अफसरों और पी बी ओ आर को कानूनी जांच-पड़ताल संबंधी, यातायात नियंत्रण आदि से जुड़ी मिलिट्री और पुलिस ड्यूटियों के बारे में प्रशिक्षित करना है। अफसरों के लिए चार कोर्स और पी बी ओ आर के लिए चौदह कोर्स चलाए जाते हैं। प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे छात्रों की कुल संख्या 910 है।

सेना विमानवाहित प्रशिक्षण स्कूल, आगरा

10.87 सेना विमानवाहित प्रशिक्षण स्कूल (ए ए टी एस) आगरा-जयपुर राजमार्ग पर किलोमीटर स्टोन 05 पर स्थित है। इसे पहले सेना हवाई यातायात सहायता स्कूल (ए ए टी एस एस) कहा जाता था। बहुत समय से यह आवश्यकता महसूस की जा रही थी कि सभी विमानवाहित प्रशिक्षण एक ही एजेंसी के तहत दिए जाएं इस बात को मद्देनजर रखते हुए सेनाध्यक्ष द्वारा दिए गए निदेशों के आधार पर सेना वायु यातायात सहायता स्कूल को 15 जनवरी 1992 से सेना विमानवाहित प्रशिक्षण के रूप में पुन:निर्मित किया गया।

10.88 इस समय स्कूल द्वारा पांच प्रकार के सेना कोर्स और एक वर्ष में कुल 9 कोर्स चलाए जा रहे हैं। इन कोर्सों में भारतीय सेना (सभी सेनांग/सेवाएं), अर्द्धसैनिक बलों और मित्र विदेशी देशों के छात्र भाग लेते हैं।

दूरसंचार इंजीनियरी सैन्य कॉलेज, महू

10.89 दूरसंचार इंजीनियरी सैन्य कॉलेज महू (एम सी टी ई) सभी सिगनल अफसरों का अपना कॉलेज है। इन्हें समाघात संचार, इलैक्ट्रॉनिक युद्ध-पद्धति, संचार इंजीनियरी, कंप्यूटर तकनीक, रेजिमेंटल सिगनल संचार और सांकेतिक भाषा में प्रशिक्षित किया जाता है। पांच प्रशिक्षण संकायों और विंग के अलावा, स्टाफ और छात्रों को प्रशासनिक और संभारिकी सहायता उपलब्ध कराने के लए कॉलेज में एक प्रशासन विभाग, संचार सिद्धांतों को विकसित करने और प्रशिक्षण सामग्री का उत्पादन करने के लिए एक वैचारिक अध्ययन सेल, एक आधुनिक और अच्छे भंडार वाले पुस्तकालय और कॉलेज के अंदर ही एक प्रिंटिंग प्रेस है। प्रशिक्षुओं को अध्ययन करने और औपचारिक परिवेश में प्रशिक्षण देने का अवसर प्रदान किया जाता है ताकि उनके वर्तमान और भविष्य के उत्तरदायित्व के कार्यों के निष्पादन के लिए आवश्यक अपेक्षित कौशल, ज्ञान और क्षमताओं को आत्मसात किया जा सके और उनके मन में बैठाया जा सके।

सैन्य आसूचना प्रशिक्षण स्कूल और डिपो

10.90 सैन्य आसूचना प्रशिक्षण स्कूल और डिपो (एम आई एम आई एम यू एम एम टी एस डी) भारतीय सेना, वायुसेना और अर्द्धसैनिक बलों के सभी रैंकों को आसूचना प्राप्ति, जवाबी आसूचना और सुरक्षा पहलुओं पर प्रशिक्षण देने के लिए उत्तरदायी एक प्रमुख स्थापना है स्कूल मित्र विदेशी सेनाओं के कार्मिकों को भी प्रशिक्षण प्रदान करता है। उपर्युक्त के अलावा, राजस्व आसूचना विभाग के सिविलियन अफसरों को भी इस स्थापना में प्रशिक्षण दिया जाता है। स्कूल प्रतिवर्ष लगभग 350 अफसरों और 1100 जूनियर कमीशंड अफसरों/ गैर कमीशन अफसरों से अधिक को प्रशिक्षण देता है।

इलैक्ट्रॉनिकी और यांत्रिकी इंजीनियरी स्कूल, बड़ोदरा

10.91 वैद्युत और यांत्रिक इंजीनियरी कोर (ई एम ई) का नाम बदलकर इलैक्ट्रॉनिकी और यांत्रिकी इंजीनियरी कोर रखने के बाद, ई एम ई स्कूल को 01 जून 2001 से 'इलैक्ट्रॉनिकी और यांत्रिकी इंजीनियरी स्कूल' का नाम दिया गया है।

10.92 ई एम ई स्कूल अफसरों के लिए पोस्ट ग्रेजूएट स्तर के कोर्स और पी बी ओ आर के लिए डिप्लोमा तथा सर्टिफिकेट स्तर के कोर्स संचालित करता है। मित्र देशों के कई विदेशी अफसरों और पी बी ओ आर ई एम ई स्कूल में चलाए जा रहे विभिन्न कोर्सों में भाग ले रहे हैं।

सैन्य विधि संस्थान, कामठी

10.93 सेना में, कमांडरों द्वारा विभिन्न स्तरों पर न्याय की व्यवस्था की जाती है। सेना अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत उन्हें दी गई शक्तियों द्वारा छोटे अपराधों का निपटान सीधे ही किया जा सकता है। गंभीर अपराधों के लिए, वरिष्ठ कमांडरों के आदेश पर कोर्ट मार्शल संयोजित किए जाते हैं। कमान अफसरों को समरी कोर्ट मार्शल संयोजित करने का अधिकार दिया गया है। इन ट्रिब्यूनलों के निर्णय के खिलाफ अपील नहीं की जा सकती। अत: इन शक्तियों का विवेकपूर्ण प्रयोग करना और निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करना अनिवार्य है। इस पृष्ठभूमि से, सैन्य विधि संस्थान की स्थापना शिमला में की गई थी। 26 अगस्त 1989 को संस्थान को कामठी स्थानांतरित कर दिया गया।

10.94 स्कूल की चार्टर ड्यूटी सेना के सभी सेनांगों और सेवाओं के अफसरों को विधिक शिक्षा की विस्तृत प्रणाली की जानकारी प्रदान करने और सैन्य और सहायक विधि के क्षेत्र में विस्तृत रेंज के अनुसंधान, विकास और प्रचार कार्य करने का प्रबंध करना है।

कवचित कोर केंद्र एवं स्कूल, अहमदनगर

10.95 देश के विभाजन के पश्चात् वर्ष 1948 में प्रशिक्षण विंग, रिक्रूट प्रशिक्षण केंद्र और कवचित कोर डिपो और रिकार्ड को अहमदनगर स्थानांतरित कर दिया गया, जहां पहले से ही लड़ाकू वाहन स्कूल कार्यरत था और कवचित कोर केंद्र एवं स्कूल और कवचित कोर रिकार्ड बनाने के लिए इन सभी को मिला दिया गया। इसमें छ: विंग हैं जिनके नाम कवचित युद्ध-पद्धति स्कूल, तकनीकी प्रशिक्षण स्कूल, बेसिक ट्रेनिंग रेजिमेंट, ड्राइविंग एवं अनुरक्षण रेजिमेंट, ओटोमेटिक रेजिमेंट और आयुध एवं इलैक्ट्रॉनिकी रेजिमेंट हैं जिनमें इन विषयों में विशिष्ट प्रशिक्षण दिया जाता है।

विदेशी सेना कार्मिकों को प्रशिक्षण

10.96 ऑपरेशन विजय और ऑपरेशन पराक्रम के पश्चात्, भारतीय सैन्य स्थापनाओं में प्रशिक्षण के लिए विदेशी सेनाओं की रुचि में जबर्दस्त वृद्धि हुई है। पड़ोसी देशों, दक्षिण

पूर्व एशिया, केंद्रीय एशियन गणतंत्र (सी ए आर), अफ्रीकी महाद्वीप और कुछ विकसित देशों के सेना कार्मिकों को भारत में प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

10.97 भारत सरकार विदेश मंत्रालय के भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग (आई टी ई सी) कार्यक्रम के अंतर्गत विकासशील और अल्प विकसित देशों को सहायता उपलब्ध कराती है। रक्षा मंत्रालय के विशेष सहायक कार्यक्रम के अंतर्गत नेपाल और भूटान द्वारा भी कोर्सों का लाभ उठाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, विकासशील देशों के कार्मिक सैन्य स्थापनाओं में नि:शुल्क अथवा रियायती दरों पर प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। विकसित पश्चिमी देश भी हमारे संस्थानों में प्रशिक्षण के लिए अपने अफसरों को पारस्परिक आधार और प्रशिक्षण और अन्य संबद्ध प्रभारों की लागत के भुगतान के आधार पर भेजते हैं।

11

भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण

रक्षा पेंशन अदालत

भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण

11.1 सशस्त्र सेनाओं के युवास्वरूप को बनाए रखने के लिए प्रतिवर्ष 60,000 सैन्य कार्मिक अपेक्षाकृत युवावस्था में सेवानिवृत्त अथवा सेवामुक्त हो जाते हैं। सेवानिवृत्ति के समय अधिकतर सैन्य कार्मिक ऐसी उम्र में होते हैं जब उनके कंधों पर कई अधूरी जिम्मेदारियां होती हैं और उसके कारण उनके लिए दूसरा व्यवसाय शुरू करना आवश्यक हो जाता है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 30 सिंतबर, 2004 तक 18,94,962 भूतपूर्व सैनिक तथा 4,01,319 विधवाएं पंजीकृत व जीवित हैं। भूतपूर्व सैनिक मुख्यत: पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्रा, केरल, तमिलनाडु, राजस्थान और उत्तरांचल राज्यों में हैं। रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय सैनिक बोर्ड, भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के कल्याण, कल्याण कोषों के इस्तेमाल तथा देश के सैनिक बोर्डों के कार्य में तालमेल बनाए रखने के लिए सामान्य नीतियां बनाता है। इसी प्रकार, राज्य स्तर पर राज्य सैनिक बोर्ड तथा जिला स्तर पर जिला सैनिक बोर्ड स्थापित किए गए हैं। राज्य सैनिक बोर्डों के संगठन पर होने वाला व्यय 50 प्रतिशत भारत सरकार उठाती है जबकि शेष व्यय संबंद्ध राज्य सरकारें उठाती हैं। रक्षा मंत्रालय एवं कल्याण के अधीन पुनर्वास महानिदेशालय भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के पुनर्वास एवं कल्याण से संबंधित सभी मामलों की देखरेख करता है।

11.2 **पुनर्वास:-** पुनर्वास महानिदेशालय, केंद्रीय सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्डों और जिला सैनिक बोर्डों का मुख्य उद्देश्य भूतपूर्व सैनिकों का सम्मानपूर्वक पुनर्वास सुनिश्चित करना है और भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार के विभिन्न अवसरों का पता लगाने के प्रयास किए जाते हैं। भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास/ पुन: नियोजन को देखते हुए केन्द्र सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

(क) सेवानिवृत्त हो रहे रक्षा कार्मिकों को सिविल रोजगार हेतु तैयार करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम;

(ख) सरकारी/ अर्ध सरकारी/ सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों में रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए पदों का आरक्षण और कॉर्पोरेट जगत में रोजगार में सहायता करना;

(ग) स्वरोजगार योजनाएं; और

(घ) उद्यम लगाने में सहायता और लघु उद्योग की स्थापना करना।

प्रशिक्षण कार्यक्रम

11.3 पुनर्वास महानिदेशालय का मुख्य कार्य भूतपूर्व सैनिकों तथा सेवानिवृत्ति हो रहे सैन्य कार्मिकों दोनों को सिविल जीवन में उनके पुनर्वास के लिए तैयार करने का प्रशिक्षण देना है। इस वर्ष पुनर्वास महानिदेशालय ने कुछ नए पाठ्यक्रम शुरू किए हैं जो देश के भीतर/ बाहर शीघ्र रोजगार प्राप्त करने के लिए सेवानिवृत्त व्यक्तियों की सुविधा के लिए राष्ट्रीय/ अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत प्रमाणन उपलब्ध कराएंगे। इस कार्यक्रम में सूचना प्रौद्योगिकी, प्रबंधकीय विज्ञान, तकनीकी कौशल एवं कृषि पर आधारित उद्योगों से संबद्ध पाठ्यक्रमों को शामिल किया गया है। प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार के लिए उन पर नियमित नजर रखी जाती है। सिविल बाजार और कॉरपोरेट जगत की मौजूदा आवश्यकताओं में भागीदारी के आधार पर नए क्षेत्रों में पाठ्यक्रमों को शामिल करने और पुराने पाठ्यक्रमों को हटाने के लिए इन पाठ्यक्रमों की प्रतिवर्ष समीक्षा की जाती है।

11.4 **अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण:-** पुनर्वास महानिदेशालय अधिकारियों के लिए रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है ताकि उनकी योग्यता में वृद्धि हो और सेवानिवृत्ति के पश्चात् वे उपयुक्त रोजगार पा सकें। पुनर्वास प्रशिक्षण कार्यक्रमों में तीन महीने की अवधि के व्यावसायिक पाठ्यक्रम और सुदूर शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से एक से तीन वर्ष की अवधि के डिग्री/ डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी शामिल हैं। इन पाठ्यक्रमों को सूचना प्रोद्योगिकी, सुरक्षा सेवा, उद्यम विकास, व्यवसाय प्रशासन, कार्मिक प्रबंधन, होटल प्रबंधन, पर्यटन, मानव संसाधन विकास, कानून, बीमा और अन्य विविध क्षेत्रों जैसे विषयों में चलाया जाता है। हाल ही में प्रबंधन विकास संस्थान (मैनेजमेंट डिवेल्पमेंट इंस्टीच्यूट), गुडगांवा और भारतीय प्रबंधन संस्थान (इंडियन इंस्टीच्यूट ऑफ मैनेजमेंट), लखनऊ में छह माह की अवधि के प्रबंधकीय पाठ्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं। देश भर में फैले हुए विभिन्न संस्थानों ने छह माह की अवधि के कंप्युटर डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी प्रारंभ किए हैं। अधिकारियों के पाठ्यक्रमों के विवरण प्रतिवर्ष प्रकाशित किए जाते हैं और नीचे प्रत्येक यूनिट तथा जिला सैनिक बोर्ड में वितरित किए जाते हैं।

11.5 **जूनियर कमीशनप्राप्त अफसरों/ अन्य रैंकों को समतुल्य प्रशिक्षण:-** जूनियर कमीशनप्राप्त अफसर/ अन्य रैंकों तथा तीनों सेनाओं में उनके समकक्षों के लिए पुनर्वास प्रशिक्षण कार्यक्रम तीन भिन्न-भिन्न योजनाओं अर्थात व्यावसायिक प्रशिक्षण, सेवाकालीन प्रशिक्षण तथा आई आई टी (औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान) प्रशिक्षण के तहत चलाए जाते हैं। पाठ्यक्रमों का विवरण प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है जिसे नीचे प्रत्येक यूनिट और जिला सैनिक बोर्ड में वितरित किया जाता है।

(i) **व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम:-** व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के तहत विभिन्न क्षेत्रों में एक वर्ष की अवधि तक के पाठ्यक्रम देशभर में फैली सरकारी,

अर्धसरकारी तथा निजी संस्थाओं में आयोजित किए जाते हैं। ये पाठ्यक्रम सुरक्षा सेवा, प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी, साहसिक यात्रा सहित यात्रा एवं पर्यटन, उद्यम विकास, तकनीकी ट्रेड (मेडिकल सहित), गैर तकनीकी ट्रेड, सचिवालय सहायता सेवा, कृषि आधारित उद्योग तथा कई अन्य विविध ट्रेडों में चलाए जाते हैं। इस योजना के तहत एक वर्ष में 350 से अधिक पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं। इस वर्ष सिटी एंड गिल्ड बैनर के तहत भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा अफसर रैंक से नीचे के रैंक के कार्मिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रमाणित पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया गया है ताकि देश मे भीतर/ बाहर उनके रोजगार अवसरों में सुधार हो सके।

(ii) **''सेवाकालीन'' प्रशिक्षण:-** सेवानिवृत्त होने वाले सैन्य कार्मिकों को इस योजना के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के 27 उपक्रमों और केंद्र/ राज्य सरकार के विभागों की 60 से अधिक कार्यशालाओं में प्रशिक्षण दिया जाता है। यह प्रशिक्षण नौ माह की अवधि के लिए नौ विभिन्न ट्रेडों में दिया जाता है। इस प्रशिक्षण के पूरा होने पर सफल उम्मीदवारों को राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाणपत्र प्रदान किया जाता है।

(iii) **औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रशिक्षण:-** सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के पाठ्यक्रम प्रतिवर्ष 1 अगस्त को प्रारम्भ होते हैं और एक से दो वर्ष की अवधि के होते हैं। इस योजना के तहत, सेवानिवृत्त होने वाले भूतपूर्व सैनिक सेवा के दौरान ही अपने मनपसंद कार्यक्षेत्र में दक्षता प्राप्त करते हैं। प्रशिक्षण के पहले वर्ष में कार्मिक को अपना पूरा वेतन मिलता है और दूसरे वर्ष में वह राज्य के राज्य सैनिक बोर्ड से वृत्तिका प्राप्त करता है। पाठ्यक्रम के पूरा होने पर कार्मिक को केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती है और उसे राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाणपत्र दिया जाता है।

11.6 **भूतपूर्व सैनिक प्रशिक्षण:-** इस योजना के तहत भूतपूर्व सैनिकों के लिए उनके राज्यों में व्यावसायिक प्रशिक्षण चलाने के लिए राज्य सैनिक बोर्डों को धनराशि आबंटित की जाती है। यह योजना मुख्यत: ऐसे भूतपूर्व सैनिकों के लिए है जो सेवा के दौरान पुनर्वास प्रशिक्षण की सुविधा का लाभ नहीं उठा पाते। इस योजना का लाभ भूतपूर्व सैनिकों की विधवाओं/ उनके एक आश्रित को भी प्रदान किया गया है।

11.7 विगत पांच वर्षों के दौरान 30 नवंबर, 2004 तक विविध क्षेत्रों में कार्मिकों को दिए गए प्रशिक्षण का ब्यौरा इस प्रकार है:-

योजना	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
अधिकारियों का प्रशिक्षण	387	409	353	583	679
अधिकारी रैंक से नीचे के कार्मिकों का प्रशिक्षण	5718	3518	2958	4019	3016
''सेवाकालीन'' प्रशिक्षण	1452	1363	1027	1027	1103
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रशिक्षण	2675	1510	1510	2821	2905

पुनः रोजगारः

11.8 केंद्र और राज्य सरकारें भूतपूर्व सैनिकों को केंद्रीय/ राज्य सरकार के पदों पर पुनः रोजगार दिए जाने के लिए कई रियायतें प्रदान करती हैं। इसमें पदों का आरक्षण/ आयु और शैक्षणिक योग्यताओं में छूट, आवेदन/ परीक्षा शुल्क के भुगतान से छूट, भूतपूर्व सैनिकों तथा दिवंगत सैन्य कार्मिकों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर रोजागर में प्राथमिकता शामिल है।

11.9 **सरकारी नौकरियों में आरक्षणः-** केंद्र सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों को समूह 'ग' के पदों में 10 प्रतिशत तथा समूह 'घ' के पदों में 20 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया है। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा राष्ट्रयकृत बैंकों में समूह 'ग' के पदों में 14.5 प्रतिशत तथा 'घ' के पदों में 24.5 प्रतिशत आरक्षण है। अर्धसैनिक बलों में सहायक कमांडेंट के 10 प्रतिशत पद भी भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित हैं। रक्षा सुरक्षा कोर में शतप्रतिशत रिक्तिया भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित हैं। इसके अतिरिक्त, अधिकतर राज्य सरकारें, अपनी नौकरियों में भूतपूर्व सैनिकों को आरक्षण प्रदान कर रही हैं। तथापि, इन आरक्षणों को सांविधिक रूप दिया जाना संभव नहीं हो सका है क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने आरक्षण की समग्र अधिकतम सीमा 50 प्रतिशत निर्धारित की है और अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों/ अन्य पिछड़ा वर्ग को सरकारी नौकरियों में पहले ही 49.5 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है।

11.10 **सुरक्षा एजेंसियांः-** पुनर्वास महानिदेशालय (डी जी आर) सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों तथा निजी क्षेत्र में उद्योगों को सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराने के लिए सुरक्षा एजेंसियों को पंजीकृत/ प्रायोजित करता है। इस योजना से सेवानिवृत्त अधिकारियें का स्व-रोजगार के अवसर मिलते हैं तथा अधिकारी रैंक से नीचे के भूतपूर्व कार्मिकों को रोजगार के पर्याप्त अवसर मिलते हैं। लोक उद्यम विभाग ने सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों को अनुदेश जारी किए थे कि वे पुनर्वास महानिदेशालय द्वारा प्रायोजित सुरक्षा एजेंसियों से ही सुरक्षा कार्मिक लें। इस योजना के अच्छे परिणाम सामने आए हैं। पुनर्वास महानिदेशालय ने भी सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर यह आग्रह किया है कि वे अपने अधीन सभी संबंधितों को समुचित अनुदेश जारी करें कि वे सुरक्षा कवर पुनर्वास महा-निदेशालय में नामांकित एजेंसियों से लें जिसके द्वारा भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास का उद्देश्य आगे बढ़े।

11.11 **जूनियर कमीशनप्राप्त अफसरों। अन्य रैंकों का नियोजनः-** गत सात वर्षों के दौरान पुनर्वास महानिदेशालय तथा राज्यों में जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों द्वारा जिन भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार प्रदान किया गया, उनका ब्यौरा इस प्रकार है:-

जूनियर कमीशनप्राप्त अफसरों/ अन्य रैंकों का नियोजन

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	*2004*
केंद्र सरकार	5188	3992	4035	4982	5153	5503	*3508**
राज्य सरकार	2825	2540	2219	2136	2162	3092	*2177**
निजी क्षेत्र	3304	3068	2766	3221	3051	3064	*2579**
सुरक्षा एजेंसियां	7140	13810	8717	5650	8679	9543	*11920**

*** दिसंबर, 2004 तक** (आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अंडमान-निकोबार, चंडीगढ़, दिल्ली और पांडिचेरी के आंकड़े अभी प्राप्त नहीं हुए हैं)

11.12 **अधिकारियों के लिए रोजगार:** चालू वर्ष के दौरान रोजगार सहायता के लिए पुनर्वास महानिदेशालय में कुल 604 अधिकारियों का पंजीकरण किया गया है। अब तक विभिन्न रोजगार अवसरों के लिए 4285 अधिकारी प्रायोजित किए गए हैं। भूतपूर्व रक्षा कार्मिकों की क्षमताओं के बारे में जागरूकता लाने के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ और पी. एच. डी. चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ मिलकर लखनऊ, चंडीगढ़, बेंगलूर, चेन्नई और मुंबई में संगोष्ठियां आयोजित की गईं। इन संगोष्ठियों का प्रत्युत्तर और उत्तरवर्ती नियोजन संतोषजनक रहा।

स्व-रोजगार की योजनाएं

11.13 चूंकि सशस्त्र सेनाओं से सेवानिवृत्त होने के बाद सभी भूतपूर्व सैनिकों को सरकारी नौकरियां प्रदान करना व्यवहार्य नहीं है इसलिए सरकार ने लघु तथा मध्यम श्रेणी के उद्योग लगाने के इच्छुक भूतपूर्व सैनिक उद्यमियों को बढ़ावा देने तथा ऋण देकर वित्तीय सहायता देने के लिए कई योजनाएं तैयार की हैं। प्रमुख स्व-रोजगार योजनाएं हैं, सेम्फेक्स-II, सेम्फेक्स-III और राष्ट्रीय इक्विटी कोष योजना। भूतपूर्व सैनिकों द्वारा ऋण की मंजूरी के लिए आवेदन-पत्र राज्यों के जिला सैनिक बोर्डों में सीधे जमा कराए जाते हैं। इन आवेदनों की जांच की जाती है और पात्रता के मानदंड और अन्य निबंधन और शर्तों को पूरा करने वाले आवेदनों को भारतीय लघु उद्योग विकास, बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंकों, राज्य भूमि विकास बैंकों एवं राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा सहायता प्राप्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा सहायता प्राप्त राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड बैंकों के माध्यम से ऋण मंजूर किए जाने की सिफारिश की जाती है।

11.14 **सेमफैक्स-II योजना:-** राज्य सरकार परिवहन आपरेटरों सहित कृषि और संबद्ध कार्यकलापों के लिए तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण, कुटीर, छोटे और लघु उद्योग लगाने के लिए यह योजना राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण बैंक (नाबार्ड) के सहयोग से बढ़ाई गई हैं। गैर कृषि क्षेत्र कार्यकलापों के मामले में ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग लगाने के लिए लघु उद्योग सीमा तक वित्तीय सहायता उपलब्ध है। यह योजना वर्ष 1988-89 से चालू है।

11.15 **सेमफेक्स-III योजनाः-** यह योजना खादी और ग्रामोद्योग आयोग के सहयोग से चलाई जा रही हैं ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम उद्योग लगाने के लिए अलग-अलग उद्यमियों, सहकारी समितियों/ संस्थाओं और ट्रस्टों के लिए अधिकतम ऋण सीमा 25 लाख रुपए प्रति परियोजना है। यह योजना वर्ष 1992-93 से चालू है।

11.16 **राष्ट्रीय इक्विटी फंड योजनाः-** यह योजना भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के सहयोग से प्रारम्भ की गई है। छोटे/ लघु उद्योग के क्षेत्र में परियोजनाओं, सेवा उद्यमों की स्थापना करने और लघु उद्योग क्षेत्र में विस्तार, प्रौद्योगिकीय उन्नयन, आधुनिकीकरण और संभावित बीमार यूनिटों को दुबारा चालू करने के लिए भी वित्तीय सहायता उपलब्ध है। प्रति परियोजना अधिकतम ऋण सीमा 50 लाख रुपए है। यह योजना वर्ष 2000-01 से चालू है।

11.17 **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सी एन जी स्टेशनः-** इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड से संबंधित सी. एन. जी. स्टेशनों के प्रबंधन के लिए यह योजना जुलाई, 2001 में प्रायोगिक परियोजना के रूप में आरंभ की गई थी। प्रायोगिक परियोजना के सफल होने पर इस योजना का प्रबंधन सेवानिवृत्त अधिकारियों को दिया गया है। इस समय 3 महिलाओं सहित 60 सेवानिवृत्त अधिकारी 70 सी.एन.जी. स्टेशन चला रहे हैं।

11.18 **कोयला परिवहन योजनाः-** पुनर्वास महानिदेशालय भूतपूर्व सैनिकों की कोयला परिवहन कंपनियों को कोल इंडिया लिमिटेड की विभिन्न सहायक कोयला कंपनियों में कोयले का लदान तथा ढुलाई कार्य करने के लिए प्रायोजित करता है। पुनर्वास महानिदेशालय में पंजीकृत बेरोजगार सेवानिवृत्त अधिकारियों तथा जूनियर कमीशनप्राप्त अधिकारियों को भूतपूर्व सैनिक कोयला परिवहन कंपनियां बनाने के लिए

भूतपूर्व सैनिकों द्वारा चलाया जा रहा सीएनजी स्टेशन

चुना जाता है एवं उन्हें 5 वर्षों के लिए कोल इंडिया लिमिटेड का प्रायोजित किया जाता है जिसे चार वर्षों के लिए और बढ़ाया जा सकता है। इस समय ऐसी 94 कंपनियां कोल इंडिया लिमिटेड की विभिन्न सहायक कंपनियों के अंतर्गत कार्य कर रही हैं। इन कंपनियों की कार्यप्रणाली पर पुनर्वास महानिदेशालय द्वारा नजर रखी जाती है।

11.19 **कोयला टिपर योजनाः-** पुनर्वास महानिदेशालय द्वारा सेवाकाल के दौरान सैन्य सेवा के कारणों से शहीद हुए रक्षा कर्मियों की विधवाओं को भूतपूर्व सैनिक कोयला परिवहन कंपनी में अपने नाम से एक टिपर ट्रक चलवाने के लिए प्रायोजित किया जाता है। पात्र विधवा/ निशक्त सैनिक को किसी भी नामित कोयला परिवहन कंपनी में 85,000/-रुपए जमा कराने होते हैं। कंपनी उन्हें पांच वर्ष तक प्रतिमाह 3000/- रुपए का भुगतान करेगी तथा उसके बाद जमा की गई 85000/- रुपए की धनराशि वापस कर दी जाती है। इन कंपनियों की कार्यप्रणाली पर पुनर्वास महानिदेशालय द्वारा नजर रखी जाती है। इस समय 262 विधवाएं तथा 27 निशक्त सैनिक इस योजना का लाभ उठा रहे हैं।

11.20 **तेल उत्पाद एजेंसियां का आबंटनः-** पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सैन्य सेवा के कारण शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं तथा आश्रितों तथा सैन्य सेवा के कारण निशक्त सैनिकों के लिए तेल उत्पाद एजेंसियों जैसे एल.पी.जी. डीलरशिप, पैट्रोल पंप, केरोसीन वितरण आदि में 8 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया है। जब भी ''रक्षा श्रेणी'' के अंतर्गत इस प्रकार की कोई रिक्ति समाचार-पत्र में विज्ञापित होती है, पात्र व्यक्ति उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। पुनर्वास महानिदेशालय पात्र उम्मीदवारों को पात्रता प्रमाण-पत्र जारी करके उन्हें प्रायोजित करता है। तत्पश्चात्, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा गठित डीलर चयन बोर्ड साक्षात्कार आयोजित करता है। चयनित व्यक्तियों को अंतिम आवंटन संबंधित तेल कंपनी करती है। वर्ष 2004 में 30 नवंबर, 2004 तक पुनर्वास महानिदेशालय ने 763 पात्रता प्रामाण-पत्र जारी किए हैं।

11.21 **सेना अधिशेष वाहनों का आवंटनः-** भूतपूर्व सैनिक और सेवा के दौरान मरने वाले रक्षा कार्मिकों की पत्नियां, सेना अधिशेष में चरणबद्ध तरीके से हटाए गए श्रेणी V बी वाहन के आबंटन के लिए पात्र हैं। सेवानिवृत्त कार्मिकों के मामले में, आवेदन फार्म जिला/ राज्य सैनिक बोर्डों के माध्यम से तथा सेवानिवृत्ति के छः माह वाले कार्मिक यूनिटों के माध्यम से आवेदन पत्र पंजीकरण तथा आगे सम्प्रेषण हेतु सेना मुख्यालय को भेजने के लिए पुनर्वास महानिदेशालय को भेजे जाते हैं। आवंटन डिपोवार तैयार सूची के आधार पर किया जाता है।

11.22 **कैंटीन स्टोर विभाग में आरक्षणः-** भारतीय कैंटीन स्टोर विभाग ने चुनी हुई 30 सी एस डी मदों के 15 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया है। रक्षा मंत्रालय ने रक्षा खरीद कार्यक्रम के अंतर्गत भूतपूर्व सैनिक उद्यमियों द्वारा निर्मित 262 चयनित मदों के 10 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया है जिसके लिए कवेल भूतपूर्व सैनिक उत्पादन इकाइयां ही पात्र हैं।

11.23 **मदर डेयरी दूध तथा फल एवं सब्जी दुकान:-** जूनियर कमीशनप्राप्त अधिकारियों/ अन्य रैंकों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मदर डेयरी दूध तथा फल व सब्जी की दुकानें आवंटित की जाती हैं। आज की तारीख में, भूतपूर्व सैनिकों द्वारा दूध की 684 दुकानें तथा फल व सब्जी की 280 दुकानें चलाई जा रही हैं। आश्रित पुत्रों (जहां भूतपूर्व सैनिक पात्र नहीं हैं) को भी दिल्ली और उसके आसपास मदर डेयरी फल तथा सब्जी बूथ आवंटित किए जाने के लिए विचार किया जाता है।

प्रचार

11.24 पुनर्वास महानिदेशालय द्वारा प्रायोजित विभिन्न नीतियों और योजनाओं का व्यापक प्रचार करना बहुत महत्वपूर्ण है ताकि यह संपूर्ण देश में प्रत्येक यूनिट और भूतपूर्व सैनिक/ विधवा तक पहुंच सके। पुनर्वास महानिदेशालय द्वारा यह लक्ष्य आवधिक पत्रिकाओं ''पुनर्वास'', विवरणिकाओं, पर्चियों, सैनिक समाचार में लेख और बातचीत के प्रकाशन के जरिए प्राप्त किया जाता है। उक्त प्रयोजन के लिए प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया का भी प्रयोग किया जाता है।

11.25 पुनर्वास महानिदेशालय बेंगलूर में एयरों इंडिया-2005 में भूतपूर्व सैनिकों से संबंधित योजनाओं के बारे में जानकारी देने के लिए एक प्रभावशाली स्टाल लगाया था। प्रचार प्रयोजन के लिए कमान मुख्यालयों, राज्य सैनिक बोर्डों और सैनिक सम्मेलनों द्वारा बनाए गए अन्य विभिन्न मंचों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है।

11.26 सशस्त्र सेना झंडा दिवस से संबंधित फिल्म का 6 तथा 7 दिसंबर, 2004 को दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल पर प्रसारण किया गया था तथा पुनर्वास महानिदेशालय द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के कार्यक्षेत्र के साथ-साथ पुनर्वास महानिदेशक से साक्षात्कार का सीधा प्रसारण 6 और 7 दिसंबर, 2004 को दूरदर्शन पर किया गया था। इनका प्रचार प्रसार जिला सैनिक बोर्डों और यूनिटों को भेजकर सी डी रॉम के माध्यम से भी किया जा रहा है।

कल्याण

11.27 रक्षा राज्य मंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय सैनिक बोर्ड, राज्य/ जिला सैनिक बोर्डों के संपर्क से भूतपूर्व सैनिकों तथा उनके परिवारों के कल्याण की देखभाल करने के लिए एक नोडल संस्था है। केंद्रीय सैनिक बोर्ड, सशस्त्र सेना झंडा दिवस निधि के माध्यम से विभिन्न कल्याणकारी कार्यकलाप चलाते हैं, जिनका वित्त-पोषण निधि से प्राप्त होने वाले ब्याज से किया जाता है। इस निधि में कुल 18.29 करोड़ रुपए की धनराशि है। अपंग भूतपूर्व सैनिकों तथा उनके आश्रितों की देखभाल करने के लिए खड़की और मोहाली के पैराप्लेजिक होम, रेडक्रास सोसाइटी, चेशायर होम्स, सैन्य अस्पतालों, सेंट डस्टन ऑफ्टर केयर संगठन तथा ऐसे ही अन्य होम्स को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। उन भूतपूर्व सैनिकों तथा उनके परिवारों को भी उनकी विशिष्ट जरूरतों को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जो तंगहाली के कारण अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हैं। सशस्त्र सेना

अस्पताल, युद्ध विधवा होस्टल चलाने, भूतपूर्व सैनिकों के अनाथ बच्चों को छात्रवृत्ति देने तथा इसी प्रकार के अन्य मानव कल्याण के कार्यकलापों के लिए भी पुनर्वास महा-निदेशालय धन की व्यवस्था करता है।

11.28 **रक्षा मंत्री के कोष से सहायता:-** सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में एकत्र की गई राशि के एक भाग को रक्षा मंत्री के विवेकाधीन कोष के रूप में अलग रखा जाता है जिससे चिकित्सा उपचार, पुत्रियों का विवाह, मकान मरम्मत और बच्चों की शिक्षा जैसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए गरीब और जरूरतमंद भूतपूर्व सैनिकों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तंगहाली में रह रहे वृद्ध तथा दुर्बल भूतपूर्व सैनिकों और सैनिकों की विधवाओं को भी दो वर्ष की अवधि के लिए मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

11.29 **रियायतें एवं सुविधाएं:-** योग्य कार्मिकों के लिए निम्नलिखित रियायतें एवं सुविधाएं हैं:-

(क) कार्रवाई के दौरान शहीद हुए अथवा निशक्त हुए सैन्य कार्मिकों के बच्चों को, जो केंद्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूलों/ कॉलेजों में पढ़ रहे हों, स्नातक स्तर तक मुफ्त शैक्षणिक सुविधाएं।

(ख) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के माध्यम से सैन्य कार्मिकों की कई श्रेणियों के आश्रितों/ बच्चों के लिए केंद्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा एम. बी. बी. एस. में 28 सीटें, बी.डी. एस. में एक सीट तथा इंजीनियरिंग में दो सीट उपलब्ध कराई जाती हैं।

(ग) सेवारत सैन्य कार्मिकों तथा भूतपूर्व सैन्य कार्मिकों के बच्चों के लिए सैनिक स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित करवाई जाती हैं।

(घ) राज्यों/ संघों राज्य क्षेत्रों ने सेवारत और सेवानिवृत्त रक्षा कार्मिकों के बच्चों के लिए व्यावसायिक कॉलेजों/ औद्योगिक प्रशिक्षण/ पोलिटेकनिक में सीटें आरक्षित की हैं।

(ङ) दो शैक्षिक अनुदान यथा (1) युद्ध संतप्त के लिए 600 रुपए प्रतिमाह तथा (2) निशक्त (सैन्य सेवा के कारण अथवा सैन्य सेवा के अलावा) तथा शांति के समय हताहतों के बच्चों को 300 रुपए प्रतिमाह मुहैया कराया जाता है। ये अध्ययन पूरा करने के लिए 35 युद्ध स्मारक हॉस्टलों में रहने वालों को प्रदान किए जाते हैं।

(च) **भूतपूर्व सैनिकों के लिए चिकित्सा सुविधाएं:-** वर्तमान में, भूतपूर्व सैनिक, उनके परिवार तथा किसी भी प्रकार की पेंशन ले रहे शहीद सैनिकों के परिवार, 127 सैनिक अस्पतालों और 1000 से अधिक चिकित्सा निरीक्षण कक्षों जिनमें से 24 विशेष रूप से भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित हैं, में मुफ्त बाह्य रोगी इलाज कराने के हकदार हैं। बिस्तर उपलब्ध होने पर अस्पताल में भी इलाज किया जाता है। जो भूतपूर्व सैनिक सैन्य अस्पताल से चिकित्सा सुविधाएं नहीं ले रहे हैं वे इलाज के खर्च के लिए प्रतिमाह 100 रुपए लेने के विकल्प का चुनाव कर सकते हैं। अब से केवल नॉन पेंशनर भूतपूर्व सैनिकों/ उनके आश्रितों को सशस्त्र सेना झंडा दिवस निधि और सामूहिक बीमा योजना से विनिर्दिष्ट गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए भी वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाएगी। 1 अप्रैल, 2005 से पुनर्वास महानिदेशालय/ केंद्रीय सैनिक बोर्ड की ओर से मेडीकल

सहायता केवल नॉन पेंशनर्स को उपलब्ध होगी। पेंशनभोगी भूतपूर्व सैनिक तथा विधवाओं को चिकित्सा के लिए भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना पर निर्भर करना होगा।

(छ) **भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (इ. सी. एच. एस.) :** युद्ध में शहीद भूतपूर्व सैनिकों की विधवाओं और उनके आश्रितों को चिकित्सा सुविधा देने के लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सी. जी. एच.एस.) की तर्ज पर दिनांक 1.4.2003 से एक नई चिकित्सा योजना पांच वर्षों में चरणबद्ध रूप से लागू की जा रही है। योजना का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

(i) भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना 104 सैन्य तथा 123 असैन्य स्टेशनों में 227 पोलीक्लीनिकों के नेटवर्क के माध्यम से देश के दूर-दराज के क्षेत्रों में बसे भूतपूर्व सैनिक पेंशनभोगियों, युद्ध विधवाओं और आश्रितों को कवर करती है।

(ii) भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को उसी दर से अंशदान देना होगा जिस दर से केंद्रीय सरकार के पेंशनभोगियों को सेवानिवृत्ति के बाद सी. जी. एच. एस. के अंतर्गत चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने के लिए भुगतान करना होता है। भूतपूर्व सैनिकों की वित्तीय कठिनाइयों में कमी लाने के लिए सरकार ने अंशदान को तीन लगातार वार्षिक किस्तों में लिए जाने की अनुमति देने का निर्णय लिया है।

(ii) 31 मार्च, 2003 तक सेवानिवृत्त होने वाले भूतपूर्व सैनिक पेंशनभोगियों का भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना में प्रवेश वैकल्पिक है। ऐसे भूतपूर्व सैनिक जो योजना में शामिल होने का विकल्प नहीं लेते हैं वे 100 रुपए प्रति माह चिकित्सा भत्ता आहरित करते रहेंगे। भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना में शामिल होने का विकल्प अधिक से अधिक 31 मार्च, 2008 तक लिया जा सकता है। तथापि, 1 अप्रैल 2003 से सेवानिवृत्त होने वाले सभी सैन्य पेंशनभोगियों के लिए भूतपूर्व सैनिक अंशदायी योजना में शामिल होना अनिवार्य है।

(iv) मौजूदा सैन्य अस्पतालों/ पॉलीक्लिनिकों के अलावा अच्छे और अर्हताप्राप्त सिविल अस्पतालों/ जांच केंद्रों का पैनल बनाया जा रहा है। जहां सैन्य अस्पतालों में आवश्यक सुविधाएं नहीं होगी तब ये अस्पताल, मरीज को दाखिल कराने/ उपचार, जांचों में सहायता करेंगे।

(ज) **यात्रा रियायत:-** केंद्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा जारी पहचान-पत्र दिखाने पर युद्ध विधवा/ शौर्य पदक विजेता निम्नलिखित रियायतों का लाभ उठा सकते हैं:-

रेल यात्रा रियायत

(i) आतंकवादियों तथा अतिवादियों के विरुद्ध युद्ध और कार्रवाई में मारे गए रक्षा कार्मिकों की पत्नियों के लिए द्वितीय श्रेणी में रेल यात्रा किराए में 75 प्रतिशत रियायत उपलब्ध है।

(ii) परमवीर चक्र, महावीर चक्र, अशोक चक्र, वीर चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र विजेता को एक साथी के साथ श्रेणी 1/ए सी 2 टायर की मुफ्त रेल यात्रा उपलब्ध है।

(iii) परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र से सम्मानित कार्मिकों को राजधानी में ए सी 2 टायर/ ए सी 3 टायर और शताब्दी/

जनशताब्दी एक्सप्रेस रेलों के चेयर कार में एक साथी के साथ उसी श्रेणी में मुफ्त रेल यात्रा की अनुमति भी है।

हवाई यात्रा रियायत

(i) स्तर-1 और स्तर-2 के वीरता पुरस्कार अर्थात् परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र और कीर्ति चक्र, विक्टोरिया क्रॉस, जॉर्ज क्रॉस, डिस्टिंगविस्ड सर्विस क्रॉस, मिलिट्री क्रॉस, डिस्टिंगविस्ड फ्लाइंग क्रॉस और जॉर्ज मेडल विजेताओं को 75 प्रतिशत की रियायत की अनुमति है।

(ii) स्थायी रूप से युद्ध में निशक्त हुए अधिकारी जिन्हें अपंगता के कारण सेना से हटा दिया गया तथा उनके परिवारों के आश्रित सदस्य के लिए 75 प्रतिशत रियायत उपलब्ध है।

(iii) स्वतंत्रता के बाद की युद्ध विधवाओं के लिए 75 प्रतिशत रियायत भी उपलब्ध है।

(झ) **गृह स्थलों/ मकानों का आरक्षण:-** अधिकांश राज्यों ने सेवारत/ सेवानिवृत्त सशस्त्र सैन्यकार्मिकों के लिए गृह स्थलों/ मकानों के आवंटन में आरक्षण किया है।

(ञ) **मकान मरम्मत के लिए अनुदान:-** राज्य सरकार के साथ मिलकर 50 प्रतिशत लागत हिस्सेदारी पर युद्ध विधवाओं/ युद्ध में निशक्त हुए सैनिकों को मकान मरम्मत करने के लिए अधिकतम 10,000/-रुपए की राशि की वित्तीय सहायता दी जाती है।

(ट) **सैनिक विश्राम गृह सुविधाएं:-** देश में 252 से अधिक सैनिक विश्राम गृह निर्मित किए गए हैं जो भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को मामूली दरों पर ठहरने की सुविधा प्रदान करते हैं।

(ठ) **वीरता/ गैर-वीरता पुरस्कार विजेताओं के लिए जमीन के बदले नकद पुरस्कार/ वार्षिकी/ नकद:** राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों द्वारा वीरता/गैर-वीरता पुरस्कार विजेताओं को जमीन के बदले नकद पुरस्कार/ वार्षिक छात्रवृत्ति/ नकद प्रदान किया जाता है।

सशस्त्र सेना कार्मिकों को पेंशन

11.30 दिसंबर, 2004 की स्थिति के अनुसार रक्षा पेंशनभोगियों की संख्या 20.93 लाख होने का अनुमान है। प्रतिवर्ष इस संख्या में लगभग 55000 पेंशनभोगी और जुड़ जाते हैं। वर्ष 2004-05 के लिए अनुमानित बजट प्रावधान 11250.00 करोड़ रुपए हैं। पेंशन का संवितरण संपूर्ण भारत में फैले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की 35000 शाखाओं, 534 कोषागारों, 61 रक्षा पेंशन संवितरण कार्यालयों और 5 भुगतान एवं लेखा कार्यालयों के माध्यम से किया जाता है। विभिन्न प्रकार की पेंशनों की पात्रता शर्तों, दरों इत्यादि का उल्लेख आगामी पैराग्राफों में किया गया है।

निवृत्तमान/ पेंशन

11.31 कमीशनप्राप्त अफसरों के लिए निवृत्तमान/ सेवा पेंशन की गणना पिछले 10 माह के दौरान आहरित औसत गणनीय परिलब्धियों के 50 प्रतिशत पर की जाती है। अफसर रैंक से निचले कार्मिकों के मामले में इसकी गणना सेवानिवृत्ति से 10 माह पहले धारित रैंक और समूह के वेतनमान के अधिकतम के संदर्भ में की

जाती है। निवृत्तमान पेंशन न्यूनतम 1275/- रुपए तथा सशस्त्र सेनाओं के लिए लागू उच्चतम वेतन के अधिकतम 50 प्रतिशत तक होगी। 1996 से पहले के पेंशनभोगियों के लिए संशोधित समानता के अधीन तैयार किए गए सूत्र के अनुसार 1.1.1996 से, पेंशन, पेंशनभोगियों द्वारा धारित समरूप रैंक, के संशोधित वेतनमान के न्यूनतम वेतन के 50 प्रतिशत से कम नहीं होगी।

11.32 **वेटेज:-** सशस्त्र सेना कार्मिकों की अपेक्षाकृत कम आयु में सेवानिवृत्ति को ध्यान में रखते हुए उन्हें सेवा पेंशन की संगणना का वेटेज दिया जाता है। कमीशनप्राप्त अफसरों के मामले में, निवृत्तमान पेंशन अर्जित करने के लिए अपेक्षित अर्हक सेवा की न्यूनतम अवधि 20 वर्ष है। अफसरों को उनके रैंक के आधार पर 3 से 9 वर्ष तक वेटेज का लाभ दिया जाता है। निवृत्तमान पेंशन अर्जित करने के लिए अफसर रैंक से निचले रैंक के कार्मिकों के लिए अर्हक सेवा की न्यूनतम अवधि 15 वर्ष है। उन्हें 5 वर्ष का एकसमान वेटेज दिया जाता है। उपदान की संगणना के लिए सभी रैंकों का 5 वर्ष का वेटेज दिया जाता है।

पेंशन का संराशीकरण

11.33 सिविलियनों के लिए 40 प्रतिशत पेंशन के सरांशीकरण की तुलना में सशस्त्र सेना के कार्मिकों को अधिक पेंशन सरांशीकरण का लाभ मिलता है यह अफसरों के मामले में 43 प्रतिशत और अफसर रैंक से निचले रैंक के कार्मिकों के लिए 45 प्रतिशत की दर पर है।

परिवार पेंशन

11.34 सशस्त्र सेनाओं के उन कार्मिकों के परिवारों को गणनीय परिलब्धियों के 30 प्रतिशत की एकसमान दर पर परिवार पेंशन दी जाती है जिनकी मृत्यु सेवा के दौरान या पेंशन के साथ सेवानिवृत्ति के बाद हो जाती है। 1 जनवरी, 1996 से न्यूनतम परिवार पेंशन की राशि 375/- रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 1275/- रुपए प्रतिमाह कर दी गई है। 1 जनवरी, 1998 से आश्रित माता-पिता और विधवा/ तलाकशुदा पुत्रियां, जो विहित पात्रता मानदंड पूरे करती हों, को भी सामान्य परिवार पेंशन स्वीकार्य है।

11.35 27 जुलाई, 2001 से संगत पेंशन विनियम के अधीन स्वीकार्य परिवार पेंशन के अतिरिक्त कर्मचारी पेंशन योजना 1995 और परिवार पेंशन योजना, 1971 के अधीन स्वीकार्य परिवार पेंशन की भी अनुमति दे दी गई है।

निशक्तता पेंशन

11.36 जिस व्यक्ति को सैन्य सेवा के कारण कोई बीमारी होती है या चोट लगती है तथा इसके कारण ही उसमें वृद्धि होती है एवं इनकी वजह से उसे कार्यमुक्त या सेवानिवृत्त कर दिया जाता है तो वह निशक्तता पेंशन के लिए हकदार है यदि चिकित्सा बोर्ड द्वारा आंकी गई निशक्तता 20 प्रतिशत या अधिक हो। सैन्य सेवा से या उसकी वजह से उसमें वृद्धि होने के कारण सेवा से अशक्त किए जाने पर, यदि निशक्तता 50 प्रतिशत से कम

है तो 50 प्रतिशत पर, यदि निशक्तता 50 प्रतिशत और 75 प्रतिशत के बीच है तो 75 प्रतिशत पर, यदि निशक्तता 76 प्रतिशत से 100 प्रतिशत के बीच है तो 100 प्रतिशत पर निशक्तता अथवा कार्यात्मक अक्षमता निर्धारित की जाती है। यह सुधार 5वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर 1 जनवरी, 1996 से किया गया है।

11.37 निशक्तता पेंशन में दो अंश अर्थात् सेवा अंश और निशक्तता अंश शामिल हैं। सेवा अंश अशक्तता के समय संबंधित व्यक्ति द्वारा की गई सेवा की अवधि से संबंधित है और निशक्तता अंश निशक्तता के लिए मुआवजे के रूप में दिया जाता है तथा निशक्तता की मात्रा पर निर्भर करता है। निशक्तता पेंशन के निशक्तता अंश की दर कमीशनप्राप्त अफसरों के लिए 2600/–रुपए प्रतिमाह, जूनियर कमीशनप्राप्त अफसरों के लिए 1900/–रुपए प्रतिमाह और अन्य रैंकों के लिए 1550/–रुपए प्रतिमाह है। ऐसे व्यक्ति जो निशक्तता के बावजूद सेवा में बने रहते हैं और सेवा निवृत्ति की आयु पूरी करने पर या कार्यकाल पूरा करने पर सेवानिवृत्त होते हैं अथवा/ और कार्यमुक्त किए जाते हैं, उनके मामले में, 1 जनवरी, 1996 से यही दरें लागू हैं यदि उनकी निशक्तता का आकलन 100 प्रतिशत किया जाता है।

युद्ध घायल पेंशन

11.38 युद्ध या युद्ध जैसी स्थिति या उग्रवादियों, असामाजिक तत्वों आदि के विरूद्ध कार्रवाई के दौरान सशस्त्र सेनाओं के कार्मिकों द्वारा दिए गए सर्वोच्च बलिदान को ध्यान में रखते हुए युद्ध घायल पेंशन उन कार्मिकों को प्रदान की जाती है जो ऐसे ऑपरेशन के दौरान चोट या निशक्तता झेलते हैं। सेवा अंश उस निवृत्तमान/ सेवा पेंशन के बराबर है जिसके लिए वह निशक्तता की तारीख को अपने वेतन के आधार पर हकदार होता/ होती परंतु सेवा की गणना उस तारीख तक की जाती है जब वह यथास्वीकार्य वेटेज सहित सामान्य प्रक्रिया में उस रैंक में सेवानिवृत्त हुए होते/होती। शतप्रतिशत निशक्तता में देय युद्ध घायल अंश अंतिम आहरित गणनीय परिलब्धियों के बराबर है। तथापि, किसी भी मामले में सेवा अंश और युद्ध घायल अंश अंतिम आहरित वेतन से अधिक नहीं होगा।

11.39 यदि कोई व्यक्ति युद्ध या युद्ध जैसी स्थितियों में हुई निशक्तता झेलता है और यह निशक्तता आजीवन 20 प्रतिशत या अधिक आंकी जाती है परंतु संबंधित व्यक्ति ऐसी निशक्तता के बावजूद सेवा में बना रहता है और एकमुश्त मुआवजे के विकल्प चुनता है तो उसे युद्ध घायल अंश के बदले में एकमुश्त मुआवजा दिया जाएगा। आजीवन शतप्रतिशत निशक्तता के लिए घायल अंश के बदले में एकमुश्त मुआवजे की गणना की दर कमीशनप्राप्त अफसरों के लिए 5200/–रुपए प्रतिमाह, जूनियर कमीशनप्राप्त अफसरों के लिए 3800/–रुपए प्रतिमाह और अन्य रैंको के लिए 3100/–रुपए प्रतिमाह होगी।

सतत परिचर्या भत्ता

11.40 शत–प्रतिशत निशक्तता वाले कार्मिकों को चिकित्सा बोर्ड की सिफारिश पर

600/–रुपए प्रतिमाह की दर पर सतत् परिचर्या भत्ता दिया जाता है।

विशेष परिवार पेंशन

11.41 यदि सैन्य कार्मिक की मृत्यु सैन्य सेवा के कारण होती है तो परिवार को 2550/–रुपए प्रतिमाह के न्यूनतम के अध्यधीन मृतक द्वारा आहरित गणनीय परिलब्धियों के 60 प्रतिशत की दर पर विशेष परिवार पेंशन दी जाती है। 1 जनवरी, 1996 को या उसके बाद पुनर्विवाह करने वाली विधवाएं भी कतिपय शर्तों के अध्याधीन विशेष परिवार पेंशन के लिए पात्र हैं।

उदारीकृत परिवार पेंशन

11.42 युद्ध या युद्ध जैसी संक्रियाओं, विद्रोहरोधी संक्रियाओं, आतंकवादियों, उग्रवादियों आदि के विरुद्ध कार्रवाई में सशस्त्र सेना कार्मिकों की मृत्यु होने पर उनके परिवारों को मृतक कार्मिक द्वारा मृत्यु के समय आहरित अंतिम गणनीय परिलब्धियों के बराबर उदारीकृत परिवार पेंशन मंजूर की जाती है। यदि कार्मिक की विधवा न हो परंतु बच्चे हों तो वे विहित शर्तें पूरी करने पर मृतक द्वारा आहरित अंतिम गणनीय परिलब्धियों के 60 प्रतिशत के बराबर दर पर उदारीकृत परिवार पेंशन के लिए हकदार हैं।

11.43 विधवा के पुनर्विवाह पर 1 जनवरी, 1996 से पूरी उदारीकृत परिवार पेंशन कतिपय विहित शर्तों के अध्याधीन जारी रहेगी।

निशक्तता की मात्रा का निर्धारण करने के लिए संशोधित प्रक्रिया

11.44 पांचवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर शुरू की गई संशोधित प्रक्रिया के अनुसार निशक्तता पेंशन के पुनर्निर्धारण और उसे जारी रखने के लिए पुनः सर्वेक्षण चिकित्सा बोर्ड द्वारा समय-समय पर की जाने वाली पुनरीक्षाएं छोड़ दी गई हैं। घायल मामलों में अशक्तताकारी/ रिलीज मेडिकल बोर्ड की सिफारिश के अनुसार और अगले उच्चतर चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा यथा अनुमोदित निशक्तता की प्रतिशतता को तब तक अंतिम माना जाता है जब तक कि पुनरीक्षा के लिए संबंधित व्यक्ति द्वारा अनुरोध न किया जाए। इसी तरह, स्थायी स्वरूप के रोगों के मामले में चिकित्सा बोर्डों द्वारा यथा अनुशंसित निशक्तता की मात्रा का निर्धारण तब तक अंतिम माना जाए जब तक कि संबंधित व्यक्ति पुनरीक्षा के लिए अपने आप न कहे।

सैन्य प्रशिक्षण के कारण कैडेटों (सीधी भर्ती) की मृत्यु के मामलों में अनुग्रह राशि देना

11.45 सैन्य प्रशिक्षण के कारण कैडेट की मृत्यु होने की दशा में कतिपय शर्तों के अध्याधीन निम्नलिखित अनुग्रह राशि देय है:-

(क) 2.5 लाख रुपए का एकमुश्त अनुग्रह।

(ख) उपर्युक्त (क) के अलावा विवाहित और अविवाहित कार्मिकों के निकटतम संबंधी को 1275/–रुपए प्रतिमाह की अनुग्रह राशि।

11.46 01 अगस्त, 1997 को या उसके बाद कैडेटों की मृत्यु होने के मामलों में एकमुश्त अनुग्रह राशि स्वीकार्य है। तथापि, उपर्युक्त (ख) पर यथा उल्लिखित संशोधित मासिक अनुग्रह राशि का लाभ 01 अगस्त, 1997 से पहले के मामलों पर भी लागू है जिसके लिए आर्थिक लाभ 1.8. 1997 से दिया जाएगा।

कैडेटों (सीधे भर्ती) की निशक्तता के मामलों में अनुग्रह राशि देना

11.47 सैन्य प्रशिक्षण के कारण चिकित्सा आधार पर कैडेट (सीधे भर्ती) की अशक्तता अथवा उसकी वजह से उसमें वृद्धि होने की दशा में कतिपय शर्तों के अध्यधीन निम्नलिखित अनुग्रह राशि देय है:-

(क) 1275/-रुपए प्रतिमाह की मासिक अनुग्रह राशि।

(ख) निशक्तता की अवधि के दौरान 100 प्रतिशत निशक्तता के लिए 2100/-रुपए प्रतिमाह की दर पर अनुग्रह निशक्तता राशि। यदि निशक्तता की मात्रा 100 प्रतिशत से कम होती है तो अनुग्रह निशक्तता राशि को समानुपातिक आधार पर कम कर दिया जाता है।

(ग) अशक्तताकारी चिकित्सा बोर्ड की सिफारिश पर 100 प्रतिशत निशक्तता के लिए 600/-रुपए प्रतिमाह का सतत् परिचर्या भत्ता।

11.48 अनुग्रह निशक्तता राशि 1 अगस्त, 1997 से लागू है। तथापि, यही लाभ 1 अगस्त, 1997 से पहले के मामलों पर भी स्वीकार्य है जिनको वित्तीय लाभ 1 अगस्त, 1997 से प्रभावी है।

सैन्य ड्यूटी का निर्वाह करते हुए मृत्यु होने की दशा में अनुग्रह राशि देना

11.49 5वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर, विशेष पारिवारिक पेंशन/ उदारीकृत पारिवारिक पेंशन के साथ-सथ 1 अगस्त, 1997 या उसके पश्चात् दिवंगत हुए सैन्यकर्मी के परिवार को निम्नानुसार अनुग्रह राशि भी प्रदान की जाएगी:-

(क)	कर्तव्य का निर्वहन करते हुए दुर्घटनाओं में मृत्यु	5.00 लाख रुपए
(ख)	आतंकवादियों, समाज-विरोधी तत्वों आदि द्वारा किए गए हमलों के कारण कर्तव्य का निर्वहन करते हुए मृत्यु	5.00 लाख रुपए
(ग)	निम्नलिखित घटनाओं में मृत्यु होने पर	7.50 लाख रुपय*
	(1) सीमा पर हुई झड़पों एवं	
	(2) आतंकवादियों, अतिवादियों, उग्रवादियों आदि के विरूद्ध कार्रवाई के दौरान हुई मृत्यु	
(घ)	अंतरराष्ट्रीय युद्ध में दुश्मन की कार्रवाई या इसी प्रकार की युद्ध जैसी लड़ाइयों, जिन्हें सरकार द्वारा विशेष रूप से अधिसूचित किया गया हो, में होने वाली मृत्यु	10.00 लाख रु.* (* 1.5.1999 से प्रभावी)

रक्षा पेंशनभोगियों की शिकायतों के निवारण के लिए उठाए गए कदम

11.50 रक्षा मंत्रालय, रक्षा पेंशनभोगियों की शिकायतों का तत्काल और प्रभावी ढंग से निवारण करने की प्रक्रिया को मजबूत करने में सतत प्रयासरत है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए विगत में, अनेक कदम उठाए गए हैं। इस संबंध में उठाए गए कुछ कदम इस प्रकार हैं:-

(i) रक्षा पेंशनभोगियों के पेंशन मामलों की सार-संभाल करने वाली विभिन्न एजेंसियों ने अभिलेखों के कंप्यूटरीकरण के लिए कार्रवाई शुरू की है ताकि पेंशन मामलों की प्रक्रिया में होने वाले विलम्ब को कम किया जा सके।

(ii) प्रधान नियंत्रक रक्षा लेखा (पेंशन), इलाहाबाद ने अपने वेबसाइट में पेंशन से संबंधित संगत आदेश तथा अनुदेश डाले हुए हैं।

(iii) निशक्तता पेंशन प्रदान करने के लिए निशक्तता निर्धारण प्रक्रिया को सरल बनाया गया है और अब चिकित्सा बोर्ड द्वारा निशक्तता को बार-बार निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है।

(iv) सशस्त्र सेनाओं के पेंशनभोगियों की वैध संगत शिकायतों को निपटाने के लिए राज्य के विभिन्न भागों में रक्षा पेंशन अदालतों का आयोजन किया जाता है जहां शिकायतों का निवारण समयबद्ध तरीके से किया जाता है।

(v) पेंशनभोगियों की तकलीफों को कम करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि रक्षा पेंशनभोगियों के खाते वाले सभी बैंक, बिना कोई शुल्क लिए जीवित होने का वार्षिक प्रमाणपत्र जारी करें।

(vi) प्रथम भुगतान चैकों को बाधा रहित और शीघ्र जारी करने के लिए डीपीडोओ में एकल खिड़की प्रणाली शुरू की गई है।

(vii) अब से, सशस्त्र सेनाओं के पेंशनभोगियों की पेंशन की पात्रता, उनकी राष्ट्रीयता बदलने पर प्रभावित नहीं होगी और पेंशन वितरण कार्यालय द्वारा उनकी पेंशन बंद नहीं की जाएगी, जैसा कि पहले किया जाता था।

11.51 उपर्युक्त कदम उठाने से, यह आशा है कि पेंशनभोगियों की शिकायतें पर्याप्त रूप से कम होंगी और यदि कोई शिकायत होती है तो उसका शीघ्र निपटान किया जाएगा।

11.52 विगत तीन वर्षों के दौरान रक्षा पेंशन पर वार्षिक व्यय निम्नलिखित है:-

वर्ष	**वितरित पेंशन (करोड़ रु0 में)**
2002-03 (वास्तविक)	10091.64
2003-04 (वास्तविक)	10999.67
2004-05 (बजट अनुमान)	11250.00
2004-05 (संशोधित अनुमान)	11922.00
2005-06 (बजट अनुमान)	12452.00 (प्रस्तावित)

12

सशस्त्र सेनाओं तथा सिविल प्राधिकारियों के बीच सहयोग

जरूरतमंदों की सहायता करके सेना अपना मानवीय पहलू उजागर करती है

सशस्त्र सेनाओं तथा सिविल प्राधिकारियों के बीच सहयोग

12.1 यह सुनिश्चित करने के अतिरिक्त कि कोई हमारे देश की सीमाओं का उल्लंघन न कर सके, सशस्त्र सेनाओं को कानून व्यवस्था और/अथवा आवश्यक सेवाएं बनाए रखने तथा प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत और बचाव कार्यों में सिविल प्राधिकारियों की सहायता करने का भी आदेश दिया जाता है। सशस्त्र सेनाएं वास्तविक राहत पहुंचाने के अतिरिक्त, आपात योजना को बेहतर बनाने तथा समय पर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए सिविल प्राधिकारियों से लगातार संपर्क बनाएं रखती हैं सशस्त्र सेनाओं द्वारा इस वर्ष प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा निम्नलिखित पैराओं में दिया गया है।

सेना

12.2 सूनामी आपदा - भारतीय सेना द्वारा मुहैया कराई गई सहायता: 26 दिसंबर, 2004 को 0629 बजे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रिक्टर स्केल पर नौ की तीव्रता वाला भूकंप आया, जो पिछले 40 वर्षों में सबसे अधिक तीव्रता वाला भूकंप था। भूकंप का केन्द्र पश्चिम सुमात्रा (इंडोनेशिया) बताया गया था। भूकंप से सूनामी लहरें उत्पन्न हुईं जिन्होंने इंडोनेशिया, थाइलैंड, श्रीलंका तथा मालदीव में व्यापक क्षति पहुंचाने के अलावा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा तटीय राज्यों तमिलनाडु और केरल में बहुत अधिक क्षति पहुंचाई।

12.3 सशस्त्र सेनाएं तब से एक सबसे बड़े राहत कार्य में लगी हुई हैं। आपदा के प्रति युद्ध-स्तर पर कार्रवाई शुरू की गई थी तथा 26 दिसंबर, 2004 को तत्काल एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय के अधीन एक त्रिसेना समन्वय दल का गठन किया गया था। राहत में न केवल देश के भीतर अपितु श्रीलंका, मालदीव तथा बाद में इंडोनेशिया को सहायता देना भी शामिल है। कार्रवाई का समन्वय अंतरिम राष्ट्रीय कमान पोस्ट के माध्यम से किया गया था।

सूनामी प्रभावित क्षेत्र में राहत कार्य करती सेना

सेना राहत तथा बचाव प्रयास

12.4 **श्रीलंका (ऑपरेशन रेनबो):**

(क) 31 दिसंबर, 2004 को 9 चिकित्सकों तथा 130 पैरामैडिकों सहित एक फील्ड एम्बुलेंस वायुयान से श्रीलंका भेजी गई थी। यह फील्ड एम्बुलेंस दक्षिण श्रीलंका के हेम्बेन्टोटा तथा मटारा जिलों में सहायता मुहैया करा रही है। लगभग 7,846 रोगियों को सहायता मुहैया कराई गई है। सचल स्वास्थ्य तथा स्वच्छता दल राहत शिविरों तथा गांवों में निरंतर दौरे कर रहे हैं।

(ख) सेना ने 66 टन राशन, 4.5 किलोलीटर केरोसीन तेल, 7 टन दवाईयां तथा 30,000 जोड़े जुराबें मुहैया कराई हैं।

(ग) दो संयुक्त कार्य दलों ने गाले तथा हिकादुआ में राहत तथा पुनर्वास कार्य किए हैं जिसमें उन्होंने राहत सामग्री का वितरण तथा विद्युत आपूर्ति, दुरभाष संचार तथा जल आपूर्ति बहाल करने, अस्थायी शौचालयों का निर्माण करने तथा टेलिवाथा में एक पुल के निर्माण में सहायता प्रदान की।

12.5 **अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (ऑपरेशन सी वेव्ज):**

(क) एक इन्फेंट्री ब्रिगेड तथा चार इंजीनियर कार्य दल 26 दिसंबर, 2004 से कार निकोबार, त्रिंकट, चोवरा, हट बे तथा तरासा में राहत तथा बचाव कार्य कर रहे हैं।

(ख) अब तक निम्नलिखित सहायता मुहैया कराई गई हैं :-

(i) 9345 व्यक्तियों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने तथा 922 शवों को दफनाने में सहायता।

(ii) 15,000 लोगों के लिए 50 राहत शिविरों की स्थापना। कार निकोबार की कालोनियों में मलबा हटाना तथा रहन-सहन एवं स्वच्छता की स्थिति में सुधार लाना।

(iii) 168 टन राशन तथा राहत सामग्री का वितरण।

(iv) कार निकोबार में एक फील्ड रसोई की स्थापना तथा प्रतिदिन 900 व्यक्तियों को पके हुए भोजन का वितरण।

(v) सड़क खोलना/मरम्मत/निर्माण कारनिक में कुल 19 किलोमीटर सड़क/ट्रैक की सफाई की गई/ मरम्मत की गई। कारनिक से अरोंग कैंप तक 12 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया जा रहा है।

(vi) कार निकोबार की 25 कालोनियों, जिला मुख्यालयों तथा मलक्का गांव में बिजली बहाल करना जिसमें 25 जनरेटर स्थापित करना शामिल है।

(vii) कारनिक तथा पोर्ट ब्लेयर के बीच एस टी डी सहित दूरभाष संपर्क बहाल करना।

(viii) जल आपूर्ति जिसमें कार निकोबार में एक वाटर वेल तथा पांच वाटर पांइटों की स्थापना करना शामिल है।

(ix) 5,770 व्यक्तियों के लिए चिकित्सा सहायता की व्यवस्था। कई गांवों में स्वास्थ्य तथा स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है।

(x) अरोंग कैंप में एक अस्थायी हेलीपैड की स्थापना।

12.6 **तमिलनाडु तथा पांडिचेरी (ऑपरेशन मदद):** नागपट्टनम, कुड्डालूर, कांचीपुरम तथा कलपक्कम जिलों में चार इन्फेंट्री टुकड़ियां तथा तीन इंजीनियर टुकडियां तत्काल तैनात की गई थीं। अब तक निम्नलिखित सहायता मुहैया कराई गई है:-

(क) 8500 व्यक्तियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया तथा 68 शवों को दफनाया गया।

(ख) फंसी हुई 172 नौकाओं तथा 23 ट्रालर नौकाओं को बाहर निकालने में सहायता की गई।

(ग) 14,400 व्यक्तियों को पका हुआ भोजन वितरण किया गया।

(घ) राशन तथा राहत सामग्री की व्यवस्था तथा वितरित किया ।

(ड.) 6,002 रोगियों का इलाज किया जिसमें सदमे के मामलों में परामर्श की व्यवस्था शामिल है।

(च) सड़क खोलना तथा मलबा हटाना। विभिन्न स्थानों में कुल 15 किलोमीटर लंबी सड़क तथा 25 गलियों को साफ करके खोला गया है।

(छ) सिविल नौकाओं तथा मोटर नौकाओं की मरम्मत।

(ज) नागपट्टनम जिले में दो सेतू-मार्गों का निर्माण।

(झ) अस्थायी शरण स्थलों के निर्माण में सहायता।

(ञ) कुड्डालूर जिले में रोजगार अवसरों/भरती के बारे में सूचना देने वाली कक्षाओं का आयोजन।

(ट) कराईकल में 100 फुट लंबे बेली पुल का निर्माण।

12.7 **केरल (ऑपरेशन मदद) :** सेना की पांच राहत टुकड़ियों ने त्रिवेन्द्रम, अलप्पी, कंरूगापल्ली तथा अल्लापप्पूतुरा में राहत तथा बचाव कार्य किया।

12.8 **बाढ़ राहत कार्य:**

(क) **बिहार:** बिहार में 9 जुलाई, 2004 से शुरू हुई बाढ़ की स्थिति के तेजी से बिगड़ने की वजह से सीतामढ़ी, मधुबनी तथा दरभंगा जिलों का मुख्य भुभाग से सतही मार्गों से संपर्क पूरी तरह टूट गया। बाद में, पड़ोस के खगड़िया, समस्तीपुर तथा किशनगंज जिलों में बाढ़ के पानी के फैल जाने के कारण बड़े पैमाने पर बाढ़ आ गई। बिहार में 9 जुलाई, 2004 से बाढ़ राहत कार्यों के लिए क्रमिक रूप से कुल 10 बाढ़ राहत तथा बचाव कार्य किए जिसमें 5,712 बेसहारा सिविलयन बचाए/सुरक्षित

स्थानों पर पंहुचाए गए थे तथा 9,047 व्यक्तियों को चिकित्सा सहायता मुहैया कराई गई थी। इसके अलावा, 802 टन राशन के वितरण में सिविल प्रशासन की सहायता की गई थी।

(ख) **असम :** जुलाई, 2004 के प्रथम सप्ताह में असम में भारी बाढ़ आ गई थी। बाढ़ की स्थिति विशेषकर कोकराझार, बारपेटा, गोलपाड़ा नलबाड़ी, कामरूप, दर्रांग, मोरीगांव, नौगांव, धेमाजी, तिनसुकिया तथा कछार जिलों में बहुत बिगड़ गई थी। उपर्युक्त जिलों में बाढ़ राहत कार्य के लिए सेना की कुल 24 टुकड़ियां तैनात की गई थीं। राहत दलों के अलावा प्रभावित क्षेत्रों में विशेष चिकित्सा शिविर भी लगाए गए थे। राहत और बचाव कार्य के दौरान 10,779 व्यक्तियों को बचाया गया/ सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया तथा 1,01,715 व्यक्तियों को चिकित्सा सहायता तथा राहत मुहैया करायी गई। इसके अलावा, 232.49 टन राहत राशन भी वितरित किया गया अक्तूबर में आई बाढ़ के दौरान सेना ने पुनः राहत रिजर्व मिशनों का संचालन किया।

(ग) पंजाब, हरियाणा, गुजरात तथा राजस्थान में तेज बाढ़ आने से इन राज्यों में काफी क्षेत्र प्रभावित हुए। बाढ़ राहत कार्य करने के लिए सेना की लगभग 34 टुकड़ियां तैनात की गईं तथा लगभग 5000 लोगों को बचाया गया तथा उन्हें सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया।

(घ) **बाढ़ संकटः हिमाचल प्रदेशः** हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले को 29 जुलाई, 2004 को आसन्न खतरे का सामना करना पड़ा जब करक के समीप चीनी क्षेत्र में भारी भूस्खलन हुआ जिससे पारे चू नदी का जल प्रवाह रूक गया। सेना ने आसन्न खतरे से निपटने के लिए केन्द्र सरकार और राज्य सिविल प्रशासन से मिलकर सक्रिय भूमिका निभाई। चुशूल में हॉट लाइन तथा ध्वज बैठकों के जरिए चीनी प्राधिकारियों के साथ संपर्क बनाए रखा गया। सेना के अनुरोध के प्रत्युत्तर में चीन ने आसन्न खतरे के बारे में समय पर लगातार चेतावनियां दीं। खतरे वाले क्षेत्र में सभी सिविलियनों तथा सेना/भारत-तिब्बत सीमा पुलिस की अवस्थित यूनिटों को समय रहते सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया।

(ड.) **उत्तरांचल के चमोली जिले में भूस्खलनः** 6 जुलाई, 2004 को जोशीमठ-बद्रीनाथ सड़क पर लांबागढ़ (बद्रीनाथ से 18 किलोमीटर दक्षिण) के निकट भारी भूस्खलन हुआ जिससे अलकनंदा नदी के साथ-साथ 100 मीटर की दरार पड़ गई। इसके परिणामस्वरूप लगभग 1600 तीर्थयात्री बद्रीनाथ में फंस गए। उसी सड़क पर एक अन्य घटना में सड़क पर पत्थरों के गिरने से एक बस सहित तीन वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुए।

नदी की तेज धारा में लगभग 31 व्यक्तियों के मरने अथवा लापता हो जाने की आशंका थी। राज्य सरकार की मांग के आधार पर जोशीमठ-बद्रीनाथ में अवस्थित सेना विरचना तथा यूनिटों को तत्काल बचाव एवं राहत कार्य के लिए सक्रिय किया गया। सेना कार्मिकों ने फंसे लोगों को बद्रीनाथ से निकालने का मार्ग प्रशस्त किया तथा उन्हें उसी स्थान के समीप अवस्थित 3 किलोमीटर लंबी हाइडेल परियोजना सुरंग के जरिए सुरक्षित निकाला। 7 जुलाई से 9 जुलाई, 2004 के बीच कुल 2345 व्यक्तियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। इसके अलावा, सेना ने तीर्थयात्रियों को ले जाने के लिए तथा बद्रीनाथ और जोशीमठ के समीप बी एस एन एल मोबाइल संपर्क बहाल करने के लिए आवश्यक वाहन सुविधा मुहैया कराई।

नौसेना

12.9 **चिकित्सा शिविर :** विभिन्न नौसेना कमानों तथा बाहर स्थित यूनिटों द्वारा नियमित रूप से चिकित्सा तथा रक्तदान शिविर लगाए जाते हैं।

(क) गांव चप्पाला-उत्पादा तथा एस ओ एस बच्चों के गांव में दो चिकित्सा शिविर लगाए गए, लगभग 300 मरीजों का उपचार किया गया तथा सभी बच्चों की नि:शुल्क चिकित्सा जांच की गई।

(ख) बानपुर स्थित नेहरू सेवा संघ अनाथालय के निस्सहाय बच्चों को नौसेना पत्नी कल्याण एसोशिएशन केन्द्र, चिल्का के जरिए चिकित्सा सहायता तथा भोजन के रूप में बुनियादी संभारिकी सहायता मुहैया करायी गई।

(ग) निकट के गरीब एवं जरूरतमंद ग्रामीणों को चिकित्सा सहायता मुहैया कराने तथा उनमें स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से 6 अक्तूबर, 2004 को वडाक्कानकुलम गांव में तथा 1 नवंबर, 2004 को पारापड्डी गांव के कनमानियीन कुडलीरूप्पू में चिकित्सा शिविर लगाए गए थे। इन चिकित्सा शिविरों से 850 से ज्यादा ग्रामीणों ने लाभ उठाया।

12.10 **सांप्रदायिक सद्भावना सप्ताह :** सांप्रदायिक सद्भावना को बढ़ावा देने के लिए पश्चिमी नौसेना कमान द्वारा 'राष्ट्रीय एकता' विषय पर वाद-विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।

12.11 **अन्य पहल :** सिविलियनों के साथ अच्छे संबंधों को बढ़ावा देने के लिए नौसेना द्वारा नए कार्य शुरू किया गए हैं जो इस प्रकार हैं:-

(क) विकलांगों को रोजगार।

(ख) चिकित्सा जांच जैसे कार्यक्रम।

(ग) एच आई वी जागरूकता कार्यशालाएं।

(घ) विकलांग बच्चों के लिए स्कूल चलाना तथा अल्प सुविधा प्राप्त बच्चों को दोपहर का भोजन मुहैया कराना।

12.12 **वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण, तूतीकोरिन :** बेस में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए यूनिट के एम आई कक्ष नियमित रूप से चिकित्सा जांच कार्यक्रम चलाता है। इसके अलावा, नजदीक के मंदिरों तक पैदल चलने के कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाता है।

वायुसेना

12.13 **सिविल शासन की सहायता :** 19-22 जुलाई, 2004 के दौरान पूर्वोत्तर के अशांत राज्यों में स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए भारतीय वायुसेना के आई एल-76 तथा ए एन-32 विमानों द्वारा अर्ध सैनिक बलों को तत्काल वहां ले जाया गया। लगभग 1250 टुकड़ियों को हवाई जहाज से पहुंचाया गया।

12.14 **बाढ़ राहत कार्य :** भारतीय वायुसेना ने बिहार, असम और अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ राहत कार्य किया। बिहार, में अभूतपूर्व बाढ़ आई थी तथा भारतीय वायुसेना के हेलिकाप्टरों ने जुलाई, 2004 में 10 से भी ज्यादा हेलिकाप्टरों की मदद से अब तक का सबसे बड़ा राहत कार्य किया। 25 दिनों के बाढ़ राहत कार्य के दौरान हेलिकाप्टरों ने 1100 टन खाद्य सामग्री/दवाइयां ढोते हुए तथा 1400 से भी अधिक लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाकर 1000 घंटे की उड़ानें भरी। इनके अलावा, असम एवं अरुणाचल प्रदेश राज्यों में भी व्यापक राहत कार्य किया गया। इन राहत कार्यों के दौरान कुल 270 घंटे की उड़ान भरते हुए हवाई जहाज से 496.77 टन सामग्री पहुंचाई गई तथा 1934 सिविलियनों को एयरलिफ्ट किया गया। भारतीय वायुसेना के आई एल-76 तथा ए एन-32 ने भारी मात्रा में आपूर्ति, राहत सामग्री तथा सैन्य टुकड़ियों को प्रमुख स्थानों तक पहुंचाया जहां से आगे के कार्य का समन्वय शुरू किया गया।

12.15 **ऑपरेशन सी वेव्ज :** 26 दिसंबर, 2004 को सुनामी ने भारतीय समुद्र में दस्तक दी। भारतीय वायुसेना ने कारनिक हवाई क्षेत्र से एम आई 8 हेलिकाप्टर के जरिए तत्काल खोज एवं राहत मिशन शुरू किया। प्रतिदिन पांच आई एल - 76, पंद्रह ए एन-32, दो एच एस-748 एवं 6 हेलिकाप्टरों ने अंडमान और निकोबार क्षेत्र में राहत कार्यों में भाग लिया। हवाई जहाज से जो चीजें ले जायी गईं, उनमें मुख्य भूभाग से कारनिक एवं पोर्ट ब्लेयर को राहत सामग्री भेजना, अन्तर्महाद्वीपीय शटलों में राहत सामग्री ले जाना तथा कार्मिकों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना तथा खोज एवं राहत कार्य में सहयोग देना शामिल है। कारनिक से राहत कार्य में मदद करने के लिए अतिरिक्त 5 हेलिकाप्टर 4 जनवरी, 2005 को कारनिक पहुंचे। दो एच एस-748 तथा छह हेलिकाप्टरों (एम आई-8 एवं एम आई-17) का इस्तेमाल करते हुए कोलंबों तथा माले क्षेत्र में भी राहत कार्य किए गए। इन हेलिकाप्टरों ने प्रतिदिन राहत कार्य में भाग लिया तथा लगभग 17 टन सामग्री ढोई तथा अपेक्षित कार्मिकों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया। 14 जनवरी, 2005 को प्रभावित क्षेत्रों से कुल 2100.873 टन भार एवं राहत सामग्री ले जायी गई तथा 14415 यात्रियों को हेलिकाप्टरों से प्रभावित क्षेत्रों से सुरक्षित क्षेत्रों में ले जाया गया।

12.16 **हताहतों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना :** उत्तरी तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रों में सैन्य तथा अर्ध-सैन्य बलों के हताहतों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की कार्रवाई की गई। दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में 11 विदेशी पर्यटकों सहित 128 व्यक्तियों को एयरलिफ्ट किया गया।

जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रीय राजमार्ग से घातक बर्फ हटाता सेना का बुलडोजर

12.17 **चुनाव ड्यूटी :** भारतीय वायुसेना को देश में लोक सभा तथा राज्य चुनाव कार्यों में लगाया गया। चुनाव कार्य संपन्न कराने के लिए देश के उत्तरी/पूर्वोत्तर क्षेत्रों के अग्रवर्ती क्षेत्रों तथा संवेदनशील क्षेत्रों में कुल 2429 कार्मिक तथा 3565 टन भार एयरलिफ्ट किया गया। वर्ष 2004 में चुनाव कुशलतापूर्वक संपन्न कराने में इस हवाई प्रयास का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

12.18 **हवाई अनुरक्षण कार्य :** भारतीय वायुसेना ने उत्तरी तथा पूर्वोत्तर सेक्टरों में कठिन तथा दूर-दराज के क्षेत्रों में सेना और अन्य सिविलियन एजेंसियों को संभारिकी सहायता देना जारी रखा। स्थिरपंखीय विमान तथा हेलिकाप्टर - दोनों ही वर्ष भर उड़ान भरते रहे तथा प्रतिवर्ष लगभग 37000 टन भार एयरलिफ्ट किया। भारतीय वायुसेना इन क्षेत्रों में एयर लैंडिंग तथा एयरड्राप कार्यों के जरिए सैन्य टुकड़ियों और अन्य कार्मिकों को जीवन सुरक्षा प्रदान करती है।

12.19 **सशस्त्र बलों और सिविल प्राधिकारियों के बीच सहयोग :** वैमानिकी अनुसंधान केंद्र, सीमा सुरक्षा बल, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन तथा राष्ट्रीय कैडेट कोर सहित विभिन्न त्रिसेना संगठनों को नियमित रूप से प्रशिक्षित जनशक्ति उपलब्ध कराई जाती है। इस समय त्रिसेना संगठनों को अफसर रैंक से नीचे के रैंकों के लगभग 400 कार्मिका उपलब्ध कराए गए हैं। इसी तरह, राष्ट्रीय कैडेट कोर की यूनिटों को 788 कार्मिक उपलब्ध कराए गए हैं।

13

राष्ट्रीय कैडेट कोर

गणतंत्र दिवस परेड के दौरान एनसीसी कैडेट

राष्ट्रीय कैडेट कोर

13.1 राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम 1948 के अन्तर्गत राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना हुई। अपने उद्भव के इसने 56 वर्ष पूरे कर लिए हैं। देश के युवाओं में हर क्षेत्र मे वचनबद्धता, समर्पण भावना, आत्म अनुशासन और नैतिक भावना को उजागर करने के लिए एन सी सी संघर्ष करती है ताकि वे अच्छा नेतृत्व करने वाले और नागरिक बन सकें। एन सी सी का लक्ष्य है ''एकता और अनुशासन'' । प्रशिक्षण की प्रगति और गुणवत्ता की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और सुधार के लिए परिवर्तन किए जाते हैं।

13.2 एन सी सी कुल स्वीकृत नफरी लगभग 13 लाख है। कैडेट नफरी का स्कंध वार वितरण इस प्रकार है:-

(क)	सेना स्कंध	-	9,70,549
(ख)	वायुसेना स्कंध	-	67,000
(ग)	नौसेना स्कंध	-	66,251
(घ)	छात्रा स्कंध	-	1,81,853

देश के लगभग सभी क्षेत्रों, जिनमें 8,029 स्कूल और 4,816 कॉलेज शामिल हैं, में एन सी सी को देखा जा सकता है।

कैडेटों का प्रशिक्षण

13.3 **प्रशिक्षण शिविर :** प्रशिक्षण शिविर, एन सी सी पाठयक्रम का एक महत्त्वपूर्ण भाग है। शिविर, साहचर्य भावना, टीम भावना, मेहनत और आत्मविश्वास को विकसित करने में सहायक होते हैं। ये शिविर कैडेटों में एकता और अनुशासन की भावना को उजागर करते हैं। इस वर्ष आयोजित किए गए शिविर इस प्रकार हैं:-

(क) **वार्षिक प्रशिक्षण शिविर (ए टी सी) :** वार्षिक प्रशिक्षण शिविरों को राज्य निदेशालय स्तर पर आयोजित किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कैडेटों की कुल नफरी का कम से कम 50% जो लगभग 6.5 लाख है, प्रति वर्ष कम से कम एक शिविर में भाग लेते हैं। औसत रूप में एक प्रशिक्षण वर्ष में इस प्रकार के 900 शिविर आयोजित किए जाते है। 01 जुलाई 2004 से शुरू होने वाले इस प्रशिक्षण वर्ष में 2,48,920 कैडेटों ने भाग लिया।

(ख) **राष्ट्रीय एकीकरण शिविर (एन आई सी):** वर्ष 2004-05 के लिए प्रस्तावित 37 राष्ट्रीय एकीकरण शिविरों में से 36 शिविर आयोजित किए गए जिनमें सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से कैडेटों ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित स्थानों पर विशेष राष्ट्रीय एकीकरण शिविर आयोजित किए गए:

(i) **राष्ट्रीय एकीकरण शिविर, लेह:** यह शिविर 01 से 16 जुलाई 2004 तक आयोजित किया गया जिसमें देश के सभी भागों से 180 कैडेटों ने भाग लिया।

(ii) **राष्ट्रीय एकीकरण शिविर, चक्काबामा** : 01 से 12 अक्तूबर 2004 तक पूर्वोत्तर क्षेत्र में चक्काबामा (नागालैंड) में एक विशेष राष्ट्रीय एकीकरण शिविर आयोजित किया गया जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र के 200 कैडेटों और शेष भारत से 600 कैडेटों ने भाग लिया।

(iii) **राष्ट्रीय एकीकरण शिविर, श्रीनगर:** 20 से 31 मई 2004 तक श्रीनगर में एक विशेष राष्ट्रीय एकीकरण शिविर आयोजित किया गया और देश के सभी भागों से कुल 300 कैडेटों ने भाग लिया।

(iv) **राष्ट्रीय एकीकरण शिविर, पोर्ट ब्लेयर :** 02 से 13 मार्च 2005 तक एक विशेष राट्रीय एकीकरण शिविर पोर्ट ब्लेयर (अंडमान एवं निकोबार द्वीप) में आयोजित किया गया जिसमें अन्य निदेशालयों से 80 कैडेटों सहित 130 कैडेटों ने भाग लिया।

(ग) **वायु सैनिक शिविर :** प्रत्येक वर्ष 12 दिन की अवधि के लिए वायुसेना स्कंध वरिष्ठ प्रभाग/वरिष्ठ स्कंध कैडेटों के लिए अखिल भारतीय वायु सैनिक शिविर का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष 04 से 15 अक्तूबर 2004 तक वायुसेना स्टेशन, जल्लाहली (बंगलौर) में यह शिविर आयोजित किया गया था और इसमें 420 वरिष्ठ प्रभाग और 180 वरिष्ठ स्कंध कैडेटों ने भाग लिया।

(घ) **नौसेना शिविर :** यह शिविर भी वर्ष में एक बार 12 दिन के लिए आयोजित किया जाता है। 25 अक्तूबर से 05 नवम्बर तक विशाखापत्तनम में आयोजित किए गए इस शिविर में 400 वरिष्ठ प्रभाग कैडेटों और 160 वरिष्ठ स्कंध कैडेटों ने भाग लिया।

(च) **थल सैनिक शिविर :** प्रति वर्ष गणतंत्र दिवस परेड ग्राउण्ड, दिल्ली में दो थल सैनिक शिविर आयोजित किए जाते हैं - एक वरिष्ठ प्रभाग/कनिष्ठ प्रभाग छात्रों के लिए और दूसरा वरिष्ठ स्कंध/कनिष्ठ स्कंध छात्राओं के लिए। इन शिविरों में 640 छात्र और 640 छात्राएं भाग लेती हैं। इस वर्ष 08 से 19 अक्तूबर 2004 तक ये शिविर आयोजित किए गए।

(छ) **नेतृत्व शिविर :** इन शिविरों को अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित किया जाता है। कुल चार उच्च नेतृत्व शिविर (ए एल सी) होते हैं - वरिष्ठ प्रभाग, कनिष्ठ प्रभाग, वरिष्ठ प्रभाग नौसेना स्कंध छात्र और वरिष्ठ स्कंध छात्रा सभी के लिए एक-एक और तीन बेसिक नेतृत्व शिविर होते हैं यथा वरिष्ठ प्रभाग छात्र, वरिष्ठ स्कंध और कनिष्ठ स्कंध छात्राओं के लिए एक-एक। ये शिविर सितंबर और अक्तूबर 2004 के मास में आयोजित किए जाते हैं जिनमें 2950 छात्र और छात्रा कैडेट भाग लेते हैं।

एनसीसी कैडेट द्वारा अश्व प्रदर्शन

(ज) **पर्वतारोहण (रॉक क्लाइम्बिंग) शिविर :** नवम्बर और दिसम्बर 2004 के दौरान, दो एन सी सी निदेशालय - केरल एवं लक्षद्वीप निदेशालय तथा मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ निदेशालय ने वरिष्ठ/कनिष्ठ प्रभाग छात्र और वरिष्ठ/कनिष्ठ स्कंध छात्राओं के लिए पर्वतारोहण शिविर ओयोजित किए।

(झ) **गणतंत्र दिवस शिविर -2005 :** 01 से 29 जनवरी, 2005 तक दिल्ली में गणतंत्र दिवस शिविर -2005 आयोजित किया गया । मित्र विदेशी देशों, जिनके साथ एन सी सी का युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम होता है, के कैडेटों के अलावा, भारत के सभी क्षेत्रों से 1800 कैडेटों ने इस शिविर में भाग लिया। एक माह के लम्बे शिविर के दौरान अन्तर्निदेशालीय प्रशिक्षण, सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं और राष्ट्रीय एकीकरण जागरूकता प्रस्तुतिकरण का आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्घाटन 08 जनवरी, 2005 को भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा किया गया और 27 जनवरी 2005 को प्रधानमंत्री रैली का आयोजन किया गया। शिविर का समापन, राष्ट्रपति भवन पर चयनित कैडेटों को चाय पर निमंत्रण के साथ हुआ।

13.4 **अटैचमेंट प्रशिक्षण:** एन सी सी कैडेटों को सेना यूनिटों के साथ अटैचमेंट पर विशालता का प्राथमिक अनुभव प्राप्त होता है। इस वर्ष निम्नलिखित अटैचमेंट आयोजित किए गए:

(क) 364 अफसरों और 17,132 कैडटों को नियमित सेना यूनिटों से अटैच किया। इनमें महिला अफसर और

वरिष्ठ स्कंध छात्रा कैडेट भी शामिल हैं।

(ख) जून 2004 में 120 कैडेटों को भारतीय मिलिट्री अकादमी, देहरादून से और सितंबर 2004 के दौरान 48 छात्रा कैडेटों के अफसर प्रशिक्षण अकादमी, चैन्नई से अटैच किया गया। दोनों अटैचमेंट की अवधि दो सप्ताह थी।

(ग) इस वर्ष विभिन्न मिलिट्री अस्पतालों में 1000 छात्रा कैडेटों को अटैच किया गया।

(घ) वायुसेना स्कंध के 38 वरिष्ठ प्रभाग और 12 वरिष्ठ स्कंध कैडेटों को 09 से 21 अक्तूबर 2004 के दौरान वायुसेना अकादमी डुंडीगल (डिंडीगुल) में अटैच किया गया।

(ड.) **नौसेना अटैचमेंट - आई एन एस मांडवी :** 20 दिसम्बर 2004 से 02 जनवरी 2005 तक 12 दिनों की अवधि के लिए नौसेना अकादमी, आई एन एस मांडवी, गोवा में नौसेना स्कंध (वरिष्ठ प्रभाग) कैडेटों के लिए तीसरा अटैचमेंट प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में सभी 16 निदेशालयों के 25 वरिष्ठ प्रभाग कैडेटों ने भाग लिया।

13.5 **ग्लाइडिंग और माइक्रोलाइट फ्लाइंग :** 38 एन सी सी वायु स्क्वॉड्रनों में ग्लाइडिंग सुविधाएं हैं जहाँ पर वर्ष में 18,818 लांच किए जाते हैं। वायुसेना स्कंध के एन सी सी कैडेटों (वरिष्ठ प्रभाग) को उड़ान अनुभव दिलाने के लिए साहसिक गातिविधि के रूप से एनसीसी में माइक्रोलाइट उड़ान का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष कुल 3262 घंटों की माइक्रोलाइट उड़ान का आयोजन किया गया।

13.6 **समुद्री प्रशिक्षण :** नौसेना स्कंध में एन सी सी कैडेटों को, उनके समुद्री प्रशिक्षण और अटैचमेंट के दौरान नौसंचालन-संचार, गनरी, सीमैनशिप, डैमेज कंट्रोल एवं शिप सेफ्टी, प्राथमिक चिकित्सा और पोत का रख-रखाव जैसे नौसेना विषयों मे गहन प्रशिक्षण दिया जाता है। इस वर्ष समुद्री प्रशिक्षण के लिए पूर्वी और पश्चिमी नौसेना कमांड और तटरक्षक पोत में 295 कैडटों को अटैच किया गया ।

13.7 **अफसर प्रशिक्षण अकादमी में स्क्रीनिंग पाठ्यक्रम :** सेना में भर्त्ती हेतु इच्छुक वरिष्ठ प्रभाग कैडेटों के लिए अफसर प्रशिक्षण अकादमी, कामठी में दो सेना चयन बोर्ड स्क्रीनिंग पाठ्यक्रमों का आयोजन किया गया - एक 17 से 26 मई 2004 तक और दूसरा 25 अक्तूबर से 03 नवंबर 2004 तक। सभी राज्य निदेशालयों के 187 वरिष्ठ प्रभाग कैडेटों ने इस पाठ्यक्रम में भाग लिया। वरिष्ठ स्कंध कैडेटों को प्रशिक्षित करने के लिए 19 से 29 जनवरी 2004 तक अफसर प्रशिक्षण अकादमी, ग्वालियर में सेना चयन बोर्ड स्क्रीनिंग पाठ्यक्रम आयोजित किया गया। इस पाठ्यक्रम में सभी राज्य निदेशालयों के 94 वरिष्ठ स्कंध कैडेटों ने भाग लिया।

13.8 **विदेशी क्रूज़ :** निम्नलिखित विदेशी क्रूज़ आयोजित किए गए :-

(क) तटरक्षक क्रूज़ : नौसेना वरिष्ठ प्रभाग के पाँच कैडेट 12 दिसंबर 2004 से 19 दिसंबर 2004 तक कोलंबो (श्रीलंका) की यात्रा पर गए।

(ख) **नौसेना क्रूज़ :** नौसेना वरिष्ठ प्रभाग के दस कैडेटों तथा एक नौसेना स्थायी अनुदेशक स्टाफ ने 12 सितंबर से 14 अक्तूबर 2004 तक कोच्चि से पोर्ट विक्टोरिया, मोम्बासा माले तथा वापसी यात्रा क्रूज़ में भाग लिया।

13.9 **साहसिक प्रशिक्षण**

(क) **पर्वतारोहण पाठयक्रम :** प्रतिवर्ष एन सी सी द्वारा नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, उत्तरकाशी, हिमालय पर्वतारोहण संस्थान, दार्जिलिंग तथा पर्वतारोहण तथा सम्बद्ध खेल निदेशालय, मनाली में विभिन्न पाठयक्रमों में भाग लेने हेतु सभी एन सी सी निदेशालयों से छात्र तथा छात्रा कैडेटों को नामित किया जाता है। वर्ष 2004-2005 के लिए इन पाठ्यक्रमों के लिए 320 कैडेटों को नामित किया गया।

(ख) **पर्वतारोहण अभियान :** प्रतिवर्ष एन सी सी द्वारा वरिष्ठ प्रभाग कैडेटों तथा वरिष्ठ स्कंध छात्रा कैडेटों के लिए दो पर्वतारोहण अभियान आयोजित किए जाते हैं। वर्ष 1970 से लेकर अब तक एन सी सी द्वारा कुल 54 पर्वतारोहण अभियानों का आयोजन किया गया है जिनमें से 29 अभियान छात्रों के लिए थे और 25 अभियान छात्राओं के लिए आयोजित किए गए थे। इस वर्ष छात्रों ने भागीरथी शिखर II (6510 मीटर) पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की और सितंबर/अक्तूबर, 2004 में छात्राओं ने मनाली शिखर (5640 मीटर) पर चढ़ाई की।

(ग) **साईकिल तथा मोटर साईकिल अभियान:** वर्तमान वर्ष में गुजरात निदेशालय द्वारा 26 सितंबर से 12 अक्तूबर 2004 तक सियाचिन बेस कैम्प तक एक मोटरसाईकिल रैली का आयोजन किया गया । 16 दिसंबर 2004 को पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम निदेशालय के तत्वावधान में एक मोटर साईकिल रैली का आयोजन किया गया जो देश के कोने-कोने में घूमे और जिसका उद्देश्य देश भर में एड्स संबंधी जागरूकता का प्रसार करना था।

(घ) **ट्रेकिंग अभियान :** वर्ष 2004-2005 के दौरान कुल 10 ट्रेकिंग अभियान आयोजित किए गए जिनमें 10,000 कैडेटों ने भाग लिया।

(ड.) **पैरा सेलिंग :** एन सी सी छात्र तथा छात्रा कैडेटों के लिए साहसिक गतिविधि के रूप मे प्रत्येक ग्रुप पर पैरासेलिंग का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष के दौरान 10,904 कैडेटों को इस गतिविधि में प्रशिक्षित किया गया। अभी तक कुल 76,868 कैडेटों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

(च) **पैराबेसिक पाठयक्रम :** इस वर्ष के दौरान सेना आर्मी एयरबोर्न ट्रेनिंग स्कूल, आगरा में एन सी सी के 19 छात्र व 18 छात्रा कैडेटों को प्रशिक्षित किया गया।

(छ) **स्लिदरिंग प्रदर्शन :** जनवरी 2005 में प्रधानमंत्री रैली के दौरान वरिष्ठ प्रभाग के 10 तथा वरिष्ठ स्कंध के 10 कैडेटों ने स्लिदरिंग प्रदर्शन में भाग लिया।

(ज) **सेलिंग अभियान :** इस वर्ष के दौरान निम्नलिखित प्रमुख व्हेलर सेलिंग अभियान आयोजित किए गए:-

क्र. सं.	निदेशालय	कहाँ से	कहाँ तक	दूरी (कि.मी.में)	दिनांक	कैडेट की संख्या
1.	बिहार	पटना	राजमहल	418	5-16 अक्तूबर 2004	20 व.प्र. +10 व.स्कं.
2.	दिल्ली	यमुना नदी		756	20 सितं 01 अक्तू 04	18 व.प्र. तथा7 व.स्कं.
3.	गुजरात	तिलकवाड़ा	भद्बूत	405	20-30 अक्तू 04	56 व.प्र.
4.	कर्नाटक	कारवाड़	मालपे	405	15-31 दिस. 2004	21 व.प्र. तथा13 व.स्कं.
5.	महाराष्ट्र	वाई	कत्थापुर	467	16-30 अगस्त 2004	33 व.प्र. तथा12 व.स्कं.
6.	पश्चिम बंगाल	फ़रक्का	कोलकाता	430	17 मई-5 जून 2004	52 व.प्र.
7.	तमिलनाडु	पांडिचेरी	कोड्ईकनाल	436	26 जुलाई -6 अगस्त 2004	30 व.प्र. तथा 5 व.स्कं.
8.	उड़ीसा	कामालाध	कुजांग	435	26 अक्तू -6 नवं. 2004	40 व.प्र. तथा20 व.स्कं.
9.	मध्य प्रदेश	धुआधार	होशंगाबाद	410	28 सितं -4 अक्तू 2004	40 व.प्र.
10.	उत्तर प्रदेश	कानपुर	इलाहाबाद	360	1-10 फ़रवरी 2004	40 व.प्र.
11.	जम्मू कश्मीर	गोविंदसागर झील		434	28 सितं 9अक्तू 04	11 व.प्र. +22 व.स्कं.
12.	पंजाब	गोविंदसागर झील		420	1 से 12 सिंत. 2004	12 व.प्र.
		गोविंदसागर झील		479	8-20 सिंत 2004	40 व.प्र. तथा व.स्कं.
			कुल			**413 व.प्र. +89 व.स्कं.**

(व.प्र. : वरिष्ठ प्रभाग छात्र कैडेट; व.स्कं. : वरिष्ठ स्कंध छात्रा कैडेट)

(ज) **मरुस्थल ऊँट सफ़ारी :** 19 नवम्बर से 30 नवम्बर 2004 तक एक मरुस्थल ऊँट सफ़ारी का आयोजन किया गया जिसमें एन सी सी कैडेटों के साथ-साथ सिंगापुर से आए विदेशी कैडेटों ने भी भाग लिया।

(झ) **व्हाइट वाटर राफ़्टिंग :** रायवाला (हरिद्वार) में व्हाइट वॉटर राफ़्टिंग नोड स्थापित किया गया है। एन सी सी द्वारा पंजाब, पश्चिम बंगाल तथा गुजरात में तीन अन्य व्हाइट वाटर राफ़्टिंग नोड स्थापित करने की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है।

युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम

13.10 **युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम (वाई ई पी) :** वाई ई पी के एक भाग के रूप में निम्नलिखित दौरे आयोजित किए गए:-

(क) 29 मई से 12 जून, 2004 तक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कैडेट आदान प्रदान कार्यक्रम में भाग लेने के लिए एक अफ़सर तथा छह कैडेटों (नौसेना स्कंध) का सिंगापुर दौरा।

(ख) 29 मई से 12 जून, 2004 तक अंतर्राष्ट्रीय वायु कैडेट आदान-प्रदान कार्यक्रम में भाग लेने के लिए एक अफ़सर तथा चार कैडेटों (वायुसेना स्कंध) का सिंगापुर दौरा।

(ग) 20 जुलाई से 04 अगस्त, 2004 तक एक अफ़सर तथा बारह कैडेटों का यूनाइटेड किंगडम दौरा।

(घ) 16 सिंतबर से 26 सितंबर, 2004 तक दो अफ़सरों तथा दस कैडेटों का रूस दौरा।

(च) 15 अक्तूबर से 22 अक्तूबर, 2004 तक एक अफ़सर तथा छह कैडेटों का श्रीलंका दौरा।

(छ) 03 दिसम्बर से 11 दिसम्बर, 2004 तक दो अफ़सरों तथा आठ कैडेटों का सिंगापुर दौरा।

(ज) 05 दिसम्बर से 14 दिसम्बर, 2004 तक दो अफ़सरों तथा तेरह कैडेटों का वियतनाम दौरा।

13.11 **वाई ई पी दौरा आगमन :** इस वर्ष के दौरान विदेशी दलों द्वारा निम्नलिखित वाई ई पी आगमन दौरे आयोजित किए गए:-

(क) 25 अक्तूबर से 05 नवम्बर, 2004 तक विशाखापत्तनम में नौसैनिक शिवर में भाग लेने के लिए सिंगापुर से एक अफ़सर तथा आठ कैडेटों का दौरा।

(ख) 19 नवम्बर से 30 नवम्बर, 2004 तक जैसलमेर (राजस्थान) में मरूस्थल सफ़ारी में भाग लेने के लिए सिंगापुर से दो अफ़सरों तथा दस कैडेटों का दौरा।

(ग) आर डी सी 2005 के दौरान आठ देशों से बारह अफ़सरों तथा बानवे कैडेटों का दौरा।

(घ) 20 से 27 जनवरी, 2005 तक एन सी सी निदेशालय उड़ीसा के तत्वावधान में आयोजित किए गए अखिल भारतीय याचिंग रिगेट्टा में भाग लेने के लिए बांग्लादेश एन सी सी से एक अफ़सर तथा छह कैडेटों को दौरा।

समाज सेवा तथा सामुदायिक विकास

13.12 कैडेटों में समुदाय के प्रति नि:स्वार्थ सेवा भाव, परिश्रम का महत्व, आत्मनिर्भरता, पर्यावरण की सुरक्षा तथा समाज के कमज़ोर वर्गों के उत्थान जैसी भावनाओं का संचार करने के उद्देश्य से एन सी सी में सामुदायिक विकास गतिविधियों पर बल दिया जाता है। एन सी सी कैडेट निम्नलिखित सामुदायिक विकास गतिविधियों में भाग लेते है:-

(क) **वृक्षारोपण :** एन सी सी कैडेट पौधारोपण करते हैं तथा राज्य विभाग/ कॉलेजों/स्कूलों तथा संबंधित गाँवों के सहयोग से उनकी देखभाल करते हैं। इस वर्ष एन सी सी दिवस समारोह के ही एक भाग के रूप में सभी एन सी सी यूनिटों में प्रत्येक कैडेट द्वारा एक पौधा लगाया गया और इस प्रकार कुल मिलाकर 13 लाख पौधे लगाए गए।

(ख) **रक्तदान :** जब भी अस्पतालों/रेड क्रॉस में आवश्यकता होती है, कैडेट स्वैच्छिक आधार पर रक्तदान करते हैं। एन सी सी दिवस समारोह के दौरान एन सी सी कैडेटों ने 4 लाख यूनिट रक्त दान किया।

एनसीसी कैडेटों द्वारा एड्स के प्रति जागरूकता रैली

(ग) **वृद्धाश्रम :** एन सी सी कैडेट देश में वृद्धाश्रमों का संयोजन तथा वहाँ नियमित रूप से दौरा करते हैं।

(घ) **प्रौढ़ शिक्षा:** एन सी सी कैडेट दूरस्थ क्षेत्रों, गाँवों तथा अर्द्धविकसित क्षेत्रों में जाकर शिक्षा के महत्त्व तथा आवश्यकता संबंधी जागरूकता फैलाते हैं तथा प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के संयोजन में सहायता करते हैं।

(ड.) **सामुदायिक कार्यक्रम :** एन सी सी कैडेट ग्रामीण तथा शहरी सामुदायिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं तथा गाँवों में सड़कें बनाने और कुँओं की सफ़ाई जैसे कार्यों में भी सहयोग प्रदान करते हैं।

(च) **आपदा राहत कार्य :** एन सी सी ने प्राकृतिक तथा अन्य आपदाओं एवं दुर्घटनाओं के समय हमेशा सहायता प्रदान की है। पिछले कई वर्षों से बाढ़, भूकंप, चक्रवात, रेल दुर्घटना इत्यादि के समय अपनी अनुपम सेवा प्रदान की है तथा दंगा ग्रस्त क्षेत्रों में मानवीय संवेदनाओं की रक्षा की है। दिसम्बर 2004 तथा जनवरी 2005 के दौरान सूनामी राहत ऑपरेशन में एन सी सी कैडेटों ने अपनी अतुलनीय सेवा प्रदान की।

(छ) **कुष्ठ निवारण अभियान :** एन सी सी कैडेटों ने देश भर में कुष्ठ निवारण अभियान की शुरूआत की है तथा वे कई स्वयंसेवी संस्थाओं की सहायता कर रहे हैं।

(ज) **एड्स जागरूकता कार्यक्रम :** रा.कै. कोर एड्स जागरूकता कार्यक्रम में भी उत्साहपूर्वक भाग लेता है। यू एन ए आई डी एस तथा सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा महानिदेशालय के संयोजन में रा.कै.को. देश भर में एड्स जागरूकता कार्यक्रम चला रहा है। हाल ही में एन सी सी द्वारा एक

मोटरसाईकिल रैली का आयोजन किया गया जिसमें पश्चिम बंगाल व सिक्किम निदेशालय के कैडेटों ने भाग लेकर देश भर में एड्स के प्रति जागरूकता का प्रसार किया।

(ट) **कैंसर जागरूकता कार्यक्रम :** एन सी सी कैडेटों ने विभिन्न शहरों में आयोजित कैंसर जागरूकता कार्यक्रमों में अत्यंत उत्साहपूर्वक भाग लिया। एन सी सी ने एक गैर सरकारी संगठन कैंसर केयर इंडिया के साथ मिलकर देश भर में कैंसर जागरूकता कार्यक्रम की शुरूआत की है। अभी तक ऐसे 13 कैंसर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। दिनांक 07 नवंबर 2004 को बड़े पैमान पर कैंसर जागरूकता दिवस का आयोजन किया गया।

राष्ट्रीय स्तर पर गतिविधियाँ

13.13 एन सी सी कैडेटों ने राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित निम्नलिखित गतिविधियों में भी भाग लिया:-

(क) **जवाहरलाल नेहरू हॉकी टूर्नामेंट :** जवाहरलाल नेहरू हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन 07 अक्तूबर से 13 नवम्बर, 2004 तक नई दिल्ली में किया गया। एन सी सी से दो जूनियर (छात्र), एक जूनियर(छात्रा) तथा एक सब जूनियर(छात्र) सहित चार टीमों ने इस टूर्नामेंट में भाग लिया।

(ख) **सुब्रोतो कप फुटबॉल टूर्नामेंट:** रा. कै. को. पिछले 26 वर्षों से इस टूर्नामेंट में भाग लेता आ रहा है। 01 से 30 सितम्बर, 2004 तक नई दिल्ली में आयोजित इस टूर्नामेंट में कर्नाटक तथा गोवा निदेशालय तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र निदेशालय से एक-एक टीम ने भाग लिया।

(ग) **अखिल भारतीय जी वी मावलंकर शूटिंग चैम्पियनशिप :** 14वें अखिल भारतीय जी वी मावलंकर शूटिंग चैम्पियनशिप का आयोजन 05 से 15 सितम्बर, 2004 तक कोयम्बटूर में किया था। इस प्रतियोगिता में 32 एन सी सी कैडेटों (16 छात्र और 16 छात्रा) ने भाग लिया। इस वर्ष एन सी सी कैडेटों ने इस चैम्पियनशिप में 5 स्वर्ण, 5 रजत और 5 कांस्य पदक जीते।

(घ) **राष्ट्रीय शूटिंग चैम्पियनशिप प्रतियोगिताएं (एन एस सी सी) :** 48वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैम्पियनशिप प्रतियोगिताएं (एन एस सी सी) का आयोजन 5 अक्तूबर से 15 अक्तूबर, 2004 तक इंदौर में किया गया था। इस प्रतियोगिता में एन सी सी के 13 कैडेटों ने भाग लिया। कैडेटों का प्रदर्शन प्रशंसनीय रहा और इन्होंने इस चैम्पियनशिप प्रतियोगिता में एक स्वर्ण और एक कांस्य पदक जीता। दो कैडेटों का चयन हैदराबाद में होने वाले चयन परीक्षण (ट्रायल) I एवं II में भाग लेने के लिए हुआ।

(च) **अखिल भारतीय एन सी सी यॉचिंग रिगेट्टा-2005 :** अखिल भारतीय एन सी सी यॉचिंग रिगेट्टा का आयोजन 20 जनवरी -2005 से

27 जनवरी 2005 तक भारतीय नौसेना पोत चिलका में किया गया। प्रतियोगिता में एन सी सी निदेशालय के 48 वरिष्ठ प्रभाग और 48 वरिष्ठ स्कंध के कैडेटों ने भाग लिया। इसके अलावा इसमें बंगलादेश के 6 कैडेटों ने भी भाग लिया।

(छ) **राष्ट्रीय टीम सेलिंग चैम्पियनशिप :** भारतीय यॉचिंग संगठन (वाई ए आई) द्वारा संचालित इस प्रतियोगिता में एन सी सी निदेशालय, महाराष्ट्र की टीम ने इस राष्ट्रीय टीम सेलिंग चैम्पियनशिप 2004 में भाग लिया। इस चैम्पियनशीप का आयोजन भारतीय नौसेना वाटरमेनशिप प्रशिक्षण केन्द्र (आई एन डब्ल्यु टी सी) मुम्बई में 01 दिसम्बर से 05 दिसम्बर 2004 तक किया गया था।

(झ) **घुड़सावरी प्रतियोगिता :** एन सी सी ने अप्रैल 23 से 24 अप्रैल 2004 तक लुधियाना में आयोजित पंजाब हॉर्स शो 2004 में भाग लिया और दो स्वर्ण और दो रजत पदक जीते। पंजाब निदेशालय के एन सी सी टीम ने चंडीमंदिर में आयोजित शिवालिक हॉर्स शो 2004 में भी भाग लिया।

योजना अनुभाग

13.14 इस वर्ष के दौरान निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण गतिविधियाँ भी सम्पन्न हुई:-

(क) **मिश्रित बटालियन अवधारणा का निर्माण :** छात्रा कैडेटों की भर्ती बढ़ाने के उद्देश्य से मिश्रित बटालियन अवधारणा बनाए गए ताकि तीन वर्ष के अन्तराल में कुल नफरी में छात्रा कैडेटों की नफरी को 13% से 30% तक बढ़ाई जा सके। वर्तमान प्रशिक्षण वर्ष में छात्रा नफरी में 1,64,524 से 1,18,853 तक की बढ़ोतरी हुई।

(ख) **मानव शक्ति और अन्य संसाधनों का अतिरिक्त प्राधिकरण:** 1976 में एन सी सी की कुल 11 लाख की नफरी से वर्तमान 13 तक बढ़ी हुई नफरी को देखते हुए अतिरिक्त मानव शक्ति और अन्य संसाधनों की जरूरतों को आकलन करने के लिए, एन सी सी महानिदेशालय के अपर महानिदेशक (बी) की अध्यक्षता में एक जाँच अध्ययन ग्रुप बनाया गया है जो बढ़ी हुई कैडेट नफरी के आधार पर बढ़ी हुई जरूरतों के बारे में समेकित मामला प्रस्तुत करेगा।

(ग) **दूरस्थ क्षेत्रों में वायु तथा नौसैनिक प्रशिक्षण गतिविधियों को प्रोत्साहन:** दूरस्थ क्षेत्रों में युवाओं को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से उत्तरांचल राज्य में पंतनगर में एक वायु स्क्वाड्रन तथा गढ़वाल क्षेत्र में लैंसडाऊन में एक नौसैनिक यूनिट स्थापित करने का प्रयास जारी है।

(घ) **इच्छुक स्कूलों तथा कॉलेजों में एन सी सी प्रशिक्षण प्रदान करता :** प्रयास किए जा रहे हैं कि जो स्कूल तथा कॉलेज एन सी सी, प्रशिक्षण

प्रदान करने के इच्छुक हैं वहाँ इस गतिविधि को आरंभ किया जाए तथा जिन स्कूलों तथा कॉलेजों में एन सी सी गतिविधियां अपेक्षित स्तर पर आयोजित नहीं की जा रहीं वहाँ इसे समाप्त कर दिया जाए।

परिभारिकी निदेशालय

13.15 **एन सी सी में राफ़्टिंग उपकरणों की खरीद :** व्हाइट वाटर राफ़्टिंग के लिए राफ़्टिंग, सुरक्षा, कमांड एवं कंट्रोल उपकरणों के दो सेट खरीदे गए हैं।

13.16 **एन सी सी ग्रुप मुख्यालयों के लिए जनरेटर सेट प्राधिकृत करना :** प्रत्येक एन सी सी ग्रुप मुख्यालय को सहायक सामग्री सहित दो-दो जनरेटर सेट उपलब्ध करवाए गए हैं।

13.17 **कम्पूटर तथा सहायक सामग्री खरीदना:** यूनिट स्तर तक एन सी सी स्थापनाओं को मॉडम, इंकजेट प्रिंटर तथा एम एस ऑफ़िस प्रोफ़ेशनल सहित तीन सौ उन्नीस कम्प्यूटर अधिप्राप्त करके आबंटित किए गए हैं।

14

विदेशों के साथ रक्षा संबंध

प्रधान मंत्री और रक्षा मंत्री उजबेकिस्तान के राष्ट्रपति और रक्षा मंत्री के साथ रक्षा सहयोग संबंधी समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर करते हुए

विदेशों के साथ रक्षा संबंध

14.1 मित्र देशों के साथ गहन सुरक्षा-वार्ता तथा रक्षा सहयोग को मजबूती प्रदान करना हमारा महत्वपूर्ण ध्येय रहा है तथा यह समग्र रक्षा तथा विदेश नीतियों का एक अंग है। वैश्विक सुरक्षा, राजनैतिक तथा सामरिक परिवेश में हाल ही के वर्षों में आए बड़े परिवर्तनों से इन्हें सुदृढ़ बनाया गया है। नए और संघातिक किस्म के अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष प्राथमिक खतरे के रूप में उभरने से राष्ट्रों के बीच सुरक्षा धारणाओं में बड़ा अभिसरण हुआ है तथा इससे देशों के बढ़ते हुए समूह के साथ गहन सुरक्षा तथा रक्षा से संबद्ध संपर्क, आदान-प्रदान तथा सहयोग उद्यत हुआ है। जन-संहार के लिए इस्तेमाल किए जा सकने वाले हथियार तथा प्राद्योगिकी के लीकेज तथा विस्तार के बारे में चिंताओं तथा यातायात, यात्रा और समुद्री मार्गों की सुरक्षा के खतरों के कारण भी देश नजदीक आए हैं तथा अपनी पारस्परिक सुरक्षा हेतु सहयोग कर रहे हैं।

14.2 भारत ने भी इस परिदृश्य की प्रतिक्रिया स्वरूप अनेक देशों के साथ रक्षा संबंधों की व्यापक वेब का विकास किया है। इसने उच्चस्तरीय रक्षा से संबद्ध यात्राओं तथा सुरक्षा चुनौतियों पर वार्ता, बंदरगाह पड़ाव आदि तथा प्रशिक्षण के आदान-प्रदान, संयुक्त अभ्यास, विभिन्न स्तरों पर बैठक, संगोष्ठी, स्रोत, विकास, रक्षा उपस्करों का उत्पादन और विपणन तथा अन्य प्रकार के सहयोग के तौर पर रक्षा सहयोग के रूप में बढ़ी हुई रक्षा कूटनीति का रूप ले लिया है।

14.3 कई रक्षा मंत्रियों ने भारत के दौरे किए। मार्च, 2004 से, चीन के रक्षा मंत्री (मार्च, 2004) मालदीव के रक्षा तथा राष्ट्रीय सुरक्षा राज्य मंत्री श्री अब्दुल सत्तार अनबारी (अगस्त, 2004), यू॰ के॰ के रक्षा राज्य मंत्री श्री ज्योफ हून (अक्तूबर, 2004), रूस के रक्षा मंत्री श्री सर्गेइ बी॰ इवानोव (नवंबर-दिसंबर, 2004), स्विटरजरलैंड के रक्षा मंत्री श्री सेमुअल शिमड (नवंबर-दिसंबर, 2004), अमेरिका के रक्षा राज्य मंत्री श्री डोनाल्ड रम्सफील्ड (दिसंबर, 2004), ताजिकिस्तान के रक्षा मंत्री श्री एस॰ खैरूलोइव (जनवरी, 2005), घाना के रक्षा मंत्री (फरवरी, 2005), वियतनाम के रक्षा मंत्री (मार्च, 2005) ने द्विपक्षीय दौरों के रूप में भारत का दौरा किया। बाहर देशों के दौरों में नवंबर, 2004 में रक्षा मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी का पोलैंड दौरा शामिल है। मंत्री श्री रम्सफील्ड के दौरे के बाद अमेरिका की राज्य मंत्री डा॰ कोंडेलीजा राइस ने मार्च, 2005 में भारत का दौरा किया। इन दौरों के दौरान राष्ट्रपति श्री जार्ज बुश के दूसरे कार्यकाल में उनकी वैश्विक प्राथमिकताओं तथा रक्षा सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर चर्चा की गई।

14.4 श्रीलंका के प्रधानमंत्री (जुलाई, 2004) तथा राष्ट्रपति (नवंबर, 2004), म्यांमार राज्य शांति तथा विकास परिषद के अध्यक्ष, सीनियर जनरल थान श्वे (अक्तूबर, 2004), रूस के राष्ट्रपति श्री ब्लदिमार पुतिन (दिसंबर, 2004) स्लोवाक गणराज्य के राष्ट्रपति डा॰ इवान गास्पारोविक (दिसंबर, 2004), भूटान के राजा श्री जिग्मे सिंघ्ये वांगचुक (जनवरी, 2005) तथा अफगानिस्तान के राष्ट्रपति श्री हामिद करजाई (फरवरी, 2005) के राजकीय दौरों में विचार-विमर्श में रक्षा संबंध तथा सहयोग भी शामिल थे।

14.5 भारत ने वर्षों से अनेक देशों से रक्षा सचिव स्तर पर मजबूत संस्थागत सुरक्षा वार्ता तथा रक्षा परामर्श तंत्र विकसित किया है। अप्रैल, 2004 तक बैठक करने वालों में, भारत में जापान के प्रशासनिक उप मंत्री श्री ताकेमासा मोरिया की अध्यक्षता में भारत-जापान रक्षा वार्ता (मई, 2004) नई दिल्ली में यू॰ के॰ के स्थायी रक्षा अंडर सेक्रेटरी सर केविन तेब्बीत की अध्यक्षता में भारत-यू॰ के॰ रक्षा परामर्शदात्री समूह की आठवीं बैठक (27-28 अप्रैल, 2004), संयुक्त राज्य अमेरिका के नीति संबंधी रक्षा अंडर सेक्रेटरी श्री डगलस फीथ की अध्यक्षता में भारत-संयुक्त राज्य अमेरिका नीति समूह की बैठक (1-3 जून, 2004) पेरिस में फ्रांसीसी रक्षा मंत्री के निजी प्रतिनिधि जे॰ एम॰ थिबाल्ट की अध्यक्षता में रक्षा सहयोग संबंधी 7 वें भारत-फ्रांस उच्चायोग की बैठक (नवंबर, 2004), तथा तेल अवीव में इजरायल के रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक की अध्यक्षता में रक्षा संबंधी भारत-इजरायल संयुक्त कार्यकारी दल की तीसरी बैठक (दिसंबर, 2004) शामिल है।

14.6 रक्षा सहयोग क्षेत्र में अन्य उच्चस्तरीय वार्ताओं और यात्राओं में पूर्व रक्षा सचिव श्री अजय प्रसाद की जर्मनी और रोमानिया (अप्रैल, 2004) तथा 'शंगरीला' वार्ता सामरिक अध्ययन के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थान की सिंगापुर की यात्राएं (जून, 2004) तथा जर्मनी के रक्षा राज्य मंत्री डा॰ पीटर आइकेनबूम की यात्रा (दिसंबर, 2004) शामिल हैं।

14.7 रक्षा/जनरल/संयुक्त स्टाफ के प्रमुखों/अथवा सेनाओं के स्तर की यात्राएं हमारे सेना से सेना संबंधों का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं जिससे व्यावसायिक वार्ता और आदान-प्रदान के ढांचे को विस्तार होता है तथा आपसी समझ में वृद्धि होती है। आस्ट्रेलिया के रक्षा बलों के प्रमुख श्री पीटर कोसग्रोव ने अगस्त-सितंबर, 2004 में भारत का दौरा किया। भारत के तत्कालीन नौसेनाध्यक्ष एवं सेनाध्यक्षों की समिति के अध्यक्ष एडमिरल माधवेन्द्र सिंह ने मई, 2004 में तुर्की का दौरा किया। एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख एडमिरल रमण पुरी ने अक्तूबर, 2004 में संयुक्त राज्य अमेरिका का दौरा किया। सेनाध्यक्षों के स्तर पर की गई यात्रओं में, मेजर जनरल एन वाई चुंग, रक्षा सेना प्रमुख, सिंगापुर (अप्रैल, 2004), वाइस एडमिरल क्रिस रिची, नौसेनाध्यक्ष, आस्ट्रेलिया; लेफ्टि. जनरल अहमद बिन हरिथ नाज़र-अल नमानी, सुलतान सशस्त्र सेनाध्यक्ष, ओमान; रियर एडमिरल अब्बास मोहताज,

ईरान नौसेना के कमांडर (मई 2004); लेफ्टि. जनरल एल.एम.फिशर, कमांडर, बोत्स्वाना सशस्त्र सेना (अगस्त 2004); एडमिरल दातो श्री मोहम्मद अनवर बिना एच जे मोहम्मद नूर, रॉयल मलेशियाई नौसेनाध्यक्ष; रियर एडमिरल रोनी टे, सिंगापुर नौसेनाध्यक्ष (सितम्बर, 2004); रियर एडमिरल शाह इकबाद मुजतबा, नौसेनाध्यक्ष, बंगलादेश; मेजर जनरल लिम किम चून, सिंगापुर वायुसेनाध्यक्ष (अक्तूबर, 2004); मेजर जनरल खालिद बिन अब्दुला मुबारक अल बिनैयन, कमांडर, वायुसेना और वायु रक्षा यूएई; लेफ्टि. जनरल पीटर एफ लीही, ऑस्ट्रेलियाई सेनाध्यक्ष; जनरल प्यार जंग थापा, सेनाध्यक्ष रॉयल नेपाल सेना (नवंबर, 2004); जनवरी, 2005 में जापनी तटरक्षक कमांडेंट, हिरोकी इशिकावा; और फरवरी, 2005 में लेफ्टि. जनरल एन सी ग्रेगसन, कमांडर यूएस समुद्री सेना पेसिफिक, यूएसए और मेजर जनरल मोहम्मद बेनस्लीमनी, वायुसेनाध्यक्ष अल्जीरिया की यात्राएं शामिल हैं।

14.8 भारत से सेनाध्यक्ष ने अगस्त, 2004 में ऑस्ट्रेलिया, नवंबर 2004 में श्रीलंका और मालदीव तथा दिसंबर 2004 में चीन की यात्रा की। वायुसेनाध्यक्ष ने अप्रैल, 2004 में फ्रांस, जून-जुलाई 2004 में यू. के., जुलाई 2004 में जापान, सितंबर, 2004 में इस्रायल और नवंबर 2004 में म्यांमार की यात्रा की। नौसेनाध्यक्ष ने सितंबर 2004 में श्रीलंका, अक्तूबर, 2004 में यूके, जनवरी, 2005 में इटली, फरवरी 2005 में सेशेल्स और मार्च 2005 में यूएस की यात्रा की।

14.9 विदेशों के साथ हमारे बढ़ रहे रक्षा सहयोग के संबंध में मित्र देशों की सशस्त्र सेनाओं के साथ संयुक्त अभ्यास जैसी गतिविधियां इस वर्ष का एक उल्लेखनीय पहलू हैं। ये अभ्यास यात्रा और जटिलताओं की दृष्टि से बढ़ रहे हैं। इस वर्ष के दौरान यूएस, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, फांस और अन्य देशों के साथ संयुक्त वायु सेना अभ्यास किए गए। भारत और यूएस ने पांच संयुक्त अभ्यास किए जिनमें 15-31 जुलाई, 2004 तक अलास्का में (दोनों वायुसेनाओं में) एक्स 'को-ऑपरेटिव कोप थंडर; 12-31 जुलाई 2004 तक हवाई में एक्स 'युद्ध अभ्यास' और 5-15 सितंबर 2004 तक लेह में एक्स 'बेलेंस इरोकोइस'/एक्स 'वज्र प्रहार' (सेनाओं के बीच); और 5-10 अक्तूबर, 2004 तक एक्स 'मलाबार तथा अक्तूबर 2004 में एक्स फ्लेश इरोकोइस' (नौसेनाओं के बीच) शामिल हैं। 15-30 जुलाई, 2004 तक अलास्का में बहु-राष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास 'को-ऑपरेटिव थंडर-2004' में नौ देशों ने भाग लिया। भारतीय वायुसेना के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने भारत से बाहर बहु-राष्ट्रीय अभ्यास में भाग लिया।

14.10 सिंगापुर गणराज्य की वायुसेना और भारतीय वायुसेना ने 11-26 अक्तूबर, 2004 तक वायुसेना स्टेशन, ग्वालियर में द्विपक्षीय आकाशीय वायु युद्धक प्रशिक्षण अभ्यास 'अंकुश/सिंडेक्स-04' में भाग लिया। दक्षिण अफ्रीकी वायुसेना के साथ वायु रक्षा अभ्यास 'गोल्डन ईगल' में भाग लेने के लिए भारतीय वायुसेना की सैन्य टुकड़ी हिंद महा सागर के

पार गई। भारतीय वायुसेना ने दक्षिण अफीका में ठहरने के दौरान, अफ्रीकी वायु अंतरिक्ष रक्षा प्रदर्शनी में भी भाग लिया जिसमें मिराज 2000 के दो विमानों ने फार्मेशन हवाई करतब दिखाए। फ्रांसीसी वायुसेना हवाई करतब दल 'पेट्रौइले-डी-फ्रांस' के साथ सूर्य किरण हरवाई करतब दल ने हिंडन एयर बेस में 7 नवंबर, 2004 को हवाई करतब दिखाए। सेना ने मार्च, 2005 में भारत में देवलाली और बबीना में सिंगापुर सेना के साथ आर्टिलरी तथा आर्मर्ड अभ्यास किए। इन अभ्यासों से सहभागी देशों की दक्षता और उपस्करों की परख करने, दोनों देशों के अनुभवों से सीखने और व्यावसायिक संबंधों का विकास करने में मदद मिली।

14.11 भारतीय नौसेना ने यूएसए, फ्रांस, सिंगापुर ओमान और यूके के साथ संयुक्त अभ्यासों को संस्थागत बनाया है और इंडोनेशिया के साथ संयुक्त गश्त शुरू की है। नौसेना अभ्यासों में बढ़ती विविधता और जटिलता को अपनाया गया है। भारत-अमरीकी नौसेना के वार्षिक संयुक्त अभ्यास 'मलाबार-सीवाई-04' 1-10 अक्तूबर 2004 तक भारत के पश्चिमी समुद्री तट के निकट आयोजित किए गए। यूएस की ओर से इस अभ्यास में यूएसएस कौपेन्स, यूएसएस गैरी, यूएसएस अलेक्जेहरिया और एक पी 3 सी ओरियन ने भाग लिया। भारत की ओर से आईएनएस मैसूर, आई एन एस ब्रह्मपुत्र और आई एन एस शंकुल ने भाग लिया। भारत के गणपति पुले में 8-24 अक्तूबर 2004 तक दो सप्ताह तक नौसेना विशेष बल अभ्यास - संगम - 2004 आयोजित किया गया। 7-14 अप्रैल 2004 तक भारत फ्रांसीसी वार्षिक अभ्यास 'वरूण 04' आयोजित किया गया। विमान वाहक 'चार्ल्स डी गौले' जल-स्थलीय पोतों और फ्रिगेटों सहित फ्रांसीसी कैरियर बैटल ग्रुप ने भाग लिया। वरूण-05 का आयोजन मार्च 2005 में किया गया जो बारूदी सुरंग रोधी उपायों पर कंद्रित था। ग्यारहवीं आई एन-सिंगापुर नौसेना वार्षिक अभ्यास 7-19 मार्च 2004 तक कोच्चि के निकट किया गया। 12वां अभ्यास मार्च 2005 में दक्षिणी चीन के समुद्र में किया गया। प्रथम द्विपक्षीय संयुक्त अभ्यास, रॉयल यूके नौसेना के साथ 17-19 अप्रैल 2004 तक चेन्नई के निकट किया गया जिसका कूटनाम कोकन-04 था। एचएमएस एक्सेटर और आएफए ग्रे रोवर ने बुनियादी स्तर के अभ्यास में भाग लिया। भारत-ओमान संयुक्त अभ्यास थामर-अल-थायिब' 20-22 फरवरी 2005 तक ओमान के निकट किया गया आईएनएस कारवार ने 21 अप्रैल - 7 मई 2004 तक सिंगापुर के निकट दूसरी पश्चिमी पेसिफिक बारूदी सुरंग रोधी उपाय अभ्यास में भाग लिया। एक गोताखोर दल ने भी गोताखोरी अभ्यास में भाग लिया जो साथ-साथ किया गया था।

14.12 नौसेना सद्भावना दौरे रक्षा कूटनीति का एक परम्परागत साधन हैं। इस अवधि के दौरान सद्भावना दौरों के संबंध में भारतीय नौसेना की प्रमुख समुद्री तैनातियों में अक्तूबर 2004 तक पुसान (कोरिया गणराज्य) के लिए तीन, भारतीय नौसेना पोत और आबुधाबी के लिए 19-23 सितम्बर 2004 तक आईएनएस मुम्बई, आईएनएस आदित्य,

आईएनएस तलवार और आईएनएस प्रलय की यात्रा शामिल है। साथ ही, डिबोटी के साथ हमारे सहयोग कार्यक्रम के अंग के रूप में, भारतीय नौसेना पोत, भा नौ पो दूनागिरि ने मई, 2004 में डिबोटी का दौरा किया। अन्य नौसेना पोतों ने फारस की खाड़ी और दक्षिण चीन के बंदरगाहों का दौरा किया।

14.13 नौसेना ने साझेदार नौसेनाओं के साथ कुछ संक्रियात्मक, प्रशिक्षण और संयुक्त सुरक्षा कार्यकलाप भी सम्पन्न किए। 'इडिन्डोकोरपैट' नामक चौथी भारत इंडोनेशियाई समन्वित गश्त 1-30 सितंबर, 2004 तक आयोजित की गई। भारत की ओर से भारतीय नौसेना पोत तरासा और तारमुगली ने भाग लिया। मापुटो में 'वर्ल्ड इक्नोमिक फोरम सम्मिट' और 'अफ्रीका - कैरीबियन पेसिंफिक हैड्स ऑफ स्टेट सम्मिट' के दौरान समुद्री सुरक्षा मुहैया करने के लिए भारतीय नौसेना पोत सुजाता और सावित्री 2 से 27 जून, 2004 तक मापूटो, मोजाम्बिक में तैनात किए गए। तैनाती की अवधि में मोजाम्बिक के 100 से भी अधिक नौसेना कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया।

14.14 भारतीय नौसेना का नौचालन प्रशिक्षण पोत, भा नौ पो तरंगिणी जो 23 जनवरी, 2003 को कोच्चि से नौपरिसंचालन यात्रा के लिए रवाना हुआ, 25 अप्रैल, 2004 को वापस कोच्चि आया। इस यात्रा के दौरान, यह पोत 18 देशों के 37 बंदरगाहों पर गया और इसने 34,923 समुद्री मील की दूरी तय की। इस यात्रा के विभिन्न चरणों में 19 विदेशों अफसर इस पोत पर आए।

14.15 26 दिसंबर, 2004 के सुनामी के पश्चात सहायता के लिए किए गए अनुरोधों के प्रति भारतीय सशस्त्र बलों के प्रत्युत्तर से विपत्ति काल में उनकी भूमिका उजागर हुई। भारतीय नौसेना, वायुसेना तटरक्षक और सेना ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयास, जिसमें श्रीलंका, मालदीव और इंडोनेशिया शामिल थे, के रूप में 20,000 सैनिक, 40 युद्धपोत और 32 वायुयान (हेलिकॉप्टरों सहित) तैनात किए। केवल अंतर्राष्ट्रीय प्रयास के लिए, वायुसेना ने 500 टन राहत सामग्री और 1750 कार्मिक विमान द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाए, नौसेना ने समुद्र के रास्ते 735 टन सामान पहुंचाया और 1063 उड़ानें भरी, और सशस्त्र बलों ने समग्र रूप से लगभग 15,000 लोगों को चिकित्सा सहायता मुहैया की। श्रीलंका से अनुरोध प्राप्त होने पर भारतीय वायुसेना के हेलिकॉप्टर कुछ ही घंटों के भीतर श्रीलंका के लिए रवाना हो गए और राहत सामग्री से लैस एक भारतीय नौसेना पोत चार घंटे के भीतर कोच्चि के लिए रवाना हो गया। इस प्रयास के लिए संभारिकी का मार्ग अधिकांश मामलों में हजारों मील तक फैला था। भारतीय सशस्त्र बल इस संकट के प्रत्युत्तर में रफ्तार, अधिक जन-शक्ति वाले कार्य, विशेषीकृत दक्षता और मानवीय दृष्टिकोण प्रदर्शित करने में समर्थ हुए, जिसमें खोज और बचाव, निकासी, भोजन और जल, शेल्टर, चिकित्सा, गोताखोरी और निस्तारण कार्रवाइयों सहित राहत आपूर्ति, बंदरगाहों की निकासी, मरम्मत, सेवाओं की बहाली और बैली पुल बनाने सहित पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्रवाइयां शामिल थीं।

15

समारोह, अकादमिक तथा साहसिक क्रियाकलाप

रक्षा मंत्रालय कार्यालय, साउथ ब्लॉक का जगमगाता दृश्य

समारोह, अकादमिक तथा साहसिक क्रियाकलाप

15.1 रक्षा मंत्रालय स्वायत्त संस्थानों को नियमित रूप से आर्थिक सहायता देकर अकादमिक तथा साहसिक दोनों प्रकार के कार्यकलापों को प्रोत्साहन देता है। ये संस्थाएं हैं:

(i) रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान, नई दिल्ली;

(ii) दार्जिलिंग और उत्तरकाशी के पर्वतारोहण संस्थान; और

(iii) अरू, कश्मीर में जवाहर पर्वतारोहण एवं शीत क्रीड़ा संस्थान।

15.2 समीक्षाधीन अवधि के दौरान इन संस्थानों के महत्वपूर्ण कार्यकलाप आगे के अनुच्छेदों में उल्लिखित किए जा रहे हैं।

रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान

15.3 रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान की स्थापना राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित समस्याओं और रक्षा उपायों के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों पर पड़ने वाले प्रभाव के अध्ययन एवं अनुसंधान कार्य के लिए नवंबर, 1965 में की गई थी। पिछले वर्षों में इस संस्थान ने राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों पर नीति से संबंधित आधिकारिक अध्ययन करवाकर एक प्रमुख अनुसंधान संस्था के रूप में विकास किया है।यह संस्थान समय-समय पर यथा संशोधित सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम-1860 (पंजाब संशोधन अधिनियम 1957) के अंतर्गत एक पंजीकृत निकाय है तथा संस्थान के सदस्यों द्वारा चुनी गई एक कार्यकारी परिषद द्वारा संचालित किया जाता है। यह संस्थान राष्ट्रीय सुरक्षा की समस्याओं में रूचि रखने वाले राजनैतिक नेताओं, शोध अध्येताओं, मीडिया, जनता तथा सैन्य अफसरों और अन्य के लिए खुला है।

15.4 अनुसंधान संकाय: इस संस्थान में 50 से भी अधिक अध्येताओं का एक सुअर्ह्य और बहु-विषयक अनुसंधान संकाय है। ये अध्येता अकादमियों, रक्षा सेनाओं, अर्द्ध सैनिक संगठनों और सिविल सेवाओं से लिए गए हैं। इस समय 2003-04 फेलोशिप कार्यक्रमों के तहत 16 अनुसंधानकर्ता हैं। जो व्यक्तिगत अनुसंधान परियोजनाओं में लगे हुए हैं। उनके सामूहिक प्रयासों से हमारे वर्तमान और भावी सुरक्षा परिवेश को प्रभावित करने वाले विभिन्न क्षेत्रों, देशों और मुद्दों का एक मुकम्मल और भारत-केंद्रित आकलन सुनिश्चित होता है। यह संस्था विदेशी अध्येताओं को उनके अनुसंधान के लिए भी सुविधाएं देती है। अध्येताओं के अनुसंधान कार्य की गुणवत्ता को समृद्ध बनाने के लिए रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान ने विश्वभर के ऐसे ही संस्थानों के साथ द्विपक्षीय संबंध बनाए हुए हैं।

15.5 **कार्यकलाप :** इस संस्था ने 27-29 जनवरी 2005 तक ''पूर्वी एशिया में तेजी से बदल रही सुरक्षा'' पर सातवां एशियाई सुरक्षा सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन में भारी संख्या में स्कॉलर, राजनयिक और विभिन्न देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले सरकारी सदस्यों ने भाग लिया। छह सत्रों में 28 कागजात प्रस्तुत किए गए। समीक्षाधीन वर्ष में पठ्यक्रमों में ''9-11 पुनः यात्रा'', ''इराक में सामयिक विकास'' और ''परमाणु अप्रसार संधि पुनरीक्षा सम्मेलन'' जैसे विशिष्ट मुद्दों पर भी सम्मेलन किए गए थे। इस संस्थान ने आने वाली स्कॉलरों, राजनयिकों और विदेशी शिष्ट मंडलों/दलों के साथ 50 से भी अधिक गोल मेज चर्चाएं कीं।

15.6 **द्विपक्षीय और बहुपक्षीय विचार-विमर्श:** संस्थान के बंगलादेश इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज (बंगलादेश), काउंसिल फार सिक्योरिटी को-आपरेशन इन द एशिया पेसिफिक, इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल एंड स्ट्रेटजिक रिलेशंस (फ्रांस), इंस्टीटयूट ऑफ पोलिटिकल एंड इंटरनेशनल स्टडीज (ईरान), बेगिन सादात सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज (इस्राइल) जापान इंस्टीटयूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स एंड नेशनल इंस्टीटयूट ऑफ डिफेंस स्टडीज, जापान, कजाखिस्तान इंस्टीटयूट फॉर स्ट्रटेजिक स्टडीज (कजाखिस्तान), साउथ अफ्रीका इंस्टीटयूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज (दक्षिण अफ्रीका), इमिरेट्स सैंटर फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज एंड रिसर्च (संयुक्त राज्य अमीरात), और इंस्टीटयूट फॉर नेशनल स्ट्रेटेजिक स्टडीज (संयुक्त राज्य अमेरिका) के साथ द्विपक्षीय संबंध हैं और इसने इनके साथ बहुपक्षीय विचार-विमर्श किए हैं।

15.7 **शोध अभिमुखीकरण :** संकाय की शोध सामग्री मुख्यतया संस्थान के जर्नल 'सामरिक विश्लेषण' में अथवा प्रबंधों और पुस्तकों के रूप में प्रकाशित की जाती है। शोधकर्ता अक्सर अपने पेपर विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में प्रस्तुत करते हैं और विदेशी जर्नलों एवं प्रकाशनों में लेखों व अध्यायों का योगदान भी करते हैं। इसके अलावा, भारतीय रक्षा अध्ययन संस्थान, 'स्ट्रटेजिक डाइजेस्ट' भी प्रकाशित करता है जिसमें नाभिकीय और निरस्त्रीकरण मुद्दों, सैन्य सिद्धांतों, शस्त्र हस्तांतरण और प्रौद्योगिकी विकास पर खुले स्रोतों से प्राप्त सूचना का मासिक संकलन होता है। भारत के कई विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के रक्षा विभागों और अनेक संस्थानों द्वारा उपयोगी पाया गया है।

15.8 **प्रशिक्षण कार्यक्रम :** यह संस्थान भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा, सशस्त्र सेनाओं और अर्द्ध-सैनिक बलों से लिए गए सरकारी अफसरों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी लगा हुआ है। इस वर्ष के दौरान भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए आई डी एस ए द्वारा एक पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया। राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज और विदेश सेवा संस्थान सहित देश-भर की विभिन्न प्रशिक्षण स्थापनाओं और विश्वविद्यालयों में आई डी एस ए के संकाय सदस्यों को भी अतिथि वक्ताओं के रूप में आमंत्रित किया गया।

15.9 यह संस्थान अपने सूचना संसाधन, जिसका राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा रणनीति के विषयों पर बड़ा सूचना संसाधन आधार है, का निरंतर स्तरोन्नयन कर रहा है। इस संस्था में 50,000 से भी अधिक पुस्तकों और बहुत से डाटाबेस सीडी रोम का संकलन है। इसके अलावा मुद्रित रूप में और इलैक्ट्रॉनिक/ऑन लाइन रूपांतरों में 300 से भी अधिक सामयिक जर्नल्स प्राप्त हुए हैं। पूर्वोत्तक तिमाही जर्नल 'सामरिक विश्लेषण' और मासिक संकलन 'स्ट्रेटजिक डाइजेस्ट' के अलावा, भारतीय रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान 'करंट जर्नल कंटेट्स' नाम का बुलेटिन भी प्रकाशित करता है जिसमें पुस्तकालय में प्राप्त लगभग 140 प्रमुख जर्नलों की विषय-वस्तु की सूची दी जाती हैं। इस संस्थान की एक वेबसाइट (address httpèkwww.idsa-india.org) भी है। नए कार्यकलापों के साथ ही मौजूदा कार्यकलापों की प्रगति इस साइट पर सूचित की जाती है।

पर्वतारोहण संस्थान

15.10 रक्षा मंत्रालय संबंधित राज्य सरकारों के साथ मिलकर तीन पर्वतारोहण संस्थान-पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग स्थित हिमालय पर्वतारोहण संस्थान, उत्तरांचल में उत्तरकाशी स्थित नेहरू पर्वतारोहण संस्थान तथा जम्मू-कश्मीर में अरू स्थित जवाहर पर्वतारोहण संस्थान एवं शीत क्रीड़ा संस्थान (इस समय जम्मू-कश्मीर में पहलगाम में अवस्थित) चलाता है। संस्थान पर होने वाले व्यय को सम्मत फंडिंग पैटर्न के अनुसार केन्द्रीय और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाता है। ये संस्थान निजी पंजीकृत सोसाइटियों के रूप में चलाए जाते हैं और इन्हें स्वायत्त निकायों का दर्जा दिया गया है। रक्षा मंत्री इन संस्थान के अध्यक्ष होते हैं। संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री संस्थानों के उपाध्यक्ष होते हैं। इन संस्थानों का प्रशासन पृथक कार्यकारी परिषदों द्वारा चलाया जाता है जिनमें आम सभा द्वारा चुने गए सदस्य, दान-दाताओं और/या संस्थान के उद्देश्य को बढ़ावा देने वाले व्यक्तियों में से नामित सदस्य तथा केन्द्र व राज्य सरकारों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। रक्षा मंत्रालय और राज्य सरकार के एक-एक प्रतिनिधि इन संस्थानों के सचिव के रूप में कार्य करते हैं।

15.11 हिमालय पर्वतारोहण संस्थान, दार्जिलिंग की स्थापना नवंबर, 1954 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा सर एडमंड हिलेरी के साथ तेंजिंग नोर्गे के 29 मई, 1953 को माउंट एवरेस्ट के एतिहासिक आरोहण की स्मृति में गई थी। इस संस्थान की स्थापना से भारत में एक खेल के रूप में पर्वतारोहण को बढ़ावा मिला। पर्वतारोहण को और अधिक बढ़ावा देने और युवाओं में साहसिक भावना उत्पन्न करने के लिए अक्तूबर, 1965 में उत्तरकाशी में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान और अक्तूबर, 1983 में अरू, जम्मू-कश्मीर में जवाहर लाल पर्वतारोहण व शीतक्रीड़ा संस्थान की स्थापना की गई थी। घाटी में फैली अशांति के कारण, विद्यार्थी प्रशिक्षण के लिए अरू नहीं आना चाहते थे। तदनुसार, इस संस्थान को अगस्त, 1990 से अस्थायी रूप से जम्मू की ओर अवस्थित बनिहाल के बटोट में स्थानान्तरित करने का निर्णय लिया गया था। तथापि, कानून और व्यवस्था की स्थिति के

बारे में कुछ प्रतिकूल रिपोर्टों को ध्यान में रखते हुए, इस संस्थान द्वारा आयोजित नियमित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को अप्रैल, 1996 से अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। यह संस्थान इस समय तदर्थ आधार पर कुछ पाठ्यक्रम आयोजित कर रहा है। इस संस्थान का मुख्यालय अक्तूबर, 2003 से अब पहलगाम में स्थानांतरित कर दिया गया है।

15.12 इन पर्वतारोहण संस्थानों के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है:- (क) पर्वतारोहण तथा चट्टानों पर चढ़ने की तकनीकों के विषय में सैद्धांतिक और व्यावहारिक प्रशिक्षण देना; (ख) पर्वतों तथा अन्वेषण में रूचि के प्रति प्रेम उत्पन्न करना; और (ग) शीत-क्रीड़ाओं के प्रति प्रोत्साहित करना तथा उनका प्रशिक्षण देना।

15.13 ये पर्वतारोहण संस्थान आधारभूत और उन्नत पर्वतारोहण पाठ्यक्रम, अनुदेश पद्धति पाठ्यक्रम, खोज व बचाव पाठ्यक्रम और साहसिक क्रियाकलाप संबंधी पाठ्यक्रम आयोजित करते हैं। सभी संस्थानों में विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमों के पाठ्य विवरण, उनकी अवधि, सहभागियों की आयु सीमा और ग्रेडिंग पद्धति एक जैसी हैं। जिस समय संस्थानों में प्रशिक्षणार्थियों की संख्या कम होती है उस समय संस्थान देश में फैले पर्वतारोहण क्लबों/संगठनों के अनुरोध पर, चट्टानों पर चढ़ाई करने संबंधी पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिए अपने अनुदेशकों को वहां भेजते हैं। अनुदेशक विभिन्न अभियानों में भी भाग लेते हैं।

15.14 इन पाठ्यक्रमों के लिए देश के सभी भागों से प्रशिक्षणार्थी आत हैं। इनमें सेना, वायुसेना, नौसेना, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस और सीमा सुरक्षा बल के कार्मिक, राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेट और प्राइवेट विद्यार्थी शामिल होते हैं। इन पाठ्यक्रमों में विदेशियों को भी शामिल होने की अनुमति दी जाती है। इस वर्ष मार्च 2004 तक इन संस्थानों ने निम्नलिखित पाठ्यक्रम आयोजित किए हैं।

पाठयक्रम	हिमालय पर्वतारोहण संस्थान	नेहरू पर्वतारोहण संस्थान
आधार-भूत	06	05
उन्नत	03	03
साहसिक	05	05
अनुदेश पद्धति	01	01
खोज व बचाव	-	01

15.15 इन पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित छात्रों की संख्या इस प्रकार है:-

पाठयक्रम	पुरूष	महिलाएं
आधार-भूत	463	129
उन्नत	100	38
साहसिक	309	94
अनुदेश पद्धति	31	05
खोज व बचाव	18	02

15.16 हिमालय पर्वतारोहण संस्थान ने 23 विशेष साहसिक और चार रॉक क्लाइम्बिंग पाठ्यक्रम भी आयोजित किए जिनमें 1339 पुरूषों और 129 महिलाओं को इस अवधि के दौरान प्रशिक्षण दिया गया। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान ने विभिन्न संगठनों के लिए 14 विशेष पाठ्यक्रम भी आयोजित किए, जिनमें 435 पुरूषों और 179 महिलाओं को वर्ष के दौरान प्रशिक्षण दिया गया। जवाहर पर्वतारोहण संस्थान ने इस

अवधि के दौरान आयोजित किए गए विभिन्न तदर्थ प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में कुल 604 पुरूषों और महिलाओं को प्रशिक्षित किया किया है।

15.17 दार्जिलिंग और उत्तरकाशी स्थित संस्थानों के पास भारतीय पर्वतारोहण अभियानों को नाममात्र के भाड़े पर देने के लिए पर्वतारोहण उपस्करों में पृथक भंडार है। एच एम आई दार्जलिंग में म्जूजियम परियोजना का निर्माण पूरा हो चुका है। अंतराष्ट्रीय स्तर की कृत्रिम चढ़ाई दीवार एन आई एम कैंम्पस में पूरी की गई थी तथा प्रथम अंतरराष्ट्रीय क्रीड़ा चढ़ाई प्रतियोगिता- 'एशिया कप' का इस नई सुविधा में इंडिया मांउटेनियरिंग फांउडेशन के तत्वावधान में 19 से 21 नवंबर, 2004 तक आयोजन किया गया जिसमें 11 एशियन देशों ने भाग लिया।

समारोह, सम्मान व पुरस्कार

15.18 रक्षा मंत्रालय, गणतंत्र दिवस परेड, समापन समारोह, शहीद दिवस और स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय समारोहों के आयोजन के लिए उत्तरदायी है। वीरता तथा विशिष्ट सेवा पुरस्कार प्रदान किए जाने के लिए राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोहों का आयोजन भी रक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रपति सचिवालय के साथ मिलकर किया जाता है। इन समारोहों के आयोजन में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों तथा बड़ी संख्या में अन्य एजेंसियों के मध्य व्यापक गतिविधियों के समन्वय की अपेक्षा होती है। वर्ष 2004-2005 के दौरान आयोजित समारोह संबंधी आयोजनों का ब्यौरा आगामी पैराओं में दिया गया है।

अलंकरण समारोह, 2004

15.19 रक्षा अलंकरण समारोह, 2004 का 5 जुलाई तथा 8 जुलाई, 2004 को राष्ट्रपति भवन में आयोजन किया गया था जहाँ पर स्वतंत्रता दिवस 2003 तथा गणतंत्र दिवस - 2004 को घोषित वीरता पुरस्कार तथा विशिष्ट सेवा एवार्ड राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कार विजेताओं को प्रदान किए गए:-

वीरता पुरस्कार

शौर्य चक्र बार	01	(1 मरणोपरांत)
शौर्य चक्र	67	(32 मरणोपरांत)
कीर्ति चक्र	09	(7 मरणोपरांत)

विशिष्ट सेवा पुरस्कार

परम विशिष्ट सेवा मेडल	29
अति विशिष्ट सेवा मेडल-बार	03
अति विशिष्ट सेवा मेडल	48
उत्तम युद्ध सेवा मेडल	05

15.20 विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, नौसेना मेडल, वायुसेना मेडल तथा इन मेडलों के बार, संबंधित सेनाध्यक्षों तथा सीनियर कमांडरों द्वारा अलग-अलग अलंकरण समारोहों में दिए गए थे।

स्वतंत्रता दिवस समारोह, 2004

15.21 स्वतंत्रता दिवस समारोह का शुभारम्भ, 15 अगस्त, 2004 को प्रातः काल लाल किले पर स्कूली द्वारा विभिन्न भारतीय भाषाओं में भक्ति गीत गाने के साथ हुआ था। इसके बाद तीनों सेनाओं तथा दिल्ली

गणतंत्र दिवस परेड के दौरान जवान

पुलिस ने प्रधानमंत्री को गारद सम्मान दिया। तत्पश्चात्, प्रधानमंत्री ने सर्विस बैंड द्वारा बजाए गए राष्ट्रीय गान के साथ ही लाल किले की प्राचीर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। राष्ट्र को संबोधित करने के बाद प्रधानमंत्री को 21 तोपों की सलामी दी गई। समारोह का समापन दिल्ली के स्कूलों से आए बच्चों और एन सी सी कैडेटों द्वारा राष्ट्रीय गान गाने तथा गुब्बारे छोड़ने के साथ हुआ। लाल किले पर होने वाले कार्यक्रमों के बाद राष्ट्रपति ने उन जवानों की याद में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति पर फूल माला चढ़ाई जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए थे।

15.22 गणतंत्र दिवस, 2004 को निम्नलिखित वीरता पुरस्कार घोषित किए :-

पुरस्कार	कुल	मरणोपरांत
कीर्ति चक्र	03	02
शौर्य चक्र	33	22
सेना मेडल-बार (वीरता)	03	-
सेना मेडल (वीरता)	200	45
वायुसेना मेडल (वीरता)	04	-

अमर जवान समारोह, 2005

15.23 प्रधानमंत्री ने प्रात:काल 26 जनवरी, 2005 को इंडिया गेट के नीचे अमर जवान ज्योति स्मारक पर पुष्प-माला चढ़ाई और उन जवानों की याद में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए दो मिनट का मौन रखा जिन्होंने देश की आजादी की रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर किए थे।

गणतंत्र दिवस परेड, 2005

15.24 राजपथ पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ ही गणतंत्र दिवस समारोह का शानदार शुभारम्भ हुआ। राष्ट्रपति के अंगरक्षकों ने सर्विस बैंडों द्वारा बजाए गए राष्ट्रीय गान और 21 तोपों की सलामी के बाद राष्ट्रीय सलामी दी । इस अवसर पर भूटान के नरेश महामहिम जिग्मे सिंग्ये वांचुक मुख्य अतिथि थे।

15.25 61 कैवलरी की सैन्य-टुकड़ियां, टी-90 टैंक, विमानवाहित तोपों, तंगुष्का शस्त्र प्रणाली, पृथ्वी तथा अग्नि । व ।। जैसी प्रक्षेपास्त्र प्रणालियों, हाइड्रेमा डी माइनिंग वाहनों, एमआई-25 आक्रमण हेलीकाप्टर सहित मैकेनाइज्ड टुकडियों के मार्च करते दस्ते और सर्विस बैंड, अर्द्ध सैन्य बलों, दिल्ली पुलिस, रिजर्व पुलिस बल और एन सी सी ने इस परेड में भाग लिया। रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन के उपस्कर सहित दस्ते में कमान पोस्ट सहित ब्रह्मोस ओटोनोमस लाँचर, पिनाका लाँचर आदि शामिल थे। हाथियों पर वीरता पुरस्कार विजेता बच्चे, झांकियां और सांस्कृतिक कार्यक्रम परेड के अन्य आकर्षण थे। झांकियों और बच्चों के कार्यक्रमों से देश की सांस्कृतिक विविधता प्रदर्शित की गई। परेड का समापन भारतीय वायुसेना के विमानों द्वारा फ्लाई पास्ट के बाद सेना सेवा कोर के जांबाज़ो द्वारा मोटर साइकिल पर साहसिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने के साथ हुआ।

15.26 गणतंत्र दिवस के अवसर पर निम्नलिखित वीरता तथा विशिष्ट सेवा पुरस्कार घोषित किए गए:-

उपुर्यक्त के अलावा, डिस्पेच में उल्लेख के 49 पुरस्कार भी गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए गए।

मानवरहित विमान खोजी एम के-*II* का प्रदर्शन

पुरस्कार	कुल	मरणोपरांत
कीर्ति चक्र	02	01
शौर्य चक्र	08	04
सेना मेडल/नौसेना मेडल-बार वायुसेना मेडल (वीरता)	02	–
सेना मेडल/नौसेना मेडल/वायुसेना मेडल (वीरता)	112	26
परम विशिष्ट सेवा मेडल	28	–
उत्तम युद्ध सेवा मेडल	03	–
अति विशिष्ट सेवा मेडल –बार	01	–
अति विशिष्ट सेवा मेडल	49	–
युद्ध सेवा मेडल	15	–
विशिष्ट सेवा मेडल –बार	05	–
विशिष्ट सेवा मेडल	115	–
सेना मेडल – बार (वीरता)	01	–
सेना मेडल/नौसेना मेडल/ वायुसेना मेडल (कर्त्तव्यपराणता)	60	01

समापन समारोह, 2005

15.27 समापन समारोह, सदियो पुरानी सैन्य परम्परा की याद दिलाती है जब सूर्यास्त पर सैनिक युद्ध से वापस लौटते थे। समापन समारोह गणतंत्र दिवस परेड समारोह में भाग लेने के लिए दिल्ली में इकट्ठा हुए सैनिकों के प्रस्थान का द्योतक है। इस वर्ष समारोह का आयोजन 29 जनवरी, 2005 को विजय चौक पर किया गया था। इसी के साथ गणतंत्र दिवस उत्सव का समापन हो गया। इस समारोह में तीनों सेनाओं के बैंड शामिल हुए। समारोह समाप्त होने के साथ ही राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक और संसद भवन जगमगा उठा।

शहीद दिवस समारोह, 2005

15.28 30 जनवरी, 2005 को, राष्ट्रपति ने राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर फूल माला चढ़ाई । उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के कुछ मंत्रियों ने भी पुष्पांजतल अर्पित की । इसके बाद राष्ट्रपिता के सम्मान में अपराह्न 11 बजे दो मिनट का मौन रख कर उन्हें याद किया गया।

राजभाषा प्रभाग

15.29 रक्षा मंत्रालय, अपने अधीनस्थ कार्यालयों, रक्षा उपक्रमों आदि में भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन करने की जिम्मेदारी रक्षा मंत्रालय के राजभाषा प्रभाग की है। तिमाही प्रगति रिपोर्टों, राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की तिमाही बैठकों, हिंदी सलाहकार समितियों और अधीनस्थ कार्यालयों के निरीक्षण के माध्यम से सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग के बारे में आदेशों/ अनुदेशों के कार्यान्वयन की मानीटरी की जाती है। इस प्रभाग के अन्य मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं

(i) मंत्रालय के विभिन्न कार्यालयों/ अनुभागों से प्राप्त सामग्री का अनुवाद करना;

(ii) गृह मंत्रालय की हिंदी शिक्षण योजना के माध्यम से स्टाफ को हिंदी, हिंदी आशुलिपि और हिंदी टंकण का प्रशिक्षण देना; और

(iii) हिंदी कार्यशालाओं, सेमिनारों आदि का आयोजन करके सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग का प्रचार-प्रसार करना तथा उसे बढ़ाना और विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं के माध्यम से स्टाफ सदस्यों को प्रोत्साहित करना।

15.30 **वार्षिक कार्यक्रम :** राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2004-05 के लिए बनाए गए वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सतत प्रयास किए गए। हिंदी पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्यों, राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के प्रावधानों और राजभाषा नियम के नियम 5 के अनुपालन, अधिक से अधिक सरकारी कामकाज करने के लिए विभिन्न प्रोत्साहन योजनाएं चलाने, रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों/ स्टाफ को हिंदी आशुलिपि तथा हिन्दी टाइपिंग में प्रशिक्षण देने पर मुख्य रूप से जोर था। इस संबंध में हुई प्रगति की नियमित आधार पर तिमाही बैठकों में समीक्षा की गई। सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को और अधिक बढ़ाने तथा इसके कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित विभिन्न उपायों से संबंधित संघ की राजभाषा नीति के बारे में रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों/स्टाफ के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए:-

(i) नियमित आधार पर हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन करना। इन कार्यशालाओं का उद्देश्य अधिकारियों को उनके सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग के लिए प्रेरित करना था। इस प्रयोजनार्थ सहभागियों को उनसे संबंधित विषयों में अभ्यास कराया गया और उन्हें राजभाषा अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के बारे मे भी जानकारी दी गई ताकि वे हिंदी में अधिक आत्मविश्वास के साथ कार्य कर सकें।

(ii) रक्षा मंत्रालय में दो विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समितियों, नामत: पहली रक्षा विभाग और रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग और दूसरी रक्षा उत्पादन विभाग की तिमाही बैठकें आयोजित करना।

(iii) तीनों सेनाओं, अंतर सेवा संगठनों, रक्षा उपक्रमों आदि के विभिन्न मुख्यालयों/अधीनस्थ कार्यालयों का संयुक्त राजभाषायी निरीक्षण करना है। वर्ष के आरम्भ में, इस प्रयोजन के लिए बनाए गए समयबद्ध कार्यक्रम के अधीन 01 जनवरी, 2005 तक 36 कार्यालयों का निरीक्षण कर लिया गया है। वित्तीय वर्ष के शेष भाग के दौरान और भी निरीक्षण किए जाएंगे। रक्ष मंत्रालय के विभिन्न अनुभागों का राजभाषायी निरीक्षण भी पिछले वर्ष की भांति जारी रहा।

(iv) राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जब भी कोई बैठक/विशेष बैठक आयोजित की जाती है, उसमें भाग

लेना तथा उसमें लिए गए निर्णयों को कार्यान्वित करना।

(v) राजभाषा विभाग द्वारा जारी महत्त्वपूर्ण आदेशों, अनुदेशों आदि को सभी संबंधितों की जानकारी में लाना।

15.31 **अनुवाद कार्य :** प्रभाग पूरे वर्ष अनुवाद कार्य में व्यस्त रहा है। हिंदी से अंग्रजी तथा अंग्रजी से हिंदी अनुवाद सामग्री में, सामान्य आदेश, अधिसूचनाएं, संकल्प, प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्टें, संसद प्रश्न, आदि शामिल हैं। इसके अलावा, वर्ष के दौरान लोक लेखा समिति की बैठकें, संसद के पटल पर रखे जाने वाले दस्तावेज, वी.आई.पी. संदर्भ, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और अलंकरण समारोह से संबंधित सामग्री का हिंदी में अनुवाद किया गया।

15.32 **हिंदी प्रशिक्षण :** स्टाफ को हिंदी आशुलिपि और हिंदी टाइपिंग का प्रशिक्षण देने के निर्धारित लक्ष्य के मद्देनजर इन कक्षाओं में अधिकतम पदधारियों को नामित करने का प्रयास किया गया। विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठकों में इसकी स्थिति/प्रगति की समीक्षा की गई।

15.33 **हिंदी सलाहकार समिति :** दो हिंदी सलाहकार समितियां, पहली रक्षा विभाग तथा रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग और दूसरी रक्षा उत्पादन विभाग की हिंदी सलाहकार समिति के गठन के लिए कदम उठाए गए। उनके पुनर्गठन संबंधी कार्य लगभग अंतिम चरण में हैं। इसके बाद राजभाषा विभाग, मंत्रालय के अनुदेशों के अनुसार उनकी बैठकें आयोजित की जाएंगी।

15.34 हिंदी पुस्तक लेखन योजना : विभिन्न रक्षा विषयों पर मौलिक रूप से हिंदी में पुस्तक लिखने को प्रोत्साहित करने के लिए एक विशेष योजना, पिछले कई वर्षों से लोकप्रिय रही है। इस वर्ष इस स्कीम की समीक्षा की गई और एक नई, अधिक आकर्षक योजना अब आरम्भ करने के लिए तैयार है। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न नकद पुरस्कारों की राशि बढ़ा दी गई है । 15,000/- रु., 10,000/- रु. तथा 7,000/- रु. की प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कारों की वर्तमान राशि को बढ़ाकर क्रमशः 50,000/- रु., 30,000/- रु. और 20,000/- रु. कर दिया गया है। यह योजना देश के सभी नागरिकों के लिए खुली है और रक्षा विषयों पर मौलिक रूप से हिंदी में लिखी गई अधिक और उपयोगी पुस्तकें प्राप्त होंगी। संशोधन के बाद, यह योजना भारत सरकार के अनेक अन्य मंत्रालयों/विभागों द्वारा वर्तमान में चलाई जा रही कई अन्य योजनाओं की तुलना में निश्चित रूप से काफी अधिक आकर्षक है। उपर्युक्त योजना, इस मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही अन्य प्रोत्साहन योजनाओं के अलावा है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ

रक्षा विभाग के अधीन तीनों सेना मुख्यालयों, अन्तर सेवा संगठनों, रक्षा उपक्रमों, आयुध निर्माणी बोर्ड, सीडीए के किसी कार्यालय/संगठन/यूनिट द्वारा प्रकाशित हिंदी की उत्कृष्ट गृह पत्रिका के लिए नकद पुरस्कार योजना शामिल है।

15.35 **मानीटरी :** रक्षा मंत्रालय सचिवालय, तीनों सेना मुख्यालयों, अंतर सेवा संगठनों, रक्षा उपक्रमों में हिंदी के प्रगामी प्रयोग के बारे में समग्र मानीटरी दो पृथक विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समितियों द्वारा की जाती है। वर्ष के दौरान उपर्युक्त समितियों में से प्रत्येक की चार बैठकें आयोजित हुई जिनमें हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की प्रगति की समीक्षा की गई और उपचारात्मक उपाय सुझाए गए। इन समितियों ने अधीनस्थ कार्यालयों को अपना कार्य समुचित और प्रभावी ढंग से करने के संबंध में आवश्यक मार्ग-दर्शन किया।

15.36 **संसदीय राजभाषा समिति द्वारा विभिन्न रक्षा संगठनों का निरीक्षण :** वर्ष के दौरान संसदीय राजभाषा समिति की प्रथम उप-समिति ने रक्षा मंत्रालय के अधीन कई कार्यालयों का राजभाषा संबंधी निरीक्षण किया। इस प्रयोजन के लिए, समिति ने दिल्ली, चेन्नई, मऊ, बेंगलूर और मुम्बई में स्थित कई रक्षा कार्यालयों का चयन किया। राजभाषा प्रभाग ने इन निरीक्षण बैठकों के लिए संबंधित कार्यालयों से प्राप्त सहयोग सुनिश्चित किया। राजभाषा प्रभाग के प्रभारी संयुक्त सचिव तथा निदेशक (राजभाषा) ने इन बैठकों में मंत्रालय का प्रतिनिधित्व किया। ऐसे निरीक्षणों के दौरान समिति को उनके द्वारा दिए गए आश्वासनों को समय पर पूरा करने हेतु संबंधित कार्यालियों को अनुदेश जारी किए और इन बैठकों में उठाए गए मुद्दों/लिए गए निर्णयों पर समुचित कार्रवाई सुनिश्चित की गई।

16

सतर्कता यूनिटों के कार्यकलाप

16.1 रक्षा मंत्रालय में सतर्कता प्रभाग इस मंत्रालय में कार्यरत सभी समूह ''क'' सिविलियन अधिकारियों से संबद्ध सतर्कता मामलों पर कार्रवाई करता है। प्रशासकीय सुविधा के नजरिए से रक्षा विभाग और रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन से संबद्ध सतर्कता कार्य एक अन्य मुख्य सतर्कता अधिकारी और रक्षा उत्पादन तथा पूर्ति विभाग से संबद्ध सतर्कता कार्य एक अन्य मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा किए जाते हैं। सतर्कता प्रभाग सतर्कता संबंधी सभी मामलों पर कार्य करता है और मंत्रालय/विभाग एवं केन्द्रीय सतर्कता आयोग के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। सतर्कता प्रभाग संवेदनशील स्थानों का नियमित और आकस्मिक निरीक्षण करने, प्रक्रियाओं की पुनरीक्षा और सुचारु संचालन करने तथा भ्रष्टाचार रोकने के प्रत्युपाय करने के लिए उत्तरदायी है। प्रधानमंत्री के कार्यालय और रक्षा मंत्री के शिकायत बॉक्स के माध्यम से प्राप्त हुई शिकायतों पर भी सतर्कता प्रभाग द्वारा कार्रवाई की जाती है। वर्ष 2004 के दौरान, 21 समूह 'क' अफसरों (7 गुणता आश्वासन महानिदेशालय, 10 एम ई एस तथा 4 रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन) को बड़ी शास्ति, 5 (1 गुणता आश्वासन महानिदेशालय, 3 एम ई एस तथा 1 डीजीडीए) को लघु शास्ति दी गई थी जबकि एक अफसर को सेवा से पदच्युत कर दिया गया था।

लोक शिकायतों का निवारण

16.2 रक्षा मंत्रालय से संबद्ध सभी लोक शिकायतें प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के माध्यम से रक्षा मंत्रालय के सतर्कता प्रभाग से प्राप्त होती हैं। प्रार्थी से शिकायतें सीधे भी ली जाती हैं। इन शिकायतों की पाक्षिक आधार पर पुनरीक्षा की जाती है।

16.3 केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन में 1 से 6 नवंबर, 2004 तक रक्षा मंत्रालय, सभी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की स्थापनाओं और संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों में सतर्कता सप्ताह मनाया गया था। सतर्कता के बारे में

जागरूकता की भावना पैदा करने के लिए तथा कर्मचारियों को स्वच्छ तथा दक्ष प्रशासन में अपनी भूमिका की याद दिलाने के लिए इस सप्ताह के दौरान विभिन्न कदम उठाए गए थे। केन्द्रीय सतर्कता आयोग से प्राप्त शपथ कर्मचारियों को दिलाई गई थी। भ्रष्टाचार के बुरे प्रभावों को दर्शाने वाले बैनर तथा पोस्टर लगाए गए थे। भ्रष्टाचार की विभीषिका तथा उससे लड़ने के विभिन्न उपायों के संबंध में वाद-विवाद तथा संक्षिप्त चर्चाओं का आयोजन किया गया था।

रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग

16.4 इस वर्ष के दौरान डी.आर.डी.ओ. स्थित सतर्कता इकाइयों की मुख्य गतिविधियां निम्नवत् हैं:-

- विभिन्न स्तरों पर अफसरों तथा स्टाफ पहलुओं के बारे में अवगत कराना,
- भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकने, सरकारी निधियों के कुप्रबंधन तथा सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए जागरूकता कार्यक्रम,
- सभी अनुदेशों तथा आदेशों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए प्रयोगशालाओं/स्थापनाओं का सतर्कता निरीक्षण,
- दुराचार-कर्ताओं के विरुद्ध गोपनीय जांच का संचालन करना तथा दोषी व्यक्तियों को सजा दिलाना,
- सतर्कता मामलों/जांचों की कार्रवाई करना तथा सतर्कता आरोप-पत्रों के लिए दस्तावेज तैयार करना,
- प्रयोगशालाओं/स्थापनाओं की आवधिक सतर्कता निरीक्षण के माध्यम से डी.आर.डी.ओ. द्वारा निर्धारित खरीद प्रबंधन की प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित करना।

रक्षा उत्पादन विभाग

16.5 **आयुध निर्माणियां :** आयुध निर्माणी संगठन में लोक कार्यों में सत्यता तथा पारदर्शिता संगठनात्मक मिशन के आदर्श हैं। केन्द्रीय सतर्कता आयोग के अनुदेश, सतर्कता संबंधी जागरूकता तथा भ्रष्टाचार-रोधी उपायों को सभी स्तर के कर्मचारियों को सूचित किया जा रहा है तथा इस संबंध में कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है। इस वर्ष के दौरान कुछेक उल्लेखनीय सतर्कता संबंधी उपलब्धियों को निम्नानुसार सूचीबद्ध किया गया है:-

- वर्ष के दौरान, आगे की सतर्कता संबंधी कार्रवाई करने के लिए लगभग 80 शिकायतों पर कार्रवाई की गई तथा 31 निवारक सतर्कता निरीक्षण संचालित किए गए थे।
- संगठन की वैबसाइट पर खुली निविदा संबंधी नोटिसों को डालने के संबंध में केन्द्रीय सतर्कता आयोग संबंधी अनुदेश सभी आयुध निर्माणियों द्वारा पूर्ण रूप से कार्यान्वित किए गए हैं।

16.6 **हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड:** वर्ष के दौरान सतर्कता विभाग ने भ्रष्टाचार/अनाचार की शंका से संबंधित संवेदनशील क्षेत्रों पर जोर देते हुए अपनी गतिविधियां जारी रखीं। वर्ष के लिए

निर्धारित कार्य-योजना के आधार पर कुल 1499 औचक/अचानक तथा नियमित निरीक्षण किए गए थे तथा 44 मामले बनाए गए थे। इस वर्ष के दौरान 151 शिकायतें प्राप्त हुईं जिनमें से 120 की जांच की गई थी। 40 विभागीय जांच समितियों गठित की गई थीं तथा 44 मामलों में जांच अफसरों ने अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत कीं। अनुशासनिक प्राधिकारी ने 15 बड़ी शास्तियां, 13 लघु शास्तियां देकर तथा 23 मामलों में निन्दा/ चेतावनी/सलाह-पत्र जारी करके तथा एक मामले में दोषमुक्त करके 52 मामलों का निपटान किया। निवारक सतर्कता गतिविधियां के परिणामस्वरूप इस वर्ष 4.31 करोड़ रुपए की प्रत्यक्ष बचत हुई।

16.7 **भारत इलैक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड :** यूनिट सतर्कता समितियों, मुख्य प्रबंध निदेशकों तथा कार्यपालक निदेशकों ने सतर्कता के संबंध में पुनरीक्षा करने के लिए मासिक, तिमाही तथा अर्द्धवार्षिक आधार पर बैठकें बुलाईं और बी.ई.एल. में सतर्कता तंत्र को सक्रिय करने के लिए सतर्कता के संबंध में प्रशिक्षण दिया। उप-प्रबंधक तथा उससे ऊपर के स्तर के 82 प्रतिशत से अधिक सभी कार्यपालक अधिकारियों को 'आंतरिक जांच तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत' कार्यक्रम का प्रशिक्षण दिया गया।

16.8 **भारत अर्थमूवर्स लिमिटेड :** वर्ष के दौरान कारपोरेट सतर्कता प्रकोष्ठ के समग्र पर्यवेक्षण/ नियंत्रण के अधीन सभी उत्पादन यूनिटों में स्वतंत्र सतर्कता प्रकोष्ठ गठित किए गए।

16.9 **माझगांव डॉक लिमिटेड :** वर्ष के दौरान सतर्कता विभाग द्वारा मौजूदा प्रक्रियाओं में कमियों को दूर करने के लिए तथा तंत्र को सुचारु बनाने की दृष्टि से नियमित/ औचक निरीक्षणों पर, निवारक उपाय के रूप में, अधिक जोर दिया गया। इसके अलावा, जांच-प्रणाली को मजबूत करने तथा संगठनात्मक लोकाचार में सुधार लाने के उद्देश्य से सतर्कता विभाग ने संवेदनशील विभागों में अफसर/स्टाफ के स्थानों का परिवर्तन, सम्पत्ति रिटर्न की जांच तथा समय-पूर्व सेवानिवृत्ति स्कीम के अंतर्गत अफसरों के कार्य-निष्पादन की पुनरीक्षा जैसे निवारक सतर्कता पहलुओं पर और अधिक जोर दिया।

16.10 **गोवा शिपयार्ड लिमिटेड :** कर्मचारियों तथा व्यवसाय से संबंधित अन्य व्यक्तियों को प्रोत्साहित करने तथा सतर्कता के दृष्टिकोण से सूचना तथा शिकायत लेकर कंपनी के पास आने वाले अन्य संबंधित व्यक्तियों के लिए हर सोमवार को खोले जाने वाले छह सतर्कता शिकायत डिब्बे कंपनी के परिसर में विभिन्न स्थानों पर रखे गए हैं। इसके अलावा, सभी कार्यालयों तथा सार्वजनिक स्थानों पर मुद्रित तथा फ्रेम किए गए नोटिस बोर्ड रखे गए हैं जिनमें बाहर वाले व्यक्तियों को सलाह दी गई है कि भ्रष्टाचार की कोई घटना सामने आते ही वे सतर्कता विभाग के अफसरों से संपर्क करें।

16.11 **मिश्र धातु निगम लिमिटेड :** वर्ष के दौरान, कंपनी में समग्र सतर्कता जागरूकता का निर्माण किया गया है।

महाप्रबंधक के स्तर पर एक पूर्णकालिक मुख्य सतर्कता अफसर के अधीन अफसरों का एक दल पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा तंत्र और प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए कार्य कर रहा है। सतर्कता विभाग ने कंपनी में प्रणाली सुधार की दिशा में योगदान के रूप में खरीद तथा सिविल निर्माण के कार्यों के क्षेत्र में अनेक नियमावलियों के निर्माण में सक्रिय योगदान दिया है। विभिन्न विषयों पर केन्द्रीय सतर्कता आयोग के अनुदेशों को सही परिप्रेक्ष्य में पूरी निष्ठा से कार्यान्वयन तथा अनुपालन के उद्देश्य से कार्यात्मक स्तरों पर प्रबंधकों के लाभ हेतु अनेक परिपत्र तथा दिशा-निर्देश जारी किए जा रहे हैं।

16.12 **भारत डायनामिक्स लिमिटेड :**
भारत डायनामिक्स लिमिटेड की सतर्कता गतिविधियां निवारक सतर्कता पर केंद्रित हैं जिनमें मौजूदा संगठन तथा प्रक्रियाओं की व्यापक जांच, नियमित निरीक्षण, औचक निरीक्षण तथा निगरानी जैसे उपाय शामिल हैं। सामग्री प्रबंधन के क्षेत्र में बेहतर पारदर्शिता के लिए संशोधित माल-सूची प्रबंधन नियमावली जारी की गई है। भर्ती तथा प्रोन्नति नियम और सुरक्षा नियमावली को सुचारु बनाया गया है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड की वैबसाइट पर एक सतर्कता पृष्ठ डाला गया था। सी.बी.आई. तथा सतर्कता विभाग द्वारा की गई जांचों के आधार पर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध दण्डात्मक सतर्कता कार्रवाई की गई थी।

17

महिलाओं का सशक्तीकरण एवं कल्याण

महिला नौसेना अफसर अन्य अफसरों के साथ लघु शस्त्र फायरिंग का अभ्यास करते हुए

महिलाओं का सशक्तीकरण एवं कल्याण

17.1 राष्ट्रीय रक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका में क्रमिक रूप से वृद्धि हो रही है। रक्षा उत्पादन यूनिटों, रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं और सशस्त्र सेनाओं में डाक्टर और नर्सिंग अफसर के रूप में महिलाएं नियोजित हैं। सशस्त्र सेनाओं की विभिन्न अयोधी शाखाओं जैसे कि संभारिकी और विधिक आदि में महिलाओं की भर्ती से उनके लिए व्यापक भूमिका की परिकल्पना की गई है।

17.2 सेना की अयोधी शाखाओं में अफसरों के रूप में महिलाओं को शामिल करने के वास्ते महिला विशेष भर्ती योजना प्रारंभ की गई। इस योजना में, कार्रवाई में मारे गए सैन्य अफसरों की पत्नियों को भी शामिल किया गया है। पात्र महिलाओं को सेना, नौसेना और वायुसेना की विभिन्न शाखाओं में अल्प सेवा कमीशन पर अफसर के रूप में भी भर्ती किया जाता है।

17.3 **भारतीय सेना :** महिला विशेष भर्ती योजना (अफसर) के माध्यम से विभिन्न शाखाओं/सेवाओं में पता लगाई गई कुछ रिक्तियों के तहत भारतीय सेना में महिला उम्मीदवारों को भर्ती किया जा सकता है। महिलाओं को 10 वर्ष की अवधि के लिए अल्प सेवा कमीशन प्रदान किया जाता है

तम्बू गाड़ने संबंधी प्रतियोगिता के दौरान महिला कैडेट

जिसे चार वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। सितंबर, 2003 से वार्षिक भर्ती 150 उम्मीदवारों की है। वर्तमान में लगभग 921 महिला अफसर भारतीय सेना में सेवारत हैं। हाल ही में सरकार ने उनके कार्यकाल को अधिकतम 14 वर्षों तक बढ़ाने की मंजूरी दी है।

17.4 **भारतीय नौसेना :** भारतीय नौसेना ने महिलाओं की पहली भर्ती वर्ष 1992 में की थी। अभी कुल 179 (58 चिकित्सा अफसरों सहित) महिला अफसर नौसेना की विभिन्न यूनिटों में कार्यरत हैं। कालावधि के दौरान इन अफसरों को मुख्य धारा में सम्मिलित कर लिया गया है और उनकी भावी पदोन्नति, प्रशिक्षण तथा कैरियर प्रोन्नति उनके पुरुष सहकर्मियों के समरूप है।

17.5 नौसेना पत्नी कल्याण संघ महिलाओं के लिए नियमित रूप से प्रौढ़ शिक्षा और कम्प्यूटर कक्षाएं चलाता रहा है।

17.6 कम्प्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी सीखने हेतु महिलाओं और परिवार के सदस्यों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी परिसर खोला गया। यह पाया गया है कि बड़ी संख्या में महिलाएं इस सुविधा का लाभ उठा रही हैं।

17.7 **भारतीय वायुसेना :** भारतीय वायुसेना की उड़ान तकनीकी और गैर-तकनीकी शाखाओं में अल्पकालीन सेवा कमीशन (एसएससी) के रूप में महिलाओं की भर्ती वर्ष 1992 में आरंभ हुई थी। इस समय भारतीय वायुसेना में 515 महिला अफसर हैं। यद्यपि महिला अफसरों को वर्तमान में स्थायी कमीशन प्रदान नहीं किया गया है, वे 15 वर्ष तक भारतीय वायुसेना में सेवा कर सकती हैं। नियुक्ति की प्रारंभिक अवधि 10 वर्ष है। 15 वर्ष तक की अवधि के लिए सेवा-विस्तारण प्रत्येक मामले में व्यक्ति योग्यता-क्रम के आधार पर प्रदान की जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय वायुसेना में महिला अफसरों की भर्ती में वृद्धि का रुख है। वर्ष 2002, 2003 और 2004 में भारतीय वायुसेना में कुल 68, 79 और 83 महिला अफसरों को कमीशन प्रदान किया गया था।

17.8 **तटरक्षक :** भारतीय तटरक्षक ने खुली सीधी भर्ती के माध्यम से सहायक कमांडेंट के रैंक में महिला अफसरों की भर्ती की है। वर्तमान में, ऐसी 14 महिला अफसर सेवा में हैं। इनमें से कुछ महिला अफसरों को उनके पुरुष समकक्ष अफसरों के साथ-साथ उप-कमांडेंट के रैंक में पदोन्नत किया जा चुका है।

17.9 तटरक्षक में महिला अफसरों को तट पर ड्यूटी के लिए स्थायी कमीशन पर प्रशासन, संभारिकी और पायलट संवर्ग में शामिल किया जाता है। महिला अफसर के लिए चयन प्रक्रिया उनके समकक्ष पुरुष अफसरों के समान है। सभी ट्रेडों के लिए समान मूलभूत प्रशिक्षण के पूरा करने के बाद संवर्ग की अपेक्षा के अनुसार प्रशिक्षण पैटर्न डिजाइन किया जाता है। चूंकि महिला अफसरों को तट बिलेट के लिए भर्ती किया जाता है, इसलिए उन्हें समुद्री प्रशिक्षण से छूट दी जाती है लेकिन उन्हें प्रारंभिक कैप्सूल अटैचमेंट मुहैया कराया जाता है। उन्हें जेंटलमैन अफसरों की तरह ही समान कैरियर

प्रोफाइल उपलब्ध होता है। कैडर अपेक्षा के अनुरूप उन्हें विशेषज्ञ पाठ्यक्रम कराए जाते हैं। प्रशासनिक शाखा के लिए दीर्घकालिक संभारिकी प्रबंधन पाठ्यक्रम तथा दीर्घकालिक इलैक्ट्रानिक डाटा संसाधन पाठ्यक्रम और पायलटों के लिए एमईटी तथा एटीसी पाठ्यक्रम कराए जाते हैं।

17.10 रक्षा मंत्रालय ने महिलाओं के लिए उपर्युक्त कार्य का माहौल और कार्य करने की समुचित परिस्थितियां मुहैया कराने के लिए कई कदम उठाए हैं। रक्षा मंत्रालय में कार्मिक शक्ति/मानव संसाधन विकास से संबंधित नीतियों में लिंग के आधार पर कोई अंतर/भेदभाव नहीं किया जाता।

17.11 कामकाजी महिलाओं को कार्य-स्थलों पर यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों को सशस्त्र सेनाओं, अंतर-सेवा संगठनों, सरकारी क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों और रक्षा प्रयोगशालाओं/ स्थापनाओं में कार्यान्वित किया जा रहा है। महिला कर्मचारियों से प्राप्त शिकायतों के निवारण और महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित मामलों की समीक्षा के लिए मुख्यालय और यूनिट स्तर पर 'शिकायत समितियों' का गठन किया गया है। उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार विभिन्न नियमों और विनियमों में संशोधन किया गया है।

17.12 रक्षा मंत्रालय में महिला एकक द्वारा समस्त देश में फैले 23 नोडल महिला एककों की सहायता से राष्ट्रीय महिला आयोग के दिशा-निर्देश भी लागू किए जा रहे हैं।

17.13 रक्षा मंत्रालय में सैन्य कार्मिकों की विधवाओं के लिए विशेष पेंशन योजनाएं हैं। इस योजना के तहत युद्ध/युद्ध समान संक्रियाओं/प्रति-विद्रोही संक्रियाओं/सशस्त्र शत्रुओं के साथ हुई घटनाओं अथवा सैन्य सेवा परिस्थितियों की वजह से हुई या बढ़ी परिस्थितियों की स्थिति में मारे जाने की स्थिति में उदारीकृत परिवार पेंशन/सामान्य परिवार पेंशन/विशेष परिवार पेंशन उनका पुनर्विवाह होने के बावजूद दी जाती है बशर्ते कुछ शर्तें पूरी की जाएं।

17.14 **सिविलियन रक्षा कर्मचारियों के लिए योजनाएं:**

(i) सेना की निचली विरचनाओं में महिला सिविलियन कर्मचारियों के लिए कल्याणकारी कार्य करने के लिए यूनिटों/स्थापनाओं में महिला एककों की स्थापना की गई है जिनमें महिला राष्ट्रीय आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार बड़ी संख्या में महिलाएं हैं।

(ii) यूनिट स्तर पर महिला एकक, महिला कर्मचारियों के विकास कार्यों के साथ-साथ कर्मचारियों के परिवार की महिला सदस्यों के विकास कार्य करते हैं। अधिकांश सैन्य यूनिटों में कॉमन रूम, शिशुगृह, महिला शौचालयों का प्रबंध-कार्य महिला सफाई कर्मचारियों द्वारा किया जाता है।

(iii) यूनिट स्तरों पर महिला एकक के कार्यों की निगरानी कमान मुख्यालय स्तर के साथ-साथ सेना मुख्यालय

स्तर पर की जाती है। कार्य-स्थलों पर यौन-उत्पीड़न रोकने के लिए निवारक व्यवस्था विद्यमान है।

(iv) अधिकांश सैन्य यूनिटों में कर्मचारियों के परिवार की महिला सदस्यों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए रोजगार सहायता, बालिकाओं की अनौपचारिक शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा, परिवार नियोजन सहायता, खेलकूद और मनोरंजन सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं।

17.15 **सैनिक की मृत्यु होने पर वित्तीय सहायता:**

(i) किसी सिपाही की मृत्यु होने पर उसके निकटतम संबंधी को सेना केंद्रीय कल्याण कोष (एसीडब्ल्यूएफ) से 30,000/- रुपये और आर्मी वाइव्ज वेलफेयर एसोसिएशन कोष से 5,000/- रुपए की धनराशि तत्काल दी जाती है। अपने पति की मृत्यु होने के कारण उसकी पत्नी इस अनुदान से शुरूआती समस्याओं का समाधान कर पाती है। यहां तक कि दिवंगत सैनिक की पत्नी और उसके ससुराल वालों के बीच अनुदान के संबंध में कोई विवाद हो तो भी एसीडब्ल्यूएफ से धनराशि केवल दिवंगत सिपाही की पत्नी को ही दी जाती है।

(ii) यदि किसी अफसर/अफसर रैंक से निचले रैंक के कार्मिक का विवाह हो जाता है तो उसकी पत्नी स्वत: ही उसकी निकटतम संबंधी हो जाती है चाहे उस सिपाही ने इस आशय की औपचारिक जानकारी न दी हो।

17.16 **वित्तीय सहायता - 15 अगस्त, 1947 से 30 अप्रैल, 1999 तक के विघातक युद्ध हताहत :** कल्याणकारी उपायों के एक हिस्से के रूप में 15 अगस्त, 1947 से 30 अप्रैल, 1999 तक की अवधि के दौरान सभी युद्ध हताहतों के निकटतम संबंधियों को राष्ट्रीय रक्षा कोष और सेना केंद्रीय कल्याण कोष से 50,000/- रुपए दिए जा रहे हैं। विधवा के पुनर्विवाह कर लिए जाने के बावजूद वह इस अनुदान को प्राप्त करने की पात्र है। युद्ध विधवाओं को कृषि आधारित उद्यमों/डेयरी विकास के लिए 25,000/- रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए 30,000/- रुपए की वित्तीय सहायता भी दी जाती है।

17.17 **बच्चों के लिए छात्रवृत्ति :** युद्ध विधवाओं के बच्चे पढ़ाई की पूरी फीस और अन्य खर्चों की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र हैं। सेवा के दौरान दिवंगत सैनिकों की विधवाओं के बच्चों को नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार शिक्षा छात्रवृत्तियां दी जाती हैं: (क) कक्षा 1 से कक्षा 12 तक 5,000/- रुपए प्रतिवर्ष (ख) स्नातक- 10,000/- रुपए प्रतिवर्ष (ग) स्नातकोत्तर- 15,000/- रुपए प्रतिवर्ष (घ) व्यावसायिक पाठ्यक्रम- शिक्षण शुल्क और 5,000/- रुपए प्रतिवर्ष अधिकतम 40,000/- रुपए तक।

17.18 **निधन अनुदान :** दिवंगत भूतपूर्व सैनिकों (अफसर रैंक से निचले रैंक के कार्मिकों को ही) के निकटतम संबंधियों को

संबद्ध अभिलेख कार्यालयों के माध्यम से 2,000/- रुपए का निधन अनुदान दिया जाता है। 01 अगस्त, 2004 से यह अनुदान बढ़ाकर 3,000/- रुपए कर दिया गया है।

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन (डीआरडीओ)

17.19 रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन महिलाओं के सशक्तीकरण तथा कल्याण के प्रति संवेदनशील है। इस विषय के संबंध में सरकार द्वारा जारी अनुदेशों तथा निर्देशों का पूरा-पूरा पालन किया जा रहा है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि महिला कर्मचारियों को अपने कौशल और ज्ञान को बढ़ाने, उन्हें अपनी क्षमता की पूर्ति के लिए समान अवसर प्रदान किए जाएं और संगठनात्मक उद्देश्यों की प्रगति को स्वीकार किया जाए तथा सराहा जाए। सरकारी आदेशों के अनुसार रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन की प्रयोगशालाओं की महिला कर्मचारियों के कल्याण हेतु महिला एककों को स्थापित करने के लिए अनुदेश जारी किए गए हैं। इसी उद्देश्य के लिए रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन मुख्यालय में भी इसी प्रकार के एकक का गठन किया गया है। संगठन में महिला कर्मचारियों के लिए विभिन्न कल्याणकारी उपाय शुरू किए गए हैं।

रक्षा उत्पादन विभाग

17.20 लोक उद्यम स्थायी समिति (स्कोप) के तत्वावधान में सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों में सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाओं के एक पृथक फोरम (डब्ल्यू आई पी एस) की स्थापना की गई है ताकि महिला कर्मचारियों की क्षमता का पूर्ण उपयोग करने, सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों में और महिलाओं के स्तर में सुधार करने में उत्प्रेरक भूमिका में सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों की सहायता की जा सके। सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों ने कामकाजी महिलाओं के वास्ते कुछ सुविधाओं जैसे कि उनकी संतान के लिए शिशु गृहों (क्रेच), उनके लिए दोपहर के भोजन और विश्राम कक्षों तथा शिकायत एककों की व्यवस्था की है।

17.21 सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों द्वारा महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम इस प्रकार हैं:-

(i) **हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एच ए एल):** हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में 31 मार्च, 2005 की स्थिति के अनुसार महिला कार्मिकों की संख्या 1638 थी। काफी संख्या में महिला कार्मिक पर्यवेक्षी और कार्यपालक श्रेणियों में हैं। उन्हें अपने कैरियर में विकास के लिए समान अवसर प्रदान किए जाते हैं। इसके साथ-साथ सभी सांविधिक तथा कल्याणकारी सुविधाएं महिला कर्मचारियों को भी उपलब्ध कराई गई हैं।

(ii) **भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड (बीईएल):** भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड ने अपनी सभी यूनिटों और कार्यालयों में 2435 महिलाओं को नियुक्त किया है क्योंकि इलैक्ट्रॉनिक

असेंबली कार्य में उच्च-स्तर की परिशुद्धता की आवश्यकता होती है और इस तरह के कार्य को पूरा करने के लिए महिलाओं को सर्वोत्तम माना गया है। महिला कर्मचारियों को दिए जाने वाली विभिन्न सुविधाओं तथा लाभों में विशेष रूप से तैयार अन्यन्य आराम कक्ष, नर्सिंग माताओं के लिए क्रेच सुविधाएं, संचालन जागरूकता तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम/कक्षाएं, 'सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाएं' द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं/सम्मेलनों में सहभागिता हेतु महिला कर्मचारियों का नामांकन जैसी सुविधाएं शामिल हैं। भारत इलैक्ट्रानिक्स लेडीज एसोसिएशन बंगलूर द्वारा संचालित 'अक्षय' गरीब महिलओं के लिए रोजगार अवसर मुहैया कराता है।

(iii) **माझगांव डॉक लिमिटेड (एमडीएल):** माझगांव डॉक लिमिटेड में महिला कर्मचारियों के विकास संबंधी उपायों पर विचार-विमर्श करने के लिए एक वरिष्ठ प्रबंधक और महिला कर्मचारियों को शामिल करके एक महिला प्रकोष्ठ गठित किया गया है। महिला कर्मचारियों की हैसियत तथा उनकी स्थिति में सुधार लाने के लिए एक अर्थपूर्ण नीति तैयार करने की दृष्टि से महिला कर्मचारियों के प्रोफइल के बारे में विस्तृत सूचना एकत्र करने के लिए एक डाटाबेस तैयार किया गया है।

(iv) **गार्डनरीच शिपबिल्डर्स एवं इंजीनियर्स लिमिटेड (जीआर एसई) :** उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आलोक में वर्गीकरण, अनुशासनिक तथा अपील नियमों में समुचित संशोधन किया गया है। जिसमें यौन-शोषण के निषेध तथा दोषियों के विरुद्ध दंड के प्रावधान को शामिल किया गया है। यौन-शोषण संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए एक शिकायत प्रकोष्ठ बनाया गया है। उच्च स्तर से किसी अनुचित प्रभाव की संभावनाओं को रोकने के लिए शिकायत प्रकोष्ठ में एक एनजीओ के संयोजक को भी शामिल किया गया है। महिलाओं को जागरूक करने के लिए समय-समय पर सभी स्तरों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

(v) **भारत डायनामिक्स लिमिटेड (बी डी एल) :** भारत डायनामिक्स लिमिटेड में 219 महिला कर्मचारी कार्यरत हैं जिनमें से 32 कार्यकारी हैं तथा 187 गैर- कार्यकारी हैं। कार्य के स्थान पर महिला कर्मचारियों के यौन-शोषण को कदाचार के रूप में शामिल करने के लिए कंपनी ने अपने स्थायी आदेशों तथा वर्गीकरण, अनुशासनिक तथा अपील नियमों में संशोधन किया है। एक महिला अपर महाप्रबंधक की अध्यक्षता में एक शिकायत समिति का गठन किया गया है जिसमें पांच अन्य महिलाओं तथा

एक पुरुष अफसर को सदस्यों के रूप में नियुक्त किया गया है। महिला कर्मचारियों के लिए विशेष सशक्तिकरण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

(vi) **मिश्र धातु निगम लिमिटेड (मिधानि):** कंपनी ने महिला कर्मचारियों के सशक्तिकरण हेतु सतत रूप से ध्यान केन्द्रित किया है जिसके लिए उनकी क्षमता का एहसास दिलाने के लिए तथा सांविधिक सुरक्षा उपायों तथा सुविधाओं के साथ कार्यस्थल पर बेहतर परिवेश के निर्माण हेतु आवश्यक मंच मुहैया कराया गया है ताकि वे सुरक्षापूर्वक गर्व तथा सम्मान के साथ कार्य करने में सक्षम हो सकें। कंपनी के लिए लागू विभिन्न कल्याणकारी विधानों के तहत महिलाओं के लिए गारंटीशुदा सुविधाओं में विस्तार किया जा रहा है। महिला कर्मचारियों के लिए एक सौहार्दपूर्ण वातावरण का निर्माण किया जा रहा है जिसमें वे संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने में योगदान करते हुए अपने कार्य को प्रभावपूर्ण ढंग से पूरा कर सकें। विभिन्न कार्यस्थल पर तथा बाहर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए महिला कर्मचारियों को नामजद किया जाता है।

(vii) **भारत अर्थमूवर्स लिमिटेड (बेमल):** कंपनी ने अपनी महिला कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने के लिए सभी उत्पादन इकाइयों तथा कारपोरेट आफिस में महिला प्रकोष्ठ का गठन किया है। बी ई एम एल में महिला अफसरों तथा कर्मचारियों की कुल नफरी क्रमश: 76 तथा 218 है।

आयुध निर्माणियां

17.22 महिलाएं संगठन की विविध गतिविधियों में सभी स्तरों पर सक्रिय रूप से शामिल होती हैं। फिलहाल, अनेक महिला अफसर संगठन में उच्च पदों पर हैं। कई आयुध निर्माणियों में शॉप फ्लोर स्तर पर महिलाएं अत्याधुनिक सी एन सी मशीनों को चलाती हैं। महिलाओं के लिए समुचित कार्य दशाएं मुहैया कराने के लिए प्रत्येक संभव प्रयास किया जाता है। निर्माणियों तथा कार्यालयों में महिला कर्मचारियों के लिए अलग आराम कक्षों की व्यवस्था है।

रक्षा मंत्रालय के विभागों के कार्यों की सूची

क. रक्षा विभाग

1. भारत और उसके प्रत्येक विभाग की रक्षा करना, इसमें रक्षात्मक तैयारियां तथा ऐसे सभी काम आते हैं जो युद्ध के समय युद्ध को ठीक ढंग से चलाने तथा युद्ध के बाद सेना को कारगर ढंग से विसंघटित करने के लिए आवश्यक है।

2. संघ की सशस्त्र सेनाएं अर्थात सेना, नौसेना, वायु सेना।

3. रक्षा मंत्रालय के समेकित मुख्यालय जिनमें सेना मुख्यालय, नौसेना मुख्यालय, वायुसेना मुख्यालय और रक्षा सेवा मुख्यालय भी शामिल हैं।

4. सेना, नौसेना और वायुसेना के रिजर्व।

5. प्रादेशिक सेना।

6. राष्ट्रीय कैडेट कोर।

7. सेना, नौसेना, वायुसेना और आयुध निर्माणियों से संबंधित कार्य।

8. रिमाउंट, वेटरनरी और फार्म संगठन।

9. कैंटीन स्टोर विभाग (भारत)।

10. रक्षा प्राक्कलनों से वेतनभोगी सिविलियन सेवाएं।

11. हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण और नेवीगेशनल चार्ट बनाना।

12. छावनियों के निर्माण, छावनी क्षेत्रों की हदबंदी और कुछ क्षेत्रों को उसकी सीमा के बाहर निकालना, ऐसे क्षेत्रों के स्थानीय स्वायत्त शासन, ऐसे क्षेत्रों में छावनी बोर्डों का गठन तथा प्राधिकारी और उनकी शक्तियां तथा उनमें आवास संबंधी विनियम (इसमें किराया नियंत्रण भी शामिल है)।

13. रक्षा प्रयोजनों के लिए भूमि और संपत्ति का अर्जन, अधिग्रहण, अभिरक्षा और उसकी वापसी, अनधिकृत कब्जा करने वालों को रक्षा भूमि और संपत्ति से बेदखल करना।

14. रक्षा लेखा विभाग।

15. खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय (खाद्य विभाग) को जिस खाद्य सामग्री की खरीद का काम सौंपा गया है उसे छोड़कर, सेना की जरूरतों की पूर्ति के लिए खाद्य सामग्री की खरीद और उसका निपटान।

16. तटरक्षक संगठन से संबंधित सभी मामले, जिनमें निम्नांकित भी शामिल हैं:-

(i) तेल बिखराव का पता लगाने के लिए समुद्री क्षेत्र की निगरानी।

(ii) बंदरगाहों के पानी और अपतटीय पर्यवेक्षण और उत्पादन प्लेटफार्मों,

तटीय रिफाइनरियों और अनुषंगी सुविधाओं जैसे कि सिंगल बॉय मूरिंग (एस बी एम), क्रूड तेल टर्मिनलों (सी ओ टी) और पाइपलाइनों के 500 मीटर के भीतर के सिवाए विभिन्न समुद्री क्षेत्रों में तेल बिखरने से बचाना।

(iii) तटीय तथा विभिन्न समुद्री क्षेत्रों के समुद्री पर्यावरण में तेल प्रदूषण को दूर करने के लिए केन्द्रीय समन्वय एजेंसी।

(iv) तेल बिखराव विनाश हेतु राष्ट्रीय आकस्मिकता योजना का कार्यान्वयन, और

(v) तेल बिखराव संरक्षण और नियंत्रण, देश में जलपोतों और अपतटीय प्लेटफार्मों का निरीक्षण कार्य करना, इसमें वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1985 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसार बंदरगाहों की सीमाओं के भीतर का क्षेत्र शामिल नहीं है।

17. देश में गोताखोरी और संबंधित कार्यकलापों से संबद्ध मामले।

18. रक्षा मंत्रालय के अधीन निम्नलिखित अंतर सेवा संगठन कार्य करते हैं:

(i) सेना इंजीनियरी सेवा

(ii) सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा

(iii) रक्षा संपदा महानिदेशालय

(iv) मुख्य प्रशासन अधिकारी का कार्यालय

(v) जन संपर्क निदेशालय

(vi) सेना क्रय संगठन

(vii) सेना खेलकूद नियंत्रण बोर्ड

(viii) सैन्य खेलकूद नियंत्रण बोर्ड

(ix) सेना चित्र प्रभाग

(x) विदेशी भाषा विद्यालय

(xi) इतिहास प्रभाग

(xii) राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय

(xiii) रक्षा प्रबंध महाविद्यालय

(xiv) रक्षा मंत्रालय पुस्तकालय

ख. रक्षा उत्पादन विभाग

1. आयुध निर्माणी बोर्ड और आयुध निर्माणियां

2. हिंदुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड

3. भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड

4. माझगांव डाक लिमिटेड

5. गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड

6. गोवा शिपयार्ड लिमिटेड

7. भारत डायनामिक्स लिमिटेड

8. मिश्र धातु निगम लिमिटेड

9. भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड

10. तकनीकी विकास और उत्पादन (वायु) निदेशालय सहित गुणता आश्वासन महानिदेशालय।

11. मानकीकरण निदेशालय सहित रक्षा उपस्करों और भंडारों का मानकीकरण।

12. वैमानिक उद्योग का विकास और नागर विमानन विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग से संबंधित प्रयोक्ताओं को छोड़कर अन्य प्रयोक्ताओं के कामकाज में समन्वय।

13. रक्षा प्रयोजन के लिए आवश्यक वस्तुओं का देशीकरण, विकास और उत्पादन।

14. मात्र रक्षा सेवाओं के लिए सामान की खरीद।

15. रक्षा उत्पादन में रक्षा निर्यात और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग।

ग. रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग

1. विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हो रही प्रगति का राष्ट्रीय सुरक्षा पर होने वाले प्रभाव का जायजा लेकर रक्षा मंत्री को उसकी जानकारी और सलाह देना।

2. हथियारों, हथियार-प्लेटफार्मों, सैन्य संक्रियाओं, निगरानी, सहायता संभारिकी आदि से संबंधित सभी वैज्ञानिक पहलुओं के संबंध में और संघर्ष के सभी संभावित क्षेत्रों में रक्षा मंत्री, तीनों सेनाओं और अंतरसेवा संगठनों को सलाह देना।

3. ऐसी प्रौद्योगिकियों, जिनका भारत को निर्यात विदेशी सरकारों के राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी नियंत्रण का विषय है, के अर्जन के बारे में विदेशी सरकारों के साथ समझौता प्रलेखों से संबंध सभी मामलों पर रक्षा मंत्रालय की नोडल समन्वय एजेंसी के रूप में विदेश मंत्रालय की सहमति लेकर कार्य करना।

4. राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान तथा डिजाइन, विकास परीक्षण और मूल्यांकन संबंधी कार्यक्रम तैयार करना और उसे कार्यान्वित करना।

5. विभाग की एजेंसियों, प्रयोगशालाओं, स्थापनाओं, रेंजों, सुविधाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं का निर्देशन और प्रशासन।

6. वैमानिकी विकास ऐजेंसी।

7. सैन्य विमानों के डिजाइन, उड़ान योग्यता का प्रमाणन, उनके उपस्करों तथा भंडारों से संबंधित मामले।

8. संसाधन जुटाने के लिए विभाग के कार्यकलापों से तैयार प्रौद्योगिकियों के संरक्षण और हस्तांतरण से संबंधित सभी मामले।

9. रक्षा मंत्रालय द्वारा प्राप्त की जाने वाली सभी शस्त्र प्रणालियों और तत्संबंधी प्रौद्योगिकी के अधिग्रहण और मूल्यांकन के कार्यों में भाग लेना तथा वैज्ञानिक विश्लेषण में सहायता करना।

10. उत्पादन यूनिटों और उद्यमों द्वारा सशस्त्र सेनाओं के लिए उपस्कर और भंडारों के विनिर्माण या विनिर्माण के प्रस्तावों के लिए प्रौद्योगिकी के आयात के प्रौद्योगिकीय तथा बौद्धिक संपदा संबंधी सभी पहलुओं पर सलाह देना।

11. पेटेंट अधिनियम 1970 (1970 का 39) की धारा 35 के अंतर्गत प्राप्त मामलों पर कार्रवाई करना।

12. राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले विभिन्न पहलुओं पर विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संबंधी अध्ययन और जनशक्ति को प्रशिक्षण देने के लिए व्यक्तियों, संस्थानों तथा निकायों को वित्तीय तथा अन्य सामग्री संबंधी सहायता देना।

13. अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर विदेश मंत्रालय के परामर्श से निम्नलिखित मामलों सहित राष्ट्रीय सुरक्षा में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी की भूमिका से संबद्ध मामलों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) अन्य देशों और अंत:सरकारी एजेंसियों के अनुसंधान संगठनों से संबंधित मामले, विशेष रूप से जो अन्य कार्यों के साथ-साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकीय पहलुओं से संबंधित हैं।

(ii) इस विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्यरत भारतीय वैज्ञानिकों और तकनीकी-विदों को प्रशिक्षण और विदेशी छात्रवृति उपलब्ध कराने के लिए विदेश स्थित विश्वविद्यालयों, शैक्षिक और अनुसंधान-उन्मुख संस्थाओं के साथ व्यवस्था करना।

14. विभाग के बजट से निर्माण कार्य करना था भूमि खरीदना।

15. विभाग के नियंत्रणाधीन कार्मिकों से संबंधित सभी मामले।

16. इस विभाग के बजट में डेबिट योग्य सभी प्रकार के भंडारों, उपकरणों और सेवाओं का अर्जन।

17. विभाग से संबंधित वित्तीय मंजूरियां।

18. राष्ट्रीय सुरक्षा के वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय पहलुओं को प्रभावित करने वाले कार्यकलापों से संबंधित भारत सरकार के किसी अन्य मंत्रालय, विभाग अथवा एजेंसी के साथ समझौता अथवा व्यवस्था करके इस विभाग को सौंपे गए अथवा इस विभाग द्वारा स्वीकार किए गए कोई भी अन्य कार्य।

घ. भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग

1. भूतपूर्व सैनिकों से संबंधित मामले, जिनमें पेंशनभोगी भी शामिल हैं।

2. भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना।

3. पुनर्वास महानिदेशालय तथा केन्द्रीय सैनिक बोर्ड से संबंधित मामले।

4. निम्नलिखित का प्रशासन:-

(क) सेना के वास्ते पेंशन विनियम, 1961 (भाग 1 और 2);

(ख) वायुसेना के वास्ते पेंशन विनियम, 1961 (भाग1 और 2);

(ग) नौसेना (पेंशन) विनियम, 1964 और

(घ) सशस्त्र सैन्य कार्मिकों को हताहत पेंशनरी अवार्डों के हकदारी विनियम, 1982

ड. रक्षा (वित्त) प्रभाग

1. सभी रक्षा मामलों की वित्त संबंधी जांच करना।

2. रक्षा मंत्रालय और सेना मुख्यालय के विभिन्न अधिकारियों को वित्तीय सलाह देना।

3. रक्षा मंत्रालय के एकीकृत वित्त प्रभाग के रूप में कार्य करना।

4. व्यय संबंधी सभी योजनाओं/प्रस्तावों को तैयार करना और उनके कार्यान्वयन में सहायता करना।

5. रक्षा योजनाएं तैयार करके उनके कार्यान्वयन में सहायता करना।

6. रक्षा बजट और रक्षा सेवाओं के लिए प्राक्कलन तैयार करना और बजट के अनुरूप योजनाओं की प्रगति पर निगरानी रखना।

7. बजट बनाने के बाद यह सुनिश्चित करना कि व्यय न तो बहुत कम हो और न ही अनपेक्षित रूप से अधिक हो।

8. सशस्त्र सेना मुख्यालयों की शाखाओं के अध्यक्षों को अपने वित्तीय दायित्व का निर्वाह करने के लिए सलाह देना।

9. रक्षा सेवाओं के लिए लेखा प्राधिकारी के रूप में कार्य करना।

10. रक्षा सेवाओं के लिए विनियोजन लेखा तैयार करना।

11. रक्षा लेखा महानियंत्रक के माध्यम से रक्षा व्यय भुगतानों और आंतरिक लेखापरीक्षा के दायित्व का निर्वाह करना।

1 अप्रैल, 2004 से रक्षा मंत्रालय में मंत्री, सेनाध्यक्ष और सचिव

रक्षा मंत्री

श्री जार्ज फर्नांडिस — **15 अक्तूबर, 2001 से 22 मई, 2004 तक**
श्री प्रणव मुखर्जी — **23 मई, 2004 से आगे**

रक्षा उत्पादन राज्य मंत्री

प्रो. ओ. राजगोपाल — **29 जनवरी, 2003 से 22 मई, 2004 तक**
श्री बी. के. हांडिक — **23 मई, 2004 से 30 नवंबर, 2004 तक**

रक्षा राज्य मंत्री

श्री चमन लाल गुप्ता — **1 जुलाई, 2002 से 22 मई, 2004 तक**
श्री बी. के. हांडिक — **30 नवंबर, 2004 से आगे**

रक्षा सचिव

श्री अजय प्रसाद
14 जुलाई, 2003 से 30 जून, 2004 तक

श्री अजय विक्रम सिंह
1 जुलाई, 2004 से आगे

सचिव (रक्षा उत्पादन)

सुश्री उमा पिल्लै
9 जुलाई, 2003 से 1 अगस्त, 2004 तक

श्री शेखर दत्त
2 अगस्त, 2004 से आगे

सचिव (रक्षा अनुसंधान एवं विकास तथा रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार)

डॉ. वी के. आत्रे
29 दिसंबर, 1999 से 31 अगस्त, 2004 तक

श्री एम नटराजन
31 अगस्त, 2004 से आगे

सचिव (रक्षा वित्त)

सुश्री सोमी टंडन
10 अगस्त, 2004 से आगे

सेनाध्यक्ष

जनरल एन. सी. विज
पीवीएसएम, यूवाईएसएम, एवीएसएम, एडीसी
1 जनवरी, 2002 से 31 जनवरी, 2005 तक

जनरल जे. जे. सिंह
पीवीएसएम, एवीएसएम, वीएसएम, एडीसी
1 फरवरी, 2005 से आगे

नौसेनाध्यक्ष

एडमिरल माधवेन्द्र सिंह
पीवीएसएम, एवीएसएम, एडीसी
30 दिसंबर, 2001 से 31 जुलाई, 2004 तक

एडमिरल अरुण प्रकाश
पीवीएसएम, एवीएसएम, वीआरसी,
वीएसएम, एडीसी
1 अगस्त, 2004 से आगे

वायुसेनाध्यक्ष

एयर चीफ मार्शल एस. कृष्णास्वामी
पीवीएसएम, एवीएसएम, वीएम एंड बार, एडीसी
31 दिसंबर, 2001 से 31 दिसंबर, 2004 तक

एयर चीफ मार्शल एस.पी. त्यागी
पीवीएसएम, एवीएसएम, वीएम, एडीसी
31 दिसंबर, 2004 से आगे

रक्षा मंत्रालय के कार्यकरण पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की नवीनतम रिपोर्ट का सारांश

रक्षा विभाग

शीतकालीन वस्त्रों को अविवेकपूर्ण रूप से प्राधिकृत करने के परिणामस्वरूप उनका उपयोग न होना:– अंगोला द्राब की कमीज और खाकी सर्ज की पैंट के 1998 में 100 प्रतिशत के मानक पर एवं बाद में 2003 में 15 प्रतिशत घटाकर अविवेकपूर्ण रूप से प्राधिकृत करने के परिणामस्वरूप दो एन.सी.सी. निदेशालयों राजस्थान और पंजाब में 12.36 करोड़ रु. मूल्य की ये मदें फालतू हो गईं। भविष्य में इनके उपयोग की संभावनाएं भी दूरवर्ती थीं क्योंकि अन्य एन. सी.सी. निदेशालयों के मानक भी घटा दिए गए थे।

(2004 की रिपोर्ट सं. 6 का पैरा 2.1)
थल सेना और आयुध

रक्षा भूमि पर अतिक्रमण का पता लगाने में असामान्य विलंब:– एक रक्षा संपदा कार्यालय को 16 वर्षों तक रक्षा भूमि पर अतिक्रमण का पता नहीं लगा जिसके परिणामस्वरूप किराए/प्रीमियम की बाबत 79 लाख रु. की वसूली नहीं हो पाई।

(2004 की रिपोर्ट सं. 6 का पैरा 2.2)
थलसेना और आयुध

I–थल सेना

दोषपूर्ण गोलाबारूद का धारण:– गलत प्रणोदक के प्रयोग के कारण 47.34 करोड़ रु. मूल्य के 17879 टैंकरोधी विस्फोटक गोलाबारूद अप्रयोज्यनीय हो गए और इन्हें प्रशिक्षण उद्देश्यों के लिए स्थानांतरित करना पड़ा था।

(2004 की रिपोर्ट सं. 6 का पैरा 3.1)
थलसेना और आयुध

लेखा परीक्षा के बताने पर हुई वसूलियां/बचतें :– लेखा परीक्षा द्वारा व्यक्तिगत हकदारियों तथा सेवानिवृत्ति लाभों तथा कैंटीन स्टोर्स विभाग की आपूर्तियों से होने वाली परिसमापन क्षतियों/जुर्मानों की वसूली के विनियमितीकरण में कुछ त्रुटियों की ओर संकेत करने पर 3.88 करोड़ रुपए की राशि की वसूली की गयी। लेखा परीक्षा के बताने पर अनियमित प्रशासनिक अनुमोदनों/तकनीकी संस्वीकृतियों को निरस्त अथवा संशोधित किया गया जिससे 58 लाख रुपए की बचत हुई।

(2004 की रिपोर्ट सं. 6 का पैरा 3.2)
थलसेना और आयुध

जीपों की अधिप्राप्ति पर टाला जा सकने वाला अतिरिक्त व्यय:– आयुध निर्माणी महानिदेशक द्वारा अक्तूबर, 1999 और जनवरी, 2000 में 3423 जीपों के रिमों की दरों की तर्कसंगतता की जांच नहीं की गई जिसके कारण 3.07 करोड़ रुपए (उत्पाद शुल्क एवं करों के 1.71

करोड़ रुपए सहित) का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(2004 की रिपोर्ट सं. 6 का पैरा 3.3)
थलसेना और आयुध

परिवहन भत्ते का त्रुटिपूर्ण भुगतान:- भारतीय सैन्य अकादमी (आईएमए), इक्वाइन ब्रीडिंग स्टड फार्म हिसार, गोरखा प्रशिक्षण केंद्र, सबाथू तथा ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी, चेन्नई जिन्हें सरकारी आवास उसी कैम्पस में प्रदान किया गया था जहां उनका कार्यस्थल तथा आवास थे। इन सैन्य कार्मिकों को परिवहन भत्ता देने के आदेशों के त्रुटिपूर्ण कार्यान्वयन के फलस्वरूप 69.93 लाख रुपए का अधिक भुगतान हुआ।

(2004 की रिपोर्ट सं. 6 का पैरा 3.7)
थलसेना और आयुध

II-निर्माण कार्य एवं सैन्य इंजीनियरी सेवाएं

पारिवारिक आवासों के निर्माण पर परिहार्य व्यय:- एक स्टेशन पर कम मांग के उपरांत भी अन्य रैंक के लिए पारिवारिक आवासों का निर्माण किया गया जिसके परिणामस्वरूप 1.17 करोड़ रु. का निष्फल व्यय हुआ।

(2004 की रिपोर्ट सं. 6 का पैरा 4.3)
थलसेना और आयुध

निर्माण कार्यों के निष्पादन पर 61.11 लाख रु. का परिहार्य व्यय :- 17 अक्तूबर, 2001 को वायुसेना स्टेशन चंडीगढ़ में आयोजित प्रेसिडेंशियल फ्लीट रिव्यू में मुख्यालय पश्चिम वायु कमान (वायुसेना) एयर आफिसर कमांडिग, एयर फोर्स स्टेशन चंडीगढ़ द्वारा 7 संबंधित कार्यों की संस्वीकृति की वायुसेना मुख्यालय के निर्देशों का उल्लंघन करने के बावजूद इसे गैरीसन इंजीनियर वायुसेना द्वारा कराया गया जिसके परिणामस्वरूप 61.11 लाख रु. का परिहार्य व्यय किया गया।

(2004 की रिपोर्ट सं. 6 पैरा 4.4)
थलसेना और आयुध

III-सीमा सड़क संगठन

विभागीय चूकों के कारण एक पुल के उपमार्गों के निर्माण में विलंब :- कार्य आरंभ से पहले उपमार्गीय सड़क के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण न होने के कारण 1.66 करोड़ रु. के व्यय के बाद भी एक स्थायी पुल का तीन वर्षों से अधिक समय तक कोई उपयोग नहीं हुआ।

(2004 की रिपोर्ट सं. 6 का पैरा 6.1)
थलसेना और आयुध

IV-आयुध फैक्ट्री संगठन

धातु एवं इस्पात फैक्ट्री, ईशापुर की कार्य-प्रणाली :- धातु एवं इस्पात फैक्ट्री, ईशापुर एक धातु कार्मिक इकाई है जो लौह तथा अलौह उत्पाद जैसे टी-72 टैंक के लिए गन बैरल, 155 मि.मी. फील्ड हाविट्जर तथा 30 मि.मी. सारथ इन्फैक्ट्री कम्बैट वेहिकल, 125, 30 तथा 23 मि.मी. गोलाबारूद के लिए ब्लैक तथा कारतूस खोल तथा विभिन्न प्रकार के रोल्ड एलॉस स्टीलबार बिलेट तथा रॉड आदि का निर्माण सहयोगी फैक्टरियों को आपूर्ति करने के लिए करती है। मुख्य उत्पादन प्रक्रम, मेल्टिंग कास्टिंग, फोर्जिंग,

रॉलिंग मशीनिंग तथा हीट ट्रीटमेंट हैं। फैक्ट्री के कार्य की लेखा परीक्षा द्वारा की गई समीक्षा से यह उजागार हुआ कि :-

- सहयोगी फैक्टरियों से पर्याप्त आदेश न मिलने के कारण पांच कारखानों में क्षमता का अल्प उपयोग 11 से 100 प्रतिशत के मध्य रहा।
- 28.36 करोड़ रु. के दो संयत्रों का अल्प उपयोग 55 से 85 प्रतिशत के मध्य रहा।
- उपलब्ध मानव घंटों के बावजूद इनका पूर्ण उपयोग नहीं किया गया, फैक्ट्री में कर्मचारियों से समयोपरि आधार पर काम कराया गया जिसमें से 12.11 करोड़ रु. का व्यय अपरिहार्य था।
- फैक्टरी 02 कूलिंग पिट, 01 मैकेनिकल प्रेस, एक फरनेस तथा 01 मिलिंग मशीन की अधिप्राप्ति पर 2. 70 करोड़ रु. का निवेश करने के बावजूद उनकी प्राप्ति के पश्चात् 2 से 5 वर्ष की देरी के बाद भी स्थापित न होने/विलंब से स्थापित होने के कारण उनका लाभ उठाने में असफल रही।
- आयुध फैक्टरी संगठन के समग्र अनुपात 29 से 37 प्रतिशत के प्रति उत्पादन मूल्य का उपरिव्यय प्रभार का अनुपात 62 से 73 प्रतिशत के मध्य था।
- इस निर्माणियों में शैल फोर्ज प्लांट अधिप्राप्त करने में अनिर्णय के कारण हुए अत्यधिक विलंब और उत्पाद प्रोफाइल में परिवर्तन की वजह से उक्त संयंत्र के लिए सुविधाओं के सृजन हेतु 3.03 करोड़ रुपए का निष्फल व्यय हुआ।
- क्रयादेशों की प्रत्याशा में 22.66 करोड़ रुपए के इस्पात, ब्लूम और बिलेट के अविवेकपूर्ण विनिर्माण से ये मदें गतावधिक और अप्रयोज्य हो गईं।
- छह माह के सामान्य विनिर्माण काल के मुकाबले, 7.71 करोड़ रुपए मूल्य के 53 विनिर्माण वारंट एक से चार वर्ष से भी अधिक समय से बकाया थे।

(2004 की रिपोर्ट सं. 6 पैरा 7.2)

थलसेना और आयुध

आयुध निमार्णियों से सी एन सी मशीनों का कार्य-निष्पादन

आयुध निर्माणियों ने अपने आधुनिकीकरण कार्यक्रम के एक हिस्से के रूप में चरणबद्ध रूप से कम्प्यूटराइज्ड न्यूमेरिकेली कंट्रोल्ड मशीनें लगाईं। सी एन सी मशीनें, पारम्परिक मशीनों की तुलना में मशीनिंग, टर्निंग, ग्राइंडिंग, मिलिंग, बोरिंग, गॉजिंग, ड्रिलिंग, गियर मेकिंग आदि जैसे कार्यों में श्रेष्ठ कार्य-निष्पादन और परिशुद्धता देने के लिए अभिकल्पित और बनाई गई हैं। अपेक्षित प्रचालनों/कार्यों के आधार पर सी एन सी

मशीनें मल्टी एक्सिस मोड के साथ डिजाइन की जाती हैं। 1997-2002 के दौरान आयुध निर्माणियों में सी एन सी मशीनों के कार्य-निष्पादन और कार्यकरण की लेखा परीक्षा द्वारा समीक्षा से यह उजागर हुआ कि:-

- अस्वीकृति प्रतिशतता को विहित सीमा के अंदर रख पाने में प्रबंधन की असफलता के कारण दो निर्माणियों में घटकों के विनिर्माण में 21.94 करोड़ रुपए की अपसामान्य अस्वीकृति हुई।
- समुचित प्रलेखीकरण, विशेषकर मशीन-वार, साइकल टाइम, वार्षिक दर-क्षमता, आदि के अभाव में और सी.एन.सी. मशीनों की अधिप्राप्ति के समय परिकल्पित उपार्जित लाभ संबंधी उपलब्धियों का आकलन न किए जाने के कारण निर्माणी प्रबंधन सी.एन.सी. मशीनों के उपयोग का प्रभावी रूप से मूल्यांकन, अनुश्रवण और नियंत्रण नहीं कर सके।
- संबंधित फैक्ट्रियों में कार्यभार के अभाव या कार्यभार में कमी को देखते हुए, मार्च, 1993 एवं नवंबर, 2001 के मध्य 10 आयुध फैक्ट्रियों द्वारा 8.50 करोड़ रुपए की लगत से 49 सी.एन.सी. मशीनों की अधिप्राप्ति का कोई औचित्य नहीं था।
- विभिन्न प्रकार की गुणवत्ता समस्याओं के कारण मशीनों की स्थापना नहीं होने, लगातार खराब रहने अथवा अंतत: अस्वीकृत होने के कारण 7 फैक्ट्रियों का प्रबंधन 16 मशीनों की खरीद पर किए गए 15.56 करोड़ रुपए के निवेश का कोई मूल्य प्राप्त नहीं कर सका।
- एक वर्ष में 60 से 100 सी.एन.सी. मशीनों के मामले में 70 प्रतिशत की सीमा तक भारी अल्प उपयोग हुआ। इसके अतिरिक्त उसी दौरान, 13 फैक्ट्रियों में परीक्षण के लिए चुनी गई 349 मशीनों में से 82 से 154 मशीनों में अल्प उपयोग का प्रतिशत 40 से 69 प्रतिशत के मध्य रहा। इसके अलावा, 13 निर्माणियों में जांच-पड़ताल के लिए चयनित 349 मशीनों में से 82 से 154 मशीनों का वर्ष में 40 प्रतिशत से लेकर 69 प्रतिशत तक कम उपयोग किया गया।
- ग्यारह आयुध निर्माणियों में 41 से 94 मशीनें वर्ष में एक माह से अधिक अवधि तक खराब पड़ी रहीं, 16 मशीनें 2001-02 में छह माह से भी अधिक खराब रहीं। इसके अतिरिक्त, अप्रैल, 2002 की स्थिति के अनुसार, छह निर्माणियों में 5.99 करोड़ रुपए लागत की नौ मशीनें 20 माह से लकर साढ़े आठ वर्ष की अवधि तक लगातार खराब रहीं।
- दो निर्माणियों में सी एन सी रूट के जरिए उपलभ्य उत्पादन क्षमता के बावजूद, परंपरागत तरीके से 5.56 मि.मी. राइफल और 9 मि.मी. पिस्तौल के संघटकों का विनिर्माण किए जाने से उत्पादन की उच्च लागत के कारण 9.71 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय हुआ।

- सी एन सी क्षमता के होते हुए भी, तीन निर्माणियों के प्रबंधन ने 5.32 करोड़ रुपए के कार्य ट्रेड को दे दिए।
- दो मामलों में, दो आयुध निर्माणियों के प्रबंधन ने ऐसे सी एन सी आपूर्तिकर्त्ताओं जिन्होंने संविदागत दायित्वों को पूरा नहीं किया था को 1.14 करोड़ रुपए का भुगतान किया।

(2004 की रिपोर्ट सं. 6 का पैरा 7.3)
सेना और आयुध

प्रयोक्ता द्वारा आकस्मिक रूप से मांग वापस लेने से अवरुद्ध इनवेंटरी:- सेना द्वारा 1999-2000 में 155 मिमी बोफोर्स गोला-बारूद के हाई एक्सप्लोजिव एक्सटेंडिड रेंज वर्सन की अपनी आवश्यकता को वापस लेने संबंधी आकस्मिक निर्णय के कारण तीन आयुध निर्माणियां 9.21 करोड़ रुपए मूल्य की अवरूद्ध इनवेंटरी, जिसके वैकल्पिक उपयोग की कोई संभावना नहीं है, अपने पास रखने के लिए विवश थीं।

(2004 की रिपोर्ट सं. 6 का पैरा 7.4)
सेना और आयुध

सप्लाई आर्डर में गलत विनिर्देश के कारण त्रुटिपूर्ण सामान की प्राप्ति : भारी वाहन निर्माणी, आवड़ी द्वारा सप्लाई आर्डर में विनिर्देश के गलत समावेश से एक विदेशी फर्म से 3.60 करोड़ रुपए की लागत पर आयातित ट्रेक एसेम्बली रेप्स का नि:शुल्क प्रतिस्थापन प्राप्त करने की संभावना ही समाप्त हो गई।

(2004 की रिपोर्ट सं. 6 का पैरा 7)
सेना और आयुध

एक प्रणोदक का विकास करने में विफलता : उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला, हैदराबाद द्वारा आयुध निर्माणी, इटारसी के साथ मिलकर मिलान प्रक्षेपात्र के आर्टस ब्लॉक प्रणोदकों का देश में ही विकास करने में विफल रहने के परिणामस्वरूप 4.75 करोड़ रुपए का निष्फल व्यय हुआ था।

(2004 की रिपोर्ट सं. 6 का पैरा 7.10)
सेना और आयुध

संघटकों की अधिक खपत का छिपाया जाना: राइफल निर्माणी, ईशापुर ने 5.56 मिमी राइफल और 9 मिमी पिस्तौल की एसेम्बली में नामंजूर अंश की गणना प्राक्कलन में मुहैया कराई गई आदेशित मात्रा संदर्भ में न करके प्रत्येक वारंट के कुल मूल्य के आधार पर 3.19 करोड़ रुपए मूल्य के संघटकों/उप-एसेंबलियों की अधिक खपत को छिपाया।

(2004 की रिपोर्ट सं. 6 का पैरा 7.13)
सेना और आयुध

V-वायुसेना और नौसेना

एक पनडुब्बी का आधुनिकीकरण :- 800 करोड़ रुपए की एक एसएसके पनडुब्बी के आधुनिकीकरण कार्यक्रम में अपर्याप्त आयोजना और धीमी अधिप्राप्ति से आधुनिकीकरण कार्यक्रम के पूरा होने में ढ़ाई वर्ष का विलब हो गया है, जिसके कारण इस अवधि के दौरान पनडुब्बी संक्रियात्मक कार्य के लिए अनुपलब्ध रही और 9.39 करोड़ रुपए का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ।

(2004 की रिपोर्ट सं. 7 का पैरा 4.1)
सेना और आयुध

अपर्याप्त सुरक्षा उपायों के कारण अतिरिक्त व्यय :- नौसेना द्वारा पर्याप्त सुरक्षा उपाय कार्यान्वित न किए जाने के कारण जलमग्न केबल्स और दो डिगॉजिंग रेंजों के यंत्र क्षतिग्रस्त हो गए। इसके परिणामस्वरूप डिगॉजिंग सुविधाओं के सृजन में 8.99 करोड़ रुपए का परिहार्य अतिरिक्त व्यय और चार वर्ष से अधिक का विलंब हुआ।

(2004 की रिपोर्ट सं. 7 का पैरा 6.2)
वायुसेना और नौसेना

पनडुब्बियों के लिए रबर टाइलों की खरीद:- पनडुब्बियों के लिए रबर टाइलों की खरीद संबंधी योजना की कमियों के कारण 1.72 करोड़ रुपए का परिहार्य व्यय हुआ।

(2004 की रिपोर्ट सं. 7 का पैरा 4.2)
वायुसेना और नौसेना

ट्रांसमीटरों की अनावश्यक अधिप्राप्ति :- वायुसेना द्वारा प्राधिकृत सीमा और आवश्यकता से अधिक ग्यारह ट्रांसमीटरों की अधिप्राप्ति के कारण 5.26 करोड़ रुपए का परिहार्य व्यय हुआ। इन अतिरिक्त ट्रांसमीटरों की विनिर्माता को वापसी के लिए वायुसेना द्वारा किए गए प्रयास भी सफल नहीं हुए।

(2004 की रिपोर्ट सं. 7 का पैरा 3.1)
वायुसेना और नौसेना

दोषपूर्ण प्रक्षेपास्त्रों का आयात:- वायुसेना मुख्यालय, तीन दोषपूर्ण प्रक्षेपास्त्रों की वारंटी अवधि के दौरान, विदेशी विक्रेता की लागत पर, मरम्मत अथवा उनका प्रतिस्थापना कराने में असफल रहा। इसके परिणामस्वरूप, ये प्रक्षेपास्त्र आठ साल के अपने पूर्ण सेवा काल (शैल्फ लाइफ) में अप्रयोज्य स्थिति में रहेंगे, जिससे इनकी अधिप्राप्ति पर किया गया 1.26 करोड़ रुपए का निवेश निष्फल ही रहेगा।

(2004 की रिपोर्ट सं. 7 का पैरा 2.2)
वायुसेना और नौसेना

लेखा परीक्षा के बताने पर की गई वसूलियां :- लेखा परीक्षा के कहने पर वायुसेना ने इस वर्षों से भी अधिक समय से बकाया राशि पर ब्याज के रूप में 8.02 करोड़ रुपए की वसूली हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड से की। एक अन्य मामले में, हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा दिए गए बिलों में दरें गलत तरीके से लागू करने के परिणामस्वरूप की गई 2.88 करोड़ रुपए की अधिक अदायगी वसूल की गई।

(2004 की रिपोर्ट सं. 7 का पैरा 3.7)
वायुसेना और नौसेना

परिवहन भत्ते का अनियमित भुगतान : वायुसेना और नौसेना कार्मिकों को परिवहन भत्ता देने के सरकारी आदेशों को गलत रूप से लागू करने के कारण वायुसेना तथा नौसेना की 26 विरचनाओं में 20.29 करोड़ रुपए का अधिक भुगतान किया गया।

(2004 की रिपोर्ट सं. 7 का पैरा 2.1)
वायुसेना और नौसेना

वैमानिकी बमों की अधिप्राप्ति : वायुसेना ने समुचित मूल्यांकन किए बिना 3775 वैमानिकी बमों की आपूर्ति के लिए एक रूमानियाई फर्म के साथ संविदा की। ये बम उड़ान परीक्षणों में असफल हो गए 1 यह

संविदा रद्द करनी पड़ी थी और 2000 बमों की अधिप्राप्ति वैकल्पिक सच्चे-परखे स्रोत (रूस) से करनी पड़ी थी। परिणामस्वरूप 1.32 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(2004 की रिपोर्ट सं. 7 का पैरा 3.2)
वायुसेना और नौसेना

उपस्कर की परिहार्य अधिप्राप्ति : वायुसेना के परियोजना समन्वयकर्त्ता और परियोजना कार्यान्वयनकर्त्ता दोनों ही द्वारा एक ही उपयोग के लिए उच्च क्षमता डाटा रिकार्डरों की अधिप्राप्ति किए जाने से 1.22 करोड़ रुपए का अनावश्यक परिहार्य व्यय हुआ।

(2004 की रिपोर्ट सं. 7 का पैरा 6.1)
वायुसेना और नौसेना

ए आर सी स्प्रे प्रणाली की अधिप्राप्ति : वायुसेना की घटिया आयोजना के फलस्वरूप 1.22 करोड़ रुपए की लागत से अधिप्राप्त छह ए सी आर स्प्रे प्रणालियों का उपयोग/इष्टतम उपयोग नहीं किया जा सका।

(2004 की रिपोर्ट सं. 7 का पैरा 3.3)
वायुसेना और नौसेना

फ्यूएल फीड पम्पों की अधिप्राप्ति : फ्यूएल पम्पों के लिए विदेशी फर्म से प्राप्त प्रस्तावों की नौसेना मुख्यालय द्वारा पर्याप्त रूस से संवीक्षा न किए जाने के परिणामस्वरूप दो फ्यूएल फीड पम्पों की अत्यधिक दरों पर अधिप्राप्ति की गई, जिससे 34.34 लाख रुपए का अतिरिक्त परिहार्य व्यय हुआ।

(2004 की रिपोर्ट सं. 7 का पैरा 4.3)
वायुसेना और नौसेना

वायुसेना मुख्यालय की असफलता के कारण परिहार्य व्यय : वायुसेना द्वारा दो संविदाओं के प्रारूपों में समय पर संशोधन जारी करने में असफल रहने के कारण हिस्से-पुर्जों की अधिप्राप्ति में 44.75 लाख रुपए का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(2004 की रिपोर्ट सं. 7 का पैरा 3.4)
वायुसेना और नौसेना

एक नगर निगम के साथ जल आपूर्ति व्यवस्था पर परिहार्य और निष्फल व्यय: एक नौसेना स्थापना के लिए जल की आवश्यकता के अधिक आकलन और एक नगर निगम के साथ समय-पूर्व करार किए जाने के फलस्वरूप 1.20 करोड़ रुपए का परिहार्य और निष्फल व्यय हुआ। इसके अलावा, 57.19 लाख रुपए की लागत से निर्मित पाइपलाइन की सुरक्षा करने में गैरीजन इंजीनियर के असफल रहने के कारण इसका उपयोग नहीं किया जा सका और इसमें किया गया निवेश निष्फल रहा।

(2004 की रिपोर्ट सं. 7 का पैरा 4.5)
वायुसेना और नौसेना

राजस्व को लोक निधि में जमा न करना: तीन वायुसेना कमानों ने सरकारी भवनों/सरकारी भूमि पर अवस्थित वाणिज्यिक काम्पलेक्सों से अर्जित 1.77 करोड़ रुपए का राजस्व सरकार को नहीं सौंपा।

(2004 की रिपोर्ट सं. 7 का पैरा 3.6)
वायुसेना और नौसेना

अनधिकृत और अनावश्यक व्यय : एक आयोजन को रद्द किए जाने पर भी उसके लिए अपेक्षित सिविल निर्माण-कार्य पूरा

किया गया, जिसके परिणामस्वरूप 51 लाख रुपए का अनधिकृत और अनावश्यक व्यय हुआ।

(2004 की रिपोर्ट सं. 7 का पैरा 3.5)
वायुसेना और नौसेना

नवनिर्मित तकनीकी भवन का अभिप्रेत प्रयोजन हेतु उपयोग न होना एक आयुध मरम्मत और अनुरक्षण यूनिट के लिए 68 लाख रुपए की लागत से निर्मित भवन का उपयोग, मूल प्रयोक्ता को अनुपयुक्त वैकल्पिक आवास में भेजकर, अन्य गैर-तकनीकी कार्यों के लिए किया गया।

(2004 की रिपोर्ट सं. 7 का पैरा 4.4)
वायुसेना और नौसेना

उत्कृष्ट भूमि का अनुपयोग : सात वर्ष पहले 15.8 करोड़ रुपए की लागत पर उत्कृष्ट भूमि प्राप्त करने के बावजूद तटरक्षक कोलकाता में एक तटरक्षक एयर स्क्वाड्रन की स्थापना करने में असफल रहा।

(2004 की रिपोर्ट सं. 7 का पैरा 5.1)
वायुसेना और नौसेना

रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग

सीमा शुल्क का विलंब से भुगतान करने के कारण **भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड** ने जुलाई, 2002 में 243 करोड़ रुपए का दांडिक ब्याज अदा किया। इसके अलावा, रियायती सीमा शुल्क उपलब्ध न होने के कारण, इसने घरेलू बिक्री पर जुलाई, 2002 में 68 लाख रुपए का अतिरिक्त सीमा शुल्क भी अदा किया।

(2004 की रिपोर्ट सं. 3 का पैरा 6.1.1)
वाणिज्यिक

भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड, सुपुर्दगी की शर्तों में संशोधन के समय अपने हित की रक्षा करने में असफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप 58.37 करोड़ रुपए की निधियां ब्लॉक हो गईं और परिणामत: इसे 1995-96 से 2001-02 तक 9.89 करोड़ रुपए के ब्याज का नुकसान हुआ। इसने माल की हिफाजत के लिए बीमा प्रीमियम हेतु 1.32 करोड़ रुपए भी खर्च किए।

(2004 की रिपोर्ट सं. 3 का पैरा 6.2.1)
वाणिज्यिक

हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड मिग-21 एम और 27 एम की समय पर मरम्मत/संपूर्ण मरम्मत करने की अपनी वचनबद्धता को पूरा करने में असफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप इसे 1995-96 से 2002-03 तक 11.33 करोड़ रुपए का परिसमापक हर्जाना देना पड़ा।

(2004 की रिपोर्ट सं. 3 का पैरा 6.3.1)
वाणिज्यिक

भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड की विपणन संबंधी गतिविधियों की समीक्षा

इस कम्पनी ने मार्च, 2003 को समाप्त पिछले 5 वर्षों के दौरान कोई मंडी सर्वेक्षण नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप इसने ऐसे हिस्से-पुर्जों/उपस्करों की अधिप्राप्ति/विनिर्माण किया जिनका यह उपयोग/विक्रय नहीं कर सकती थी। मार्च, 2003 की स्थिति के अनुसार, वस्तु-सूची उत्पादन-मूल्य का

41 प्रतिशत थी। मंडी के गलत पूर्वानुमानों के कारण डीजल इंजन और सिलेंडर ब्लॉकों के विनिर्माण के लिए सृजित उत्पादन क्षमता का अल्प उपयोग हुआ।

इस कंपनी का मूल कार्य-कलाप अर्थमूविंग इक्विपमेंट का विनिर्माण और विक्रय करना है, लेकिन प्रतियोगी कीमतों की पेशकश करने और प्रतियोगिता से निपटने में इसकी असमर्थता के कारण इस क्षेत्र में इसका हिस्सा कम हो गया है। अर्थ मूविंग इक्विपमेंट के विनिर्माण और विक्रय में हानि होने का मुख्य कारण कीमत कम करने के लिए समुचित उपाय करने में इस कंपनी का असफल रहना था।

इस कंपनी के पास पर्याप्त जनशक्ति सहित संपूर्ण वितरण तंत्र होने के बावजूद इसने अपने उत्पादों के लिए क्रयादेश प्राप्त करने के लिए अविवेकपूर्ण रूप से निजी एजेंसियां इस कार्य पर लगाई, जिसके परिणामस्वरूप परिहार्य व्यय हुआ।

इस कंपनी ने अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं शुरू करने के संबंध में कोई नीति नहीं बनाई है। अत: यह बाजार में अनुसंधान एवं विकास उत्पाद सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने में समर्थ नहीं हुई है।

उपभोक्ताओं को उपस्करों की आपूर्ति करने में इस कंपनी की ओर से देरी की गई। अत: उपभोक्ताओं ने भुगतान रोक लिया/परिसमापन हर्जाना लगाया।

एक रुग्ण सहायक कंपनी बी सी सी आई ने इस कंपनी को भुगतान करने में चूक की, तथापि इस कंपनी ने उसे उपस्करों/हिस्से-पुर्जों की आपूर्ति जारी रखी।

(2004 की रिपोर्ट सं. 4)

वाणिज्यिक

रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन में संयंत्र और उपस्करों की अधिप्राप्ति और उपयोग

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन, सशस्त्र सेनाओं की संक्रियात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नए और अत्याधुनिक उपस्करों के अभिकल्पन एवं विकास के जरिए उन्हें वैज्ञानिक तथा तकनीकी सहायता मुहैया करता है। एक महत्वपूर्ण उद्देश्य अब तक आयात किए जाने वाले उपस्करों का देश में ही उत्पादन किए जाने की क्षमता स्थापित करना अर्थात रक्षा जरूरतों में आत्म-निर्भरता प्राप्त करना है। रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन का आदेश 50 प्रयोगशालाओं/ स्थापनाओं के तंत्र के माध्यम से पूरा किया जाता है।

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन में संयंत्र और उपस्करों की अधिप्राप्ति और उपयोग संबंधी एक समीक्षा की गई और यह उजागर हुआ कि

- चार प्रयोशालाओं/स्थापनाओं में 13.78 करोड़ रुपए की छह मशीनों की संस्थापना में अपसामान्य देरी हुई थी।

- चार प्रयोगशालाओं में 5.60 करोड़ रुपए के चार उपस्करों का उनकी क्षमता से कम उपयोग हुआ था।
- दो प्रयोगशालाओं में 3.21 करोड़ रुपए के चार उपस्कर अप्रयुक्त पड़े थे।
- विशिष्ट परियोजनाओं के लिए अपेक्षित 1.75 करोड़ रुपए मूल्य की आठ मशीनें पांच प्रयोगशालाओं में या तो परियोजना के बंद होने के पश्चात अथवा आखिरी समय पर प्राप्त हुई थीं।
- एक प्रयोगशाला ने 1.60 करोड़ रुपए की लागत से ऐसा उपस्कर अधिप्राप्त किया, जिसकी परियोजना प्रस्ताव में योजना नहीं बनाई गई थी।
- मिश्र धातु निगम लिमिटेड में 11 वर्ष से भी अधिक समय तक संस्थापित परिसंपत्तियों की 4.89 करोड़ रुपए की लागत वसूल नहीं हुई।

(2004 की रिपोर्ट सं. 6 का पैरा 5.1)

सेना और आयुध निर्माणियां